(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम विधान सभा के षष्ठम् सत्र का नवां दिवस [संख्या 7

1]. [2

शुक्रवार

दिनांक 25 फरवरी, 1983.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी।

कोटा जिला उद्योग केन्द्र में अधिकारियों के रिक्त पद

143. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा जिला उद्योग केन्द्र में अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त है और क्यों ?

(2) क्या सरकार औद्योगिक नगर कोटा में उक्त पदों के रिक्त रहने को न्यायोचित मानती हैं ? यदि नहीं, तो उक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां। जिला उद्योग केन्द्र कोटा में निम्न पद उनके नाम के आगे दर्शाये दिनों एवं कारण से रिक्त हैं :-

पद नाम	दिनांक	कारण
1. संयुक्त निदेशक-एक पद	1-11-82	सेवा निवृत्त होने के कारण इस पद पर पदस्थापन के आदेश दिनांक 2-2-83 को जारी कर दिये गये हैं।
2. उप-निदेशक-तीन पद		
1. विभागीय (उद्योग)	25-8-82	स्थानान्तरण के कारण
2. क्रेडिट (रा. वि. नि.)	14-2-83	स्थानान्तरण के कारण
3. कच्चा माल (रा.ल.नि.)	5-10-82	स्थानान्तरण के कारण
3. सहायक निदेशक (उद्योग) - 2 पद		
	25-8-82	स्थानान्तरण के कारण
	25-8-82	स्थानान्तरण के कारण

(2) जी नहीं। उक्त पदों की पूर्ति तदर्थ पदोन्नति द्वारा शीघ्र की जा रही है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

Page No 2

(2)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कोटा जैसी महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी में इतने सारे औद्योगिक अधिकारियों के पद रिक्त रहें और कई दिनों से रिक्त रहें इसका क्या कारण है ? इनकी पूर्ति तुरन्त नहीं किये जाने से वहां उद्योग लगाने वाले जो उद्यमी हैं उनको उद्योग लगाने में बड़ी असुविधा हो रही है । दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो राशि उद्योग लगाने हेतु जिला उद्योग केन्द्र को आवंटित की जाती है । अधिकारियों के पद रिक्त होने की वजह से उसका सही उपयोग नहीं हो पाता हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है · · — · · ·

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या यह सही है कि जोइन्ट डायरेक्टर, श्री एम. पी. पुरोहित का वहां अपाइन्टमेन्ट हो गया लेकिन उसने आज तक जोइन नहीं किया ? क्या इस पद को आप रिक्त नहीं मानेंगे ? असिस्टेन्ट डायरेक्टर का पद 6 महीने से रिक्त है, डिप्टी डायरेक्टर पद भी वहां पर रिक्त पड़ा हुआ है इसकी वजह से उद्योग लगाने की दृष्टि से रामगंज मण्डी में भी काफी नुकसान हुआ है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों के कोटा डी. आई. सी. में 12 पद हैं जिनमें से 6 पद, श्रीमन्, खाली हैं । वहां पर एक पद जोइन्ट डायरेक्टर का, तीन पद डिप्टी डायरेक्टर के और दो पद असिस्टेन्ट डायरेक्टर के खाली पड़े हैं । जोइन्ट डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति कुछ ही दिन पूर्व की गई है । यह सही है कि अधिकारियों के वहां न होने से काम-काज में निश्चित् रूप से उद्यमियों को असुविधा हो सकती है लेकिन काम काज बिलकुल ठप्प हो गया हो बन्द हो गया हो, जो सुविधा उनको मुहैय्या कराई जानी चाहिये वह नही मिल रही हो, ऐसा नहीं है, और भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा, डी. पी. सी. की मीटिंग करने के बाद राजस्थान के अन्दर इस वक्त जोइन्ट डायरेक्टर के तीन पद, डिप्टी डायरेक्टर के सात पद, असिस्टेन्ट डायरेक्टर के 19 पद और 32 पद, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के रिक्त पड़े हुए हैं। क्योंकि नियमों के तहत केन्डीडेट एलीजेबल नहीं हैं । इसके लिए इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैन्ट ने डी. ओ. पी. को लिखा है कि क्या एडहॉक बेसिस पर पद भरे जा सकते हैं या पी.एस.सी. के थ्रू भरे जायं । इस बारे में वार्ता चल रही है

(व्यवधान)

अब आप बोलने दीजिये या आप ही कह दीजिये, मैं बैठ जाता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जवाब तो आपको देना है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्थान रिक्त हैं, हम सजग हैं और आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । जहां तक कोटा का प्रश्न है, जोइन्ट डायरेक्टर की पोस्टिंग वहां पर 2-2-83 को कर दी गयी है ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा। मन्त्री महोदय ने फर्माया कि 6 पदों पर काम हो रहा है जिसकी वजह से काम सफर नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अधिकारियों के पद रिक्त होने की वजह से ····

श्री अध्यक्ष : यह वात आ गई है, ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : जो लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वे कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, 2-2-83 को ट्रान्सफर होने के वाद 23 दिन तक जॉइन्ट डायरेक्टर ने जॉइन नहीं किया।

श्री हरीश शर्मा : एम. पी. पुरोहित ने जॉइन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आज तक जॉइन नहीं किया, प्रश्न आने के वाद जॉइन होना भी मुश्किल है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है। मैं जानकारी करूंगा कि अव तक जॉइन क्यों नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कनकराज मेहता।

सांचौर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

144. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे:–

(1) सांचौर क्षेत्र में मार्च, 1983 तक कितने समस्याग्रस्त ग्राम पेयजल से लाभान्वित होने वाकी रहे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के खारे पानी यानी समस्याग्रस्त कितने ग्राम 1983-84 में पेयजल से लाभान्वित हो जायेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम धमाणा व इसकी ढाणियां पेयजल क्षेत्रों के नजदीक होते हुए भी पानी से नहीं जुड़ पाई हैं? इसी प्रकार ग्राम सेसाना, जो कि केटीया स्रोत के नजदीक होते हुए भी पानी से नहीं जुड़ पाया है? यदि हां, तो क्यों और अव उक्त दोनों ग्रामों को पेयजल योजना से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

राज्य मन्त्री, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (श्री देवेन्द्रसिंह) : (1) सांचौर क्षेत्र में मार्च, 83 तक 25 समस्याग्रस्त गांव पेयजल से लाभान्वित होने शेष रहेंगे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1983-84 में धन उपलब्धि के अनुसार ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाया जावेगा।

(3) ग्राम धामणा को वर्ष 1980-81 में हैण्ड पम्प योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है व इस ग्राम की ढाणियों की योजनाएं स्वीकृत न होने के कारण जल उपलब्ध नहीं कराया गया है। केरिया में जल स्रोत की कमी होने के कारण सेसाना को नहीं जोड़ा गया है। ग्राम सेसाना में धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 144 के साथ में जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें प्राब्लेमेटिक विलेजेज की लिस्ट दी है। यह लिस्ट वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने बनाई है जो फाल्टी है।

इस लिस्ट के अलावा जो गांव समस्याग्रस्त हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, सूरावा, डूंगरी, धरण्वा, सुथड़ी, खामराई, भीमगड़ा, लूनी पासुर, दूगांवा, पांचला, राणोदर, इटादा, रणोदर, धमाणा—इन गांवों का अगर सर्वेक्षण करायें, इन गांवों के ग्रामवासियों से भेंट करें तो पता चलेगा कि वह पानी के लिए कितने पीड़ित हैं, उनको कितनी तकलीफ है। वहां हैण्ड पम्प लगाये हैं उनसे खारा पानी आता है। धमाणा में हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं। वहां से 6-7 किलोमीटर दूरी पर पाइप लाइन गई है, फिर क्यों यहां के लोगों को कष्ट में डाला जा रहा है ? आपने जो लिस्ट दी है उसके अलावा भी कई गांव हैं जहां पानी की समस्या है। उनका सर्वेक्षण आपने नहीं करवाया। यह लिस्ट लोगों के सामने नहीं आई। मुझे भी लिस्ट आज मिली है। लिस्ट क्यों छुपा कर रखी गई, यह समझ में नहीं आता। जनता के साथ यह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है ? मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, आप मंत्री हैं आप कई बार वहां पधारे हैं, डूंगरी गांव के अन्दर जहां हैण्ड पम्प लगे हैं, वहां उनमें पानी खारा आता है। फिर भी वहां टैंकर नहीं भेजे गये····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री कनकराज मेहता : 15-16 गांव की लिस्ट मैंने दी है जहां पानी की भयंकर प्राब्लम है, न धरती के नीचे मीठा पानी है, न वहां कोई ऐसा तालाब है जिसमें पानी आ सकता है जमीन के निचे खारा पानी है। धमाणा गांव के अन्दर जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनमें भी पानी खारा निकलता है। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था, आपने जवाब दिया कि टैंकर लगायेंगे लेकिन आज तक वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री कनकराज मेहता : मैंने जो गांव बताये उनका सर्वे किया जाए और उधर से जो पाइप लाइन होकर निकलती है उसके जरिये जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं वहां पानी शीघ्र पहुंचाया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको अन्य किसी तरीके से उठायें, लम्बा भाषण नहीं होगा।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : भारत सरकार ने जो समस्याग्रस्त गांवों की लिस्ट तैयार की है उसमें करीब दो लाख विलेजेज प्राब्लेमेटिक घोषित किये गये हैं। यहां पर राजस्थान में 24,037 गांव समस्या ग्रस्त हैं। आपके यहां पर सांचौर में 117 गांव हैं, जैसा राज्य मंत्री महोदय ने बताया, उनमें से 80-90 गांव मार्च महीने तक लाभान्वित हो जायेंगे। 25 गांव समस्याग्रस्त बच जायेंगे जिनकी सूची आपको दे दी है। दूसरा, जो सूची आपने दी है, यह गांव समस्याग्रस्त गांवों की सूची में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की सूची में समस्याग्रस्त गांवों

(श्री परसराम मदेरणा)

की संख्या पहले एक लाख पचहत्तर हजार थी फिर वह दो लाख उनतीस हजार हो गई। राजस्थान में 1974 के सर्वे के बाद 24,037 गांव ऐसे हैं जो समस्याग्रस्त हैं। राज्य सरकार ने उनकी लिस्ट भारत सरकार को दे दी है। उसके बाद परिवर्तन करना या न करना, यह विषय राज्य सरकार का है। अभी जो फिगर्स दी हैं उसके संबंध में मेरा कहना है कि आप फिगर्स को इधर-उधर नहीं कर सकते क्योंकि पैसा नहीं है। हम 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प देते हैं। भारत सरकार कहती है कि एक गांव में एक दीजिए। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जहां ढाणियां हैं, जहां समस्या गम्भीर है, और जो हमारी स्पेशल समस्या है उसके लिए एडीशनल फण्ड का कोई प्रोग्राम देना चाहिए। जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत गांव लिये हैं उसके अन्दर हमारे बाकी बचे हुए जो 2,047 गांव हैं उनको हम इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर कर सकें, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : समस्याग्रस्त गांवों के लिये सरकार पूरी तरह कुछ विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : इसको अन्य किसी तरीके से उठायें। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायें, काफी समय हो गया है।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : क्या यह सही है कि सरकारी अधिकारियों ने जहां पीने के पानी की समस्या थी उन गांवों को लिया नहीं और जहां पानी की समस्या नहीं है उनको लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह भी एक समस्या है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 145.

श्रीमती विद्या पाठक, श्री दाउदयाल जोशी व श्री हीरालाल आर्य।

धौलपुर, भरतपुर, अलवर जिलों में नेत्र उपचार के अवैध कैम्प

145. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर), श्री दाउदयाल जोशी (दीणोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982 में राज्य के धौलपुर, भरतपुर, अलवर आदि जिलों में नेत्र रोग निवारण हेतु अवैध कैम्प लगाये गये ?

(2) उक्त अवैध कैम्पस में कितने रोगियों का उपचार किया गया व कितने नेत्रहीन हो गये ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इन कैम्पस में उपचार करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विद्या पाठक : सरकार की ओर से इसके लिए कहा गया है कि वक्तव्य दिया जाएगा। वक्तव्य आया नहीं, इसलिए वक्तव्य आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : वे सभी प्रश्न जिनके लिए वक्तव्य दिये जावेंगे, स्थगित किये जाते हैं।

Page No 6

(6)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 146

श्री सुरजा राम ।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

नगर न्यास, उदयपुर द्वारा छविगृह निर्माण हेतु स्वीकृति

147. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) नगर न्यास, उदयपुर ने छविगृह निर्माण हेतु कौन-कौन सी भूमि प्लान में निश्चित कर रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित स्थान के बजाय कृषि भूमि में छविगृह के निर्माण की स्वीकृति न्यास द्वारा वर्ष 1982-83 में दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) 1982–83 में छविगृहों निर्माण हेतु कितने आवेदन-पत्र आये ? उनमें से कितने, किस आधार पर अस्वीकार कर दिये गये ?

(4) आयड़ विश्वविद्यालय मार्ग पर बनने वाले छविगृह की स्वीकृति कब व किस अधिकारी द्वारा दी गई ? इस स्वीकृति का अनुमोदन ट्रस्ट द्वारा किस तिथि को किया गया ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह):(1) उदयपुर नगर न्यास की हिरनमगरी योजना के सैक्टर नं. 3 व 4 में छविगृह हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है ।

(2) न्यास द्वारा वर्ष 1982-83 में छविगृहों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी ई ।

(3) वर्ष 1982-83 में छविगृह निर्माण हेतु नगर न्यास, उदयपुर के कार्यालय में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(4) आयड़ विश्वविद्यालय रोड के वहां मैसर्स रणजीत मूवीज के नाम से दिनांक 7-12-81 को तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा छविगृह निर्माण की स्वीकृति दी गई है । एन. ओ. सी. देने की पुष्टि न्यास द्वारा दिनांक 3-6-80 को की गई है ।

(11.20 प्रातः)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के क्रासिंग पर उदयपुर में किसी छविगृह का निर्माण हो रहा है? दूसरा, पुल के पास जिस छविगृह का निर्माण हो रहा है क्या वह एरिया टाउन प्लानिंग के हिसाब से उदयपुर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत आता है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, उदयपुर में कहां छविगृह का निर्माण हो रहा है, मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा। किस नेशनल हाईवे के किस सर्किल या मोड़ पर हो रहा है, इस बारे स्पेसिफिक सवाल पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूं किन्तु इसकी मुझे जानकारी नहीं है । दूसरे, जिस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है आयड़ विश्वविद्यालय रोड के पास जिस एरिया की मंजूरी दी गई है, यह बात उसी ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अन्दर है कि यह एरिया औद्योगिक एरिया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तीसरे, कलक्टर ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था 1980 में कि इस जमीन को चीफ टाउन प्लानर की राय लेकर इण्डस्ट्रियल एरिया से कामशियल एरिया में बदल दिया जाए। सी. टी. पी. की राय के अनुसार सैक्रेटरी,जो उस समय टाउन प्लानिंग विभाग के थे, ने स्वीकृति दे दी कि इस इलाके को इण्डस्ट्रियल एरिया से निकालकर कामशियल एरिया में बदलने में सरकार को कोई एतराज नहीं है। जो फाइनल निर्णय लेना होता है उसके लिए राजस्थान सिनेमाटोग्राफ एक्ट के तहत कलक्टर सक्षम अधिकारी हैं, फाइनल निर्णय कलक्टर को लेना पड़ता है। जिलाधीश,उदयपुर ने इस सिनेमा को बनाने की मंजूरी दी। यू. आई. टी. द्वारा एन.ओ.सी. दिया गया, पी. डब्ल्यू. डी. और पुलिस विभाग द्वारा एन. ओ.सी. दिया गया इस आधार पर कलक्टर द्वारा नो ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा प्रश्न ऐसा नहीं था। मैं इसकी जांच करूंगा कि इसमें 1982 कैसे हो गया। मैंने प्रश्न में 1981 लिखा था लेकिन यहां 1982-83 लिख रखा है। यह कैसे हो गया, यह जांच के बाद पता लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के क्रासिंग पर छविगृह बना है उसकी परमिशन कैसे मिली? वहां लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही भी चल रही थी। हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसके बावजूद उस समय के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने उस जमीन पर प्लाट्स काटकर ××× लोगों को जमीन दी और सिनेमा की परमिशन दी। मंत्री नानालाल की एप्लीकेशन है इसमें उस समय के मुख्य मंत्री का शेयर है या नहीं, स्वायत्त शासन मंत्री, श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर का प्लाट है या नहीं? कोर्ट के द्वारा स्टे था, लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही चल रही थी उसको आपने विथड्रा किया। एप्लीकेशन की कार्यवाही की उस कार्यवाही को विथड्रा किया। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर सिनेमा गृह बनाने का आब्जेक्शन हुआ था। नेशनल हाईवे पर उदयपुर के लिये आब्जेक्शन किया कि यहां सिनेमा गृह नहीं बन सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप किस सिनेमा गृह की बात कर रहे हैं?

श्री गुलाबचंद कटारिया : सैक्टर नं. 11। 1982-83 करके इसको निकाल दिया। प्रश्न शाखा में ओरिजिनल प्रश्न देखने के बाद पता लगेगा।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो माननीय सदस्य विधान सभा सचिवालय पर कुछ आक्षेप कर रहे हैं उसका उत्तर तो मेरे पास यहां नहीं है उसकी व्यवस्था तो आसन को देनी है लेकिन जो प्रश्न पूछा, जिस साल का प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैंने विस्तृत रूप से दिया है। अब कौनसा छविगृह वहां बन रहा है, जो मैंने उतर दिया है, सप्लीमेंट्री भी आप उसी प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं या अन्य के बारे में कर रहे हैं?

श्री गुलाबचंद कटारिया : उसी के बारे में कह रहा हूं। मेरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि निर्धारित स्थान के बजाय कृषि भूमि में छविगृहों के निर्माण की स्वीकृति न्यास द्वारा यहां बर्ड्स का कन्फ्यूजन क्रिएट हो

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
गया। मैंने 1981 से 1983 लिखा है लेकिन यहां 1982-83 कर दिया है।

श्री सभापति : इसके लिये नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मैंने पूछा है, कृषि भूमि में छविगृहों . . .

श्री सभापति : जिस सन् का प्रश्न आप पूछ रहे है यदि वह तिथि इस स्थान पर चेंज हुई है तो उसको आप देख लें।

श्री गुलाबचंद कटारिया : यह प्रश्न पिछली बार विधान सभा में आया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप दुबारा पूछ लीजिए। इस प्रश्न के बारे में जो सूचना चाही गई है वह दें दी। There is no question of concealment of information.

श्री नानालाल (राजसमन्द) : माननीय सदस्य ने जो बताया हैं कि नानालाल ने एक प्लाट लिया, यह बिलकुल असत्य है। यदि इस बात को . . .

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया ; आपने किस नियम के अनुसार लिया, पता लग जाएगा, आपके परिवार वालों के नाम हैं या नहीं उसमें ? मैं वहां से 25 कदम दूर रहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : 25 साल से शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि छोटी जाति के लोगों को क्यों मिल रहा है। हिरनमगरी में प्लॉट्स लिए हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन की बिना इजाजत के नहीं बोल सकते।

श्री मेघराज तावड़ : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की जमीन दबा रखी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। सदन में नियमों का पालन करने में सहयोग दें, माननीय सदस्य। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए आप अलग से अनुमति ले सकते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : हम पर जुल्म करते जा रहे हैं . . .

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आपको सदन को डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : मैं जिस समाज से आता हूं उसकी रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री सभापति: आसन की अनुमति से केवल नियमों के अन्तर्गत बोलें।

श्री नानालाल : सभापति महोदया, मेरे ऊपर आक्षेप लगाया है इसलिये मुझे बोलने की अनुमति दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। ऑर्डर, ऑर्डर । आप कृपया स्थान ग्रहण करें । आपको अगर एक्स-प्लेनेशन देना हो तो आप प्रश्नकाल के बाद में दे दें, ऐसा अपने नियमों में प्रावधान है । प्रश्नकाल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अतः आप इसको अभी न उठायें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री नाथूसिंह ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है ......

(व्यवधान)

श्री नानालाल : सभापति महोदया, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, मेरे ऊपर स्पेसिफिक आक्षेप लगाया गया है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह कोई तरीका नहीं है । हमारे नियम बने हुए हैं उनके अनुसार आप कार्यवाही करें । माननीय सदस्य.....

(व्यवधान)

नानालालजी, आप कौन से नियम के अनुसार यह प्रश्न उठा रहे हैं । आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : इन्होंने श्री नानालालजी का नाम लिया है इसलिये यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं । इनको स्पष्टीकरण देने का हक है ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करे । प्रश्नकाल ज्यादा कीमती होता है । कृपया स्थान ग्रहण करें। अगर पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना है तो, आप बाद में सदन में आसन की अनुमति लेकर दे सकते हैं ।

श्री नानालाल : मैं भी नियमों के अनुसार ही बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : यह नियमों के अन्तर्गत नहीं है। माननीय, सदस्य श्री नाथूसिंह ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि दिनांक 11-3-81 को एक लैटर सीनियर टाउन प्लानर, उदयपुर जोन ने उदयपुर के कलक्टर को सिनेमा की परमिशन के बारे में लिखा ? दूसरा क्या यह सही है कि दिनांक 12-10-81 को एक और लैटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उदयपुर को सीनियर टाउन प्लानर द्वारा लिखा गया जिसमें यह लिखा गया ......

श्री सभापति : क्या यह पत्र भी सन् 82-83 के रेफरेन्स के बारे में है ?

Page No 10

(10)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, दो पत्र लिखे गये हैं । सीनियर टाउन प्लानर के द्वारा जो पत्र लिखा गया उसका उत्तर दिनांक 7-11-81 को कलक्टर के द्वारा यह दिया गया कि यहां पर सिनेमा गृह की परमिशन नहीं दी जा सकती है । इसमें कंडीशन दी हुई है । सभापति महोदया, इसमें जो कन्डीशन्स लगायी गयी हैं ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें । ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री नाथूसिंह : उसमें यह कहां गया कि इण्डस्ट्रियल यूज के लिए यह जमीन है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहे । ऑर्डर ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदया, यह तावड़ साहब धमका रहे हैं । यह क्या मजाक है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । ऑर्डर, ऑर्डर । स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री चन्द्र वीरसिंह : सभापति महोदया, यह कोई तरीका है कि यह सी. पी. आई. के माननीय सदस्य नाथूसिंह जी को डरा धमका रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । आप क्या कर रहे हैं ? सरकारी अधिकारी बैठे हैं । सारी जनता यहां बैठी देख रही है । आप सदन के माननीय सदस्य हैं । आप शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : एक-एक से मुकाबला होना चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : यह अकेले पर हमला कर रहे हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हम सभी लोग माननीय सदस्य हैं । हमको नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिए । यहां पर बैठी जनता हमारे लिए क्या सोचेगी । ऑर्डर, ऑर्डर । श्री नाथूसिंह जी, कृपया आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही थोड़े समय के लिये स्थगित कर दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, दिनांक 7-11-81 और 15-12-81 को दो लैटर सीनियर टाउन प्लानर, उदयपुर जोन ने कलक्टर उदयपुर को लिखे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर है ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि पहला जो पत्र था उसमें तो कलक्टर ने मना कर दिया था कि यहां पर सिनेमा गृह नहीं बनाया जा सकता है। इण्डस्ट्रियल एरिया होने के कारण यह जमीन सिनेमा गृह के लिए नहीं दी जा सकती है। बाद में...

(व्यवधान)

श्री नाथालाल : सभापति महोदया, एक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का आदमी सिनेमा चला रहा है यह इनको अच्छा नहीं लगता ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । आप बिना परमिशन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : यह कलक्टर ने परमिशन दी है परन्तु शिड्यूल्ड कास्ट का एक व्यक्ति सिनेमा चला रहा है यह इनको अच्छा नहीं लगता है। यह इनका करेक्टर है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोर शोर से सवाल उठाया, जैसे इसमें कानून का कोई बहुत बडा वायोलेशन हो गया हो। यह बात सही हैं कि वह जमीन इण्डस्ट्रियल परपज के लिए थी, किन्तु कलक्टर को यह पावर हैं, राज्य सरकार को यह पावर है कि जो कन्डीशन वह लगावे अगर उनको फुलफिल कोई कर ले तो उसको परमिशन दी जा सकती है । चूंकि कलक्टर इसके लिए सक्षम था उसने कन्वर्शन चार्जेज लेकर वहां पर सिनेमा बनाने की परमिशन दे दी । यह तो गवर्नमेंट की पावर्स में हैं वह चाहे तो कार्यवाही कर सकती है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, पहले तो ना कर दिया और बाद में लेन-देन होकर काम हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : नेक्स्ट प्रश्न । ऑर्डर ऑर्डर , श्री महावीर प्रसाद।

राज्य में बिक्री कर की दरें

148. महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही हैं कि राजस्थान में विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर की दरें अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा है ?

Page No 12

(12)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) क्या यह भी सही है कि जिन वस्तुओं पर राजस्थान में सीमावर्ती राज्यों के मुकाबले बिक्री कर की दरें अधिक हैं, उन वस्तुओं पर टैक्स नहीं के बराबर वसूल होता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार सीमावर्ती राज्यों के समान ही बिक्री कर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) राजस्थान में विभिन्न वस्तुओं पर विक्रय कर की दरें अन्य राज्यों के मुकाबले में कुछ वस्तुओं पर ज्यादा हैं तो कुछ वस्तुओं पर कम भी हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) राज्य सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती । प्रत्येक वस्तु की राजस्थान में स्थिति क्या है यह ध्यान में रखते हुए दरें निश्चित की जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर): सभापति महोदया, कृपया इस प्रश्न का जवाब रिपीट करायें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । मंत्री महोदय सहयोग करें, आप इसको रिपीट कर दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : (1) राजस्थान में विभिन्न वस्तुओं पर विक्रय कर की दरें अन्य राज्यों के मुकाबले में कुछ वस्तुओं पर ज्यादा हैं तो कुछ वस्तुओं पर कमी भी हैं ।

(2) जी हां ।

(3) राज्य सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती । प्रत्येक वस्तु की राजस्थान में स्थिति क्या है यह ध्यान में रखते हुए दरें निश्चित की जाती हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदया, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें, सन् 82–83 के बजट में बिक्री कर में जो कन्सेशन्स दिये गए हैं उसमें कुछ उद्योगों को सुविधा दी गई है लेकिन भिवानी हमारे राजस्थान का एक औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर उद्योग नहीं लग रहे हैं क्योंकि वहां पर टैक्स में छूट नहीं है । दारू हेड़ा, जो कि हरियाणा में है, में टैक्स की वजह से उद्योग नहीं लगा रहे हैं । यह सन् 81-82 में जो टैक्स लगा दिया गया है उसकी वजह से लोग हमारे यहां पर उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं । दूसरी बात, जो फाइवर यार्न है उसके ऊपर हमने एक्सपेरीमेन्ट इस प्रकार किया था कि सन् 80 में····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में पूछिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 3 पर्सेंट टैक्स लगता था उससे 1981 में 190 लाख की आमदनी हुई. . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह सही है कि 3 पर्सेंट करने के बाद जनवरी से अक्टूबर, 82 में 190 लाख रुपये की इनकम हुई ? इसी प्रकार जो यह टैक्स शब्द है उसके अन्दर आप देखेंगे कि ज्वैलरी के ऊपर 10 पर्सेन्ट टैक्स लगता है उससे हमारी स्टेट को किसी प्रकार की इनकम नहीं होती। पड़ोसी राज्य में कम टैक्स होने की वजह से यहां गवर्नमेंट को नुकसान होता है । यहां पर टैक्स की दर ज्यादा है और पड़ोसी राज्य में कम होने की वजह से यहां पर उस टैक्स की चोरी होती है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सभापति महोदया, यह तो बहुत लम्बा और बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि कौनसी चीज के ऊपर कितना टैक्स लगता है । कोई पर्टीकूलर सवाल पूछते तो मैं जवाब देता । आपने तो जनरल सवाल पूछा है । इसके बारे में रेशनेलाइजेशन कमेटी किस प्रकार की सिफारिश करेगी उसके आधार पर सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसपर विचार किया जाएगा। 123 या 125 वस्तुएं हैं अब कौनसी वस्तु पर ज्यादा है और कौनसी वस्तु पर कम है इसके लिए सैल्स टैक्स के रेशनेलाइजेशन के लिए जो कमेटी बैठाई गयी है वह सब बातों को ध्यान में रखकर सिफारिश करेगी। उसके बाद हम तय करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह 123 या 125 जो भी आइटम हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा है । सर्वे हुआ था और जो टैक्स बढ़ं है, उसके अन्दर दिया हुआ है । कुछ पांच-दस आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी स्टेट में टैक्स ज्यादा है। तो यह बिल्कुल जानी-मानी बात है कि यदि पड़ोसी राज्य में किसी वस्तु पर टैक्स कम होगा तो निश्चित रूप से हमारे यहां उस टैक्स की चोरी होगी ....

श्री सभापति : आप सीधा प्रश्न कर लीजिए । पड़ौस के राज्य में टैक्स कम है तो उस टैक्स की चोरी होगी। यदि हमारे यहां उसी पर ज्यादा है तो. . .

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें यह भी दिया हुआ है. . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह मंत्रीजी को दे दीजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां इनकम नहीं होती है । क्या हम यह विचार करते हैं कि हमारे पड़ोसी स्टेट में जो टैक्स लगा हुआ है उसके बराबर ही हमारे यहां टैक्स रखें । इससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी और सरकारी की रेवेन्यू भी बढ़ेगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: आपका विचार अति उत्तम है । अगर हमारे प्रदेशके आस-पास के किसी भी प्रदेश में सैल्स टैक्स कम है तो उसकी वजह से अपने यहां पर चोरी होती है इस पर रेशनेलाइजेशन कमेटी में विचार किया जा रहा है । उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय किया जायेगा । आपका सुझाव उत्तम है । किन-किन वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाये, यह विचारणीय प्रश्न है ।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी क्या इसके ऊपर विचार आरम्भ कर दिया गया है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। सारे सुझाव आ गए उसके बाद उस कमेटी ने क्या निर्णय किया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर विचार किया जायेगा।

श्री राजबहादुर: मैं जानना चाहूंगा, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ वस्तुओं पर ज्यादा सेल्स टैक्स हमारे प्रान्त में है और कुछ पर कम है। जिन पर ज्याद है उन पर जो उद्योग आधारित हैं,जैसे सरसों की ही बात बताता हूं। सरसों के तेल में काफी काम्पीटिशन है उसमें जो नुकसान होता है उस कारण हमारे यहां के लोग टिक नहीं पाते। इस संबंध में कमेटी की सिफारिश पर छोड़ा गया तो बहुत समय लग जायेगा क्या सरकार तत्काल इस मुद्दे पर विचार करेगी कि जिस पर टैक्स ज्यादा है उसके कारण उस वस्तु के उद्योग हमारे यहां घट रहे हैं और काम्पीटिशन का सामना करना पड़ रहा है? क्या इसी बजट में तत्काल सरकार कोई व्यवस्था करेगी अथवा कार्यवाही करेगी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय यह तो बजट कल, परसों या परले रोज ही आ रहा है इसलिए आज तत्काल विचार करना तो मुश्किल है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य, नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

मनोहरथाना रेन्ज से सागवान की लकड़ी की अवैध कटाई

149. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** व श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के मनोहर थाना रेन्ज में अधिकारियों की मिली भगत से खुले आम सागवान की लकड़ियां मनोहर थाना से चाचौड़ा, बीना, गुना, (म. प्र.) आदि स्थानों पर अवैध रूप से ट्रकों से जा रही है? क्या सरकार जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को दण्ड देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : यह सही नहीं है कि ट्रकों में सागवान की लकड़ी अधिकारियों की मिली-भगत से अवैध रूप से ले जाई जा रही है। मनोहर थाना रेन्ज में प्राप्त सागवान अत्यन्त कम मात्रा में तथा निम्न कोटि के होने के कारण इमारती लकड़ी के काम आने लायक नहीं है।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अनंगकुमार जैन : प्रश्न ही पूछ रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से

Page No 15

(15)

(श्री अनंग कुमार जैन(
स्पष्ट सवाल है कि क्या पिछले ढाई-तीन साल में, जैसा आपने कहा, अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं हो रहा है. . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री अनंगकुमार जैन : यह चौमूं का मामला नहीं है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपके पास नियमों की किताब अलग से भेजी हुई है। माननीय सदस्य, कृपया आसन से सहयोग कीजिए। ऑर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदया, मनोहर थाना के अन्दर 2 लाख रुपये की अवैध लकड़ी पकड़ी गई थी। जिलाधीशों और एस. पी. दोनों गये थे, उसके बाद ही लकड़ी पकड़ी गई। एक महीने तक तो यही चलता रहा कि लकड़ी मकान से बाहर फेंक दी। तत्कालीन एस.पी. और जिलाधीश ने अपने लैटर में लिखा था कि यह सारी तस्करी मनोहर थाना में जंगलात विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से होती है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके संबंध में एक रिपोर्ट राजस्व सचिव को मिली थी उस पर वन विभाग का जो सतर्कता सैल है उसके द्वारा जांच कराई गई थी। उस जांच में उनका कोई स्पष्ट इन्वाल्वमेन्ट नहीं पाया गया लेकिन नेग्लीजेन्स ऑफ ड्यूटी जरूर पाई गई है के इस मामले में श्री मोहनलाल शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोहर थाना, श्री भंवरलाल सहायक क्षेत्रीय वन अधिकारी और श्री रामसिंह मण्डल वन अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही हो चुके उसके बाद आप प्रश्न पूछ लें।

श्री भंवरलाल शर्मा

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, यह बतायें कि यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और उसके बाद क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 9-5-80 को प्राप्त हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके बाद क्या कार्यवाही हुई, यह बतायें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उसके बाद चार्ज शीट दे दी। जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया, जांच हो रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : जांच जल्दी करवाने की व्यवस्था करेंगे। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : स्थगित प्रश्न ले लें।

Page No 16

(16)

श्री सभापति : इसके बाद स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

कृपया आसन को सहयोग दें, माननीय सदस्य । प्रश्न संख्या 150 ।

बोर्ड ऑफ इण्डिया मेडिसन द्वारा अनियमित प्रमाण-पत्रों का प्रदान

150. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है, कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान द्वारा आयुर्वेद की भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रेक्टिस करने हेतु सैंकड़ों लोगों को पुरानी तारीखों में अनियमित एवं फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि इस तरह के फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वालों ने बोर्ड के इस हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर में कई क्रमांकों पर सूची बद्ध नामों को काट कर उनके स्थान पर नये नाम लिख दिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि बोर्ड की बैठकों में लिये गये निर्णय की टिप्पणियों में भी काटा-फांसी की जाकर फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ?

(4) क्या इस तरह के फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले दो वैद्यों ने उनसे सत्रहसौ सत्रह रुपयें वसूल करने के शपथ-पत्र भी बोर्ड को प्रस्तुत किये थे ?

(5) अनियमित व फर्जी तौर तरीकों से प्रमाण-पत्र जारी करने की राज्य सरकार अथवा बोर्ड को कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी) : (1) प्राथमिक जांच के दौरान करीब 30 व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र पुरानी तारीखों में अनियमित रूप से जारी करने का संदिग्ध मामला प्रकाश में आया है ।

सूची संलग्न है

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

(5) इस संबंध में फिरोज गांधी लीगल ऐड ब्यूरो, जवाहर नगर, दिल्ली से दिनांक 22-7-82 को श्री मुराद खां, सदस्य, विधान सभा से दिनांक 2-8-82 को एवं श्री मुन्नालाल वर्मा, श्री गंगानगर से दिनांक 23-9-81 को शिकायतें प्राप्त हुई । फिरोज गांधी लीगल ऐड ब्यूरो की एवं श्री मुराद खां की शिकायतें इंडियन मेडिकल बोर्ड से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प. 8 (17) आयु/82, दिनांक 27-10-82 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जांच हेतु भेज दी गई । श्री मुन्नालाल वर्मा की शिकायत पर उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग जयपुर को दिनांक 2-7-82 को जांच सौंपी गई । इस पर श्री नत्थी सिंह, संसद सदस्य से दिनांक 28-8-82 को आपत्ति-पत्र प्राप्त हुआ । जिसके पश्चात् जांच श्री द्वारका प्रसाद, उप-निदेशक, जयपुर से हटा कर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिनांक 4-11-82 को सौंपी गई । रिपोर्ट आनी शेष है ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं या कोई पत्र पढ़ रहे हैं ?

श्री दिनेश डांगी : जवाब पढ़ रहा हूं। पंजीयन के संबंध में एक शिकायत दिनांक 18-1-83 श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा से दिनाक 1-2-83 को प्राप्त हुई। इस शिकायत को जांच हेतु दिनांक 22-2-83 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री सभापति : प्रश्नकर्त्ता।

श्री रामकिशोर मीणा : क्या यह सही है कि कुछ ऐसी पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं जिनमें बैठक में प्रमाण-पत्रों के बारे में विचार किया गया, अस्वीकार किये गये और उसके बाद 'अ' शब्द को काट कर स्वीकृत करके प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये ? दूसरा, क्या बोर्ड जो फार्म जारी करता है उस पर फार्म जारी करने की तारीख इंगित करता है ? क्या कुछ ऐसे फार्म मिले हैं जिनसे पता चले कि फार्म जारी करने से पूर्व प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये ? तीसरा, क्या रजिस्ट्रार के प्रमाण-पत्र उनकी प्रेक्टिस के बाद दिये जाते हैं ? क्या यह भी सही है कि कुछ ऐसे प्रमाण-पत्र भी मिले हैं जो पहले इश्यू कर दिये गये हैं, रजिस्ट्रार के प्रमाण-पत्र बाद के हैं।

श्री दिनेश डांगी : हां, कुछ इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। "अ" शब्द काटा गया है। इसकी जांच हुई है। इस प्रकार के नाम हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो वरिष्ट लिपिक श्री राधेश्याम शर्मा थे उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है। पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदया, आप द्वारा दी गई सूची के जो क्रमांक 15, 16, 17, और 24 हैं उनकी फाइलें आपने देखी होंगी। उन फाइलों की नोट शीट पर प्रमाण-पत्र जारी करने के किस-किस के हस्ताक्षर हैं ?

श्री दिनेश डांगी : मैंने व्यक्तिगत रूप से फाइले देखी नहीं है। जो यह फर्जि लिस्ट है, अलग से आप चाहेंगे तो बता दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आयुर्वेद के जो निदेशक हैं, गोकुलेन्द्र शर्मा और रजिस्ट्रार दोनों के चारों प्रमाण-पत्रों की पत्रावलियों पर हस्ताक्षर हैं। यह हस्ताक्षर जो बाद में फार्म्स कम्पलीट किये गये हैं उससे पहले के हैं, यह आपने देखा क्या ?

श्री दिनेश डांगी : मैंने जवाब दिया है, एक-एक केस को नहीं देखा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने इसलिये पूछा, आपने राधेश्याम को सस्पैण्ड कर दिया। इस सारे घोटाले में आपके सबसे बड़े अधिकारी गोकुलेन्द्र शर्मा का हाथ है। क्या उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत रिपोर्ट कर उनको निलम्बित करेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : राधेश्याम मुल्जिम नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री कैलाश मेघवाल : जो मैंने पूछा है उसका जवाब नहीं आया, माननीय सभापति महोदया . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी फर्जी घोटाले को लेकर 13 विधायकों ने यहां मसला उठाया था, आज तक कुछ नहीं हुआ । आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का यह तरीका है ? यह फर्जी प्रमाण-पत्र हैं । उनको निलम्बित करके जो भी जुडिशियल कार्यवाही होगी, करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं दो छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री दिनेश डांगी : इनका जवाब आ जाये ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, इनको सवाल पूछने दीजिये । फिर एक साथ जवाब दे दें···

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं क्या उनको निरस्त कर दिया गया है ? इनके आधार पर जो प्रेक्टिस कर रहे हैं उनको रोकेंगे ? दूसरा, जो रिश्वत लेने का आरोप है, आपको ऐसे शपथ-पत्र मिले हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री दिनेश डांगी: मैंने कहा, जो राधेश्याम शर्मा हैं उनको सस्पेण्ड कर दिया है । उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया है । आप इतने उतावले क्यों होते हैं । श्री गोकुलेन्द्र शर्मा को भी निलम्बित करने के आदेश कल जारी कर दिये गये हैं । रजिस्ट्रार को भी 16-2 को बदल दिया है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा : सीधा सा प्रश्न यह है, जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं वे प्रेक्टिस कर रहे है, उनको आपने रोका या नहीं रोका ? उन प्रमाण-पत्रों को आपने रद्द किया या नहीं किया, यह बतायें ?

श्री दिनेश डांगी : इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जवाब आने पर कार्यवाही की जायेगी . . .

(व्यवधान)

यह एक अलग इकाई होती है उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी...

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : ये कंवरिया साहब ने पैसे खाकर कोई कार्यवाही नहीं की । इन पर क्या कार्यवाही हो रही है....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृपया इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । स्थगित प्रश्नों के जवाब माननीय सदस्यों को पहुंचा दिये जायेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण): लिखित उत्तर पहले भी आये हैं, अपर्याप्त आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : ऑन-ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठ गया है ।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा स्थगित प्रश्न है, सभापति महोदया, इसलिये मुझे कहना है ।

श्री सभापति : लिखित में आपको जवाब मिल जायेगा ।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें ।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

उरमूल डेयरी, बीकानेर

146. श्री सुरजाराम (नोखा) : क्या डेयरी (दुग्ध) विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पिछले दो सालों से उरमूल डेयरी, बीकानेर लाभांश में चली आ रही है ? यदि हां, तो कितने ?

(2) उरमूल डेयरी, बीकानेर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या क्या है और क्या इसमें अनुसूचित जाति/जन-जाति को निर्धारित आरक्षण कोटा रोस्टर प्रणाली के मुताबिक भरा हुआ है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया गत 5 वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) डेयरी संयंत्र बीकानेर का अभी अंकेक्षण नहीं हुआ है, अंकेक्षण पश्चात् ही लाभ-हानि की स्थिति की जानकारी हो सकेगी ।

(2) डेयरी संयंत्र बीकानेर में 15 अधिकारी एवं 117 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 5 अनुसूचित जाति व 2 अनुसूचित जन जाति के हैं । जुलाई, 1979 से यह डेयरी राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के नियन्त्रण में है, अतः उक्त दिनांक से भरे गए पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मन्त्रियों द्वारा की गई यात्रायें

113. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की

Page No 20

(20)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी 1983 तक मन्त्रियों द्वारा अधिक संख्या में दौरे किए गए हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग के मन्त्री पर कितनी राशि टी. ए., डी. ए. अथवा पैट्रोल पर खर्च हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में मन्त्रिमण्डल के सदस्यों पर कितनी-कितनी राशि टेलीफोन पर खर्च हुई ? पृथक-पृथक मन्त्रीवार सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा में चयनित परिवार

116. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्व अभियान के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के कुल कितने परिवारों का चयन किया गया ? कृपया पंचायत-वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चयनित परिवारों के विकास एवं उत्थान हेतु क्या-क्या सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराई गई अथवा कराये जाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्व अभियान के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन पंचायत समिति कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनन्दपुरी, पीपलखूंट एवं घाटोल में कुल 989 नवीन परिवारों का चयन किया गया। पंचायत समिति, बागीदोरा, तलवाड़ा एवं गढ़ी में नवीन परिवारों का कोई चयन नहीं हुआ। पंचायत समिति वार चयनित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है :—

पं. समिति	चयनित परिवारों की संख्या
1. कुशलगढ़	116
2. सज्जनगढ़	94
3. आनन्दपुरी	386
4. पीपलखूंट	166
5. घाटोल	227
6. गढ़ी	—
7. बागीदोरा	—
8. तलवाड़ा	—
कुल ..	989

पंचायत समिति/पंचायतवार सूचना संलग्न है।

(2) नवीन चयनित परिवारों को सहायता हेतु विकल्प प्राप्त कर लिये गये हैं तथा आगामी वर्ष में विकल्प के अनुसार एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत उन्हें आर्थिक संबल एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाकर आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के प्रयत्न किये जायेंगे मोटे रूप में विकल्प निम्नानुसार हैं—दुधारू पशु, बैल, पंप सैट, स्व-रोजगा

Page No 21

(21)

(एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री)
बकरी, भेड़, औद्योगिक प्रशिक्षण, नौकरी, मत्स्य, उद्योग, परचूनी दुकान, सिलाई, सुथारी एवं चर्म उद्योग आदि ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सहायक थाना इंचार्ज राशमी (चित्तौड़गढ) के विरुद्ध शिकायतें

117. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कार्यरत सहायक थाना इन्चार्ज, थाना राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध राशमी के निवासियों ने उनको थाने में बुलाकर डराने, धमकाने एवं असामाजिक तत्वों से सांठ-गांठ की शिकायत की थी?

(2) क्या यह भी सही हैं कि इस व्यक्ति ने एक हरिजन महिला को थाने में ही बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया था, जिसकी शिकायतें इस महिला ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी की थी ?

(3) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण दोनों ही शिकायतों की प्रतियों के साथ सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर द्वारा की गई रिपोर्ट

118. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., अजमेर की ओर से पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, अजमेर में तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सर्वश्री कल्याण सिंह, डी. के. मेहरा एवं मनोहर लाल के विरुद्ध क्रमश: रुपये 8,000/-, 9,000/- एवं 13,000/- के गबन की अगस्त, 1981 में प्रस्तुत की गई थीं, जिन्हें त्वरित गति से तफतीश हेतु सहकारिता विभाग के लिये स्थापित विशेष पुलिस सैल में स्थानान्तरित कर दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो उनमें अब तक तफतीश किस स्टेज पर है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । श्री कल्याण सिंह के विरुद्ध अपराध संख्या 70/81, रुपये 14,320.91. श्री डी. के. मेहरा के विरुद्ध अभियोग संख्या 71/81, रुपय 13221-39 एवं श्री मनोहरलाल के विरुद्ध अभियोग संख्या 72/81 रुपये 8,000-गबन करने के दिनांक 20-4-81 को पुलिस थाना सिविल लाइन अजमेर में दर्ज हुए हैं । उपरोक्त तीनों अभियोगों का अनुसंधान दिनांक 6-7-81 से सहकारिता गबन प्रकोष्ठ, जयपुर द्वारा किया जा रहा है ।

(गृह मंत्री)

(2) अनुसंधान जारी है। कुछ और रिकार्ड जिला दुग्ध उत्पादक संघ लि. अजमेर से प्राप्त करना है, जिस हेतु प्रयत्न जारी है।

सांगानेर व चाकसू को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

119. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सांगानेर व चाकसू तहसीलों में औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां व कब-कब घोषित किये व बनाये गये हैं और उनके उद्योगकर्ता कौन-कौन हैं?

(2) उक्त तहसीलों में किस-किस स्तर के कौन-कौन से उद्योगों को कहां-कहां व क्या-क्या सहायता व सुविधा उपलब्ध कराई गई?

उत्तर

(1) तहसील सांगानेर में, सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र, मालवीया औद्योगिक क्षेत्र तथा बगरू औद्योगिक क्षेत्र है मालवीय तथा बगरू औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा क्रमशः वर्ष 1972 व 1978 में की गई तथा सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र दिनांक 26-7-82 को घोषित किया गया। मालवीया तथा बगरू औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगकर्ताओं की सूची (परिशिष्ट 'क') सदन की मेज पर रखा दी गई है। सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अवाप्त कर दिनांक 18-10-82 को कब्जा लिया गया है। तहसील चाकसू में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है।

(2) सांगानेर तहसील के मालवीया औद्योगिक क्षेत्र एवं बगरू औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली व अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। सांगानेर एवं चाकसू तहसीलों में स्थित लघु उद्योगों को दिया गया ऋण, अनुदान एवं चुंगी मुक्ति लाभ आदि की सुविधाओं के विवरण की सूची (परिशिष्ट 'ख') सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सीकर जिले में चोरी एवं डकैतियों की घटनायें

120. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 1982 से दिसम्बर 1982 तक सीकर जिले में चोरियों व डकैतियों के कितने मामले दर्ज किए गये तथा इनमें कितनी धनराशि का माल चोरी व डकैती में गया?

(2) उपरोक्त मामलों में कितना धन बरामद किया जा चुका है व कितना बरामद करना शेष है?

(3) उपरोक्त मामलों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है?

(4) उपरोक्त मामलों में कितने मामलों में चालान किया जा चुका है तथा कितने मामलों में अभी तक जांच शेष है?

उत्तर

(1) सीकर जिले में जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक चोरियों के 337 एवं डकैती के 5 अपराध दर्ज हुए। इनमें चोरी में 7,77,257.27 रुपये का माल एवं डकैती में 1,21,780.00 रुपये का माल गया।

(गृह मंत्री)

(2) चोरी के अपराधों में 2,13, 994.00 रुपये एवं डकैती के अपराधों में 10,289 रुपये का माल बरामद हो चुका है। चोरी के अपराधों में 5,63,263 रुपये का माल एवं डकैती के अपराधों में 1,11, 500.00 रुपये का माल बरामद करना शेष है।

(3) उपरोक्त चोरी के अपराधों में 179 एवं डकैती के अपराधों में 19 मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

(4) उपरोक्त अपराधों में से 63 चोरी के अपराधों एवं डकैती के अपराध में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं 28 चोरी के तथा 2 डकैती के अपराधों में अन्वेषण जारी है।

उपरोक्त चोरी के मुकदमात में राशि कम इसलिए बरामद हुई है कि अधिकतर मुकदमों में एफ. आर. अदमपता दी गई है।

जिला सीकर के विभिन्न थानों में मामले

121. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले के थानो में जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए तथा इनमें कितने मामलों में चालान किया गया व कितने विचाराधीन है ?

(2) उक्त मामलों में चोरी, डकैती, हत्या बलात्कार, हरिजनों पर अत्याचार के कितने-कितने मामले दर्ज किए गए ?

(3) उपरोक्त मुकदमों में कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई तथा कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा मुल्जिमों ने सीधी जमानत करवाई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले के थानों में जनवरी 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कुल 2,135 मुकदमें दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,049 मुकदमों के चालान व 135 मुकदमें विचाराधीन पुलिस में हैं।

(2) उक्त मामलों में चोरी के 337, डकैती के 5, कतल के 35, बलात्कार के 8 व हरिजनों पर अत्याचार के 13 मामले दर्ज हुए।

(3) उपरोक्त मुकदमों में कुल 351 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। न्यायालय से केवल एक व्यक्ति श्री करणाराम पुत्र कनीराम जाट, निवासी ठिठावता, जो मु.न. 61/82 धारा 376, भा.द.सं. थाना फतेहपुर में वांछित था, ने अग्रिम जमानत करवाई।

औद्योगिक क्षेत्र, सीकर

122. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सीकर औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं, और इनमें से कितनी कार्यरत हैं, कितनी बन्द पड़ी हुई हैं ?

(2) उक्त इकाइयों के बन्द होने के क्या कारण हैं ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर औद्योगिक क्षेत्र में कुल 60 इकाइयों लगी हुई हैं, जिनमें 31 इकाइयां उत्पादन में हैं एवं 11 इकाइयां निर्माणाधीन हैं व 18 इकाइयां बन्द हैं।

(2) बन्द इकाइयों में 12 इकाइयां ग्वार गम की हैं जो विदेशों में ग्वार गम की खपत कम होने की वजह से बन्द हैं। शेष इकाइयां वर्किंग केपीटल की कमी, विपणन प्रबन्ध अभाव तथा भागीदारों के झगड़े इत्यादि के कारण से बन्द हैं।

राज्य में सड़क दुर्घटनायें

123. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कितने जने मरे व कितने लोग अपाहिज हुए ? उक्त मृतकों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन में यात्रा करने वाले कितने लोग हैं ?

(2) सरकार द्वारा उक्त दुर्घटनाग्रस्त लोगों को किस-किस प्रकार की, कितनी-कितनी सहायता दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 1982 में सड़क दुर्घटनाओं में 1169 व्यक्ति मरे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन में यात्रा करने वाले कुल 90 व्यक्ति मरे तथा 6 व्यक्ति अपाहिज हुए।

(2) सूची संलग्न है। मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली राशि की सूचना इसमें सम्मिलित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जलदाय शुल्क की वसूली

124. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में घरेलू उद्योग जैसे, सिलाई, गोटा बुनना, नगीना बनाना, ऊन बुनने की मशीनें आदि का कार्य लगभग बहुत से परिवारों में होता है एवं कुछ परिवारों से जलदाय शुल्क उपरोक्त आधार पर व्यापारिक दर से लिया जाता है ? किस-किस वर्ग के उपभोक्ताओं से किस-किस आधार पर यह शुल्क चार्ज किया जा रहा है ?

उत्तर

जी हां। किसी भी प्रकार के व्यवसाय हेतु दुकान व कार्यालय, दूध विक्रेता, जो गाय भैंस, बकरी रख कर दूध बेचते है-सिनेमा, थियेटर, धर्मशालाएं, नर्सिंग होम, रेस्टोरेन्ट, हलवाई आदि व निर्माण कार्य के लिये जो पानी काम में लाया जाता है, उनसे पानी का शुल्क व्यापारिक दर 1.50 रुपया प्रति हजार लीटर लिया जा रहा है। बड़ी व मध्यम औद्योगिक इकाइयां, जो कि विकास आयुक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित उद्योगों की सूची में समिलित है, एवं होटल, मोटर गैरेज, वर्क चार्ज इकाइयों से 2.00 रुपया प्रति हजार लीटर की व्यापारिक दर से जल शुल्क लिया जाता है।

देसूरी (पाली) में सुमेर बांध निर्माण

125. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला पाली की पंचायत समिति देसूरी में सुमेर नामक बांध बनाने की मांग की जा रही है ?

(2) सुमेर बांध की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह कितने क्षेत्र में बनेगा एवं अनुमानित लागत क्या आयगी ?

(3) सुमेर बांध से पाली जिले की कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी एवं इससे कौन-कौन से गांव लाभान्वित होंगे ?

(4) क्या सरकार सुमेर बांध बनाने हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस बांध का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, एवं सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् यदि यह योजना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पायी जाती है, तो ही इस पर विचार किया जाकर इसके जल अधिग्रहण क्षेत्र एवं लागत का अनुमान लगाया जायेगा।

(3) विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही यह बताना सम्भव होगा।

(4) विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही इस पर विचार किया जायेगा।

जिला पाली की पंचायत समितियों में पेयजल

126. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी के विभिन्न गांवों हेतु पेयजल सुलभ कराने की क्या योजना है ? कृपया ग्रामवार सूची प्रस्तुत करें ?

(2) अब तक इन पंचायत समितियों में किन-किन गांवों में पेयजल सुलभ कराया जा चुका है एवं किस प्रकार की योजना इन गांवों में क्रियान्वित हो चुकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) मारवाड़ जंक्शन कस्बे में टंकी बनाने हेतु अब तक क्या प्रगति हो चुकी है एवं टंकी कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले की तहसील मारवाड़ के जंक्शन, रानी व देसूरी के विभिन्न गांवों को क्षेत्रीय पम्प एवं टैंक पाइप व हैण्ड पम्प योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया गया। ग्रामवार सूची संलग्न है। शेष ग्रामों की योजनाएं धन उपलब्धि व तकनिकी उपयुक्तता के अनुसार स्वीकृत की जायेंगी।

(2) जिन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है उनका विवरण भाग-1 में किया जा चुका है।

(3) टैंक बनाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, कार्य धन की उप-

(जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) लब्धि के अनुसार किया जावेगा ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

तहसील चौमू के ग्रामों में पेयजल

127. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर जिला की तहसील चौमू के ग्राम मण्ड, भिंडा, बावड़ी-गोपीनाथजी, दौलतपुरा, जालिमसिंह का बास, चरणवास, सीतारामपुरा, नरसिंहपुरा, मलिकपुर, गुड़लिया, गुडगार, हाबू का बास, सिरस्या बगड़ी, कंवरपुरा, कुम्मपुरिया, कानपुरा, फतेहपुरा, कुशलपुरा में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और स्वच्छ जल के अभाव में वहां के निवासियों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त ग्रामों में पेयजल सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उत्तर

ग्राम मड, भिण्डा, बावड़ी-गोपीनाथजी, दौलतपुरा, चरणवास, सीतारामपुरा, नरसिंहपुरा, मलिकपुरा, हाबू का बास, सिरस्या-बगड़ी, कंवरपुरा, कानपुरा, फतेहपुरा, कुशलपुरा समस्या रहित ग्राम हैं व जालिमसिंह का बास, गुडलिया, गुड़गार तथा कम्मपुरिया, सेन्सस के अनुसार ग्राम नहीं हैं। ग्रामों की योजनायें धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जायेगी।

अजमेर में ठेकेदार को जल कनेक्शन

128. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सी. पी. डब्ल्यू डी. के ठेकेदार श्री माणकचन्द डिडवानियां ने अजमेर में आदर्श नगर चुंगी नाके के पास माइन्स ब्यूरो की लेबोरेटरी बिल्डिंग के निर्माण में उपयोग में लेने के लिये पानी का कनेक्शन लिया था ?

(2) यदि हां, तो यह कनेक्शन कब लिया, उस पर मीटर कब स्थापित किया गया और वह कब-कब कितने-कितने समय तक खराब रहा ?

(3) मीटर के चालू रहने एवं मीटर के खराब होकर काम नहीं करने के कालखण्ड के पानी के बिल किस रेट व आधार पर भेज दिये गये ? कृपया नल कनेक्शन लेने से अब तक का माहवारी ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जल सम्बन्ध माह अप्रेल, 1977 में दिया गया एवं उसी समय मीटर भी लगा दिया गया । माह जून, 1977 तक मीटर चला, माह जुलाई, 1977 से जनवरी, 1979 तक मीटर बन्द रहा ।

(3) अप्रेल, 1977 से मार्च, 1979 तक 97.5 पैसे प्रति हजार लीटर मई, 1979 से जुलाई, 1979 तक 1.50 रुपये प्रति 1,000 लीटर, अप्रेल, 1979 एवं अगस्त, 1979 में 2.00 रुपये प्रति हजार लीटर से चार्ज किया गया। मीटर के खराब नहीं होने के काल में गत महीने के रीडिंग के हिसाब से चार्ज किया गया । विवरण संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अधिशाषी अभियंता के विरुद्ध शिकायतें

129. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, बांसवाड़ा की वर्ष 1979-80, 1980-81 एवं 1981-82 की ऑडिट रिपोर्ट, अधीक्षण अभियन्ता की एन्युअल इन्सपेक्शन रिपोर्ट, स्टॉक वेरीफिकेशन रिपोर्ट एवं इन्टरनल ऑडिट पार्टी रिपोर्ट में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग एवं प्रशासनिक अकुशलता के तथ्य उजागर किये गये है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ? कृपया ये सभी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, केवल वित्तीय अनियमितताओं के तथ्य उजागर किये गये हैं।

(2) प्रतिवेदनों पर अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता की टिप्पणी चाही गई है । टिप्पणी प्राप्त होने पर ही आरोपों की सही स्थिति की जानकारी हो सकेगी । प्रतिवेदन बहुत अधिक लम्बे (वोलूमिनस) होने के कारण सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है ।

राज्य की सिंचितयुक्त भूमि

130. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितनी भूमि सिंचाई युक्त है अथवा सिंचित की जा सकती है ?

(2) राजस्थान नहर के अलावा सन् 1981-82 व 1982-83 में कितने हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ? अलग-अलग जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 38 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा सतही जल द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है । इसमें से 16 लाख हैक्टेयर राज्य के भीतर विद्यमान जल स्रोतों से तथा 22 लाख हैक्टेयर राज्य के बाहर से अन्य राज्यों से उपलब्ध होने वाले जल से होगी ।

(2) राजस्थान नहर के अलावा वर्ष 1981-82 में तथा 1982-83 में दिसम्बर, 1982 तक क्रमश: 28506 हैक्टेयर तथा 8,225 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित की गई, जिसकी जिलेवार सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

माधोसागर बांध पर नाले का निर्माण

131. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या दौसा उप-खण्ड के अन्तर्गत माधोसागर बांध की पश्चिमी नहर के चैन नं 45 पर 2 किलोमीटर लम्बा नाला बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जायेगा ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

जी नहीं ।

सपोटरा क्षेत्र में पेयजल

132. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूरे सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या जनता के समक्ष है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समस्या के निवारणार्थ 15 या 20 जगहों पर हैण्ड पम्प लगा दिये गए हैं और बाकी जगहों पर नहीं ? यदि हां, तो बाकी जगहों पर सरकार द्वारा कब तक हैण्ड पम्प लगा दिये जायेंगे ?

(3) सरकार की इस सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र की पेयजल समस्या के निवारणार्थ क्या योजना है ? कौन-कौनसी योजनायें सरकार के स्तर पर तथा भारत सरकार के के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ? इनमें से कौन सी क्रियान्वित हो रही हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 219 गांव हैं जिनमें से 202 आबाद गांव हैं। इनमें से विभागीय सर्वे के अनुसार 98 गांव समस्याग्रस्त हैं ।

(2) जनवरी, 83 तक 35 गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं । शेष जगहों पर धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

(3) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 118 गांव स्वीकृत किये जा चुके हैं । गांव खेरला एवं भरतून की पम्प एवं टैंक योजना राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में स्वीकृत की गई थी; परन्तु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में बजट उपलब्ध न होने की वजह से उक्त दोनों योजनाएं ए. आर. पी. में परिवर्तन हेतु भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं । धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जावेगा ।

मांगरोल में अनुसूचित जाति के लोगों को जल कनेक्शन

133. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल कस्बे में वार्ड नं. 7 के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों पर चेयरमैन, नगरपालिका द्वारा राजनीतिक द्वेषता से हस्ताक्षर नहीं किये जाने की वजह से उन्हें पीने के पानी के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, जबकि अन्य व्यक्तियों को कनेक्शन दिये जा रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को पेयजल के कनेक्शन शीघ्र जारी करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(1) मांगरोल कस्बे में नल कनेक्शनों के लिये दिनांक 3-2-83 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । परन्तु नगरपालिका से रोड कटिंग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त

(जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)
न होने के कारण से कनेक्शन नहीं दिये गये ।

(2) नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जल कनेक्शन दिये जा सकेंगे ।

चम्बल की नहरों से सिंचाई

134. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चम्बल की नहरों से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रारम्भिक चम्बल परियोजना में अंकित थी ?

(2) अभी तक कितनी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं (चम्बल की नहरों) निर्मित हो चुकी हैं ? उनसे कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही हैं ?

(3) अभी कितनी योजनाएं निर्माणाधीन हैं ? इनके पूर्ण होने पर कितनी हैक्टेयर भूमि सिंचित होना संभावित है ?

(4) आगामी वर्ष 1983-84 में चम्बल की नहरों पर कितनी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं। इनके निर्माण के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

उत्तर

(1) चम्बल घाटी विकास की परियोजना रिपोर्ट जो 1954 में बनाई गई थी उसमें कोटा बैराज से निकलने वाली दाईं एवं बाईं मुख्य नहर से लिफ्ट द्वारा 22,800 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान रखा गया था । परन्तु उक्त परियोजना का वर्ष 1964 में रिवाइण्ड तखमीना बनाने पर उसमें लिफ्ट द्वारा 40,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान रखा गया था ।

(2) अभी तक चार लिफ्ट सिंचाई योजनाएं दाईं मुख्य नहर से पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने के लिए निर्मित हो चुकी है। इन चारों स्कीमों के द्वारा कुल 3191 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के मुकाबले वर्ष 1980-81 में 473 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो चुकी है।

(3) अभी दो और योजनायें (दीगोद लिफ्ट सिंचाई योजना एवं गणेश गंज सिंचाई योजना) निर्माणधीन है। इन दोनों योजनाओं के पूर्ण होने पर इनसे क्रमशः 3953 हैक्टेयर एवं 9257 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होना प्रस्तावित है ।

(4) आगामी वर्ष 1983-84 में उक्त लिफ्ट योजनाओं के लिए 50 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

जिला अलवर में अवैध शराब की बिक्री

135. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में शराबबन्दी की अवधि में कितने लीटर अवैध शराब पकड़ी गई थी ? कृपया माहवार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) शराबबन्दी हटने के पश्चात् जिले में कितनी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है ? कृपया माहवार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) शराबबन्दी हटने के पश्चात् जिले में कितने व्यक्तियों का चालान हुआ

Page No 30

(30)

(श्री जीतमल जैन)
एवं कितनों को दण्ड मिला एवं कितने मामले अदालत में विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) 16773 बोतलें शराब व 66010 लीटर वास पकड़ी गई । माहवार विवरण की सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) 6285 बोतलें शराब व 29300 लीटर वास पकड़ी गई । माहवार विवरण सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) शराब बन्दी हटने के पश्चात् जिले में 418 व्यक्तियों का चालान किया गया एवं 55 व्यक्तियों को दण्डित किया गया तथा 363 मामले अदालत में विचाराधीन हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

शराबबन्दी समाप्ति से आय

136. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शराबबन्दी खोलने से 31 जनवरी, 1983 तक आय में कितनी वृद्धि हुई ?

(2) 31 मार्च, 1982 से जनवरी, 1983 तक कितनी-कितनी अतिरिक्त आय हुई ?

(3) देशी व विदेशी शराब के परमिट व ठेके देने की क्या नीति निर्धारित की व इससे कितनी-कितनी अतिरिक्त आय की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) शराबबन्दी खोलने से दिनांक 11-8-81 से 31-1-83 तक आय में लगभग रु. 44,94,53,000 की वृद्धि हुई है ।

(2) रु. 17,46,46,000/- की अतिरिक्त आय हुई ।

(3) देशी मदिरा के ठेके पुरानी नीति के अनुसार राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 67 (1) के अधीन टेण्डर एवं नीलामी द्वारा एकाकी विशेषाधिकार राशि पर दिये जाते रहे हैं । देशी मदिरा के ठेकों से राज्य सरकार को कुल 28 करोड़ की आय होने का अनुमान है ।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ठेके वर्ष 1982-83 में थोक व रिटेल आफ की दुकानें राजस्थान फारेन लिकर (होलसेल ट्रेड एण्ड रिटेल आफ लाइसेंस) रूल्स, 1982 के अन्तर्गत नीलामी पद्धति पर एकाकी विशेषाधिकार राशि पर दिये गये । भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ठेकों से वर्ष 1982-83 में लगभग 8 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है ।

मेडिकल कालेजेज में प्रवेश

137. श्री दाउदयाल जोशी (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 2 वर्षों में राजस्थान के किन विद्यार्थियों का किस-किस मेडिकल कालेज में मनोनयन किया गया ।

(श्री दाउदयाल जोशी)

(2) क्या राज्य से भिन्न दूसरे राज्यों के मेडिकल कालेज में प्रवेश हेतु कोई नियम बने हुये थे ? यदि हां. तो क्या ? उनमें समय-समय पर कब-कब परिवर्तन हुये ? कृपया नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या राजस्थान के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में और जम्मू व कश्मीर राज्य के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में मनोनयन हेतु सीटें आरक्षित की हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

(4) क्या यह सही है कि जो विद्यार्थी राजस्थान में पी. एम. टी. में अनुत्तीर्ण हुए उन्हें मेडिकल कालेज, श्रीनगर में प्रवेश दिलवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया उनके नाम मय पिता व पते सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखे ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(3) जम्मू एवं कश्मीर सरकार की सहमति से आदान-प्रदान के आधार पर सीटों की संख्या घटाई-बढ़ाई जाती है ।

(4) जी नहीं । पी. एम. टी. की परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है जिसकी एक मेरिट लिस्ट बनती है अतः उसमें उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । आदान-प्रदान की कार्यवाही पी. एम. टी. के परिणाम के पूर्व की गई थी एवं आदान-प्रदान का चयन स्वविवेकाधीन आधार पर राज्य सरकार करती है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला पाली की विभिन्न पंचायत समितियों में चिकित्सा केन्द्र

138. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में कुल कितने स्वास्थ्य व उप-स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां हैं ?

(2) राज्य में वर्ष 1980, 1981 व 1982 में कितने स्वास्थ्य व उप-स्वास्थ्य केन्द्र नये खोले गये ? उनमें से इन पंचायत समितियों में कितने-कितने खोले गये ?

(3) क्या सारण (पाली) उप-स्वास्थ्य केन्द्र पर कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) राज्य में वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में क्रमशः 20, 100, 100 व 250 उप-केन्द्र स्वीकृत किए गये । केवल एक उप-केन्द्र,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत ग्राम भुसालिया में खोला गया।

रानी व देसूरी पंचायत समिति के अन्तर्गत कोई स्वास्थ्य व उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये।

(3) सारण में कोई उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जिला बीकानेर मोबाइल आई यूनिट का स्थानान्तरण

139. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की मोबाइल आई यूनिट का मुख्यालय श्री गंगानगर स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या बीकानेर जिला मुख्यालय से मोबाइल आई यूनिट स्थानान्तरित कर देने से जिले को मिलने वाली सुविधाओं से जिला वंचित नहीं रहेगा? यदि हां, तो राज्य सरकार इस तरह की कोई और मोबाइल यूनिट बीकानेर में लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त मोबाइल आई यूनिट का मुख्यालय स्थानान्तरण करने के विरुद्ध स्थानीय व्यक्तियों द्वारा शिकायतें कितनी प्राप्त हुई हैं? कृपया प्राप्त शिकायतों की प्रति व उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासनिक कारणों से।

(2) जी नहीं।

(3) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य उप-केन्द्र उण्डासर एवं भाखरपुरा का भवन निर्माण कार्य

140. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य उप-केन्द्र, उण्डासर एवं भाखरपुरा के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी होने के उपरांत भी सा. नि. वि. द्वारा बहुत लम्बे समय तक भवन का निर्माण कार्य नहीं करवाये जाने के कारण उनकी लागत बढ़ गई है एवं बढ़ी हुई लागत की स्वीकृति के लिए सा. नि. वि. ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पुनरीक्षित स्वीकृति चाही है? यदि हां, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उक्त संशोधित आदेश कब तक जारी कर देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला बाड़मेर में 16 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवन निर्माण (जिसमें उण्डासर एवं भाखरपुरा भी सम्मिलित हैं) के लिये रु. 19,300/- प्रति केन्द्र के हिसाब से 3,08,800/- की स्वीकृति वर्ष 1978-79 में जारी की गई थी।

पंचायत समिति द्वारा भूमि देरी से उपलब्ध कराये जाने के कारण निर्माण कार्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
में बिलम्ब हुआ, परन्तु सा. नि. वि. से उक्त निर्माण कार्य हेतु कोई पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा वर्ष 1983-84 के लिए इन्हीं 16 उप-केन्द्रों के लिए सा. नि. वि. ने रु. 15,000/- का प्रावधान मांगा है, जिसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार

141. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में इस समय काफी संख्या में डाक्टर बेरोजगार हैं? यदि हां, तो इनको कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायगा?

(2) राजस्थान में 31 जनवरी, 1983 तक बेरोजगार डाक्टरों की संख्या कितनी थी तथा प्रति वर्ष सरकार कितने डाक्टरों को रोजगार देने की योजना बना रही है? इस वित्तीय वर्ष में कुल कितने डाक्टरों को रोजगार दिया गया.? कृपया, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस तरह की सूचना विभागीय स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

(2) यह सूचना विभागीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

प्रति वर्ष उपलब्ध नवीन पद एवं सेवा-निवृत्ति से उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 767 डाक्टरों को रोजगार दिया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 15 देखें)

जयपुर स्थित कच्ची बस्तियों के आम रास्तों से अतिक्रमणों को हटाना

142. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग): श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) एवं श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि कई कच्ची बस्तियों के आम रास्ते में कुछेक व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करने की शिकायतें जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं?

(2) यदि हां, तो क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आम रास्तों से ऐसे अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार भविष्य में कच्ची बस्तियों के आम रास्तों पर अतिक्रमण को रोकने व तुरन्त हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां।

(34)

कुष्ठ रोग निवारण चिकित्सालय, निम्बा-निम्बड़ी, जोधपुर की शिकायतें

143. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुष्ठ रोग निवारण चिकित्सालय, निम्बानिम्बड़ी, जोधपुर में रोगियों को समय पर खाना नहीं देने, दवाइयां नहीं देने एवं दुर्व्यवहार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायत में खाना न मिलने से रोगियों की मृत्यु हो जाने का आरोप भी लगाया गया था ?

(3) उक्त शिकायतों की जांच के क्या परिणाम रहे ? कृपया, विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(4) वित्तीय वर्ष 1982-83 में दिनांक 1-4-82 से 31-1-83 तक सरकार के अलावा इस चिकित्सालय को सामाजिक संस्थाओं द्वारा क्या-क्या सामग्री कब-कब प्राप्त हुई और उसका उपयोग कैसे किया गया ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । केवल राजस्थान पत्रिका दिनांक 20-4-82 में एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें श्री मानसिंह देवड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिया गया स्टेटमेन्ट था, जिसमें शिकायतें थीं । इस सम्बन्ध में परिशिष्ट प्रथम उपलब्ध है ।

(2) जी हां ।

(3) परिशिष्ट द्वितीय में उक्त शिकायतों की जांच के परिणाम उपलब्ध हैं ।

(4) इस सम्बन्ध में वांछित सूचना विवरण-पत्र तृतीय में उपलब्ध है ।

(शिकायत आदि के लिए कृपया, परिशिष्ट 16 देखें)

राजस्थान की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति हेतु हुडको द्वारा ऋण

144. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) एवं श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) द्वारा राज्यों को आवासीय योजनाओं को पूरा करने हेतु ऋण दिया जाता है ?

(2) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 के लिए हुडको अभी तक राजस्थान को कितने ऋण किन-किन योजनाओं के लिये स्वीकृत कर चुका है ?

(3) वर्तमान में राज्य ने कितनी और योजनाओं के लिए ऋण स्वीकार करने हेतु प्रयास किया है जो हुडको में विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची संलग्न है । सूची 'अ' 'ब', व 'स' ।

(नगर आयोजना मंत्री)

(3) सूची संलग्न है। सूची 'द'।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 17 देखें)

नगरपालिका, सांगानेर क्षेत्रान्तर्गत भूमि

145. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगानेर नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में विभिन्न प्रकार की कितनी-कितनी भूमि है? सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र का मानचित्र सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) उक्त नगरपालिका क्षेत्र में कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति की भूमि पर कहां-कहां अतिक्रमण के विवाद किस-किस के बीच में चल रहे हैं व कब कब से?

(3) उक्त विवादों पर क्या-क्या कार्यवाही, कब-कब की गई? कृपया, विवादवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांगानेर नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में चरागाह 106 बीघा 3 विस्वा, सिवाय चक 207 बीघा 18 बिस्वा, श्मशान व कब्रिस्तान 12 बीघा 8 बिस्वा, रास्ते 87 बीघा 16 बिस्वा व अन्य सरकारी महकमें जात 252 बीघा 3 बिस्वा, खातेदार 4002 बीघा 18 बिस्वा, गैर खातेदार 147 बीघा 3 बिस्वा, व आबादी भूमि 265 बीघा 17 बिस्वा है। सांगानेर नगरपालिका क्षेत्र का मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) व (3) नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड न. 10, 5 व 6 में भूमि पर अतिक्रमण के विवाद क्रमशः 23-3-79, 14-3-78 एवं 16-11-77 से हैं। विवादवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इनमें जिन-जिन से विवाद चल रहा है उनका नाम भी सम्मिलित कर दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया, परिशिष्ट 18 देखें)

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गटर लाइन डालना

146. **श्री देवव्रत तिवाड़ी** (बाड़मेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण का विवेकानन्द कालोनी, गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर में गिरजाघर' के सामने से गटर लाइन डालने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या प्राधिकरण के द्वारा घाट गेट बाहर से आदर्शनगर, जयपुर में तथा विवेकानन्द कालोनी एवं धन्नादास की बगीची में भी गटर लाइन डालने का विचार है? यदि है, तो कब तक डाल दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। यह कार्य पी. एच. इ. डी. द्वारा किया जाता है।

अलवर नगर की सीवरेज योजना

147 श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर नगर के लिये सीवरेज योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो इस योजना पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

(2) उक्त योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना की अनुमानित लागत 5·982 करोड़ रुपये है।

(2) धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जायेगी।

बाड़मेर जिले के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलना

148. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के ग्राम सवाई पदमसिंह व सनावड़ा में पशु चिकित्सालय कब स्वीकृत हुए थे ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

(1) बाड़मेर जिले के गांव सवाई पदमसिंह व सनावड़ा में पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किये गये है। मरू क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 81-82 में पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये।

(2) जिलाधीश, बाड़मेर द्वारा भवन निर्माण हेतु 67 हजार रुपया दिनांक 17-2-83 को स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के ग्रामों में पशु चिकित्सालय

149. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी क्षेत्र में पशुओं की चिकित्सा हेतु क्या-क्या सुविधाएं हैं ? कृपया, पशु चिकित्सालयों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के ग्राम धनला में पशु चिकित्सालय का भवन है? यदि हां, तो इस भवन को किसने बनवाया व इसमें क्या-क्या सुविधायें हैं ?

(3) क्या सरकार ग्राम धनला में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला पाली की पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन (खारची), रानी व देसूरी क्षेत्र में 4 पशु चिकित्सालय, 2 पशु स्वास्थ्य केन्द्र, 1 पशु औषधालय कार्यरत है। सूची संलग्न है

(2) पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन (खारची) के ग्राम धनला में वर्तमान में पशु औषधालय कार्यरत है एवं उसके लिये भवन की सुविधा भी उपलब्ध है।

(पशुपालन मन्त्री)

(3) इस भवन को एक स्थानीय दानदाता, सेठ श्री केसरीमल चुन्नीलाल कोठारी द्वारा वर्ष 78 में बनवाकर दिया गया है। इसमें चिकित्सा कक्ष, औषध वितरण भंडार, पशु के लिए शेड एवं कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों की सुविधा उपलब्ध है। भविष्य में जब भी औषधालयों को पशु चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत किये जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा, तभी पशु औषधालय धनला को भी चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 19 देखें)

बाड़मेर जिले के ग्राम हरसानी में पशु चिकित्सालय भवन

150. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बाड़मेर जिले के ग्राम हरसानी में पशु चिकित्सालय भवन अभी तक अधूरा है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था और कितनी राशि स्वीकृत हुई थी ?

(3) स्वीकृत राशि में कितनी खर्च हुई ? कृपया, पूर्ण आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण पूरा न होने में किसी अधिकारी की लापरवाही रही ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? अब चिकित्सालय कब तक पूर्ण करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के ग्राम हरसानी में पशु चिकित्सालय नहीं है बल्कि पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जिसके भवन का कार्य अभी अधूरा है, क्योंकि भूतपूर्व सरपंच ने चार्ज नहीं दिया है।

(2) भवन के निर्माण का कार्य होना वर्ष 78-79 में स्वीकृत हुआ था जिसका कार्य वर्ष 80-81 और 1981-82 में प्रारम्भ किया गया। कुल 60,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। जिसमें से 54268.14 रुपये अभी तक खर्च किये गये हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं रही। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।

भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन द्वारा भीलवाड़ा व सीकर में दुग्ध विकास केन्द्र खोलना

151. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन, भीलवाड़ा और सीकर में दुग्ध विकास के 50-50 केन्द्र खोलने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो ये केन्द्र कब और कहां-कहां खोले जायेंगे तथा इन पर कितनी लागत आयेगी और इन पर क्या काम होगा ? कृपया, विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No 38

(38)

उत्तर

भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउण्डेशन द्वारा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के आसीन्द, मांडल, रायला, गंगापुर, शाहपुरा, हुरड़ा, रायपुर, करेरा, बागोर, मांगरूप व कोटड़ी ग्रामों में ग्यारह केन्द्र चलाये जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक केन्द्र और शीघ्र स्थापित किया जायेगा।

इस संस्थान द्वारा 50 अतिरिक्त केन्द्र भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व सिरोही जिलों में स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिसके लिए स्थान का चयन अभी नहीं किया गया है। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थापित केन्द्रों के लिए न्यूनतम 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष व प्रति केन्द्र व्यय है। इन केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा संकर प्रजनन का कार्य किया जा रहा है जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो।

राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन के अन्तर्गत सीकर जिले में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सीकर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन की पद्धति के आधार पर प्रजनन कार्य को सघन रूप देने की एक परियोजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में किये गये विभिन्न कार्य

152. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वर्ष 1981–82 एवं 82-83 में चित्तौड़ गढ़ जिले के कितने एनीकट, शाला भवन, पेयजल कूप, औषधालय भवन, पंचायत घर और गांवाई सड़क का अधूरा कार्य पूरा किया गया? कृपया, वर्षवार एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मार्च, 1980 के पश्चात् जो अधूरे कार्य रह गये थे उनमें से वर्ष 1982-83 तक किस–किस पंचायत समिति में किस प्रकार के कार्य वित्तीय अभाव में आज भी अधूरे हैं? कृपया, पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में जितने, अधूरे कार्य पूरे किये, उसका श्रेणीवार वर्षवार, पंचायत समितिवार विवरण अनुसूची I एवं II में अंकित कर सदन की मेज पर रख दिये हैं।

(2) मार्च, 1980 के पश्चात जो अधूरे कार्य रह गये थे उनमें से वर्ष 1982-83 तक कोई भी कार्य वित्तीय अभाव के कारण अधूरा नहीं है। जिन कार्यों के रिवाइज्ड एस्टीमेट प्राप्त हुए उन कार्यों को स्वीकृत कर दिये गये।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 20 देखें)

आयुर्वेद औषधालय, अयाना का अयानी में स्थानान्तरण

153. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के अयाना ग्राम में एलोपैथिक डॉक्टर डिस्पेंसरी खुल जाने से वहां के आयुर्वेदिक औषधालय की उपयोगिता नहीं रही है तथा उसे अयाना के बजाय अयानी, जो कि पंचायत हैडक्वार्टर है, में शिफ्ट करने हेतु वहां की जनता बार-बार मांग करती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जन-हित को मद्दे नजर रखते हुए, अयाना के आयुर्वेदिक चिकित्सालय को अयाणी में शिफ्ट करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम अयाना में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खुल जाने के बाद भी आयुर्वेद औषधालय की उपयोगिता है। ग्राम अयानी में आयुर्वेद औषधालय स्थानान्तरित करने के कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में लगाये गये वृक्ष

154. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में नये लगाये वृक्षों का भौतिक सत्यापन किया जाना था ? यदि हां, तो कोटा जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में भौतिक सत्यापन के आधार पर कितने-कितने वृक्ष लगाये गये ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

"प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षों से संबंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार है:-

हरे वृक्षों की कटाई एवं वन्य जीवों के शिकार संबंधी सूचना एकत्रित करना:-

"अभियान के दौरान ग्राम सभाओं से उक्त पहलुओं के बाबत भी सूचना एकत्रित कर नियमानुसार कार्यवाही करें, तथा प्राप्त सूचना से राजस्व विभाग, मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को भी अवगत करावें ।"

गणना का मामला सम्मिलत नहीं था। अपितु राजस्व विभाग से ऐसी गणना कराने के आदेश हैं। कोटा जिले में 14.30 लाख पौधे विभागीय तौर पर लगाये एवं वितरित किये गये । प्रचलित प्रथा के अनुसार जीवित पौधों की गणना अप्रेल-मई, 1983 में कराई जावेगी ।

उदयपुर जिले में वनों की जमीन पर अवैध कब्जे एवं निर्माण कार्य

155. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की कोटड़ा, गोगुन्दा, झाडोल, कुम्भलगढ, खैरवाड़ा व धरियावाद तहसीलों में वनों की जमीन पर कितने लोगों के कब-कब से अवैध कब्जे हैं ? कितने लोगों के मकान व कुए बने हुए हैं व

(श्री मेघराज तावड़)
मेड़बन्दी की हुई है ? अलग-अलग सूची तहसील व गांव के अनुसार सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग में उनके मुकदमे चल रहे हैं ? ऐसे कितने मुकदमें हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रखें । इसके साथ-साथ उन मुकदमों की सूची भी सदन के पटल पर रखें जो मुन्सिफ कोर्ट में चल रहे हैं ?

(3) ऐसे प्रकरणों की सूची भी तहसीलवाइज सदन के पटल पर रखें जिनका नियमन किया गया है। क्या सरकार ऐसे शेष मामलों का शीघ्र नियमन करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की कोटडा, गोगुन्दा, झाड़ोल, कुम्भलगढ़, खैरवाड़ा एवं धरियावद तहसीलों में वन भूमि पर 31-12-82 तक 1824 अतिक्रमण के प्रकरण विचाराधीन हैं जिनमें से 264 प्रकरण में मकान, कुएं व मेड़बन्दी का कार्य अतिक्रमणियों द्वारा किया हुआ है। तहसील व ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां। 532 प्रकरण में बदखली की कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम धारा 91 के तहत् जारी है तथा 125 प्रकरणों में मुन्सिफ कोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) नियमित्त किए गये प्रकरणों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

जिन प्रकरणों में 1-1-71 से पूर्व कब्जे होने का विवाद है, उसकी समीक्षा हेतु विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है । समिति की सिफारिशों के अनुसार ही ऐसे बकाया प्रकरणों के नियमन अथवा बेदखली की कार्यवाही की जावेगी ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कीटनाशक औषधियों के लिये गये नमूनों के जांच के परिणाम

156. श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विगत पांच वर्षों में कीटनाशक औषधियों के कितने नमूने जांच हेतु किस-किस अधिकारी द्वारा लिये गये और उनमें से कितने नमूनों की जांच की गयी तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) अवमानक कोटि की औषधियां पाई जाने पर कितनी फर्मों के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किये गये व कितने की नमूनों की समय पर अनुमति नहीं मिली और क्यों ?

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में (1978 से फरवरी, 1983 तक) राज्य में कीटनाशक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जो नमूने लिये गये उनकी संख्या 1907 है। इन नमूनों को राजकीय गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा (जयपुर) को विश्लेषण हेतु भेजा गया । इनमें से 1816 का विश्लेषण किया जा चुका है जिनमें से 1372 मानक व 444 अमानक घोषित किये गये हैं । जिन-जिन अधिकारियों ने नमूने लिए वह सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(कृषि मंत्री)

(2) उक्त 444 अमानक नमूनों में से--

(क) 299 नमूने, नमूने लेने की प्रक्रिया और परिमाण अधिनियम के अनुसार न होने के कारण कानूनी कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये।

(ख) 31 अमानक नमूनों के बाबत चालान अदालत में पेश करने बाबत स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष के लिए चालान पेश करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 21 देखें)

कृषि उपज व विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण को स्वीकृती

157. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में राज्य में कृषि उपज व विपणन बोर्ड द्वारा 180 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना निश्चित किया गया है?

(2) यदि हां, तो इनको स्वीकृती कब-कब दी गई? ये सड़कें कहां—कहां बनाई जायेंगी व कब तक पूर्ण हो जायेगी?

उत्तर

(1) 250 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 22 देखें)

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन की नई जीप

158. श्री मेरू सिंह गुर्जर (खारची): क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन में जीप कब क्रय की गई थी?

(2) जीप की वर्तमान हालत क्या है?

(3) क्या सरकार उक्त पंचायत समिति को नई जीप आवंटन हेतु विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन की जीप वर्ष 1968 में क्रय की गई थी।

(2) जीप की वर्तमान हालत ठीक नहीं है।

(3) जीप उपलब्ध होने पर आवंटन के लिए विचार किया जावेगा।

पंचायत समिति, सांगानेर को मकानों हेतु स्वीकृत धनराशि

159. श्रीमति विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 82-83 में पंचायत समिति, सांगानेर को 40 मकानों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) ये भवन तहसील में कहां कहां, कौनसी योजना के अन्तर्गत व किन-किन शर्तों पर बन कर तैयार हो चुके हैं ?

(3) इसका लाभ तहसील में कहां कहां, किस-किस को कब-कब दिया गया ? कृपया नाम, पता, स्थान व दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उपरोक्त योजना व चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) ग्रामीण आवासीय अनुदान योजना में यह भवन, ग्राम कलवाड़ा, सारंगपुरा, पवालिया, पीलवा एवं नेवटा में निर्माणाधीन हैं, जिन परिवारों की मासिक आय 350 रु. तक हो, व अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य कमजोर वर्ग के परिवारों को 750 रु. प्रति मकान अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) इसका उत्तर भाग 2 में दिया जा चुका है ।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 23 देखें ।)

भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चांदेरा के विरुद्ध जांच

160 श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

क्या भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, चांदेरा तहसील सिकराय के विरुद्ध जांच हुई थी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे और उनके आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों और अब जांच कब तक करा ली जावेगी?

उत्तर

जी हां । प्राथमिक जांच में पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, चांदेरा, काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों दोहरी हाजरी का भुगतान करना, मवेशीखानें में आये पशुओं को समय पर नीलाम नहीं करना एवं खातेदारों को अनधिकृत लाभ पहुंचाने आदि अनियमितताओं में दोषी पाये गये भूतपूर्व सरपंच को नियमानुसार आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया । भूतपूर्व सरपंच के द्वारा निर्धारित तिथि तक जवाब नहीं देने पर, राजस्थान पचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के तहत उप खण्ड अधिकारी, दौसा को विस्तृत जांच हेतु दिनांक 4-3-82 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है एवं जांच शीघ्र पूर्ण कराये जाने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं ।

पंचायत समिति बड़गांव द्वारा विभिन्न कार्यों पर किये गये व्यय

161. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1-1-82 से 31-1-83 तक पंचायत समिति, बड़गांव की जीप पर पैट्रोल, डीजल व मरम्मत पर कितना-कितना व्यय किया ? कृपया, मासिक विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) 1-1-82 से 31-1-83 तक टेलीफोन व्यय, लोकल एवं ट्रंक काल्स पर कितना हुआ ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) पंचायत समिति, बड़गांव के प्रधान ने 1-1-82 से 31-1-83 तक चिकित्सा पुनर्भरण व यात्रा भत्ता कितना उठाया ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रधान द्वारा कोई चिकित्सा भत्ता नहीं उठाया गया है। यात्रा भत्ते पर उठाई गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैं।

(सूची के लिए कृपया, परिशिष्ट 24 देखें)

जोजावर व आउवा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के औषधालयों के स्थानान्तरण की मांग

162. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के औषधालय जोजावर व आउवा को स्थानान्तरित करने की मांग की गई है ?

(2) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाई की है ? कृपया, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जोजावर के औषधालय को ग्राम केसूली तथा आउवा के औषधालय को ग्राम भीमालिया मे स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(2) जोजावर एवं आउवा में दिनांक 20-1-43 एवं 9-6-42 से औषधालय दानदाताओं द्वारा निर्मित भवनों में चले आ रहे हैं। अतः इतने प्राचीन औषधालयों को स्थानान्तरित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जनता में रोष व्याप्त होगा।

नगरपालिका, मारवाड़ जंक्शन का कार्य

163. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका कार्यरत है ?

(2) क्या उक्त नगरपालिका सुचारू रूप से कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) राजस्थान सरकार (स्वायत्त शासन विभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (21)एल. एस. जी./79/1431, दिनांक 3-9-82 द्वारा ग्राम पंचायत खारची क्षेत्र को नगरपालिका मारवाड़ जंक्शन में परिवर्तित कर दिया गया। सर्व श्री जसवन्तराज व लोकेन्द्र सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस. बी.

(स्वायत्त शासन मंत्री)
रिट याचिका प्रस्तुत करने पर न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 24-9-82 द्वारा अधिसूचना दिनांक 3-9-82 की क्रियान्विति स्थगित कर दी गई है ।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगित प्रश्न का प्रश्नकाल में न पूछे जाने पर पुनस्थंगन

श्री सभापति : ऑर्डर लीज ! आर्डर प्लीज । पॉइंट आफ आर्डर आ गया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि पिछली बार कुछ प्रश्न ऐसे थे जो पूछे जा सकते थे, लेकिन मंत्री महोदय तैयार नहीं थे और उन्होंने यह कहा था कि इनको स्थगित कर दें । अगली टर्न पर जवाब दे देंगे । जो हमारा उत्तर प्राप्त करने का अधिकार था, वह इनकी अयोग्यता के कारण या और किसी वजह से प्राप्त नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (निदवई): जी हां, आपकी आपकी । तीन प्रश्न स्थगित करवाये थे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज वे प्रश्न स्थगित प्रश्न के रूप में फिर आये हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है जिनके उत्तर आज आने थे लेकिन समयाभाव के कारण नहीं दे पा रहे हैं, उनको फिर से स्थगित किया जाय ।

श्री सभापति : नियमों के अन्तर्गत उनका जवाब दिलाने की व्यवस्था करने की कोशिश की जायगी ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सरकारी षड्यन्त्र है । सरकार जवाब नहीं दे पा रही है । सरकार ने स्थगित करवाया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा आपसे निवेदन यह है कि इन प्रश्नों को अगले टर्न पर लेने के लिए आज्ञा प्रदान करें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । इन प्रश्नों का जवाब दिलाने की व्यवस्था आसन की ओर से कर दी जायेगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : यह ऐसी परम्परा रही है आसन की ओर से व्यवस्था दी गई कई बार.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन की यह स्पष्ट मंशा होती है कि सभी प्रश्नों का जवाब आये क्योंकि सभी माननीय सदस्य अपने अपने बहुमूल्य प्रश्न देते हैं, उनके जवाब भी चाहते है । जितना आसन की ओर से प्रयास किया जाता है उतनी इच्छा माननीय सदस्यों की भी होती है लेकिन समय तो वही एक घंटे का रहता है ।

श्री राजबहादुर : एक प्रश्न स्थगित कराता है सरकारी पक्ष । वह स्थगित प्रश्न आ जाता है नम्बर पर और छप जाता है इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसको

(श्री राजबहादुर)

दुबारा स्थगित नहीं किया जा सके । यह कौनसे नियम के अन्तर्गत है जो स्थगित प्रश्न को बिलकुल ही खतम कर दिया जाय?

श्री यदुनाथ सिंह : I also rise on a point of order Sir. I am raising another point of order, Sir.

सभापति महोदया, रूल्स में प्रावधान है कि पौने बारह बजे स्थगित प्रश्न पुकारे जायेंगे । स्थगित प्रश्न पुकारे नहीं गये, सभापति महोदया । चेयर ने आज स्थगित प्रश्न पुकारे ही नहीं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्नों के जवाब जिस तरह से आने चाहिये और जिस तरह सदन का माहौल बना है उसके कारण स्थगित प्रश्नों का जवाब आना असम्भव हो गया । फिर भी, नियमों में प्रावधान है । इसके विषय में आप और आसन दोनों को चिन्ता है और खेद भी है । स्पीकर महोदय की विशेष अनुमति से आपको स्थगित प्रश्नों का जवाब मिल सकता है तो उस प्रकार की कोई व्यवस्था की जायगी ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : एक मिनट मेरी सुन ल । मैं प्रभावितों में से हूं, इसलिये मुझे सुन लें ।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, जो अधिकार स्पीकर महोदय को है वह अधिकार आपको भी प्राप्त है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहती हूं, यह प्रश्न पिछले विधान सभा सत्र में भी स्थगित करवाया गया था । इसका उत्तर नहीं आया । लिखित में जो उत्तर आया वह अपर्याप्त था । गये साल 10 कच्ची बस्तियां मेरे निर्वाचन क्षेत्र में थीं, इस साल 22 हो गई, जबकि गिनती में और भी छोड़ दी गई । मैं कहना चाहूंगी, आधार क्या है ? यह कोई इन्होंने आधार दिया नहीं । इसमें कमेटी थी, उस कमेटी का क्या हुआ, यह पता नहीं था । मुझे आशा थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका उत्तर मिल जायेगा, लेकिन उसमें भी कच्ची बस्तियों के बसाने की कोई योजना नहीं है । सरकार करना क्या चाहती है ? वह इसको टालना चाहती है ।

(व्यवधान)

यह प्रश्न जन-जीवन से सम्बन्धित है । मैं चाहती हूं इसको स्थगित करवाने की व्यवस्था की जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कच्ची बस्तियों को शिफ्ट किया जा रहा है । इस पर कोई व्यवस्था दी जाय । मेरा निवेदन है इसको स्थगित किया जाय . . .

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मेरा तो इतना ही निवेदन है . . .

(व्यवधान)

Page No 46

(46)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : सभापति महोदया, इस सदन के कई माननीय सदस्य उद्विग्न है कि पोस्टपोन क्वेश्चन्स को दुबारा पोस्टपोन किया जाय । मेरा नम्र निवेदन है, चेयरमैन महोदया, कि आज के प्रश्नों की सूची में 33 क्वेश्चन तारांकित हैं, 4 पोस्टपोन किये गए हैं, कुल 37 क्वेश्चन है । प्रश्नों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है । एक घन्टा या 60 मिनट है । 60 मिनट के समय में दो या पौने दो मिनट ट्रेजरी बैंचेन्ज के मन्त्री महोदय से सप्लीमेंट्री पूछने में लगे, तो क्वेश्चन पूरे के पूरे लिए जा सकते है, अन्यथा नहीं लिये जा सकते है । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि पार्लियामेंट में कई दफा एक या दो क्वेश्चन के ऊपर ही पूरा घन्टा प्रश्नों का व्यतीत हो जाता है और ठीक 12 बजते ही प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है । यह सदन की वैल एस्टेब्लिस्ड प्रेक्टिस रही है जिसे डिपारचर करना, मैं समझता हूं, ठीक नहीं होगा । अब जो क्वेश्चन पोस्टपोन एक दफा हो गया है और यह जो तारांकित प्रश्न है यह दोनों एक ही कैटेगरी में है । पहले क्योंकि पोस्टपोन उस दिन हो गया था इसलिए आज कोई उनको सुपीरियर पैनल में रखकर, दुबारा पोस्टपोन कराना चाहेंगे then there would be no end. मेरा नम् निवेदन करना यह है कि पोस्टपोन क्वेश्चन और आज जो क्वेश्चन नहीं लिये गये हैं, उनको समानान्तर धरातल पर रखा जाना चाहिए ।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदया, चूंकि मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय श्री राजबहादुर ।

श्री राजबहादुर : देखिये, प्रश्न जो स्थगित हुआ था वह आपके कारण या हमारे कारण नहीं हुआ था, स्वयं मन्त्री महोदय तैयार नहीं थे, उनकी जवाब देने की तैयारी नहीं थी उन्होंने स्थगित कराया था । यह तो प्रश्नों को टालने का, प्रश्नों को बाई पास करने का अच्छा तरीका होगा, प्रश्न स्थगित करा लिया स्वयं ने और फिर जब ऐसा मौका आएगा तो आप कहेंगे कि हम तो जवाब देंगे ही नहीं, चूंकि समय खतम हो चुका है । समय खत्म होने को है, वह विशेष स्थिति दूसरी है लेकिन यह स्थिति विशेष यह है कि आपने पहले मौके पर ही प्रश्न स्थगित करा लिया था और स्वयं आपने कराया था, सरकार ने कराया था इसलिए सारे जो अनकाम्पीटेंट क्वेश्चन्स हैं, उनको इस तरह से पोस्टपोन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, जो राइट हमारा क्वेश्चन पूछने का है, उसको मेरे ख्याल से किसी तरह से खतम करना, न किसी नियम के अन्तर्गत आता है, न लेटर में, न स्प्रिट में आता है । हम पोस्टपोन नहीं

(श्री राजबहादुर)
करा रहे थे, आपने पोस्टपोन कराया। आप जिम्मेदार हैं इस बात के। आज समय नहीं रहा, इसका दण्ड हमें क्यों दिया जा रहा है पोस्टपोण्ड क्वेश्चन का जवाब दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कौनसी सफाई देने वाले हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : आप बता रहे है सरकार की गलती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह अपने आपको सदस्य नहीं, मंत्री समझ रहे हैं अभी भी। मंत्री नहीं बनेगें आप, निगाह में आना चाहते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। मैंने ठीक पौने 12 बजे आपको सचेत किया था, आपने आवाज नहीं लगाई, आपने पर्टीकूलर क्वेश्चन पुकारा है, 150. इसलिए यह मैं समझता हूं कि

X X X

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पर···

श्रीमती उजला अरोड़ा : आसन पर आरोप लगाने वाले आप कौन होते हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, आसन पर आरोप के यह शब्द निकाल दिये जायें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : कार्यवाही से यह शब्द निकाल दिए जाएं।

श्री सभापति : यह शब्द जो माननीय सदस्य ने कहे हैं, यह कार्यवाही से निकाल दिए जायें।

श्री अनंगकुमार जैन : ×××

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं नई बात कहने जा रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार-बार पाइण्ट आफ आर्डर नहीं उठायें। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : मैं नई बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : मुझे सदन से निवेदन करना है, जैसा अभी मैंने पूर्व में भी कहा कि प्रश्न पूछना और मन्त्री द्वारा प्रश्नों के उत्तर देना, इसमें दोनों पक्षों की 'जोइण्ट रेस्पान्सिबिलिटी है। यदि इसमें आसन को सहयोग नहीं मिलता है और एक ही प्रश्न पर सदन के माननीय सदस्य बहुत समय ले लेते हैं तो यह स्वाभाविक है कि जो आवश्यक प्रश्न हैं वह रह जाते है। जो प्रश्न रह गये

××× अभिव्यक्ति, माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

है, उनको आप अल्प सूचना प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से या किसी और माध्यम से....

श्री नाथूसिंह : नहीं, सभापति महोदया...

श्री सभापति : अब इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : नहीं । सभापति महोदय, मैं निवेदन और करना चाहता हूं । मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठा रहा हूं ... देखिये, मैं बताता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप व्यवस्था का प्रश्न...

श्री नाथूसिंह : आप एक मिनट सुन लें फिर उसके बाद आप जो कहेंगी, वह मैं सुन लूंगा ।

श्री सभापति : आप संक्षेप में कहेंगे ।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं । हां, संक्षेप में कहूंगा । जो प्रश्न स्थगित किये जाते हैं, जैसा मदेरणा साहब ने कहा, वह वही प्रश्न होते हैं जो हाउस में एक बार पुकार लिये जाते हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : एक बार हाउस में पुकार लिये जाते हैं कि फला क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछेंगे ।

श्री सभापति : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री नाथूसिंह : यही कहना चाहता हूं, कि वह उस सदस्य का राइट हो गया, उस सवाल को हाउस में पूछने का ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उसके विषय में आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है । कृपया, स्थान ग्रहण करें ।

श्री नाथूसिंह : पहले भी यह परिपाटी रही है, एक बार स्थगित प्रश्नों को...

श्री सभापति : आसन पैरों पर है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से इण्डस्ट्रियल अरबन कॉआपरेटिव बैंक, सीकर के संचालक मण्डल के अधिकांश सदस्यों द्वारा बैंक के धन के दुरुपयोग व घोटाले के विषय में ।

(2) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के तथा विशेष रूप से प्रतापगढ़ तहसील के विकलांगों को प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित न करने के विषय में ।

(3) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर के थानेदार द्वारा मुकाम मेल के दर्शनार्थियों, महिलाओं की बेइज्जती तथा पुरुषों के साथ मारपीट करने के क्रम में ।

(4) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका सवाई माधोपुर द्वारा लगाया गया गृह कर

Page No 49

(49)

(श्री सभापति)
राज्य सरकार से कन्फर्म न कराने के बाद भी उसकी वसूली करने के विषय में ।

(5) सर्वश्री फतेहसिंह व बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में पिछले 3 माह में 14 डकेतियों की घटना के विषय में ।

(6) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र के 75 गांवों में पेयजल की समस्या के विषय में ।

(7) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर तहसील के कई गांवों में पेयजल उपलब्ध न होने के विषय में ।

(8) श्री बंशीलाल पटवा व श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच उदयपुर में स्थापित करने की मांग के विषय में ।

(9) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा केरोसिन की कीमत बढ़ा देने से जयपुर के नागरिकों को केरोसिन तेल उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में ।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में जल वितरण की व्यवस्था अपर्याप्त एवं सुचारू न होने के विषय में ।

(11) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर स्थित न्याय नामक दैनिक पत्र के कार्यालय पर असंतुष्ट छात्रों द्वारा गत 14 फरवरी को किए गये हमले तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही के विषय में ।

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

निम्मांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं तथा अस्पष्ट भी हैं, अत: मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(12) श्री अनंगकुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से मनोहर थाना, जिला झालावाड़ में सागवान की लकड़ी की अवैध कटाई होने के विषय में ।

(13) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के अनेक गांवों में बिजली दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से डेढ़ सौ रुपये प्रति खेत व परिवार की वसूली किये जाने के विषय में ।

(14) श्री राम कंवार बैरवा व श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चाकसू तहसील के बाढ़ पीड़ितों को पशु खरीदने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में घोटाले के विषय में ।

निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मेघराज तावड़—

(श्री सभापति)

नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर उण्डावेला का पुल संकरा होने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि उक्त नाले पर ऊंचा पुल एवं अप्रोच रोड बनाने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1982-83 की योजना में स्वीकार कर लिया है और भारत सरकार से स्वीकृति आने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल--राष्ट्रीय बांध परियोजना, सवाई माधोपुर में एक शेर व एक बघेरे का शिकार। सरकार ने सूचित किया है कि बाघ व बघेरे के शिकार के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(3) श्री महावीर प्रसाद-- राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 पर टोंक जिले के अन्तर्गत आने वाली सड़क पर वैकल्पिक व्यवस्था के बिना मरम्मत का कार्य आरम्भ करना। सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्ताव में किसी स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है और जो मरम्मत कार्य किया जा रहा है वह बहुत छोटे हैं और उनके लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करना उपयुक्त व आवश्यक नहीं है।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री राजबहादुर व श्री यदुनाथ सिंह--राजस्थान सरकार को यमुना नदी से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं होने के विषय में।

(5) श्री महाराम चौधरी-- चाकसू जिला जयपुर के किसानों को बिजली के बिल तथा ऋण की अनुचित वसूली के विषय में।

उक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर का अध्ययन किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में बाद में निर्णय लिया जायेगा। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए हैं वे दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : पाइन्ट आफ आर्डर

मैंने कल एक इम्पार्टेंट स्थगन प्रस्ताव दिया था। वह नहीं आया है। मुख्य मंत्रीजी के सेक्रेटरी और कलेक्टर, कोटा दोनों ने जमीनें हड़प की हैं। मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आदर्श किशोर सक्सेना, जो कि मुख्य मंत्री का सैक्रेटरी है, कोटा में जमीन खा गया।

श्री सभापति : आप कौन से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा : कल मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कोटा के सम्बन्ध में।

श्री सभापति : उस पर व्यवस्था नहीं आई है क्या ?

श्री हरीश शर्मा : नहीं आई है। कहां गया वह। उसमें कलेक्टर, कोटा और आदर्श किशोर दोनों इन्वोल्व्ड हैं। दोनों जमीनें

Page No 51

(51)

(श्री हरीश शर्मा)
खा गए। You have to dispose of it.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आप शांत रहें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, इसी सम्बन्ध में है फिर यह निकल जाएगा। मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव कल इसी सम्बन्ध में दिया था। जो मुख्य मंत्री के सैक्रेटरी हैं और कोटा कलेक्टर है, उन्होंने जमीनें बेच कर अपने रिश्तेदारों को दीं। घोटाला किया है। उसके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं हुई। वह स्थगन प्रस्ताव गया कहां ?

श्री सभापति : आपका पॉइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरूंलाल भारद्वाज द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा पॉइन्ट आफ आर्डर है, सभापति महोदया, कल जब स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी तो मुझे ज्ञात हुआ कि श्रीमती उजला अरोड़ा ने कोई जमीनों, कोई मकानों को तोड़ने के सिलसिले में बिना सूचना दिए मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं कोई गैर कानूनी मकान बना रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): यह तो कल बोलना चाहिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: मुझे मालूम ही नहीं है। मालूम होगा तभी तो बतायेगा कोई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी..

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इस तरह से बिना सूचना दिए किसी पर आरोप लगाना कहां तक उचित है? इस तरह का कोई गैर कानूनी मकान नहीं बनाया जा रहा है। यह राजनैतिक स्टण्ट है और असत्य बोलने की पराकाष्ठा है। इस तरह से गलत आरोप लगाया गया है उसको कार्यवाही में से निकाला जाना चाहिए। पूर्व में सूचना दिए बिना...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप नियमों के तहत मूव करिये। यदि वह नियमों के विरुद्ध हुआ तो निकाल दिया जाएगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: हां, यही बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदया, मैंने कल...

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा: माननीय सभापति महोदया, मैं एक मिनिट लेऊंगा आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मुझे एक मिनट बोलने का अवसर दें।

श्री सभापति: आप ध्यानाकर्षण पर बोल रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: वह जो कह रहे हैं...

श्री सभापति : जब उनका लिखित में आएगा और आपसे पूछा जाएगा तब जवाब दीजिए ।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : ठीक है, लिखित में दे दें ।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में बोल रहे हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री सभापति : फरमाइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज हमने दो प्रस्ताव दिये हैं । एक तो जयपुर शहर में केरोसिन आयल का भाव बहुत महंगा हो गया है । भावों के महंगे होने के बावजूद मिलता नहीं है और मिलता है तो बहुत कम मिलता है । इससे जयपुर की जनता बड़ी परेशान है । एक तो यह स्थगन प्रस्ताव दिया था । एक जो जल संकट बना हुआ है जयपुर में, लोगों को पानी नहीं मिलता है, ये दोनों प्रस्ताव हैं ।

श्री सभापति : यह दोनों प्रस्ताव इसमें हैं नहीं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : है इसमें । आपने इस पर व्यवस्था दी है कि सरकार से जानकारी चाही है । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार से क्या जानकारी आएगी, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते है । तो क्या तब तक जयपुर की जनता को पानी के अभाव में, केरोसिन आयल के अभाव में इसी तरह से दुखी करते रहेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार की ओर से जवाब जल्दी आ जाय तब आप सारे प्रश्न को उठाइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप व्यवस्था करा दें कि सरकार कब तक जवाब दे देगी ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, उत्तर की अनौपचारिकता में नहीं जाकर, उत्तर तो भेजेंगे ही निश्चित तौर पर जब आसन का आदेश है, लेकिन जिस जल वितरण के सम्बन्ध में आपने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उसके सम्बन्ध में आज ही सम्बन्धित अधिकारियों से बात कर रहा हूं और कुछ कारगर कदम उठा रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी प्राप्त की जा रही है । माननीय श्री अनंगकुमार ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसलिए आप अलग से मालूम कर लें । अभी स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होने दें ।

श्री महाराम चौधरी : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था.....

श्री सभापति : आपने कब दिया था, माननीय सदस्य ।

श्री महाराम चौधरी : मैंने कल दिया था ।

श्री सभापति : पर व्यवस्था में नहीं बोला गया क्या ?

श्री महाराम चौधरी : नहीं बोला गया है।

श्री सभापति : आपने सुना है क्या कि नहीं बोला गया। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

श्री महाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने सुना नहीं। सात नम्बर पर आपका लिस्टेड है फिर आप व्यर्थ में समय लेते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री अनंगकुमार जैन और श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

व्यवस्था का प्रश्न

स्वयं के स्थगन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी द्वारा व्यवस्था

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर !

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। नो पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नाथूसिंह : दूसरा उठा रहा हूं।

श्री सभापति : आप बार-बार पाइन्ट आफ आर्डर ही उठाते रहेंगे क्या ?

श्री नाथूसिंह : आप सुनिये तो सही।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, सभापति महोदया, क्या कोई भी स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है तो स्वयं के प्रस्ताव पर, स्थगन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी या सभापति महोदय ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, This is no point of order, Please sit down.

(व्यवधान)

Please, sit down.

श्री नाथूसिंह : पीठासीन अधिकारी व्यवस्था दे सकते हैं क्या ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। पीठासीन अधिकारी भी सदन का सदस्य होता है, उस नाते से प्रस्ताव दे सकता है।

(व्यवधान)

प्लीज।

श्री नाथूसिंह : वह व्यवस्था दे सकता है क्या, यह बता दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! श्री अनंगकुमार जैन।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदया, सरकार की ओर से बीस सूत्र का ढिंढोरा पीटा जाता है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी काफी जोरों से इसकी चर्चा की गई है। उसी का एक सूत्र है जंगल में मंगल। सभापति महोदया झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में..,

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री अनंगकुमार जैन : हां, संक्षेप में। मनोहर थाना मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। मनोहर थाना के अन्दर काफी जंगल हैं। उसके अन्दर सागवान की लकड़ी काफी उपयोगी पाई जाती है। उससे लगा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां से रोजाना हजारों रुपयों की लकड़ी कट करके मध्य प्रदेश में जाती है और बहुत सी लकड़ी मनोहर थाना के बाजार में भी बिकती है। यह सारी लकड़ी गैर कानूनी तरीके से काटी जाती है। एक तरफ सरकार अपने जवाब में कहती है कि हमने इस साल चार लाख पेड़ लगा दिए। एक ओर जो पुराने पेड़ हैं उनको तो मिलीभगत से कटवा रहे हैं और दूसरी ओर लाखों रुपये इस कार्य पर खर्च कर रहे हैं। इस बारे में जैसा कि आज ही एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय स्वयं ने स्वीकार किया है, हालांकि उन्होंने बड़े आर्टिस्टिकली उसका जवाब दिया है, मगर मंत्री महोदय के जवाब से भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं मंत्री महोदयजी उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने पहले तो यह जवाब दिया है कि वन विभाग के किसी भी अधिकारी की मिलीभगत से कटाई नहीं हो रही है। जब मैंने यह स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि वहां फारेस्ट के अधिकारियों की नेग्लीजेंसी जरूर पाई गई थी। माननीय सभानेत्री महोदया, जिन अधिकारियों को आपने इन बातों के लिए तैनात कर रखा है कि जंगलों की सुरक्षा की जाएगी, जंगल कटने नहीं चाहिये, उन अधिकारियों को यह नेग्लीजेंस मानते हैं, तो नेग्लीजेंस और मिलीभगत में, सभानेत्री महोदया, मुझे फर्क नजर नहीं आता। अगर अवैध कटाई होती है तो नेग्लीजेंसी से होती है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हाथ है, वे मिले हुए हैं। अपनी ड्यूटी का अन्जाम नहीं देते हैं और अंजाम इसलिए नहीं देते हैं कि वे इन लोगों को अलाऊ करते हैं जंगल काटने के लिए। इस बारे में प्रश्न था, यहां पर शिकायत की गई थी, वहां के जिलाधीश और एस डी. ओ. ने भी यहां सैक्रेटेरियट को लिखा कि मनोहर थाना में जंगल की कटाई हो रही है। लाखों रुपयों की लकड़ी यहां से तस्करी करके ले जाई जाती है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक व्यक्ति पुलिस विभाग द्वारा पकड़ा गया था, फारेस्ट विभाग द्वारा नहीं पकड़ा गया। सभानेत्री महोदया, मनोहर थाना से जो लकड़ी ले जाई गई थी और उस लकड़ी की पुलिस विभाग के द्वारा जांच करने पर, उन्हीं फोरेस्ट विभाग के जिन अधिकारियों ने यह जवाब दिया था कि वहां की लकड़ी उपयोगी नहीं है, उन्होंने ही यह जवाब दिया है कि कीमती और उपयोगी लकड़ी है। लेकिन वह फारेस्ट के अधिकारी इस कार्य में आगे नहीं आते हैं। और सभानेत्री महोदया, मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश की लकड़ी इधर-उधर लाते हैं। पिछले माह जनवरी के अन्दर मध्य प्रदेश के फोरेस्ट विभाग की टीम मनोहर थाना में लकड़ी काटने वालों को पकड़ने के लिए आई। उन्होंने लकड़ी पकड़ी, फारेस्ट विभाग के जो अधिकारी वहां पर कार्यरत थे उनको बुलाया कि आप हमारी मदद कीजिए। उन्होंने मदद करने से इन्कार कर दिया और जो अवैध व्यापार में लगे हुए थे, डेढ़ सौ, दो सौ

(श्री अनंग कुमार जैन)
आदमियों ने उनकी गाड़ियों को भी घेर लिया और गाड़ियों को घेर कर उसके अन्दर कीलें ठोक दीं और उनको जाने नहीं दिया। उसके बावजूद माननीय मंत्री महोदय जांच कराने को तैयार नहीं हैं। समानेत्री महोदया, चाहे जो हो, राज्य सरकार को जंगल की कटाई को रोकना चाहिये।

जंगल में वह आये, उनकी गाड़ियाँ रोकी गईं जो मोटर साइकिल सीज की गई उस मोटर साइकिल को उन अधिकारियों से मारपीट करके वह लोग ले गये।

श्री सभापति : इसकी पुलिस में रिपोर्ट की ?

श्री अनंगकुमार जैन : पुलिस में रिपोर्ट की, सभापति महोदय, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसका कारण है कि फोरेस्ट के अधिकारी मिले हुए हैं, वह कहते है कि अवैध व्यापार करने वाले लोग हैं अगर वह पकड़े जायेंगे तो उनकी रोजी रोटी बन्द हो जायेगी, भ्रष्टाचार बंद होगा तो उनकी रोजी रोटी बन्द हो जायगी। वह पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कलेक्टर महोदय ने उसकी जांच की है। कलेक्टर महोदय ने जांच में लिखा है, प्रभारी मंत्री ने जवाब दिया है कि मिले हुए तो नहीं है लेकिन नेग्लीजेंस हैं। जो मंत्री स्वयं यह उत्तर दें, सरकार के मंत्री हैं कहते हैं कि नेगलीजेन्स है उनसे क्या आशा की जा सकती है कि वह जंगल की रक्षा करेंगे ? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करूंगा सागवान की लकड़ी की मनोहर थाना क्षेत्र में अवैध कटाई हो रही है और तस्करी हो रही है उस पर कड़ी निगाह रखें। इस कार्य में जो व्यक्ति संलग्न हैं तथा अधिकारी लोग मदद करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जो बोले हैं उसके अतिरिक्त आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलें।

श्री हरीश शर्मा : मैं बोलना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, उनको योजनाबद्ध तरीके से ......

श्री सभापति : उसके विषय में जानकारी करके आपको सूचित किया जा रहा है, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है आज नहीं करेंगे तो . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उस पर जानकारी की जा रही है, जानकारी करके आपको सूचित किया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरीश शर्मा : मैंने आज तक आपके आदेश को माना है आज नही मानूंगा

श्री सभापति: माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा : मैं नहीं बैठूंगा। मैं कान्टीन्यूअसली बोलता रहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाय माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : उसकी मां, उसकी पत्नी, उसका भाई, सब .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव समय पर पहुंचा है तो उसको आना चाहिये था। आपको सूचित किया जाता...

श्री हरीश शर्मा : आज तक कहना माना है, आज नहीं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव समय पर प्राप्त हो गया था। कागजों में मिला होने की वजह से नहीं आया, उसकी एन्ट्री अभी की जा रही है।

माननीय सदस्य जो बोले हैं उसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहते हैं तो संक्षेप में कहें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के लिये माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कोई लकड़ी नहीं कटायी जा रही है, कोई मिलीभगत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 14-9-82 को 25 हजार रुपये की अवैध रूप से काटी गई लकड़ी का एक ट्रक आर. जे. आर. 7877 पकड़ा गया। जो पुलिस विभाग के एस.आई. हैं उनका भाई इस ट्रक को ले जा रहा था, इसलिये वह कांड को दबाने में लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले का मनोहर थाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के बोर्डर से लगा हुआ है, वहां पर खुले आम लकड़ी की तस्करी होती है। मैं खुला चार्ज लगाना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की सहमति है...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री गृह): माननीय सभापति महोदय, आप मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। इसके विषय में पहले भी बात हो चुकी है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : उसका नम्बर दिया हुआ है आपको।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप पहले मुझे सुन लीजिये। आपने 14-9 का किस्सा बताया है, वह मेरी नॉलेज में है। मैंने कल ही अधिकारियों से सामग्री मंगायी, उसको देखा। कंजरवेटर आफ फारेस्ट, कोटा और एडीशनल एस. पी. कोटा को उसकी जांच के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आप जांच करायेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बिल्कुल करायेंगे। लेकिन आप ऐसे ,वोइड चार्जेज न लगायें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आप जांच कराकर इन अधिकारियों को दण्डित करेंगे तभी मैं मानूंगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बिल्कुल करूंगा।

श्री सभापति : आपको कमिटमेंट मिल गया। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अभी तो और पाइन्ट बनाऊंगा, माननीय सभापति महोदया।

मेरे क्षेत्र में सागवान की लकड़ी है वहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से पेड़ों की कटाई के संबंध में पिछले सेशन में भी प्रश्न उठाया था। कांग्रेस का सरपंच है उसकी मिलीभगत है। मैं प्रभारी मंत्री

Page No 57

57

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)
महोदय का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो वन सम्पदा झालावाड़ जिले में नष्ट की जा रही है, उसकी रक्षा की जाय ।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा व श्री गोपाल पचेरवाल ।

(अनुपस्थित)

मुझे माननीय सदस्य को सूचित करना है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया आपका स्थगन प्रस्ताव समय से प्राप्त हो गया था लेकिन किन्हीं कारणों से कागजों में रह गया। उसे राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया है, जानकारी प्राप्त होने पर इस संबंध में सूचित किया जायेगा । राज्यपाल महोदय के · —·

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जब जवाब आ जाय, जब जानकारी आ जाय ·····

श्री हरीश शर्मा : जानकारी नहीं आयगी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । जानकारी आने पर आपको ····

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदय, उस व्यक्ति की मां, बाप, पत्नी,·······

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । जानकारी आ जाने दें · · ·

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरीश शर्मा : उसकी पत्नी उसके भाई के नाम ·· —

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आसन की ओर से आपको इस पर बोलने की स्वीकृति नहीं मिलेगी ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदया, जमीन मेरी नहीं है, उस सैक्रेटरी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, आदर्श किशोर सक्सेना की पत्नी · •· ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर सरकार का जवाब आ चुका है उनमें हैं श्री मेघराज तावड़, यदि बोलना चाहें । श्री हंसराज शर्मा, श्री महावीरप्रसाद ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह महावीर प्रसाद के नाम से दिया गया है ।

श्री हंसराज शर्मा का है । चुन्नीलाल

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय सभापति महोदया, राष्ट्रीय बाघ परियोजना रणथम्भौर, जिला सवाईमाधोपुर में बनी है । जब यह परियोजना बनी उस समय जानवरों की जितनी संख्या थी वह दिनों-दिन घटती जा रही है । दिनों दिन शेर मारे जा रहे हैं, बघेरे मारे जा रहे हैं।

Page No 58

(58)

(श्री चुन्नीलाल)

इस वर्ष जनवरी के महीने में एक शेर और एक बघेरे को गोलियों से लोगों ने मारा। जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, वही शिकार करवाते हैं, वही जानवर मरवाते हैं। पिछले सैशन में भी इस बारे में शिकायत की गई, स्थगन प्रस्ताव दिया गया लेकिन कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। वहाँ जो डायरेक्टर महोदय बैठे हैं, उनके द्वारा जिस तरह के व्यक्तियों के नाम प्रपोज किये जाते हैं उन सब के द्वारा लकड़ियां कटवायी जाती हैं, जानवरों का शिकार करवाया जाता है। इस योजना के पीछे भारत सरकार और राज्य सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। इस क्षेत्र को एक पर्सनल जागीर बना रखी है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, किस-किस समय में कितने-कितने शेरों की हत्या हुई, वह किन-किन कारणों से हुई और इस साल एक शेर और एक बघेरे की मौत हुई है, वह किन कारणों से हुई है? एक बघेरे की खाल अलग से पकड़ी गई थी सैकड़ों जंगली जानवरों को मरवाया जाता है।

सभापति महोदय, यहां पर विदेशी लोग आते हैं। वन विभाग के किसी कर्मचारी की पीठ पर शेर या बघेरे की खाल बान्ध दी जाती है और रात को सर्च-लाइट दिखाते हैं तो कर्मचारी थोड़ा हिल-डुल जाता है, इस बहाने से, विदेशी लोगों से शेर दिखाने के बहाने हजारों रुपये लिये जाते हैं। वन विभाग के कर्मचारी जानबूझ कर इस तरह की गलतियां करते है। वहां का अधिकारी, इस क्षेत्र को पर्सनल जागीर बना कर बैठा हुआ है।

सभापति महोदया, चराई के मामले में भी प्रति पशु 50 पैसे लेकर पशु को जंगल में घुसा दिया जाता है। इस तरह की धांधलियां की जाती हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और न कोई इस प्रोजेक्ट का डिमार्केशन है। काश्तकारों के पशु उस प्रोजेक्ट में न भी जांय तो भी उस प्रोजेक्ट के नाम पर उनको बुरी तरह से लूटा जाता है। पिछले वर्ष खण्डार में एक दफा 85 काश्तकारों को और एक दफा 45 काश्तकारों को पकड़ा गया और उनको चार चार रोज तक फारेस्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजी मकानों में बन्द रखा गया। 4-4 दिन तक कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी गई। उनको अग्रिम जमानत करवानी पड़ी। तो इस प्रोजेक्ट के नाम पर इस तरह से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उस अधिकारी को वहाँ से हटाया जाय और कोई निष्पक्ष अधिकारी वहां पर लगाया जाय जिससे पशु शिकार होने से बचें और जिस अधिकारी ने इसको पर्सनल जागीर बना रखी है उसकी जागीर खतम हो। क्या एक मात्र फतेहसिंह के अलावा दूसरा अधिकारी है ही नहीं? जब से यह प्रोजेक्ट बना है तब से उनके अलावा कोई दूसरा अधिकारी वहां नहीं रखा। राजनीतिक संरक्षण उनको मिला हुआ है। इस तरह से वन विभाग के नाम पर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग करना सरकार के लिये कलंक की बात है।

श्री महाराम चौधरी : (नागौर) : सभापति महोदया, आज ग्रामीण क्षेत्र में...

श्री सभापति : आपका स्थगन प्रस्ताव सरकार को जानकारी देने के लिये भेजा है।

(श्री सभापति)

श्री महावीर प्रसाद

श्री महाराम चौधरी : मुझे जानकारी मंगाने की आवश्यकता नहीं। जानकारी पूरी मेरे पास में है।

श्री सभापति : श्री महवीर प्रसादजी के बाद आपको मौका देंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक): सभापति, महोदया, बड़े अफसोस की बात है, सरकार से जवाब आया कि स्थगन प्रस्ताव में पी.डबल्यू.डी की सड़क का नाम नहीं लिखा है। मैंने स्थगन प्रस्ताव में लिखा है। राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 पर टौंक जिले के अन्तर्गत आने वाली सड़क पर वैकल्पिक व्यवस्था के बिना मरम्मत कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सरकार ने लिखा है कि कोई स्थान विशेष के लिये नहीं लिखा गया है। कोई बहुत लंबी चौड़ी सड़क नहीं है। सरकार के पास सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था है उसके बाद भी इस प्रकार से उत्तर दिया जाता है। सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि यह सरकार की नाकाबलियत की तारीफ में आयेगा। मुझे जानकारी है कि जगह जगह नेशनल हाईवे के नाम से जो टूटी सड़कें हैं वह बनाई जा रही हैं। वहां पर वकल्पिक व्यवस्था करने के लिये उन्होंने पैसों का प्रावधान भी किया है। कहीं पर गिट्टी डालना भी बताया है। लेकिन न गिट्टी डाली गई और न वैकल्पिक व्यवस्था की गई। सभापति महोदया, हर मिनट एक वाहन एक बार उधर से, एक बार इधर से आता और जाता है। आये दिन एक्सीडेन्ट होने का खतरा रहता है। आये दिन ड्राइवरों में झगड़े हो जाते हैं...

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महावीरप्रसाद जैन : कई बार बसों के आने जाने में इस प्रकार की दिक्कते खड़ी हो जाती हैं कि कानून और व्यवस्था भंग होने की नौबत आ जाती है, झगड़ा और एक्सीडेन्ट होने की नौबत आ जाती है। सैंकड़ों ट्रक एक्सीडेन्ट के कारण उलट जाते है, गड्ढों में गिर जाते हैं। बगल में गड्ढे हैं, इधर मेटीरियल पड़ा हुआ है, बीच में सड़क बन रही है। सारे रास्ते क्लोज कर दिये। कोई ठीक व्यवस्था नहीं करते। एक तरह से घोर अव्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वैकल्पिक व्यवस्था करे और इसकी जांच करवाये कि जो पैसा खर्च किया गया बताया है और जो मेटीरियल बताया है वह खर्च किया गया है या नहीं? और किया गया है तो कितनी गड़बड़ी की है?

श्री हरीश शर्मा : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, राज्य सरकार के पास तो इस तरह का कई दफा स्थगन प्रस्ताव गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है। उसके बाद आप बता सकते हैं।

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदया, आज कोटा बन्द है। कोटा इसलिये बन्द है कि राजस्थान के कई नागरिक असमय में मर रहे है। वहां गोलियां चल रही है, गोली काण्ड हो रहे हैं। जोधपुर बन्द हो चुका है। सारे राजस्थान की स्थिति खराब हो रही है। यह बहुत इम्पार्टेन्ट पाइन्ट है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान

(श्री सभापति)
ग्रहण करें, आपको जो इन्फार्मेशन देनी थी वह प्राप्त हो गई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। सरकार से उत्तर आने पर आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : मैं सरकार की जानकारी के लिये थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप आसन की अनुमति से बोल रहे हैं? सरकार का उत्तर आने पर आप बोल सकते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदया, हजारों लोग मर रहे है। बाहर भी जुलूस आया हुआ है।

श्री सभापति : आपको जो सूचना देनी थी वह सदन और आसन को प्राप्त हो गई। इसके उपर कार्यवाही की जायेगी। कृपया स्थान ग्रहण करे।

श्री महाराम चौधरी : मुझे दो मिनट बोलने की इजाजत दें। आपने व्यवस्था दी थी इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी: सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस साल भी और लगातार 5-6 साल कहतशाली के रहे है। लगातार कहतशाली की वजह से कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया हैं। सरकार और पी. एच.ई.डी. ने वहां पर अभी कोई स्कीम चालू नहीं की है। और की है तो वह वहां से कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर है। सरकार कोई व्यवस्था करती नहीं है, पिलाई की व्यवस्था करती नहीं है। मैं सरकार से लगातार दो साल से निवेदन करता आ रहा हू कि उन कुओं को गहरा करने के लिये ब्लास्टिंग के लिये अगर धन और मशीने उपलब्ध करवा दी जाय तो कम से कम लोगों को उन कुओं का पानी सुलभ हो जायगा बरसात का पानी नीची नालियों में जो थोड़ा बहुत था वह भी खतम हो गया। कुओं का जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि आदमी चड़स में बैठकर कुओं में नीचे जाकर चरू, बाल्टी और लोटे से पानी डाल-डाल कर चड़स को भरते हैं। कुओं पर आदमियों को अपने बाणे या कोठियाँ लेकर काफी देर तक इन्तजार करते रहने के बाद पानी उपलब्ध होता है। भू-जल विभाग के मंत्री महोदय बैठे हैं और मंत्री महोदय भी बैठे हैं जो इन कुओं की स्थिति के खूब अच्छी तरह के जानकार हैं इसके उपरान्त ब्लास्टिंग और बोरिंग करने की मशीनें उपलब्ध नहीं करवा रहे है। कम से कम 30-40 कुए इस तरह के हैं जिन्हें ढाणियों में रहने वाले आदमियों ने 50-50, 60-60 हजार रुपये लगा कर खुद के श्रमदान से बनाया है। इन कुओं की बोरींग और ब्लास्टिंग करने के लिये धन और उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार की ओर से उत्तर।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैं नीचे गया था। उण्डावेला का पुल महत्वपूर्ण है। सड़क का मामला है। सरकार ने इन्फार्म किया है कि कार्यवाही की जायेगी। सेन्टर को भेजा जाय, इस पर दो मिनट बोलने दे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको आवाज दी गई उस वक्त आप विराजे हुए नहीं थे। Please, I am sorry,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, विधान सभा के इस सत्र का प्रारम्भ करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने 17 फरवरी को जो अभिभाषण इस सदन में दिया उस पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य, हरिसिंहजी ने प्रस्तुत किया, उस पर जो चर्चा यहां पर हुई उसमें लगभग 38 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। उन्होंने अभिभाषण पर अपने विचार रखते हुए सरकार की नीतियों और जो कुछ भी उपलब्धियां पिछले वर्ष में हुई, जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में किया, उसकी सराहना की और कुछ रचनात्मक सुझाव दिये। विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने आलोचना भी की और कुछ कार्यक्रमों, जिनको सरकार ने इस भावना से राजस्थान प्रदेश में पिछले वर्ष में प्रारम्भ किया ग्राम लोगों, खास तौर से देहात में रहने वाले हमारे ग्रामीण भाइयों को लाभ मिले और उनको रोजमर्रा की दिक्कतें दूर हों, पर राजनितिक दृष्टि से अपने विचार रखें। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का प्रजातन्त्र अब वयस्क अवस्था में पहुंच गया है . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कई माननीय सदस्य बोलने के लिए रह गए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसकी सूचना बहुत पहले प्राप्त होनी चाहिए। फिर, समय भी समाप्त हो चुका था।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं नहीं। हमारा समय समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका समय आलरेडी समाप्त हो चुका है। फिर अब तो रिप्लाई भी शुरू हो गया है। अब आप बीच में इन्टरफियर मत कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो आप दे ही सकते हैं मना नहीं है। रिप्लाई आपको देना है . . .

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें व्यवधान न डालें।

श्री भंवरलाल शर्मा : विरोधी दल के नेता नहीं बोले हैं। वे अभी आ रहे हैं कल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस कारण वे नहीं बोल सके थे।

Page No 62

(62)

श्री सभापति : ऐसी कोई सूचना सदन में उपलब्ध नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हो सकता है स्पीकर साहब को हो।

श्री सभापति : यह आपकी जो सूची है इसमें भी यह नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मुख्य मंत्री महोदय का जवाब शुरू हो चुका है। कृपया व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री शिवचरण माथुर : आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो बैठूंगा ही, बोलना तो आपको है। पर आप तो बड़े उदार मन हैं......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवचरण माथुर : सदन में नयी परम्परा डालना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नयी परम्परा तो आप डाल रहे हैं। विरोधी दल के नेता बोले ही नहीं है और आप अपना जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : तो, सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे देश के प्रजातंत्र को 37 वर्ष होने को आये हैं। इस दौरान हमारी विधान सभाओं और लोक-सभा में कुछ अच्छी परम्पराओं का निर्माण हुआ है। मैं मानता हूं और अपेक्षा करता हूं कि प्रजातंत्र को सफल बनाने की दृष्टि से विरोध पक्ष का यह अधिकार है कि वह सरकार की नीतियों की आलोचना करें। नीतियों की आलोचना को ध्यान में रखते हुए यदि कहीं कोई त्रुटियां हों, कमियों को दूर करने के लिए सरकार उन पर माकूल और उचित कार्यवाही करे और आवश्यक सुधार करे अपनी नीतियों में। लेकिन यदि एक ही भावना से विधान सभा में विचार प्रस्तुत किये जायें कि जो कुछ सरकार करती है वह सब गलत है, अनुचित है, मैं नहीं समझता हूं कि हम कहां तक हमारे इस प्रजातंत्र को सफल बना सकेंगे। यदि हमारी रचनात्मक आलोचना होती है, तो मैं कहता हूं कि सरकार को निश्चित रूप से बड़ा बल मिलता है और आपके सुझावों से लाभान्वित होकर कामों में जो कुछ कमियां होती हैं उनको महसूस कर उसमें सुधार करने की बात सरकार सोच सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजनैतिक भावना से आलोचना की जाय तो इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं हुआ करता है।

माननीय सदस्य, खास तौर से विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की कि हमने जो प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाया है वह एक असफल अभियान था और ढोंग था। न जाने कितने कितने विशेषण उस अभियान के साथ में लगाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही मायने में इसमें कोई राजनीति नहीं है। आज देश के देहात के व्यक्ति की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को देखते हुए यदि राज्य सरकार यह अनुभव करे कि इन दिक्कतों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाय, तेजी से निपटाया जाय, त्वरित गति से इनका हल किया जाय और उसके लिये योजनाबद्ध तरीके से कुछ काम करें तो इसमें राजनीति का सवाल नहीं है। उस काम को सारे राजस्थान में लागू किया जाय। उसके जो परिणाम आयें उनकी सारे देश की प्रेस प्रशंसा करे, लोग उसकी तारीफ करें। तारीफ करें न करें

एक माननीय सदस्य: सत्ता दल के सारे सदस्य कहां चले गये ?

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खाना खाने गये हैं। खाकर अभी आ जायेंगे।

श्री यदुनाथसिंह : और करते क्या हैं ? खाना ही खाते रहते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उनकी चिन्ता आप न करें।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने जब यह अभियान शुरू करने की बात सोची तो उसके दिमाग में एक बात थी कि देहात का जो व्यक्ति है, ग्रामीण किसान है उसकी जमीन से संबंध रखने वाले जितने मामले हैं उनका हम शीघ्रता से हल निकाल सकें। मौके पर ही उसको हल कर सकें और उनको कोर्ट के चक्कर में परेशान न होना पड़े, वर्षों तक उसके मामले पड़े नहीं रहें। तो उस योजना पर अच्छी भावना से काम शुरू किया। उसको शुरू करने से काफी पहले से कार्यवाही की गयी। अधिकारियों की बैठक बुलायी गयी इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या समस्यायें सामने आ सकती हैं, इस पर चर्चा हुई, उसको लिपिबद्ध किया गया और लिपिबद्ध करने के बाद कई कलक्टर्स को बुलाकर और कुछ जन प्रतिनिधियों को बुलाकर यह निश्चय किया गया कि कौनसे ऐसे अधिकार और दिये जायें स्थानीय अधिकारियों को जिनके जरिये ये मामले वहीं पर ही निपटाये जा सकें। करीब तीन चार महीने तक लगातार तैयारी के बाद 1 जनवरी, 1983 से उस काम को शुरू किया। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी योजना के अनुसार करीब 7 हजार 53 पटवार सर्किल में 5,643 कैम्प राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगाये गये। जो प्लान दिया गया, योजना बनाई गयी निश्चित रूप से उसके अनुसार सारे गांवों में कैम्प लगे। देहात के लेवल पर कैम्प लगे, एस-डी-ओ लेवल पर कैम्प लगे, जिलास्तर पर कैम्प लगे और वहां पर बहुत से मामलों का निपटारा हुआ। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो इस अभियान के संबंध में आकड़े प्रस्तुत किये थे उसके बाद लेटेस्ट 15 फरवरी को यह अभियान समाप्त हुआ। जो आंकड़े मुझे प्राप्त हुये है, जो जानकारी प्राप्त हुई हैं उससे मैं सदन को अवगत करना चाहूंगा। इस डेढ़ महीने के, प्रशासन गावों की ओर अभियान के दौरान 1 लाख 3 हजार 290 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। 4 लाख 53 हजार 239 व्यक्तियों के नामान्तरण स्वीकृत किये गये 71 हजार 134 व्यक्तियों को 1 लाख 28 हजार 730 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया उसमें से अनुसूचित जनजाति के 19 हजार 328 व्यक्तियों को 33 हजार 127 एकड़ क्षेत्रफल भूमि दी गयी और अनुसूचित जाति के 13 हजार 288 व्यक्तियों को 27 हजार 218 एकड़ भूमि प्रदान की गयी। 1 लाख 73 हजार 653 अतिक्रमण के मामलों का निपटारा किया गया। 1210 व्यक्तियों को लैण्ड बिल कब्जे के मामलों में कब्जा दिलाया गया। 14 हजार 292 को सरकारी कार्य हेतु अवाप्त की गयी भूमि के बारे में 1 लाख 22 हजार 166 रु. की लगान राशि कम की गयी। कई जगहों पर सड़क बन जाती है या और सरकारी काम हो जाने

(श्री शिवचरण माथुर)

है, किसी की जमीन ली जाती है, लेकिन उसके नाम से लगान चलता रहता है ऐसे केस भी सामने आये। ऐसे केसेज में 1 लाख 22 हजार 166 रु. की लगान राशि कम की गयी। 7595 मामलों में कृषि कार्यों के लिए रूपान्तरण किया गया। 7843 गाँवो को आबादी के लिये भूमि उपलब्ध कराई गयी। पेंशन के मामले में, वृध्दावस्था पेंशन, विकलांग पेशन, विधवा पेंशन में तो अपने आप में एक रिकार्ड कायम किया गया···

श्री नंदलाल मीणा : आंकड़े बताओ।

श्री शिवचरण माथुर; कुल मिलाकर 36 हजार 613 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गयी···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो हमें मालूम है। आपने जो संकल्प किये थे उनके बारे में बतायें। संकल्प तो गायब हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : तसल्ली रखें। आप सुनें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : उनमें से 26716 विधवाओं के लिये स्वीकृत की गयी 5034 विकलांगों के लिये और 5863 विधवाओं के लिये स्वीकृत की गई मौके पर 68771 अभाव अभियोग निपटाये गये। कुल अभाव अभियोग के 69429 मामले प्राप्त हुए जिसमें से 68771 को मौके पर निपटाया गया। इस दौरान नये आवंटियों को सहकारिता का सदस्य बनाने की संख्या सामने जो आयी वह 42876 की थी। 4177 देवस्थान की जमीन के अवैध हस्तान्तरण पकड़े गये जिनका क्षेत्रफल 23,270 एकड़ था। मंदिर की जमीन किसी पुजारी ने किसी को बेच दी, अवैध रूप से उसका हस्तान्तरण कर दिया, यह मैं समझता हूं बिल्कुल ही नया आइटम मौके पर मालूम हुआ और टेम्पल की जमीन अलग अलग तौर पर रखी थी, उसको रेस्टोर किया गया और मंदिर का कब्जा दिलवाया गया। 3,558 मार्गो के अधिकारों, डिस्मैंटलिंग राइट्स के मामलों का निपटारा किया गया। 3493 खेतों की सीमा के विवाद का निपटारा किया गया। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रशासन गांवों की ओर अभियान के दौरान हमारे सामने आये और उनका निर्णय किया गया। 94,111 आवासीय भूखण्ड गरीब लोगों को आवंटित किये गये···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो भाषण में पढ़ लिया था··

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, यह उससे ज्यादा है। उस के बाद का कह रहा हूं···

श्री परसराम मदेरणा : आपने व्यवधान डालने का संकल्प ले रखा है क्या?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : 166 मामलों में 15239 एकड़ भूमि को डिकमाण्ड किया गया। 487 डूब में आयी भूमि के, 2910 एकड़ भुआवजे के केसेज तैयार किये गये। 4238 लघु उद्यमियों, ग्रामीण दस्तकारों आदि इकाइयों को करीब 59 लाख रु. का

(श्री शिवचरण माथुर)

ऋण स्वीकृत किया गया। 1 लाख 72 हजार के ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार किये गये। करीब 51,400 रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया। 101 सार्वजनिक संस्थाओं, स्कूल, चिकित्सालय, पंचायतों के वास्ते 214 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया। सहकारिता के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई उसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, वह आपके सामने कहना चाहता हूं। अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किये गये 17,489 व्यक्तियों को जिसकी धनराशि 4 करोड़ 59 लाख रुपए थी। मध्यकालीन ऋण 8,658 व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये जिसकी राशि 2 करोड़ 72 लाख रुपये थी, दीर्घकालीन ऋण 1,674 आदमियों को स्वीकृत किये गये जिनकी राशि 1 करोड़ 64 लाख रुपये थी। इसके साथ-साथ ही जो आई. आर. डी. का प्रोगाम है उसमें 17,143 लोगों के प्रार्थना-पत्र तैयार किये गये और मौके पर ही 15 हजार 558 लोगों को चीजें खरीद कर दी गयीं। एक महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि 1,52,698 नये परिवारों को आइडेंण्टिफाई किया गया, उनको चिन्हित किया गया ताकि आगे आने वाले समय में आई. आर. डी. प्रोग्राम के अन्तर्गत उनको लाभ दिया जाये। 5,005 बायो-गैस के प्रार्थना-पत्र तैयार किये गये। 93 हजार रुपयों की राशि का वितरण इस सम्बन्ध में किया गया। इसके साथ-साथ एक आदेश और दिया गया था इस अभियान के दौरान, जो पिछले वर्षों में गांवों में असैट्स डवलप हुए, कहीं सड़कें बनी हैं, कहीं स्कूल बने हैं, कहीं पंचायत घर बने हैं, डिस्पेन्सरीज की बिल्डिंग बनी हैं, हैन्ड पम्प बने हैं; उनका सारे का सारा रिकार्ड एक जगह उपलब्ध नहीं था, इस अभियान के दौरान इस बात का आदेश दिया गया कि इस प्रकार जो विलेज असेट्स डवलप होते हैं, उनका सारे का सारा रिकार्ड तैयार किया जाये ताकि आगे असैट बढ़ें, उसकी बढ़ोतरी आपरेट करने की बात हमेशा कर दी जाये। मुझे कहते हुए खुशी है कि काफी बड़े पैमाने पर विलेज असेट्स का रजिस्टर हर गांव में तैयार हुआ। असेट्स एक आधार गांवों की पंचायत के पास बन गया। एक जगह बैठकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव में आजादी के बाद, विकास की प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्या-क्या काम हुए, कितने असेट्स डवलप हुए और आगे बढ़ने की क्या प्लानिंग हम एक प्रकार से गांव में कर सकते हैं। इस प्रकार विलेज प्लानिंग का आधार वहां पर उपस्थित हो गया। जहां अभियान की बात मैंने कही वहां यह कहा जा सकता है, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा भी कि इस अभियान को चलाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों इतने केसेज एरियर में रहे? क्यों इतने केसेज पेंडिंग रहे? उनकी आलोचना सही है आखिर यह काम रेगुलर डिपार्टमेंट का है, निर्देशन करने का, खातेदारी अधिकार देने का, उनको नियमित रूप से करना एक प्रकार से उसका काम है। यह आलोचना करने का अधिकार लोगों का है। लेकिन यह हकीकत है कि एरियर रहे और लोगों को काफी तकलीफें हुई थीं। मैं ऐसा मानता हूं जो भी इस अभियान के दौरान चीजें नोटिस में आ गयी है, उनका मौके पर ही फैसला करने का काम चला है। अब एक अभियान के तौर पर नहीं करके राज्य सरकार चाहती हैं एक सिस्टम बना दिया जाये। जिलों के अधिकारी हैं, सभी जिलों के अधिकारी, तहसीलों के अधिकारी हैं। साल भर निरन्तर निश्चित रूप से एरियर्स

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं बढ़े, यह उनकी जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश प्रसारित कर रही है, जिसमें उनको कहा जायेगा, यह उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी साल के अन्त में हिसाब पूछा जायेगा काम का अंदाज लगाया जायेगा कि उस समय कितने एरियर्स उनके काम का रह गया। उसके हिसाब से उनके काम का मूल्यांकन किया जायेगा। एक सिस्टम के तौर पर काम को आगे बढ़ाने का हम आदेश करना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले वक्त में सिस्टम बनने के बाद कम से कम देहात के रहने वाले हमारे ग्रामीण, किसान की जो दिक्कतें हैं वह दिक्कतें निरन्तर वहां पर मिटती जायें और उसके सामने कोई समस्या नहीं रहे, यह हमारा प्रयास रहेगा।

इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि यह जो प्रोग्राम चला, यह जो अभियान चला इस अभियान की क्रियान्विति का सिलसिला कितना आगे बढ़ता है। कहीं पर किसी को खातेदारी दी गयी, किसी को जमीन आवंटित की गयी, मौके पर आज तो कब्जा दिलाया गया कल जाकर कब्जा छीनने वाली बात होती है तो उसका निश्चित रूप से फॉलो-अप एक्शन भी निरन्तर किया जाये। एक फॉलो-अप एक्शन लेने की निश्चित प्रक्रिया की शुरुआत राज्य सरकार करने जा रही है। गवर्नमेण्ट मशीनरी को एक्टीवाइज करके उसका निरन्तर फॉलो-अप होता रहे, यह भी हमारा इरादा है। हम इस अभियान की समाप्ति के शीघ्र बाद इस काम को करना चाहते हैं। प्रशासन गांवों की ओर की चर्चा करते समय काफी सदस्यों ने यह कहा कि लोगों को बहुत राहत मिली। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचनाएं कीं, कई जगह · · ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका भाषण सुनने के लिए 35 कांग्रेस के मेम्बर हैं सिर्फ।

श्री शिवचरण माथुर : आप बैठिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें यह उनके दल के अंदर का · · ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बायकाट कर दिया।

श्री सभापति : बाधा न डालें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस के सदस्य जान बूझकर मुख्य मंत्री के भाषण का बहिष्कार कर गये हैं। यह जानकारी सदन की नजर में तो आये। सिर्फ 22 मेम्बर · · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह उनके दल के देखने की बात है। कृपया स्थान ग्रहण करिये। ऑर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : अल्पमत सरकार है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवचरण माथुर : बैठिये, सुनिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या कोई प्रश्न पूछना है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी सारी बेंचें ख़ाली पड़ी हुई है।

Page No 67

(67)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवधान न डालें। यह आपके देखने की बात थोड़ी है। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, चूंकि रिप्लाई डेढ़ बजे होने वाला था, विरोधी पक्ष के नेता शायद बोलने के इच्छुक थे लेकिन वह समय पर नहीं आये इसलिए रिप्लाई पहले शुरू हो गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप उनको बुलाने के लिए गये और उन्होंने मना कर दिया ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे भाषण में व्यवधान नहीं डालेंगे। क्योंकि आज नॉन-ऑफिशियल डे भी है। आपके नॉन-ऑफिशियल प्रस्ताव भी सामने आने वाले हैं। आप लोगों ने जैसा तय किया है अपना एक फ्रेण्डली मैच भी होगा, उसके पहले तक अपन सभी लोग · · · ·

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया · · · ·

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन यह कर रहा था, 'प्रशासन गांवों की ओर, जो अभियान चला, उससे निश्चित रूप से लोगों को राहत मिली है। उसके जरिये से लोगों में विश्वास पैदा होगा कि यह सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जागरूक है, चिंतित है। मैं इस अभियान की सफलता से प्रेरित होकर आपसे कहना चाहता हूं, राज्य सरकार इसमें और दृढ़ रह करके एक नियमित रूप से सिस्टम क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा और विरोध पक्ष से भी अपेक्षा करूंगा कि इस बात में राजनीति का सवाल नहीं आयेगी। यदि आप अच्छे सुझाव देंगे, तो उनको मानने में समझता हूं कि कोई राजनीति नहीं आयेगी। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग राज्य सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार के कामों, नीतियों में सहयोग देंगे और सही रूप से प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने में भूमिका प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे।

20 संकल्प के बारे में तिवाड़ीजी कह रहे थे और मेघवाल साहब भी कह रहे थे कि कोई नया नहीं है। 20 संकल्प और 20 सूत्री कार्यक्रम जो आया है उसके पहले 1981 में यही चीज, आज जो उसमें है, बीस सूत्री कार्यक्रम में हमने शुरू की थी। नया बीस सूत्री कार्यक्रम प्रधान मंत्रीजी का 14 जनवरी, 1982 को आया। उसके बाद में जो काम 20 संकल्प में हम कर रहे थे, उसके लिये मैं आपको बताऊं कि 20 संकल्प और बीस सूत्री कार्यक्रम एक ही है। नया बीस सूत्री कार्यक्रम आने से पहले 20 संकल्प का काम जो हम कर रहे थे वही काम नये बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जनता के सामने है · · · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री शिवचरण माथुर: सभापति महोदया, मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता, राजस्थान के हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बहुत सहयोग देकर इस बीस सूत्री कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानकर के जो काम पिछले दिनों में किया है उससे आशातीत सफलता हमको प्राप्त हुई है। आज राजस्थान उन प्रदेशों में से है देश के, जिसने कई क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में जो हमारी राष्ट्रीय उपलब्धि है उसमे भी कुल मिलाकर के अधिक सफलता प्राप्त की है।

मैं आपको कहना चाहता हूं और आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि ग्रामीण भू-खण्ड वितरण में राजस्थान में 182.99 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है, गन्दी बस्ती सुधार कार्यकम में 134.60 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है। आर्थिक कमजोरों के आवासन का जो हमारा कार्य-क्रम, था। उसमें हमने 132.65 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान में, आज तक की बात बता रहा हूं अभी मार्च का महीना पूरा बाकी है इसलिये यह 5-7 दिन पहले के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, आज 25 तारीख के एक हफ्ते पहले के बल्कि 10 दिन पहले के आंकड़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में 129.58 पर्सेन्ट टार्गेट राजस्थान में अचीव किया गया वृक्षारोपण में 102.12 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है, अनुसूचित जाति/जन जाति परिवारों के कल्याण में 106.03 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है•••

अनेक माननीय सदस्य: गलत है.....

श्री शिवचरण माथुर: पीने के पानी में 102.70 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है। 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के नामांकन में 101.63 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत नामांकित, पढ़ रहे लोगों में 101.40 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है। ग्रामीण उद्योगों के पंजीयन में भी 101.02 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है। आई. सी. डी. में 100 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव किया गया है····

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज,

श्री शिवचरण माथुर: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अपग्रेडेशन, नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने, नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में 100 पर्सेन्ट टार्गेट अचीव कर चुके है·····

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य.

श्री शिवचरण माथुर: ये आंकड़े मैंने वह बताये हैं जिनमें हम 100 पर्सेन्ट से ज्यादा टार्गेट अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा भी हमारी जो दूसरे क्षेत्रों में उपलब्धि है वह भी बहुत अच्छी है।

टी.बी. केसेज में 94.71 पर्सेन्ट टार्गेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इसको पूरा कर लेंगे····

(व्यवधान)

आइडेन्टीफाई वाली बात नहीं....

(श्री शिवचरण माथुर)

6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के नामांकन में 94.70 प्रतिशत आंखों के आपरेशन में 94.13 प्रतिशत, सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करे, माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, दरअसल में यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जा रहा हो और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बीच में बोलें, ऐसी परम्परा चले तो ...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : हमारा नाम नहीं ले ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज, सदन की कुछ परम्पराएं, है मर्यादायें हैं उनका ध्यान रखें ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : वैसे आप एक बार बोल लें खूब ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, बीच में व्यवधान न डालें ....

श्री शिवचरण माथुर : 92.13 प्रतिशत कारीगरों को रोजगार 89.31 प्रतिशत, लघु उद्योगों का पंजीयन 84.25 प्रतिशत

इसके अलावा विद्युतीकरण का सवाल आता है उसके सम्बन्ध में शायद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कुछ कम प्रगति मालूम पड़ती है । उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि मार्च के महीने में खास तौर से हमेशा यह होता है कि बिजली के ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दिए जाते हैं इस वक्त में इसकी पूर्ति निश्चित रूप से हम कर लेंगे ....

(व्यवधान)

इसके अलावा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसका भी हमने आज एक नया आधार बनाया है । लोगों को अधिक प्रेरित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का इस कार्यक्रम में भी हमारा लक्ष्य पूरा हो जायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ मकान गांवों में बनाने का सवाल है पूरा अनुदान देकर, वह जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं उनके काम आयेंगे । एक कमरा बनाकर देने वाली जो बात है, जो कार्यक्रम है इस सम्बन्ध में करीब-करीब 8258 मकान या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन है कुल मिलाकर के 10 हजार मकान बनाकर देने का कार्यक्रम था यह मैंने आपसे निवेदन किया बीस सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में । मैं समझता हूं कि आप लोगों को राज्य सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि बीस सूत्री कार्यक्रम में जो कुछ भी उपलब्धि हमारी हुई है इन उपलब्धियों के आधार पर हम राजस्थान के लोगो की जो समस्यायें हैं, खास तौर से गरीबी की सीमा के नीचे के लोगों की जो समस्यायें हैं, उनको हल करने में बहुत हद तक आग बढ़े हैं । मैं यह नहीं कहता कि हमने मंजिल प्राप्त करली है, मंजिल दूर है लेकिन मंजिल को प्राप्त करने के लिये

(श्री शिवचरण माथुर)
हमने जो प्रयास किये हैं उसमें निरन्तर आगे बढ़ रहे है। यदि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दूसरे प्रदेशों से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे।

(व्यवधान)

ऐसा मेरा विश्वास हैं। मैं अधिक आपको आंकड़े बताने की चेष्टा नहीं करूंगा बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में आम तौर से लोग कहते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ लेकिन हमारे जो प्रयास हैं वह आंकड़ों के साथ हैं। इन आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई चुनौती दें तो भी मैं इसको स्वीकार कर लूंगा। काफी स्क्रूटीनाइज्ड करके, काफी छान-बीन करके जो हम खुद को शंका थी, उनके सम्बन्ध में क्वेरीज करके यह आंकड़े रखे हैं। जो निश्चित रूप से कार्य किये गये हैं उन कार्यों को हमने आपके सामने रखा है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कमियां रही हैं, आगे उनको दूर......

(व्यवधान)

तीसरी बात यह कही गई है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। मैं समझता हूं कि राजस्थान की हमारी सरकार ने हमेशा चुनावों में विश्वास किया है। 20 संकल्प में पहला संकल्प था "सम्पूर्ण चुनावों का आपको मालूम है कि सरकार ने 1981 में 20 संकल्प के पहले संकल्प की क्रियान्विति करने की दृष्टि से सारे राजस्थान में जिन संस्थाओं के चुनाव होने चाहिये उन सभी संस्थाओं के चुनाव कराने की कोशिश की है। जनता पार्टी के राज्य में आप लोगों ने चुनाव कराने की हिम्मत की एक बार की और पंचायतों के चुनाव करवाये किन्तु बाद में रुक गये, क्योंकि आपने सोचा कि आगे चुनाव करायेंगे तो स्थिति बदलेगी

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): सीमित दायरे से ऊपर उठिये, आपका जो पद है, सम्पूर्ण---

श्री शिवचरण माथुर: मैं इसका जिक्र नहीं करता लेकिन उन्होंने यह कहा कि चुनाव नहीं हुए। मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि चुनाव की कुछ प्रक्रिया आपने शुरू की और बन्द कर दी किन्तु हमने उस प्रक्रिया को आगे पकड़ा और पकड़ करके सारे राजस्थान में पंचायतों के चुनाव करायें, पंचायत समितियों के चुनाव कराये, जिला परिषदों के चुनाव कराये जिनके चुनाव करीब 16 साल से नहीं हुए थे उनके चुनाव को हमने सम्पन्न कराया। उस वक्त इलेक्टोरल कालेज को सीमित कर दिया गया था। पंचों को हटा करके केवल सरपंचों के माध्यम से पंचायत समितियों के माध्यम से चुनाव कराने वाली बात उस समय कानून के जरिये बदल दी गई थी। हमने सोचा कि इलेक्टोरल कॉलेज तो बड़ा होना चाहिये उसको सीमित दायरे में नहीं रखना चाहिये इसलिये हमने इलेक्टोरल कालेज़ को वाइड किया। उसको वाइड करने के बाद में एक निश्चित अवधि के अन्दर, मैं आपसे कह सकता हूं, उस कानून को बदला, कानून को बदलने के बाद में 29 दिन के अन्दर अन्दर पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव सारे राजस्थान में सम्पन्न कराये

(श्री शिवचरण माथुर)
देश के उन इने-गिने प्रदेशों में से राजस्थान है जहां पर कि सम्पूर्ण रूप से पंचायती राज के, नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। नगरपालिकाओं के चुनाव भी कई सालों से नहीं हुए थे, बहुत जगह 1974 से एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए थे नगरपालिकाओं में। हमने सोचा कि नगरपालिकाओं के चुनाव भी कराये जाने चाहिये। राज्य में 193 नगरपालिकाएं हैं, उनमें से 143 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जा चुके हैं। दस स्थानों पर कोर्ट के स्टे की वजह से चुनाव नहीं हो सकते, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, रेनवाल, मारवाड़ जक्शन आदि हैं। बाकी की जो 40 नगरपालिकाएं हैं जिनके चुनाव शेष हैं उनकी मतदाता सूची की तैयारी कर रहे थे जो अब करीब-करीब सम्पूर्ण हो चुकी है और चार का प्रकाशन 25 मार्च तक हो जायेगा

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : चुनाव कब तक हो जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : सरकार का निश्चय है, हम लोग जून के अन्त तक निश्चित रूप से बाकी बची हुई नगरपालिकाओं के चुनाव करा देंगे।

(व्यवधान)

हमारा चुनाव में विश्वास है।

श्री मेघराज तावड़ : चुनाव की बात कर रहे हो किन्तु दिल्ली में जैसे हारे वैसे हार जाओगे फिर से।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : इसके अलावा पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न कराये गये।

श्री यदुनाथसिंह : भरतपुर में नहीं हुए।

श्री शिवचरण माथुर : केवल भरतपुर को छोड़कर बाकी और सब जगह करीब-करीब चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। जब मैं जून की बात कहता हूं तो उसमें सहकारी समितियां भी शामिल होती हैं। सम्पूर्ण तरह के चुनाव कराने का निश्चय राज्य सरकार का है। हम लोग चुनाव में विश्वास करते हैं, जनता के बीच में बार-बार जाएं। उनसे नई ताकत प्राप्त करें, स्फूर्ति प्राप्त करें और उससे मेन्डेन्ट लें यह राजस्थान सरकार का, कांग्रेस सरकार का एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं।

सभापति महोदया, मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष में औद्योगीकरण के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। मैं जो यह कह रहा हूं इसके कुछ तुलनात्मक दृष्टि से आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

छोटे उद्योगों, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज के पंजीकरण के आंकड़ों को अगर आप लें....

(व्यवधान)

अरे भई सुनिये पहले....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : 1977-78 में 3,396 छोटे उद्योगों का पंजीकरण हुआ था।

Page No 72

(72)

(श्री शिवचरण माथुर)

1978-79 में 4,950 छोटे उद्योगों का पंजीकरण हुआ था। 1980-81 में 9573 छोटे उद्योगों का पंजीकरण हुआ। 1981-82 में 2,2404 छोटे उद्योगों का पंजीकरण हुआ और 1982-83 में आज तक, जब बोल रहा हूं, आपके सामने उस समय तक, 14,620 छोट उद्योगों का पंजीकरण हो चुका है। पूंजी विनियोजन 1977-78 में 10 करोड़ 91 लाख हुआ था, 1981-82 में 57.63 लाख का हुआ था, 1982-83 में अभी तक 45.52 करोड़ का पूंजी विनियोजन हो चुका है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा जो ऋण वितरण किया गया, मैं समझता हूं कि हमारा आर. एफ. सी. देश के एक दो उन आर. एफ. सी. में से है जिन्होंने लोन अधिक स्वीकृत किये, डिस्बर्समेन्ट भी किया, केवल स्वीकृत ही नहीं किया लेकिन उसका डिस्बर्समेन्ट भी किया 1979-80 में आर. एफ. सी. ने 31.06 करोड़ के लोन सैन्क्शन किये और 1981-82 में 45 करोड़ 65 लाख का लोन स्वीकृत किया। 1982-83 में आज तक 46 करोड़ 94 लाख का लोन स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें से जनवरी, 83 तक 29.49 करोड़ का लोन एक प्रकार से डिस्बर्स हो चुका है। एक बात और मैं प्रसन्नता से कहना चाहता हूं कि इस वर्ष भारत सरकार द्वारा जो राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को लाइसेन्स दिये गये उसका भी एक रिकार्ड रहा है। वर्ष 1978 में 11 नये लाइसेन्स मिले थे, 1979 में 9 मिले, 1981 में 27 मिले, 1982 में 16 मिले और 1983 में अभी तक 4 मिले और 83 का साल बहुत लम्बा अभी तक बाकी है। 1978-79 में कुल मिला करके 20, 1981-82 और 1982-83 में 60 लाइसेन्स नये भारत सरकार की ओर से, नये उद्योगों के लिए राजस्थान में मिले हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : 1980-81 कहां रह गया ?

श्री शिवचरण माथुर : जी ?

श्री भवरलाल शर्मा : 1980-81 में ?

श्री शिवचरण माथुर : 1981 ?

श्री भवरलाल शर्मा : 1980-81 का साल ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मंत्री बदले जाने का रिकार्ड भी बतला दें आज तक।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : जोधपुर, भीलवाड़ा नागौर तथा चूरू में न्यूक्लियस प्लाण्ट बनाने का जो हमने निश्चय किया था। जोधपुर की रिपोर्ट आ चुकी है और उस पर एक टास्क फोर्स वर्क कर रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर वहां किस प्रकार के उद्योग लगाये जायें, उसके लिए क्या क्या और स्वीकृति दी जाय उसके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। नागौर, चूरू और भीलवाड़ा की जो रिपोर्ट है, बहुत शीघ्र टास्क फोर्स बनाकर उसकी

Page No 73

(73)

(श्री शिवचरण माथुर)

बात होने वाली है। उसके बाद में इन चारों जगहों पर न्यूक्लियस प्लान्ट बना करके बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की बात को शुरू किया जायगा।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस साल में एक बहुत बड़ा निर्णय जो भारत सरकार ने किया, वह राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करने के लिए सहायक होगा, वह है, सवाई माधोपुर जिले के सवाई माधोपुर के पास में जो विलोपा गांव है, स्टेशन है वहां एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह फर्टिलाइजर फैक्ट्री बम्बई हाई गैस के गैस पर बनेगी जिसमें करीब 600 करोड़ की पूंजी नियोजित होगी। मैं मानता हूं कि इस कारखाने के लग जाने के बाद में राजस्थान के इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट में बहुत बड़ा योगदान हमारे सामने आयेगा। इस वर्ष एक सिमेन्ट का कारखाना सिरोही में एक टैक्सटाइल मिल सिरोही में और कई सीमेन्ट फेक्टियां की नई, उन्होंने अपने कमीशन का काम शुरू किया। मैं समझता हूं साल दो साल के अन्दर में कई सीमेन्ट फैक्ट्रियां और हमारे यहां हो जायेगी।

कोटा और चित्तौड़गढ़ रेल्वे लाइन हमारे लिये एक बहुत महत्वपूर्ण रेल लिन्क लाइन थी, उसका काम काफी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। बून्दी तक उसका काफी काम आगे बढ चुका है। उसका सर्वे करने का काम चित्तौड़ तक पूरा कम्पलीट हो चुका है। मैं ऐसा मानता हूं कि तीन चार साल के अन्दर रेल्वे लाइन के आ जाने के बाद में राजस्थान के उस हिस्से, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच में पड़ता है, जहां पर कि सीमेन्ट के पत्थर के बड़े खजाने, बहुत बड़े भण्डार उपलब्ध हैं, पांच या छः सीमेन्ट फेक्ट्रियां नई राजस्थान में सीमेन्ट का उत्पादन करने लगेंगी, जिनकी प्रोडक्शन क्षमता करीब चार मिलियन टन्स से ज्यादा होगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह चार पांच फैक्टियां जो बनेगी कोटा, चित्तौड़गढ़ रेल्वे लाइन के ऊपर, उनके बनने के बाद में राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सीमेन्ट उत्पादन करने वाला प्रदेश बन जायेगा। वैसे आज भी सीमेन्ट का उत्पादन राजस्थान में काफी होता है लेकिन इन सीमेन्ट फैक्टियों के आने के बाद राजस्थान एक बहुत बड़ा सीमेन्ट उत्पादक प्रदेश हमारे देश का बन जायेगा। उसके बाद में उनकी जो एन्सिलियरी इण्डस्ट्रीज लगने वाली हैं, सीमेन्ट के आधार पर या और जो दूसरी वेजीटेबल फेक्ट्री या कई तरह की टेक्सटाइल मिल जो उस लाइन पर चल रही है उनकी प्रगति को देखकर, अपने आप एन्टरप्रिन्योर राजस्थान सरकार के पास आ रहे है और मांग कर रहे हैं। कोई वेजीटेबल फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात करते हैं तो एक औद्योगिकरण का नया वातावरण आज राजस्थान में बना है जो मैं समझता हूं प्रसन्नता का विषय है। उसके जरिये से राजस्थान की आर्थिक उन्नति का सुन्दर भविष्य हमको सामने दिखता है।

मैं, सभापति महोदया, एक अन्य गैर दायित्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश के ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का कार्यक्रम, एन. आर. ई.

(श्री शिवचरण माथुर)

पी. की अपने आप में इस साल एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह रही है, इतनी बड़ी धनराशि आज तक कभी भी इस काम के लिए आवंटित नहीं की गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस साल जो कुल आवंटित राशि है वह 9 करोड़ 45 लाख रुपये है जिसमें से करीब 7 करोड़ 72 लाख रुपये तो जिलों को और 1 करोड़ 32 लाख रूपये वन विभाग को आवंटित किये गये हैं। इसके साथ ही 50.55 लाख रुपये का खाद्यान्न भी इस योजना के अन्तर्गत आवंटित किया गया है। दिसम्बर, 1972 तक जो कार्य एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत पूरे हो गये उनकी संख्या 1,073 है और उनमें जो मैनडेज क्रियेट हुए.....

श्री देवीसिंह भाटी : उसका भुगतान तो कीजिए। मेरे बीकानेर जिले की जनता को दो साल से नहीं दे रहे हैं, गरीब लोग रो रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उसका भुगतान होगा, उसकी प्रक्रिया चालू है। वह भुगतान होगा।

34.32 लाख मैनडेज इस एन. आर. ई. पी. के कार्यक्रम मार्फत राजस्थान में क्रियेट किये गये, जिनमें से 11.57 लाख अनुसूचित जाति के और 6.83 लाख अनुसूचित जन-जाति के मैनडेज इस कार्यक्रम में क्रियेट किये गये। पंचायत समितियों में से आई. आर डी. पी. द्वारा करीब 206 लाक कोडिंग द्वारा डिजाजिट तैयार किये जा चुके हैं। हमने यह आधार रखा कि जिन इलाकों में आम तौर से अकाल नहीं पड़ता, अकाल की स्थिति जहां पर नहीं बनती वहां पर अधिक धनराशि इस एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत आवंटित करें। पहली जो किश्त आवंटित की गई उसमें यही आधार मानकर उन जिलों को ज्यादा पैसा दिया, जहां पर अकाल के कार्यक्रम नहीं चलते हैं और जिससे गांवों में रोजगार की स्थिति नहीं बन पाती है। इस बात को ध्यान में रख करके अलवर और भरतपुर जैसे जिलों को हमने अधिक धनराशि इस बारे में आवंटित की। उसके बाद भी जो दूसरी किश्त हमने दी है उसमें आधी रकम का आधार हम वही रखा है; चूंकि हर पंचायत को एक निश्चित न्यूनतम राशि का आवंटित करना बहुत जरूरी है इसलिए एक लाख रुपये प्रति पंचायत समिति को आवंटन तो आवश्यक रूप से हमने रखा। बाकी बची हुई रकम को हमने जनसंख्या के आधार पर या पिछले दिनों कितना काम वहां पर हुआ है उसको आधार मान करके उन जिलों में इस रुपये को आवंटित करने की बात कही है।

सभापति महोदया, बिजली के उत्पादन की बात यहां पर कही गई है। अनेक शंकाएं भी प्रकट की गई हैं, और यह कहा गया है कि राजस्थान की सरकार बिजली के उत्पादन के बारे में बहुत जागरुक नहीं है। बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो राजस्थान की प्रगति रुक जायेगी। यह सही बात है कि बिजली का आज संकट है। न केवल राजस्थान पर बल्कि हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर बिजली का आज संकट है। उसका मूल कारण यह है कि आज जितनी बिजली की आवश्यकता हमारे को है उतनी बिजली का उत्पादन नहीं होता है। राजस्थान में खेती

(श्री शिवचरण माथुर)

ग्रौर उद्योगों की आज जो आवश्यकता है उसका यदि हिसाब लगाये तो 22 मिलियन यूनिट, 2 करोड़ 20 लाख यूनिट हमको आवश्यक रूप से चाहिए। उसके मुकाबले में जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमारी सबसे वड़ी इकाइयां हैं बिजली उत्पादन करने की ग्रार. ए. पी. सी. की दोनों यूनिट जिसमें 440 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वह यूनिट हमारी एक प्रकार से बेकार है। कभी महीने भर के लिए चालू होती हैं उसके बाद फिर बन्द हो जाती है। पिछले दिनों लगातार चार-पांच महीने तक एक यूनिट चली उससे हमें कुछ लाभ हुआ। इस वर्ष चम्बल का जो कमाण्ड क्षेत्र था उसमें भी पानी कम आया ग्रौर पानी कम ग्राने के कारण, गांधी सागर के भराव में भी पानी कम आया। राणा प्रताप सागर का भी यही हाल है। जवाहर सागर में एक प्रकार से पहले से ही जो रिजर्वायर है, उसमें पानी भरता ही नहीं है। इन दोनों बांधों में पानी की कमी के कारण वहां से भी बिजली हमको कम मिली। आज तो स्थिति यह है कि वहां जल स्तर इतना नीचा पहुंच गया है कि वहां से हमारे लिए बिजली पैदा करना सम्भव नहीं होगा। यह दिक्कत आ सकती है। पोंग डेम ग्रौर डेहर की जो मशीनें थीं जिनमें हमारा हिस्सा है वह भी काफी दिनों तक बन्द रहीं। मैं यह कहना चाहता हूं, हमारा प्रयास यह रहा है कि हम भारत सरकार से कहें कि 440 मेगावाट का जो हमारा बहुत बड़ा गैप है उसको हिन्दुस्तान के दूसरे सोर्स से पूरा करें। एक न्यूनतम ग्राधार उन्होंने हमको दिया। हमारे अपने सोर्स नहीं होने के बावजूद जो बाहर के सोर्स से हमको बिजली मिली है उससे हमने खेती को, जितनी बिजली मिल सकती थी, उतनी देने की कोशिश की है। ग्राज उद्योगों में कटौती है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही उसमें सुधार करने को हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमने कुछ ऐसी योजनाओं का काम अपने हाथ में लिया है, ऐसी योजनाएं सोची हैं जिनसे ग्राने वाले दो-तीन वर्षों में बिजली की सुविधा राजस्थान को मिल जायेगी। ढाई-तीन साल का पिछला समय ऐसा निकला, जिसके बारे में कहूंगा तो शास्त्रीजी कहेंगे, वह दो-ढाई, तीन साल का समय ऐसा निकला जब कि मांग तो बहुत बढ़ा दी गई, सस्ती भावुकता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, इनके नारों को लेकर के 25–25 हजार कनेक्शन कुग्रों पर गांवों को दे दिये गये। बिजली एक मेगावाट भी पैदा नहीं हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पिछले साल कितना उत्पादन हुआ? एक यूनिट का भी उत्पादन नहीं हुआ, यह बता दीजिये। कोटा थर्मल में एक यूनिट की बढोतरी हुई हो तो बता दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ग्रापने इनके ग्रांकड़े देखे हैं? ग्रापने इनको देखने की कोशिश नहीं की है। इन ग्रांकड़ों को देखने से यह सिद्ध होता है कि पॉवर कहां-कहां पैदा हुई है..

श्री सभापति : ग्रॉर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राप रूल 273 को पढ लीजिये। Read the rule 273.

Page No 76

(78)

श्री शिवचरण माथुर : उस समय यदि कोई नई योजनाओं की आधारशिला रखी जाती तो मैं समझता हूं कि आज तीन साल के बाद वह योजनाएं हमारे लिये बिजली उत्पादन करने के लिए तैयार रहतीं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारी सरकार ने आकर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाथपा-झाकड़ी योजना को आपने गड्ढे में डाला। वह बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप तसल्ली रखें हमने हिमाचल के साथ समझौता किया। कौल और पार्वती के बीच में जो बिजली उत्पादन होती है, उससे करीब 1,900 एक से और 600 मेगावाट दूसरे से, इस तरह 2,500 मेगावाट बिजली में हमने आधे हिस्से की भागीदारी की। केवल भागीदारी नहीं की, उसके डिटेल सर्वे में जितना पैसा हमारा बना था उसमें से कुछ हम हिमाचल सरकार को भेज चुके हैं, उसका सर्वे शुरू हो चुका है। यह स्कीम जो हमारी है उसका आज नहीं बल्कि आने वाले समय में लाभ मिलेगा। मैं सदन को पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि आज राजस्थान में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि बिजली का राजस्थान के पास अपना कोई स्रोत नहीं है। आज अगर हमको चम्बल से बिजली मिलती है तो उसका सोर्स गांधी सागर में है और उसका पानी हमको राणा प्रताप सागर में मिलता है, यदि भाखड़ा से बिजली मिलती है तो वह भी बाहर से मिलती है, सतपुड़ा की बिजली भी राजस्थान के बाहर है। आज तक हमारे अपने घर में बिजली जनरेशन का सोर्स नहीं बना। हमने पहली प्राथमिकता इसको दी कि हम राजस्थान में ही, अपने घर में ही इन सोर्सेज को पैदा कर सकें तो एक स्थाई आधार हमारी प्रगति का होगा, उससे बाहर के क्षेत्रों पर हमें डिपेण्ड नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमने माइन डिपार्टमेंट को कहा कि राजस्थान में जो लिग्नाइट के भण्डार हैं उसको खोजने की कोशिश की जाये। मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान के खनिज विभाग के सीमित साधनों के बावजूद भी आज उन्होंने जो तीन जगहों पर खुदाई की है बाड़मेर में कपूरड़ी, बीकानेर में पलाना और मेड़ता में जो लिग्नाइट के भण्डारों की प्रारम्भिक खोज की है उसके आधार पर हम आने वाले कुछ वर्षों में यह कह सकते हैं कि इतने अधिक भण्डार होंगे कि उनके आधार पर सुपर थर्मल प्लाण्ट लगा सकते हैं। आपको जानकार प्रसन्नता होगी कि बीकानेर के पलाना इलाके में हमने 12 मिलियन टन लिग्नाईट का पता लगा लिया है। राजस्थान में पलाना में 120 मेगावाट की क्षमता रखने वाला पावर हाउस जिसको बीस साल तक चलाने की कैपेसिटी हो, इतने भण्डार आज हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही बाड़मेर में कपूरड़ी को हमने प्राथमिकता दी है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने हमारे लगातार कहने के बाद, हमने उनसे कहा कि इसका यहां काफी भण्डार है, उन्होंने निश्चय किया है कि 1983-84 के वर्ष के अन्दर एक करोड़ रु. की धनराशि भारत सरकार इस कपूरड़ी इलाके में, लिग्नाइट के इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना यहां मिनरल डिपोजिट है उसकी जांच के लिए खर्च करेगी। इसके साथ मेड़ता और कपूरडी में पूरे के पूरे तौर पर कितना लिग्नाइट अवेलेबल है, इसका बहुत जल्दी पता लगाने के बा

(श्री शिवचरण माथुर)

एक सुपर थर्मल प्लाण्ट की आधारशिला रखी जाये, राजस्थान में लाया जाए उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो यह बड़ी योजना है, लांग जैस्टेशन की स्कीम है लेकिन हमने सोचा तो सही। मैं नहीं कहता कि योजना कल आ जायेगी, मैं यह भी दावा नहीं करता कि एक साल में आ जाएगी, लेकिन हमने सोचा है, सोचने का आधार प्रस्तुत किया है। केवल सोचा ही नहीं है उसके लिए कार्यवाही भी की है, भारत सरकार से स्वीकार करवाया है कि उस योजना को अपने हाथ में लें। आने वाले सालों में जब अगले साल प्लान पर डिसकस करने जायेंगे उस समय हमें पूरा भरोसा है कि इन योजनाओं का प्रावधान हमारे प्लान में होगा जिससे आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में; सारी की सारी योजनायें अपना मूर्त रूप ले सकेंगी। उसके बाद में राजस्थान का बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करने का प्रश्न हमारे सामने है, वह इस प्रदेश में उपस्थित होगा, यह मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाथपा-झाकड़ी का क्या हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर : नाथपा-झाकड़ी की जो मुझे जानकारी है, मैं अधिकृत रूप से कहने की बात नहीं कहता, लेकिन मुझे जो जानकारी है, जो समझौता पहले हुआ था वह समझौता एक प्रकार से आज उसका आधार नहीं बना है। हम कोशिश करेंगे कि वहां हमारा उसमें कुछ दखल हो लेकिन सवाल यह है कि आज अगर पार्वती कौल को पूरा कर लें तो भी 2,500 करोड़ में से 1,250 करोड़ आपका हिस्सा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप छोड़ रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : कहां छोड़ रहे हैं ? उसको हमने लिया है, छोड़ नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): जनता पार्टी के शासन में पावर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में, जो पावर मिनिस्टर चतुर्वेदी और वित्त मंत्री माणकचंद सुराणा थे, वे कमिट करके आए थे, प्रोसिडिंग्स है सदन की कि इसको सैंट्रल सैक्टर में ले लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गलत बात बता रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जनता पार्टी लड़ी थी। आपकी सरकार आने के बाद वापस छोड़ दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा नुकसान आपने नाथपा-झाकड़ी में कर दिया।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा था कि जो बिजली की स्थिति है जिस पर सारे प्रदेश का औद्योगिक आधार निर्भर करता है उस आधार को ठोस बनाने की दृष्टि से हमने कुछ योजना पर विचार किया है, और उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए कार्यवाहियां की है जिनका मैंने जिक्र किया। आप जानते है कि बिजली की

(श्री शिवचरण माथुर)

कमी है इसलिए हमने जान बूझकर एक कान्शस डिसीजन लिया था कि हम इस वर्ष ज्यादा कनेक्शन्स नहीं देंगे। ज्यादा कनेक्शन देने से फायदा क्या होता है? हम कनेक्शन्स देते चले जाये, और हमारे पास बिजली नहीं है तो जो किसान की मौजूदा दिक्कत है उसको बढ़ाने से लाभ नहीं है। तो इस लिए कान्शस डिसीजन लिया। जहां 25 हजार कनेक्शन्स दिये जाते थे उसके मुकावले 10 हजार कनेक्शन्स देने का कान्शस डिसीजन जान बूझकर लिया। जितनी बिजली हमारे पास उपलब्ध है वह किसानों को पूरी मिले, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। केवल तारीफ के लिए, एक सस्ते नारे के लिए कनेक्शन्स देते जायें और बिजली उपलब्ध करा सकें तो उससे कोई लाभ नहीं है। आप कह रहे थे कि 25 हजार के बजाय आपने कम क्यों दिए? हमने यह निर्णय सोच समझ कर लिया, यह बात मानकर लिया कि बिजली की आज कमी है तो कनेक्शन्स हम कम दें और जिनको कनेक्शन्स दिए हुए हैं उनको पूरी बिजली समय पर मिल जाए यह हम कोशिश करें। तो हमने यह निर्णय जान बूझकर किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ध्यान बंटाने के लिए सोचा टी. वी. सेट जितने लगाए जाये उतने कम है। घरों में बैठकर रोटी नहीं खायें, टी. वी. देखें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर अकाल सहायता की बात की गई। राजस्थान की अत्यन्त कठिन वित्तीय परिस्थिति होने के बावजूद, हमारे प्रदेश में जो भी इलाके अभावग्रस्त थे, अभाव से पीड़ित थे, उनको हमने काम देने के लिए जो स्वीकृति दी है उसका मैं थोड़ासा हवाला देना चाहता हूं। नाड़ी के 629 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें 1.47 करोड़ की मंजूरी दी गई। पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत 304 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें 15.95 करोड़ स्वीकृत किए गए। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 1,456 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें 12.99 करोड़ की स्वीकृति दी गई। वन विभाग के मार्फत 465 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें 1.71 करोड़ स्वीकृत किए गए। भू-संरक्षण के अन्तर्गत 473 काम स्वीकृत हुए जिनमें 2.23 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल राहत कार्य 3,927 स्वीकृत किए गए जिनमें 34.47 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस समय राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में 2,00,688 श्रमिक अकाल राहत कार्यों में काम कर रहे हैं, यह संख्या बढ़कर मार्च में.....

श्री नाथूसिंह : भीलवाड़ा में कितने है? बीकानेर में कितने हैं?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : यह संख्या बढ़कर, अगले मार्च तक करीब 3 लाख हो जाएगी। मैं समझता हूं, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में 784 कुओं को गहरा कराने के लिए 48 लाख रुपये 20 जिलों में स्वीकृत किए गए। 90 स्थानों पर 4 जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है और सैकड़ों की संख्या में आज पानी पिलाने के लिए टैंकर्स पेयजल ला रहे हैं। जहां पीने के पानी की दिक्कत है वहां पर टैंकर्स के माध्यम से आज पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है।

(शिवचरण माथुर)

चारे की निकासी पर रोक लगा दी गई हैं। 17 जिलों में पशु पोषण केन्द्र खोले गए हैं जहां 1.80 लाख पशुओं के लिये प्रतिदिन 1½ रुपया प्रति पशु आहार के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। 1.38 लाख क्विंटल चारा उपलब्ध कराया जायगा। चारा उगाने के लिए और सांडों के विशेष पोषण के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। यह अकाल राहत कार्यों के लिए मैं ने आपसे निवेदन किया...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : जहां आपसे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करने वाली बात, राहत कार्यों का, कार्यक्रमों का जिक्र किया, वहां हमारी चिंता यह है कि राजस्थान जो सिंचाई के साधन हैं उनको भी हम बढ़ाने की चेष्टा करें। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था इस मामले में कि राजस्थान का सारा वाटर पोटेंशियल टेप कर लेते हैं, हमारे पास अवेलेबल वाटर है, वह पूरे का पूरा टेप करने के बाद भी हम नेशनल एवरेज से पीछे रहेंगे। इसलिए हमने यह तय किया है कि हम जल्दी से जल्दी तीव्र गति से एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम के अन्तर्गत राजस्थान के वाटर पोटेंशियल को टेप करने का प्रयत्न करें। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने इस संबंध में कार्यवाही की है, हमने राजस्थान केनाल प्रोजक्ट को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा करने का निश्चय किया है। 1985 के मार्च तक राजस्थान केनाल पूर्व बैंक केनाल टेल-एन्ड तक काम पूरा किया जाएगा। आज जिस गति से काम चल रहा है, मुझे भरोसा है, जो निर्धारित समय है, कार्यक्रम पूरा कर उसके अन्तर्गत हम राजस्थान कैनाल की मैन कैनाल को छठी पंचवर्षी योजना में पूरा कर लेंगे। जैसा मैंने परसों कहा था, आज इस चिंता में नहीं हैं कि सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, सारे के सारे टेलों को न पक्का किया जाए, क्योंकि पक्का करने में बहुत धन की राशि आवश्यक होगी समय भी लग सकता है? तो हमने निश्चय किया है कि कैनाल को पक्का कर दिया जाए और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, शाखायें हैं और उपशाखायें हैं, उनके कच्चे धोरे बनाकर, किसानों के को पानी पहुंचाया जाए, उनके हैड रीचिज को हम पक्का करना चाहते है ताकि पानी का स्कोरिंग इफेक्ट उसमें नहीं हो। उसके बाद में धोरों के जरिए से पानी किसान के खेत में पहुचे, हमने निश्चय किया है और मुझे कहते हुए खुशी है कि जो प्रदेश की हमारी छठी योजना राजस्थान केनाल के लिए 162.5 करोड़ की उसको बढ़ाकर भारत सरकार ने 40 करोड़ और दिये हैं। 40 करोड़ और मिलने के बाद में जैसा मैंने बताया जो काम है, वह निश्चित रूप से पूरे हो जायेंगे और उसके बाद में एक बहुत बड़ी सिंचाई की क्षमता राजस्थान कैनाल के माध्यम से मिल जाएगी।

1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान को 6 मिलियन एकड़ फीट पानी रावी-व्यास से और मिला। उसमें एक उपलब्धि उस दिन कहना भूल गया जिसको दोहराना चाहता हूं वह यह है कि सिध्दमुख-नोहर इलाको भादरा नोहर तहसील इलाका जो

Page No 80

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान का सूखा इलाका है और जिनमें राजस्थान कैनाल के माध्यम से पानी लाते तो किसी भी हालत में ऊपर नहीं आ सकता था, इस पानी को लिफ्ट करके उस इलाके में ले जाना पड़ता है, इच्छा हमारी यही थी, लेकिन 1981 के समझौते के बाद में जो 47 एम.ए.एफ. पानी भाखड़ा मेन कैनाल के जरिये से जो सिध्दमुख नोहर कैनाल बनेगी उसके मार्फत हमको फ्लो से मिलेगा, जिस प्रकार पानी आज राजस्थान कैनाल का गंगानगर इलाके को मिल रहा है, सूरतगढ़ इलाके को मिल रहा है उसी प्रकार सिध्द मुख-नोहर इलाके में पानी मिलेगा, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि चाहे हमारे पास कितनी ही पैसे की कमी है, महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करना चाहिए। मैं सदन को सूचित करता हूं कि राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि शीघ्रातिशीघ्र हो सका तो मार्च महीने में सिध्दमुख नहर के काम को शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम जोधपुर में भी लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई की व्यवस्था शुरु करना चाहते हैं, यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण राजस्थान कैनाल की परियोजना है जिसे हम हाथ में लेना चाहते हैं। इसके अलावा हम जमुना के पानी को भी राजस्थान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि वयोवृद्ध हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, श्री राजबहादुरजी, मेरा निवेदन है, कि जितने आप चिन्तित हैं उसके लिए हम भी उतने ही चिन्तित हैं। मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम भी इसके लिए जागरूक हैं। अभी इसके लिये वहां पर एक मीटींग हुई थी, उस मीटींग की जो सिफारिशें थी जब वह हमारे पास आयीं तो हमने उसको स्वीकारा नहीं। हमने यह कहा कि इसके लिए मुख्य मंत्री स्तर की बैठक होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि संभवतया दिल्ली में मीटिंग होगी उसमें राजस्थान के केस को बहुत ही दृढ़ता से आपके सहयोग से पेश करूंगा। और जमुना का पानी हमें मिले, उसकी पूरी कोशिश करूंगा। वह जब हमें मिलेगा तो हमारे लिये बहुत बड़ी सुविधा होगी और वह हमारी एक बड़ी सिंचाई की योजना होगी।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको अब यह चिन्ता है कि हमारी टेरीटरी का जो पानी है वह व्यर्थ नहीं जाये और हम उस पानी को राजस्थान की टेरीटरी में जल्दी से जल्दी टैप करें। हम अपने इलाके में बान्धों के जरिये उस पानी का उपयोग करे, ऐसी व्यवस्था करें। सभापति महोदया, हमने अपने टैक्निकल अधिकारियों को यह आदेश दे दिया है कि राजस्थान की टेरीटरी का पानी बाहर नहीं जाये। उस पानी का उपयोग करने के लिये जल्दी से जल्दी हमें योजना बनानी चाहिये ताकि उस पानी का हम उपयोग कर सकें। इसके लिये हम सर्वे करने का काम शुरू करना चाहते है ताकि उस पानी का बहुत बड़े पोटेंशियल का हमारी टेरीटरी में हम उपयोग कर सकें। यह जरूरी है कि इसके लिये हमारी योजना केवल सिंचाई के पानी के लिये हो, बल्कि ऐसी हो कि हमारे राजस्थान में जो पीने के पानी की कमी है उस पीने के पानी की कमी

(श्री शिवचरण माथुर)

को पूरा किया जा सके। सभापति महोदया, हम इसीलिये भारत सरकार से निरन्तर यह कहते रहते हैं कि हमारे राजस्थान का इतनी पोटेंशियल नहीं है कि हम राजस्थान में सूखे की समस्या का हल निकाल सकें। राजस्थान में इस समस्या का एक मात्र हल यही है कि इस समस्या का राष्ट्रीय स्तर की समस्या मान करके हिन्दुस्तान की जो दूसरी नदियां हैं उसका पानी राजस्थान में लाया जाय, गंगा और जमुना के पानी को राजस्थान में लाया जाय। जैसा कि मैंने उस दिन सदन में कहा था, अब तो कावेरी के पानी को उत्तर भारत में लाने की बात की जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हिन्दुस्तान के हर हिस्से, जहां पानी की कमी है, में ले जाने की बात हो रही है। सभापति महोदया, आज के विज्ञान और तकनीकी युग में क्या चीज असम्भव है, हर चीज सम्भव हो सकती है। इसलिए राजस्थान की सरकार का यही प्रयत्न रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं, सिंचाई के साधनों का उपयोग प्रॉपरली हो, सिंचाई की योजनाओं की क्रियान्विति पूरी तरह से हो ताकि राजस्थान में कृषि बहुत बड़ी मात्रा में हो सके। यह हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी सफलता होगी और राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का हल भी हो जायेगा।

सभापति महोदया, जहां मैंने अभी सिंचाई की परियोजनाओं के बारे में निवेदन किया वहां प्रशासन गांवों की ओर अभियान के बारे में भी मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता था पर उसके बजाय मैंने दूसरी चीज ले ली। अब उसके बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर अभी प्रशासन गांवों की ओर अभियान जो चलाया गया उसमें हमें बहुत भारी सफलता मिली है इसलिये हम चाहते हैं कि उसी अभियान की तरह का कार्यक्रम अब नगरपालिकाओं के लिये चलाने का काम हाथ में लेना चाहते हैं। आज नगर पालिका क्षेत्रों में, शहरों में बहुत सी दिक्कत पैदा हो गई है। आपको मालूम ही होगा कि शहरों में लोगों ने नगरपालिका क्षेत्र में कई अवैध निर्माण कर लिये हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिये हमने एक स्कीम निकाली है उसमें हमने कन्वर्शन की स्कीम निकाली है। सभापति महोदया, यह बात ठीक है कि हम जितनी तेजी से काम करना चाहते थे उतनी तेजी से काम नहीं कर सके हैं, उसका एक कारण यह है कि उसमें कुछ कानूनी अड़चने और कठिनाइयां पैदा हो गयी थीं। उनको अब दूर कर दिया गया है। अब यह निश्चित हो गया है कि आने वाले वक्त में सारे के सारे मामले कन्वर्शन करके तय कर लिये जायेंगे। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोधपुर और जयपुर शहरों में काम शुरू किया जायगा। इसके अलावा राजस्थान के दूसरे शहरों में भी जमीन वगैरह की जो रोजमर्रा की दिक्कत है उनको निपटने की कोशिश की जायगी। जैसा कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाया गया है उसी प्रकार नगरपालिकाओं के लिये भी एक कम्पेन चालू करना चाहते हैं। इससे मैं समझता हूं, जो शहरी इलाके में दिक्कतें हैं उनके हल होने में सहयोग मिलेगा।

इसी के साथ हमने यह भी निश्चय किया है कि जो लिटीगेन्ट पब्लिक होती है उसके मुकदमें बरसों तक अदालतों में

(श्री शिवचरण माथुर)

चलते रहते हैं, । जो स्माल काजेज केसेज होते हैं उनमें कइयों में आपको देखने को मिलेगा कि लगातार पेशियां बदलती जाती हैं और बरसों तक यह मुकद्मे चलते रहते हैं। उन मुकदमों का जल्दी फैसला हो और लोगों को राहत मिले, इस दृष्टि से हम यह केम्पेन चालू करने के लिये अभियान चलाने का सोच रहे हैं ताकि इन छोटे मुकदमों को जल्दी निपटाया जा सके। मैं यह नहीं कहता हूं कि जिनमें कानूनी पेचीदगियां अधिक हों उनको भी हम निपटा देंगे। पर जो छोटे-छोटे मुकद्मे होते हैं जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के केसेज हैं जिनमें कि एक बार चालान कर दिया जाता है और उसमें एक पार्टी का आदमी आता ही नहीं है और दूसरी पार्टी का आता है तो दूसरी पार्टी पेशियां बदला लेती है ऐसे मामलों में जनता को बहुत परेशानी होती है उस परेशानी को दूर करने के लिए यह केम्पेन चालूकर रहे हैं। बहुत से छोटे-छोटे केसेज हैं जो कि राजस्थान में एक लाख और कुछ हैं। उनमें से 70-75 हजार केसेज तो ऐसे हैं जो कि आसानी से निपटाये जा सकते हैं। हम चाहते हैं उनके लिए अभियान चलाया जाये। इसमें वकील साहबान को नाराजगी हो सकती है। अब शर्माजी हंस रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : प्रशासन गांवों की ओर का अभियान जब हमने चलाया तब कुछ लोग इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने यह कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, आप यह फैसला कैसे कर रहे हैं यह तो कोर्ट के अधिकार की बात है। तो मैं वकील लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी बाद में काम मिलेगा।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : प्रशासन गांवों की ओर से जनता को ज्यादा दिक्कत हुई है। वकीलों ने तो आपका काम काफी हल्का कर दिया। आपको तो वकीलों को प्रशस्ति पत्र देना चाहिए।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री महाराम चौधरी : यह तो शहरी वकील है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : आपके अधिकारी कह कर आये हैं कि आप आयेंगे तभी फैसला होगा।

श्री शिवचरण माथुर : तो सभापति महोदया, आज जो आम लोगों को दिक्कत है उसको मिटाने के लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मैं समझता हूं कि यह अभियान बहुत जल्दी चालू होने वाला है। उसके बाद में नगरपालिकाओं की दिक्कतें बहुत कम हो जायेगी और नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। जो मुकद्मे अदालत में चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए सरकार यह अभियान चलाना चाहती है। आप राजनैतिक दृष्टि से इस बात को मत सोचिये। लोगों की दिक्कत मिटाने के लिए हम यह कर रहे हैं। मैं आपको अपील कर रहा हूं हम आपका सहयोग मांग रहे हैं और सही भावन

(श्री शिवचरण माथुर)

से यह कह रहे हैं । हम तो कहते हैं कि अगर हमारे कार्यक्रम में कमियां हैं या कोई कानूनी खामियां हैं तो आप हमें बतावें। हम तो उनको जानने को इच्छुक हैं। यह बात सही है कि जो कार्यक्रम हमने लिये हैं उन में कमियां नहीं हैं या कमियां नही रहेंगी। हो सकता है प्रशासन गांवों की ओर में कमियां रही हों। मैं भी तो चाहूंगा कि अगर कोई कमियां रह गई हैं तो आप हमको बतायें हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : अगर कोई जिन।इन कमियां बताई जायेंगी तो आप क्या उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे ? वायदा कीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा हूं इसका मतलब है मैं वायदा ही कर रहा हूं। मैं तो आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

(1.59 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

मैं आपके सहयोग की अपील करता हूं। इसका मतलब है मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप मदद कीजिये। अगर सही सुझाव हुए तो निश्चित रूप से हम उनको मानेंगे और उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वायदा नहीं, आप तो प्रतिज्ञा कीजिये।

श्री मेघराज तावड़ : यह तो वायदे करने वाले हैं। वायदे करने वाली सरकार है यह।

श्री शिवचरण माथुर: अभी मैं समझता हूं कि मैंने कार्यक्रम बतलाये हैं। यह राजस्थान सरकार की उपलब्धियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जो प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने चलाये हैं, जो सफलतायें प्राप्त की हैं, राजस्थान की जनता के मौलिक अधिकारों का राजस्थान की जनता के आर्थिक कार्यक्रमों का मैंने जिक्र किया है। उसके बाद में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में इस आलोच्य वर्ष में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके 20 सूत्री कार्यक्रम के पहले जो 20 संकल्प थे और 12 संकल्प थे 40 और 5 संकल्प रह गये थे, मुझे क्षमा करेंगे, उनके बारे में आप क्या बाद में बतायेंगे ? उनके बारे में बतावें कि उनका भविष्य क्या है ? आपके 20, 20, 12 और 5, इतने संकल्पों में से केवल 20 ही बताकर रह गए। बाकी का क्या हश्र हुआ वह तो बता दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर: 20 संकल्प जो थे वह हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिये गये हैं। आप अगर अलग से मेरे पास बैठे तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने-किसमें शरीक हुए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: 42 और 5 का क्या हुआ? 12 तो आपकी प्रधान मंत्री जी के संकल्प थे, क्या आप उन्हें भूल गये। हम तो उस वक्त सन् 76 में जेल में थे। पांच संकल्प आपके महान नेता संजय गांधी जी के थे, उनका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आर्डर, आर्डर। आप जो कुछ कहना चाहती हैं आसन की ओर इशारा करके कहें।

(84)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने उनको ड्राप कर दिया ? आपने उनका इम्पलीमेंन्टेशन किया या नहीं ? उनको आप इम्पलीमेन्ट करेंगे या नहीं ?

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, पिछले साल पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रही। मैं बहुत ही आभारी हूं कि खास तौर से कानून और व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में ठीक रही मैं यह मान कर नहीं चलता कि सभी ठीक ही रही पर तुलनात्मक दृष्टि से यह ठीक ही रही, राजस्थान में कानूनी व्यवस्था सभी जगह पर ठीक रही, सभी जगह शान्ति रही, कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी और प्रदेश में शान्ति रही।

श्री यदुनाथसिंह : यह आप क्या कह रहे हैं ? आपने वहां पर 6 आदमियों को तो भून दिया। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक रही। 9 बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : आप लोग सुनें।

(व्यवधान)

इसमें और सुधार हो इसकी हम कोशिश करेंगे, इसमें और भी आपका सहयोग अपेक्षित है। यही मैं इस मौके पर आपको कहना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश में सामान्य तौर पर साम्प्रदायिक स्थिति बहुत अच्छी रही। मैं यह कह सकता हूं कि जहां भी ऐसी स्थिति सामने आई उन स्थितियों में उचित मौके पर उपाय करने के लिए चेष्टा की है और समय पर संभालने का नतीजा यह हुआ कि वह चीजें बहुत आगे नहीं बढ़ पाईं। इसको और अधिक अच्छी तरह से ठीक किया जाये, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि हम सब लोग साझेदारी करके स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे।

अब मैं और बहुत से मुद्दे यहां पर नहीं कह कर, कुछ बातें जो यहां पर माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में और हमारे मंत्रियों के बारे में कहीं · ·

श्री यदुनाथसिंह : छोड़ो उनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिये।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर कई दोषारोपण किये। वह मेरे छोटे भाई हैं। उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। वह जानते हैं कि वह एक विनोदी भावना से नहीं लेकर यदि स्वयं मुझसे इसकी जानकारी चाहते तो जो वह जानकारी चाहते वह मैं देता। जो भी यहां पर उन्होंने आरोप लगाये हैं वह बिलकुल बे-बुनियाद और निराधार हैं। केवल चरित्र हनन की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने यहां बात कही है। इसके सम्बन्ध में लम्बी चौड़ी बात कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं · ·

एक माननीय सदस्य : आरोप क्या थे ?

श्री शिवचरण माथुर : वह जानते हैं।

श्री नाथूसिंह : आरोप लगाये हैं। एक-एक का जवाब दे दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आरोपों को लगाने और जवाब देने की एक प्रक्रिया निश्चित है। मैं मानता हूं कि आसानी से किसी भी व्यक्ति के लिए मर्जी आये जो यहां पर बोल दें, उसकी अखबारों में चर्चा हो जाय तो उस आदमी के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है जिसका कि दोष नहीं है। अदालतों में भी मैं समझता हूं, बिना सुनवाई के और बिना गहराई में जाए उसके अपराध को स्वीकार कर लिया जाता है क्या ? यह तो राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी अदालत है। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में आप चाहे जैसे आरोप लगा दें और आरोप लगाने के पीछे कोई आधार नहीं है। ठीक है, अखबारों में उसकी चर्चा हो जाये . . . . . .

श्री नाथूसिंह : आधार हैं। हम बतायेंगे आधार आपको ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में इन्ट्रप्ट मत कीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदय, यहां पर हमारे कई मंत्रियों के बारे में कहा। मैं शुरू से कहता आया हूं कि हमारे किसी भी मंत्री के बारे में, मेरे भाई, और कोई बात है तो हमारी तो किताब खुली हुई है। ओपन बुक है। आपके नेता से मैंने कहा कि आप देख लीजिए और देखने के बाद यदि आप मानते हैं तो आखिर मेरा आज चालीस साल का सार्वजनिक जीवन है। 1944 के आन्दोलन से राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया। आज चालीस, बयालिस साल होने को आय। आखिर इतने पुराने सार्वजनिक जीवन को लेकर आज हमारे जीवन पर कलंक लगाने वाली बात सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि हम हमारे पुराने इतिहास और परम्पराओं को छोड़ रहे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन यह स्थिति आ जायेगी, हमारी जो सबसे बड़ी धरोहर है वह यही धरोहर है कि हमारा अपना चरित्र है। हमारे लोगों के बारे में कोई भी बात कहते हैं तो उसको बहुत गम्भीरता से सोचें। आरोप लगाने के पहले बहुत सी बातों को सोच लिया करें। यही मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं।

मंत्रियों के बारे में जो बात कही गई है उसको आप मुझे बतायें। उसमें कोई बात होगी तो हम निश्चित रूप से देखेंगे। लेकिन कोई भी बात कहने के पहले यदि उनका आधार मालूम कर ले और आधार होने के बाद यदि कोई बात कहें तो पहले सोच लें उसके और भी बहुत से दूसरे तरीके हैं। मैं समझता हूं कि विधान सभा उसका प्रॉपर फोरम नहीं है। उसके और भी तरीके हैं। आप दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवायें। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। दोषी व्यक्तियों को आम तौर से पब्लिक में क्रिटिसाइज कीजिए उसमें भी कोई बात नहीं है, कोई मनाही नहीं है लेकिन यहां अचानक आकर सदन के पटल पर आप एक बात कहें और चरित्र हनन की बात कहें, यह कितनी उचित है और कितनी उचित नहीं है यह तो आप सोच लें। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अच्छी

(श्री शिवचरण माथुर)

परम्परा नहीं है इससे सबका मनोबल गिरता है। एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। हम लोग मुख्य मन्त्री, मन्त्री या विधान सभा के सदस्य बाद में हैं पहले एक सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। सार्वजनिक कार्यकर्ता जीवन में जो कुछ काम करता है उसके बारे में यदि इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो उसका मनोबल निश्चित रूप से गिरता है और समाज में अच्छी परम्परा का निर्माण नहीं होता है।

मैं यही बात कहते हुए, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव आया है कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिसिंहजी का, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। यही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आज तक ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री नाथूसिंह : यह परम्परा रही है इस सदन में।

(2.08 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह व अनेक माननीय सदस्य : हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है, सभापति महोदय।

श्री यदुनाथसिंह : एक प्रश्न करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, एक प्रश्न। इस भाषण में मुझे कोट किया गया है इसलिए मैं कुछ स्पेसिफिक प्रश्न मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा......

श्री सभापति : क्या ऐसी परम्परा है कि मुख्य मन्त्री के उत्तर के बाद भाषण हो ?

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, एक प्रश्न...

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मुझे कोट किया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : ऐसी परम्परा है कि मुख्य मन्त्री के रिप्लाई के बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं....

श्री सभापति माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें।....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथसिंह : एक प्रश्न है...

श्री सभापति : एक प्रश्न का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी...

(व्यवधान)

प्रश्न तो सारे ही एम. एल. एज. के होंगे। सारे ही सदस्यगण के प्रश्न होंगे। लेकिन इसकी पराकाष्ठा होती है। प्रश्नों के समय में आप पूछे प्रश्न, बजट पर जवाब होगा उस समय प्रश्न पूछें। समय का निर्धारण तो करना होगा वरना प्रश्नों का कोई अन्त नहीं हो पायेगा यहां।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)
नहीं, नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : एक दल के एक व्यक्ति को समय दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । कोई स्पष्टीकरण के लिए तीन चार प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ।

अनेक माननीय सदस्य : स्पष्टीकरण, सभापति महोदय....

श्री सभापति : इतना समय नहीं है ·

(व्यवधान)

तीन प्रश्न कुल पूछे जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इतना समय नहीं है । और भी आगे काम है। माननीय सदस्य जो डेजर्ट एरिया से हैं वह उससे संबंधित दो तीन प्रश्न पूछे जायेंगे ।

माननीय श्री चन्द्रवीरसिंह ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इसके बाद प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है....

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज । Sit down, please. माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।
श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी: माननीय सभापति महोदय, सदन के माननीय नेता महोदय ने कहा कि गांवों के असेट्स के रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम कराया जायेगा । मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय सदन के नेता महोदय से इस रजिस्ट्रेशन के कार्य का बेस क्या लिया जायेगा ? एक चीज । दूसरा, जब यह आंकड़े प्रसारित किये जायेंगे तो क्या यह वर्षवार किये जायेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : कौन से रजिस्ट्रेशन का ?

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : गांव के असेट्स का रजिस्ट्रेशन । आपने बात कही है, गांव में वर्ष में कितनी प्रगति हुई ।

श्री शिवचरण माथुर : आइडेन्टीफिकेशन कहा है मैंने । मेरी बात सुनिये । मै आपको क्लीयर कर देता हूं । मैंने यह निवेदन किया कि पिछले दिनों में जो चीज गांवों में बनी है, उनको एक रजिस्टर में लिया जाय । कहीं एक अस्पताल बना है, डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग बनी हैं, पंचायत घर बना है, स्कूल की बिल्डिंग बनी है, सड़क बनी है या 10 हैण्ड पम्प लगे हैं उसका इन्द्राज गांव में करने के लिये हमने आदेश दिये थे लेकिन अब मैं यह निश्चित नहीं कह सकता कि सब जगह...

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : इसका बेस क्या होगा ?

श्री शिवचरण माथुर : जो मौजूद है आज ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : वर्षवार विवरण नहीं होगा ?

श्री शिवचरण माथुर : कोई वर्षवार विवरण नहीं होगा। जो गांव में असेट्स बन चुके हैं, कुएं बन चुके हैं, तालाब बन चुके हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। कोई वर्षवार विवरण नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप पहले पूछ चुके हैं।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, एक क्लेरीफिकेशन।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : एक।

माननीय मंत्री महोदय ने राज्य में नये बिजली उत्पादन के स्रोत या नई बिजली पैदा करने की बात कही है उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। हम सब आपको सहयोग देना चाहते हैं। क्या मुख्य मंत्रीजी इस बात से परिचित हैं कि घोटारु, जैसलमेर में ओ. एन. जी. सी. का कार्य प्रारम्भ हो रहा है, चल रहा है उसमें एक कुएं में बड़ी भारी मात्रा में गैस निकली है? इस गैस के कुएं से वहां पर गैस टरबाइन लगा सकते हैं? क्या मुख्य मंत्रीजी परिचित हैं? दूसरा ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह प्रश्नकाल नहीं है। स्पेसिफिक नहीं पूछ सकते।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : सोलर एनर्जी के बारे में भी आप काम को आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय सभापति महोदया, मेरा आर्थिक नीति से सम्बन्धित प्रश्न है। मुझे खेद है कि खेती की पैदावार कितने प्रतिशत बढ़ी, उद्योग की पैदावार कितने प्रतिशत बढ़ी, दोनों प्रोडक्शन के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा। आर्थिक स्थिति हमारी क्या रहने वाली है? आपने आंकड़े यह दिये क्या करेंगे, अगले साल के लिए आंकड़े दे दिये कितना हम कर लेंगे। खेती की पैदावार कितने पर्सेन्ट बढ़ी है, उद्योग की कितने पर्सेन्ट बढ़ी है? अगर नहीं बढ़ी है, तो पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप बिराजिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : मुख्य मंत्रीजी ने ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदया, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री चन्द्रवीरसिंहजी की ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। जवाब सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : आइडेन्टीफिकेशन की बात का तो मैंने स्पष्टीकरण कर दिया।

दूसरी बात, घोटारू में जो तेल का कुआं खोदा गया है वह एक्सप्लोरेशन स्टेज पर है इसलिए अभी पूरी जानकारी है भी नहीं। कितना क्वाटम होगा, उसकी क्या कार्मशियल वैल्यू होगी, उसका कितना उपयोग होगा, इसकी जानकारी आज तो मुझे नहीं है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : दिल्ली प्रशासन को रिपोर्ट गई है।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, अभी तो एक्सप्लोरेशन स्टेज पर है। उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

जहां तक सोलर एनर्जी का सवाल है बहुत सी बातें थीं। मैं दो घंटे तक कह सकता था लेकिन चूंकि अब बजट भी आ रहा है, बजट भाषण होगा, उस पर वाद-विवाद जो होगा उसके उत्तर में बहुत कुछ कहना उचित होगा। हर एक डिपार्टमेंट की डिमाण्ड होगी। उन पर कैटौती प्रस्तावों के उत्तरों में भी बहुत सी बातों का जिक्र होगा। मैंने सिर्फ बैसिक बातों का जिक्र किया है। सोलर एनर्जी के बारे में, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, सोलर एनर्जी में क्या होना चाहिए, क्या क्षमता होनी चाहिए। सोलर एनर्जी के लिए राजस्थान सबसे उपयुक्त जगह है। यहां पर साल में 365 दिन में 340 दिन सूरज निकलता है। जितनी सोलर एनर्जी यहां मिल सकती है उतनी कहीं नहीं मिल सकती। हमारी जो संस्था है जोधपुर में उसने अच्छे प्रयोग किये हैं। उसके कार्मशियल एक्सप्लायटेशन के लिये अच्छी खोज की है। हमने एनर्जी बोर्ड राजस्थान में बनाया है वह एनर्जी बोर्ड एनर्जी के जो दूसरे रिन्यूअल सोर्सेज होंगे नान-कार्मशियल सोर्सेज होंगे उन सबके बारे में सोचता रहेगा, पता लगायेगा। क्या योजनायें बनाई जा सकती हैं उसके लिये हमने एनर्जी बोर्ड की स्थापना की है। आज सोलर एनर्जी हमारे राजस्थान के लिये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है सोलर एनर्जी को हम अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। हमने किया भी है। आपको मालूम है राजस्थान के एक हिस्से में खारे पानी को सोलर एनर्जी की मार्फत पोटेबल वाटर बनाने का चूरू जिले में एक प्रयोग किया गया है और वह काफी सफल रहा है। ऐसे ही और प्रयोग करना चाहते हैं...

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : जैसलमेर में चल रहा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज जवाब दे रहे हैं मुख्य मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक सवाल है खेती के सम्बन्ध में उपलब्धता का, जैसा मैंने कहा, बहुत सी बातें खेती की जब डिमाण्ड आयेगी तब आप कह सकते हैं...

श्री यदुनाथसिंह : खरीफ में 30 प्रतिशत उत्पादन गिर गया। आप कहां से ला रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय सभापति महोदया, यह भारी टैक्स लेकर आ रहे हैं एक तारीख को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, डिमाण्ड्स के समय इस पर चर्चा करे ।

श्री शिवचरण माथुर : इरिगेशन पोटेंशियलिटी हमने क्रियेट कर चुके हैं। खड़ी फसल के लिये तालाब बन चुके हैं लेकिन पानी तालाब में आयेगा तभी तो पैदावार बढ़ेगी। इसलिये अगर प्रोडक्शन कम हुआ है तो उसका मतलब यह है पोटेंशियलिटी तो हमने क्रियेट कर दी, सिंचाई के लिये पानी को इम्पाउन्ड करने के लिय पोटेंशियलिटी तो डवलप हो गई लेकिन बरसात आये, पानी से तालाब भरें तभी वह काम आ सकता है, पानी नहीं मिला तो कमी होगी। फिर अकाल के कारण क्या है ?

श्री यदुनाथ सिंह पैसा कहां से लायेंगे

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री राजबहादुरजी ।

श्री राजबहादुर : मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण में, मैं आशा करता था, नेशनल कैपीटल रीजन के बारे में विस्तार से कहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इस बारे में स्पष्टीकरण मिल सकता है। जमुना के बारे में जो चर्चा चलेगी क्या उसमें सदन के उन सदस्यों को विश्वास में लेंगे जिनको दिलचस्पी है। तीसरी बात, टेहरी गढ़वाल में टेहरी बन्ध है, कई वर्षों पहले हमने 3 हजार क्यूसेक्स की मांग की थी और फ्लो इरिगेशन का पानी झुंझुनु को आता है, अलवर और दूसरे इलाके तक आता है। चौथी बात यह है, जो मथुरा रिफाइनरी है बेसिक इण्डस्ट्रीज बन सकती है। साथ में एक बहुत महती योजना है ड्राई पोर्ट, जिसकी बहुत दिनों से मांग थी, कि कोई योजना है? इनका कोई जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : माननीम मुख्य मंत्रीजी जवाब देना चाहेंगे। आप जवाब दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक-एक पार्टी के एक-एक सदस्य यदि कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो बोल सकते हैं सब नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, मुख्य मंत्रीजी के भाषण में एक नई बात आई थी। 26 जिलों में प्रशासन गांवों की ओर गया लेकिन आपको यह मालूम है डूंगरपुर में प्रशासन गांवों की ओर अभियान में कोई काम नहीं हुआ। उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। दूसरा प्रशासन गांवों की ओर गया उसके द्वारा जितने गरीबों के नाजायज कब्जे पुराने हैं उनकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फाइलें कम्पलीट नहीं थीं। एक-दो मीटिंग मैंने भी अटेण्ड की है मेरा आपको कहना यह है कि जो गरीबों के नाजायज कब्जे हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाये। डूंगरपुर में प्रशासन गांवों की ओर अभियान में मीटिंग क्यों नहीं हुई ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, जवाब देना चाहेंगे और कोई माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदया, आदरणीय राजबहादुरजी ने

(91)

(श्री शिवचरण माथुर)
नेशनल कैपीटल रीजन का जिक्र किया। जैसा मैंने निवेदन किया, पच्चासों बातें बहुत सी बातें रह सकती हैं जिनका जिक्र नहीं किया हो। नेशनल कैपीटल रीजन की और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। नेशनल कैपीटल रीजन की योजना का निश्चय तो बहुत पहले किया गया था लेकिन यह अधरझूल में पड़ी हुई हैं। इस वर्ष इसको बहुत एक्टीवाइज किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यू. पी., हरियाणा के मुख्य मंत्री दो तीन बार मिल चुके हैं। भारत सरकार के आवास मंत्री, जो मीटिंग कन्डक्ट करते हैं, दो मीटिंग बुलाई हैं। मैंने राजस्थान की तरफ से उस मीटिंग में कहा कि नेशनल कैपीटल रीजन के दायरे को बढ़ाना चाहिये। 150-175 किलोमीटर का रेडियस इसमें लिया जाना चाहिये। आखिर दिल्ली की पापूलेशन को कम करने का सवाल आता है तो हमको इतनी दूरी पर रेडियस बढ़ाना पड़ेगा जहां से रोज आ जा सकें। इसलिए अलवर, खैरथल यहां तक कि हिण्डौन और करौली तक के इलाके को लेने वाली बात है, झुंझुनू के इलाके को लेने वाली बात है। 150-175 किलोमीटर तक नेशनल कैपीटल रीजन एरिया का रेडियस बढ़ जाये, वहां पर इण्डस्ट्रीज डवलप हो बजाय इसके कि दिल्ली में लोगबाग बसें, दिल्ली में उद्योग लगायें वहां पर औद्योगीकरण हो। इसीलिए हमने कहा है, बहुत शीघ्र जितना जल्दी हो इसको करने की बात है। जितना भी आउट-ले है वह निश्चय करने के बाद में हमने कहा, 200 करोड़ की धनराशि कम से कम पास नहीं हो उसके पहले नेशनल कैपीटल रीजन का काम शुरू नहीं हो सकता। प्लानिंग कमीशन के पास यह मामला विचाराधीन है और वहां यह निश्चय होने के बाद राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अलवर को नेशनल कैपीटल रीजन के मार्फत कुछ पैसा मिला भी है लेकिन भरतपुर के इलाके में भी उसका लाभ मिले, उसके लिये हमने प्रयत्न किया है।

ड्राई पोर्ट का मामला भी हमारी तरफ से उसी में जुड़ा हुआ है। हम मांग कर रहे हैं कि ड्राई पोर्ट भरतपुर में हो। टेहरी गढ़वाल की आपने बात कही...

(व्यवधान)

हां, उसमें विशेष पानी कहां तक आ सकता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है यह और दिखवा लेंगे।

दूसरी बात तावड़ साहब ने यहां कही कि डूंगरपुर में प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में काम नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मुझे तो यह कहा गया है कि डूंगरपुर में काफी काम हुआ है और गरीबों को कब्जे भी मिले हैं। आपने कहा है तो मैं और जानकारी करवा लूंगा। जैसा मैंने कहा, यह तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जो कुछ और भी काम रह गए हैं आने वाले समय में हमारा प्रयत्न होगा कि उनको भी पूरा करें।

श्री सभापति : श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।

श्री **वीरेन्द्रप्रतापसिंह** : सभापति महोदया, मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया भाषण में कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, मेरा सुझाव है क्या मुख्य मंत्रीजी...

श्री सभापति : आप तो स्पष्टीकरण मांग रहे थे ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अगर मंत्रि-मण्डल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते है, क्या उनकी जांच लोक-आयुक्त के द्वारा करवाना स्वीकार करते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो है ही।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : आज तक हुआ है इसमें ?

सभापति महोदया, दूसरा, मेरा निवेदन है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये जो कमेटी बनी है क्या उसके मेम्बर सदन के सभी सदस्य हैं ? जो मीटिंग होती है वह मंत्रियों के घर पर होती है उससे आप क्या आशा कर सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं मंत्रियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक निश्चित प्रक्रिया है उसके अनुसार आप कहिये, कार्यवाही की जायगी। प्रोविजन हैं, आप लोक आयुक्त को शिकायत कीजिये उस पर कार्यवाही होगी।

जहां तक 20 सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, यह कहा गया, मंत्रियों के घरों पर मीटिंग बुलाने की बात कही, मेरी जानकारी में तो नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्पष्टीकरण समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आप की पार्टी से बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

किस विषय में एक्सप्लेनेशन चाहिये आपको ?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैंने आरोप लगाया था.....

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : 20 सूत्री कार्यक्रम की कोई भी मीटिंग मेरे घर पर नहीं हुई। माननीय सदस्य को यह और निवेदन करता हूं कि अगली बार आप जहां कहेंगे, वहां बुला लेंगे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को नीचा दिखावे, मेरे पास सबूत हैं जिनके आधार पर मैंने आरोप लगाये हैं।

(व्यवधान)

क्या मुख्य मंत्रीजी जांच करवायेंगे ?

(व्यवधान)

स्वयं जांच करवायें.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : स्पष्टीकरण समाप्त हो गये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैंने आरोप लगाया था कि इनके लड़के.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियमों के अनुसार.....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : छापा पड़ा था उदयपुर में·······

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नियमों में प्रावधान है नोटिस दीजिये फिर आप चार्जेज लगाइये·········

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : कोई आरोप हो तो उसका स्पष्टीकरण करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : नियमों के अन्तर्गत मूव करिये। किसी की भी जांच हो सकती है। आप नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कीजिये।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेने का अधिकार

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): सभापति महोदया, व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदया, यह हर सदस्य का मौलिक अधिकार है। कोई अपने विधान सभा क्षेत्र की, प्रदेश की समस्या रखना चाहता है और अपना नाम महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिये प्रस्तुत करता है उसके बाद भी उसका नाम नहीं पुकारा जाता है और पार्टी के समय की बात कह कर टाल दिया जाता है। मैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, उन्होंने कहा आज सदन में केवल मुख्य मंत्रीजी का जवाब होगा। किन्तु मैं बैग भर कर जो समस्यायें लाया हूं प्रदेश की, अपने क्षेत्र की वह यहां रखना चाहता था ताकि मुख्य मन्त्रीजी उनका भी जवाब दे देते। खेतसिंहजी ने मुझे पार्टी के समय की बात कह कर टाल दिया। जब मैंने आज की कार्यसूची पढ़ी तो उसके अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप में अभिभाषण प्रस्तुत किया जाय, और इसके बाद है, सरकार की ओर से उत्तर भी दिया जायेगा। "भी" अर्थ भी यही था कि पहले कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। खेतसिंहजी ने मेरे सामने नाम लेकर दिया फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया। कई बातें रह गई जो मुझे कहनी थी। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। अब वह अवसर भी निकल गया। अब इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बजट पर इनको बोलने देंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अशासकीय विधायी कार्य

वापस लिए जाने वाला विधेयक

राजस्थान कनिनका उपरोपण विधेयक, 1881

डा. हरिसिंह, प्रभारी सदस्य, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान कनिनका

(श्री सभापति)

उपरोपण विधेयक, 1981 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

एक माननीय सदस्य : हैं ही नहीं।

श्री सभापति : डॉ. हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह : He is not there.

श्री खेतसिंह राठौड : अब सरकार और गैर सरकार में फर्क नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

विधेयक पर विचार

राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981

राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981।

श्री शोभारामजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री शोभाराम (थानागाजी) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 विचारार्थ लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : कुंवारे ही बहुत हैं। XXX बुजुर्ग को खड़ा कैसे कर दिया।

श्री खेतसिंह राठौड : XXX कैसे कहते हो। अभी बहुत जवान हैं।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल पारीक

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा प्रस्ताव करेंगी कि उक्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पहली स्टेज पर तो मुझे बोलने दें, विचारार्थ पर तो बोलने दें हमको।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विचारार्थ पर तो हमारा राइट है बोलने का।

श्री शोभाराम : सभापति महोदया, सन् 1961 में इसी प्रकार का दहज प्रतिषेध का एक्ट बन चुका था, इस एक्ट के लागू होने के बाद भी इसमें कुछ ऐसी खामियां रह गई जिससे कि जितना प्रभाव होना चाहिये और जितना कठोर दण्ड मिलना चाहिए, उतना महत्व इसको मिला नहीं। वर्तमान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के उपबन्ध दहेज के दिखावे के विरुद्ध, जो अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ, दहेज जैसी कुप्रथा ने सामाजिक रोग का स्थान ग्रहण कर लिया। दहेज खुले रूप में लेने की स्थिति में, दहेज देने की स्थिति में जो नहीं है वह दहेज के कारण · · · ·

श्री भगवानदास शास्त्री : प्रभारी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनका जो अधिकार है · · · ·

(व्यवधान)

XX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, फर्स्ट स्टेज कहां गयी ?

श्री यदुनाथ सिंह : अभी तो फर्स्ट स्टेज ही पूरी नहीं हुई।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह प्रश्न सारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा आत्म हत्याएं, मर्डर्स इसी के कारण होते हैं। हमें पहले विचारार्थ के प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार तो दीजिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इस पर विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया है। माननीय सदस्य, विचारार्थ के प्रस्ताव पर जिनके संशोधन प्रस्ताव आये हुए हैं, उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री बिहारीलाल पारीक।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदया, यह प्रदेश की बर्निंग समस्या है जो महिलाओं के साथ ही नहीं है, परिवारों के साथ जुड़ी हुई हैं। हर घर में कोई बेटी है, कोई बहन है, इस तरह से उनको····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातें न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनके विवाह के सम्बन्ध में, उनके गृहस्थ प्रवेश के सम्बन्ध में कितनी सामाजिक परिस्थितियों ने परिवर्तन लिया कि जो केवल उपहार में दी जाने वाली सामान्यता चीजें थीं, जो जो जन-जीवन में····

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक की प्रति का वितरण

श्री भगवानदास शास्त्री : पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, यह जो बिल है इसकी तो हमको प्रति मिली नहीं है। बिल की प्रति कहां है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : प्रति तो मिली नहीं है बिल्कुल। प्रस्ताव करेंगे माननीय प्रभारी सदस्य, यह लिखा हुआ है। हमने तो देखी ही नहीं।

श्री सभापति : यह पिछले सैशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : नहीं साहब, किसी को नहीं मिली है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सबको डिस्ट्रीब्यूट हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, हमारी जानकारी तो यह है कि किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। ऐसी हालत में अब इसमें कोई संशोधन करना है या विचार करना है वह बहुत कठिन होगा। आप यह कर दें कि हमें अभी इसकी प्रति दिलवा दें। हम इस पर विचार कर लेते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, डिस्ट्रीब्यूट तो हो चुकी है, यह मेरी जानकारी में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : और दिलवा दीजिए, इसमें क्या है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और प्रतियां हों तो दिला दीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ताकि चर्चा में भाग ले सकें इसमें क्या है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भंवरलालजी साहब, आपकी तैयारी कम है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आप जारी रखें ।

विधेयक पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, यह जन-जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसके ऊपर बड़ा गहन, गम्भीर रूप से विचार करके इसे लाने की बात थी । सन् 1961 के संशोधन में जो यहां मुद्दे रखे हैं उसमें लिखा है कि 5 हजार रुपये की कोई सीमा यह चाहते हैं । चोरी एक रुपये की भी चोरी है, पांच हजार रुपये की भी चोरी-चोरी है, पांच लाख की भी चोरी-चोरी है । जिन लोगों के पास खाने को नहीं उनके लिए यदि आप कह दें कि पांच हजार तक दिया जा सकता है, तो पांच हजार की आड़ में वह पचास हजार भी मांगेंगे, यह मेरा अभिमत है । यह जो दहेज वाली पद्धति है, दहेज देना और लेना दोनों ही दण्डनीय अपराध में शामिल किये जाने चाहिएं । जो मांगने वाला है उसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए, यह मेरा निवेदन है । माननीय मंत्री महोदय, यहां माननीय शोभाराम जी इस बिल को लाये हैं । इस भावना की मैं कद्र करती हूं । यह बिल सदन में आया तो है लेकिन इसमें भी बहुत गुंजाइश है संशोधन किये जाने की । यह समय पर वितरित नहीं हुआ, लोगों को जानकारी नहीं मिली । मैं चाहूंगी कि इस बिल पर पर्याप्त समय देकर के मुद्दे की बात उठे तो कई संशोधन आ जायं । जो भावना घर की आम औरत की है, जो आम घर की मां की है, वह इसमें आनी चाहिए । इसमें कहीं कहीं सास की भावना आयी है कि कहीं कुछ तो आ जाय, पांच हजार तो आ जाय । वह यह कहेंगे कि पांच हजार में टी. वी. शामिल नहीं है, वह तो एक उपहार का उपकरण है । यह भी कहेंगे कि गोदरेज की अलमारी आ जाय, वह भी उपहार का उपकरण है । फिर कहेंगे कि कितनी बड़ी देंगे छोटी देंगे या बड़ी देंगे । साइजों के लिए वह डिमाण्ड करेंगे । मान्यवर सभापति महोदय, आप एक महिला हैं, हृदय से इस भावना की कद्र करेंगी । मैं कद्र करती हूं भाई की वह खुद बिल लाये हैं लेकिन मैं एक मां के हृदय से और एक बेटी के हृदय से, एक बहन के हृदय से चाहती हूं कि जो दहेज की एक परम्परा है, इस परम्परा में ही एक शरारत की बू है जिसको समाज ने बहुत दिनों से समझा नहीं है । अनेकों महिलाएं, जिनके पास देने को पैसा नहीं है दहेज के रूप में, बड़ी उम्र की हो जाती हैं, उनके पदस्खलन हो जाते हैं या फिर अगर किसी रूप में वह ब्याह दी जाती है तो उनका ऐसा जीवन नर्कतुल्य हो जाता है वह पीटी जाती हैं, निरन्तर सतायी जाती है, पीहर पटक दी जाती हैं या फिर जला कर मार दी जाती हैं या डुबा कर मार दी जाती है । पांच हजार रुपये भी इस मंहगाई के जमाने में एक बहुत बड़ी चीज है । मैं कहना चाहूंगी कि हम इस सीमा बन्दी की बात नहीं करें । जहां तक सवाल है, चोरी की मैं संज्ञा देना चाहूंगी इसको, इस तरह से हम इस रूप में इसको स्वीकार करने में असमर्थ हैं । मैं कहना चाहूंगी, यहां पर जो यह बिल इन्ट्रोड्यूज किया

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
गया है इसमें बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है। । मैं आपकी भावना की कद्र करती हूं, जिस भावना से लाये हैं, वह संशोधन को भी स्वीकार करने की सीमा में रह सकते हैं। इस भावना के साथ, इसमें थोड़ा समय मिलना चाहिए । मैं मेरी बात समाप्त करती हूं ।

श्री सभापति : अन्य कोई सदस्य बोलना चाहें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो बिल मिला है मेरी जहां तक जानकारी है, यह पिछले सत्र में पेश हुआ होगा लेकिन माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है और न इस सम्बन्ध में कोई तैयारी है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल हम पास करने जा रहे हैं । मेरा ऐसा सुझाव है कि अगले सत्र तक इसको स्थगित कर दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा । सत्र नहीं । अगले प्राइवेट मेम्बर दिन, अगला आने वाला..........

श्री भंवरलाल शर्मा : अगला टर्न आयेगा उस समय तक के लिए स्थगित कर दें । माननीय सदस्य भी उस समय तक सारी तैयारी कर लेंगे । कुछ सुझाव होंगे तो वह आ जायेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सचेतक जी ने एक सुझाव दिया है, मेरी पार्टी के मेम्बर्स का भी यह मानना है कि इस बिल को चूंकि पिछले सत्र में आपने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था और माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ा भी नहीं है, इसमें अपने जो अमेण्डमेण्ट वगैरह देना चाहते हैं, वह दे नहीं पाये हैं, ऐसी स्थिति में आप इसको स्थगित कर दें और आगामी जब कभी भी नान आफिशियल डे होगा, उस रोज इसको ले लेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगले टर्न में ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी सत्र में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसी सत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी सत्र में आ जाय लेकिन 2 दिन का समय दे दें । अगले शुक्रवार को....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब कभी नान-आॅफिशियल डे आयेगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपके मुख्य सचेतक बोल गये। अब आप क्या कहना चाहती हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा अनुमोदन कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पीरियड तंग है जरा-सा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन की कार्यवाही कल...

श्री सभापति : सदन की सलाह है कि इसको एडजोर्न कर दिया जाय, अगले टर्न के लिए स्थगित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्राइवेट मेम्बर डे के किसी भी दिन लाया जाय, इसी सत्र में लाया जाय।

(98)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसी सत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिस रोज नान ऑफिशियल डे आयेगा····

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी सत्र की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। छः महीने के लिए बहने सताई जायेंगी, मैं नहीं चाहती।

श्री सभापति : माननीय सदस्या जो टर्न अगला पड़ता है, उस पर इसको ले लिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगले टर्न में। इसी सत्र में आना चाहिये।

श्री सभापति : जो प्राइवेट मम्बर्स के लिए अगला टर्न पड़ेगा। सदन की कार्यवाही 28 फरवरी, सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2.40 बजे सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

Page No 99

(99)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची

शेष समस्याग्रस्त गांवों के नाम

क्र. सं. 1	गांव का नाम 2	क्र. सं. 1	गांव का नाम 2
1.	भटवास	14.	कालजी, की बेरी
2.	पावरली	15.	भीमगुड़ा
3.	इजरोल	16.	भाटून
4.	भूतेल	17.	सिलासन
5.	जालेतरा	18.	फालना
6.	जोधावास	19.	नागोलरी
7.	खेजरियाली	20.	सूराचन्द
8.	जोरादर	21.	भवातड़ा
9.	माण्डली	22.	मेघा
10.	खामरा	23.	बान्देव
11.	सायर का कोसिला	24.	दधूरा
12.	अड़बा	25.	सेंसबा
13.	बोडिया		

———

(100)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची

क्रमांक		नाम	पंजीयन सूचीवद्ध सं.	दिनांक
1.	वैद्य श्री	वैर्णानाथ मिश्रा	3218 सूची.	22-8-68
2.	,,	घमण्डीलाल यादव	3216 ,,	22-8-68
3.	,,	बाबूलाल शर्मा	3622 ,,	22-5-68
4.	,,	सावंतसिह	3412 ,,	24-8-68
5.	,,	होशियारसिंह यादव	6373 श्रेणी (ब)	22-8-68
6.	,,	राधेश्याम शर्मा	4983 ,,	22-8-68
7.	,,	मदन लाल गुप्ता	4558 ,,	22-8-68
8.	,,	जयमलसिंह	5879 ,,	24-8-68
9.	,,	सीताराम बच्छाणी	6868 ,,	27-11-67
10.	,,	तेजराज सुराणा	3652 सूची	
11.	,,	सज्जनसिंह भटनागर	3278 ,,	22-8-68
12.	,,	किशनलाल गोयल	3198	22-8-68
13.	,,	बिहारीलाल शर्मा	3286 सूची	22-8-68
14.	,,	सुरेन्द्रसिंह कच्छवाह	3671 ,,	22-8-68
15.	,,	जयराम दास	5322 (ब)	24-8-68
16.	,,	प्रेमचन्द	4591 ,,	24-8-68
17.	,,	जयराम दास	5129 ,,	24-8-68
18.	,,	उमेशचन्द तिवाड़ी	3442 सूची	
19.	,,	राघवेन्द्र शरण	3448 ,,	22-8-68
20.	,,	श्यामलाल जोशी	3330 ,,	24-8-68
21.	,,	चन्द्र प्रकाश आचार्य	3333 ,,	—
22.	,,	रघुनाथ प्रसाद पुरोहित	3344 ,,	17-7-68
23.	,,	अमर चन्द अग्रवाल	3738 ,,	22-8-68
24.	,,	उदयराम	4991 पंजीयन	24-8-68
25.	,,	लालचन्द ठाकुर	4957 ,,	24-8-68
26.	,,	हुसालचन्द पारीक	6047 ,,	26-9-67
27.	,,	अब्दुल गफार खान	5051 ,,	22-8-68
28.	,,	राधाभाई	3450 सूची	22-8-68
29.	,,	जगदीशचन्द सचदेवा	9436 ('अ' श्रेणी क अस्थाई पंजीयन)	0-11-76
30.	,,	श्यामलाल सालूचा	11210 ,,	10-11-76

परिशिष्ट 3

(समयभाव के कारण प्रश्नकाल में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

अन्त्योदय योजना का मूल्यांकन

151. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही हैं कि योजना आयोग में मूल्यांकन प्रकोष्ठ ने अन्त्योदय योजना के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाले गरीबों को बहुत बड़ा लाभ मिला तथा राजस्थान इस मामले में अग्रणी रहा ?

(2) क्या यह भी सही है कि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में आने वाले 98 प्रतिशत परिवारों को लाभ पहुंचा है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को दूसरी व तीसरी किश्त तथा दूसरी एवं तीसरी किश्तों में चयनित परिवारों को सभी प्रकार की सहायता देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या योजना आयोग के मूल्यांकन को देखते हुए इस योजना के चयनित परिवारों को पूर्ववत् सुविधायें उपलब्ध कराने पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

गुड़ा, अमरपुरा-कोड़मदेसर जलप्रदाय योजना

152. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में जल प्रदाय योजना गुड़ा, राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 820, अमरपुरा कोड़मदेसर, आर. डी. 710 व आर. डी. 620 जब से बनी है, तभी से समस्याग्रस्त है व कभी भी सुचारु रूप से नहीं चली हैं ? यदि हां, तो उक्त योजनाओं में कब तक सुधार होने की संभावना है तथा इस संबंध में अब तक विभाग के बीकानेर में कार्यरत उच्च अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता ने क्या कदम उठाये हैं ?

(2) उक्त योजनाएं कब पूर्ण हुई व इन पर कितनी कितनी धन राशि व्यय की गई है ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, क्षेत्रीय पेयजल योजना गुड़ा के समस्त 9 ग्रामों को राजस्थान मुख्य नहर के आर. डी. 820 से 3 ग्रामों को अमरपुरा-कोड़मदेसर योजना के 5 ग्रामों को आर. डी. 710 से 5 ग्रामों को सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। आर. डी. 620 से कोई पेयजल योजना नहीं बनाई गई है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

भाग-2 की सूची

क्र.सं	योजना का नाम	ग्रामों का नाम	जनवरी, 83 तक व्यय	योजना पूर्ण होने का वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्रीय जलयोजना गुड़ा (स्त्रोत गुड़ा)	1. गुड़ा 2. लाखसर 3. पानुसर 4. साखेला बस्ती 5. डेह 6. खारी चारनान 7. मोडावतान 8. गंगापुरा 9. सिन्धुका	14.40 लाख	1974-75	
2.	क्षेत्रीय जल योजना सुरजड़ा-अगनेऊ रणधीसर (आर. डी. 820)	1. सुरजड़ा 2. अगनेऊ 2. रणधीसर	1.95 लाख	1981	
3.	क्षेत्रीय जल योजना अमरपुरा-भानीपुरा (आर. डी. 752 से)	1. अमरपुरा 2. भानीपुरा	17.82 लाख	1981	
4.	योजना कोड़मदेसर नोखा दैया (स्त्रोत गांव जयमलसर)	1. कोड़मदेसर 2. नोखा दैया 3. जयमलसर	6.80 लाख	योजना निर्माणाधीन है।	
5.	क्षेत्रीय जल योजना करणीसर भाटियान (आर. डी. 710)	1. करणीसर 2. बन्दरवाल 3. भनवतवाला 4. रामसर 5. सुरासर	33.40 लाख	(योजना निर्माणाधीन है। ग्राम बेराला को जल वितरण शुरू नहीं किया गया हैं)	

कुल राजस्व प्राप्ति एवं विकास योजनाओं पर व्यय

153. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के कोष में कुल राजस्व प्राप्ति की राशि कितनी है और इसमें जयपुर जिले से कितनी राशि प्राप्त होती है ?

(2) राज्य में विकास योजनाओं में व्यय की जाने हेतु कुल कितनी राशि निर्धारित है और इसमें से जयपुर जिले में कितनी राशि व्यय की जाती है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार आय और व्यय के आंकड़ों में हो रहे इस भेद भाव पूर्ण अन्तर को मिटाने के लिये कोई विश्वस्त फार्मूले की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में कुल राजस्व आय 857.07 करोड़ थी। राजस्व प्राप्तियों का विवरण मदवार रखा जाता है न कि जिलेवार।

(2) वर्ष 1981-82 में विकास योजनाओं पर रु. 530.79 करोड़ का व्यय हुआ। व्यय का वर्गीकरण मदवार होता है न कि जिलेवार।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा मार्केट योजना

154. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर नें पृथ्वीराज मार्केट योजना, संयोगिता मार्केट योजना, चरक नगर योजना एवं फूस कोठी योजना बना कर सभी प्राथमिक प्रक्रिया पूरी कर नोटिफाई की थी और तदनुसार इन योजनाओं हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी थी ?

(2) यदि हां, तो इन चारों योजनाओं में कितनी-कितनी दुकानों का व आवासीय भू-खण्डों का प्रावधान था और इस हेतु किस किस जमीन को अधिग्रहण की कार्यवाही से अवाप्त करना था? कृपया विवरण प्रत्येक योजना के नक्शे सहित सदन के पटल पर रखें।

(3) इन योजनाओं की क्रियान्विति कब-कब, किस-किस कारण से रोक दी गई है ? कृपया, योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पृथ्वीराज मार्केट योजना, संयोगिता नगर योजना एवं फूसवाली कोठी योजनाएं न्यास की अधिसूचित योजनाएं हैं। चरक नगर योजना अभी अधिसूचित नहीं हुई है। पृथ्वीराज मार्केट योजना व संयोगिता नगर योजना की भूमि अवाप्ति कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

Page No 104

(104)

(राज्य मंत्री, नगर योजना)

(2) पृथ्वीराज मार्केट योजना में 135 दुकानें व होटल प्रस्तावित हैं। इस हेतु ख. नं. 4483 मिन रकबा 9-15-10 भूमि अवाप्त करने का प्रस्ताव है।

संयोगिता नगर योजना में कोई दुकानें प्रस्तावित नहीं की गयी हैं। इसमें 62 आवासीय भू-खण्ड, एक होटल व एक सिनेमा के भू-खण्ड़ों के लिये प्रस्ताव है इस योजना हेतु ख. नं. 3239 रकबा 23-6-0 की भूमि अवाप्त करने का प्रस्ताव है। फूसवाली कोठी योजना में आने वाली भूमि की अनिवार्य अवाप्ति अभी प्रारम्भ नहीं हुई है।

पृथ्वीराज, संयोगिता व फूसवाली कोठी की योजनाओं के मानचित्र की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) इन योजनाओं की भूमि अवाप्ति होकर न्यास के कब्जे में नहीं आयी है अतः इन योजनाओं की क्रियान्वित नहीं की जा सकी।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर डिस्टीलरी उद्योग द्वारा दूषित पानी

155. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर डिस्टीलरी उद्योग से खराब पानी आयड नदी में छोड़ दिया जाता है जिसके कारण नदी का पानी दूषित हो गया हैं ?

(2) क्या मवेशियों एवं नागरिकों को इस दूषित पानी से हानी होती है ? यदि हां, तो सरकार इसको रोकने का क्या उपाय करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि आयड़ नदी के किनारे पर जल विभाग द्वारा कुए बना कर कानपुर, मादड़ी, कलड़वास आदि क्षेत्रों में दूषित पानी का वितरण किया जाता है।

उत्तर

(1) जी हां। आयड़ एक बरसाती नदी है जो बरसात के अलावा सूखी रहती है। डिस्टीलरी का खराब पानी कुछ दूर बहकर सूख जाता है। अतः डिस्टीलरी के खराब पानी से इस नदी के सतही जल का प्रदूषण बरसात के अलावा सम्भव नहीं है।

(2) डिस्टीलरी का गन्दा पानी बदबूदार व अत्यधिक बी. ओ. डी. युक्त है जो मछली प्रजनन व खेती के लिए अनुपयुक्त है। मनुष्य तथा मवेशियों के लिए इस पानी का ग्रहण करना सम्भव नहीं है। अतः इसका जन अथवा पशु स्वास्थ्य पर कोई सीधा दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता हैं। इस उद्योग को राज्य मण्डल द्वारा जल अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सम्मति की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा दिनांक 13-12-1982 को आयोजित मण्डल की बैठक में इस उद्योग को पूर्व स्वीकृति सम्मति को रद्द कर दिया गया है।

(3) कुओं से जल वितरण का काम जलदाय विभाग से सम्बन्धित है। बहरहाल डिस्टीलरी जैसे उद्योग द्वारा निस्ता-

Page No 105

(105)

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)
वित्त उच्छिष्ट में उपस्थित घुलनशील पदार्थों का भूगर्भीय जल पर प्रभाव नगण्य होता है।

बाड़मेर जिले के टांकों, कुओं की मरम्मत

156. श्री हमाराम चौधरी (गुडामालानी : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले के लिए टांकों, कुओं की मरम्मत एवं नये कुओं के निर्माण के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति जारी की ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत राशि जिला परिषद्, बाड़मेर को हस्तांतरित कर दी गई ?

(3) क्या सरकार ने उक्त स्वीकृत राशि के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार स्वीकृत राशि के भुगतान पर लगाई गई रोक को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के लिए टांकों, कुओं की मरम्मत एवं नये कुओं के निर्माण के लिए कुल 18.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

(2) जी हां। स्वीकृत राशि जिला परिषद्, बाड़मेर को जिला कोषालय द्वारा 21-8-82, 25-8-82 को हस्तान्तरित कर दी गई है।

(3) जी हां।

(4) इस रोक को हटाने के लिए सरकार विचार कर रही है।

बायतू ग्राम, जिला बाड़मेर को पाइप लाईन से जोड़ना

157. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के किसी आश्वासन के फलस्वरूप बाड़मेर जिले के बायतू कस्बे के पास पुराने बायतू ग्राम के लोगों ने एक पानी का हौज दो-तीन महीने से बनाया हुआ है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त ग्राम के हौज को पाइप लाइन से अभी तक नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम को निकट भविष्य में पाइप लाइन से जोड़े जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। न ही हौज बनाया गया।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं, ढाणी होने के कारण से नहीं जोड़ा जा रहा है।

उद्यमियों को एक छत के नीचे सभी सुविधायें

158. **श्री रामजी मीणा** (सपोटरा) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को सभी सुविधाएं एक छत के नीचे सुलभ कराने का निर्णय लिया गया था?

(2) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और इसका क्या ढांचा बनाया जाकर उद्यमियों को राहत पहुंचायी जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले समस्त उद्यमियों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्यस्तर पर, उद्योग भवन, काम्पलेक्स तथा जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है, जिनमें औद्योगिक विकास से सम्बन्धित समस्त विभाग के अधिकारियों को एक ही छत के नीचे जिला-स्तर एवं राज्य स्तर पर लाया जाकर उद्यमियों को राहत पहुंचाई जा रही है।

बीकानेर-जयपुर बैंक की अटरू शाखा

159. श्री **रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की अटरू ब्रांच के मैनेजर ने चयनित परिवारों के लिये पशु खरीदने में भ्रष्टाचार की शिकायत जिला प्रशासन को की है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई और उस शिकायत को सही पाया गया?

उत्तर

जी नहीं।

आयुर्वेद निदेशक पर आरोपों की जांच

160. **श्री हरसहाय मीणा** (किशनगंज), **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) व **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान आयुर्वेद निदेशक के विरुद्ध विधान सभा सदस्यों द्वारा कई आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उन आरोपों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग के विरुद्ध पूर्व में हींग, इलायची और तिल्ली के तेल की खरीद में लाखों रुपये के घोटालों की शिकायत पाई गई? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक के विरुद्ध विभिन्न मामलों की जांच की जाकर उन्हें चार्ज-शीट दी जा चुकी है?

(श्री हरसहाय मीणा)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो किन-किन आरोपों में?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त मामलों की जांच में यह अधिकारी दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की और आगे क्या करने जा रही है?

उत्तर

(1) वर्तमान निदेशक, आयुर्वेद श्री प्रहलादराय देराश्री, के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये हैं। हां, भूतपूर्व निदेशक, श्री गोकुलेन्द्र शर्मा के विरुद्ध अवश्य कतिपय विधान सभा सदस्यों ने आरोप लगाये हैं। उन आरोपों के बारे में प्राथमिक जांच करवाई गई है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को दिनांक 11-1-83 को प्रस्तुत कर दी है, जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं तथा एक मुद्दे पर कार्मिक विभाग को श्री गोकुलेन्द्र शर्मा को निलम्बित करने हेतु सिफारिश कर दी गई है।

(2) केवल हींग (हीरा-हींग) के वर्ष 1980-81 के क्रय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को मार्च, 1981 में विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। हींग का क्रय, निम्नानुसार टेन्डर आमंत्रित कर किया गया था। फिर भी इसके वास्तविक तथ्यों की जांच हेतु मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट आने पर ही दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(3) इलायची एवं तिल्ली के तेल के क्रय सम्बन्धी किसी घोटाले की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

जी हां, एक मामले में प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 27-8-82 को कार्मिक विभाग को प्रकरण विभागीय जांच हेतु भेजा गया था। कार्मिक (क-3) विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प. 1 (132) कार्मिक/क-3/82, दिनांक 17-2-83 के द्वारा श्री शर्मा को चार्ज शीट जारी कर दी है।

(4) जी हां, उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एक प्रथम सूचना संख्या 146/82 एवं दो प्राथमिक जांच स. 50/82 तथा 90/82 विचाराधीन है। आरोपों का विवरण सलग्न है।

(5) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि उक्त अधिकारी दोषी पाये गये हैं अथवा नहीं। प्रश्न के भाग सं. (2) के उत्तर में विभागीय जांच हेतु कार्यवाही चालू है।

भूतपूर्व कार्यवाहक, निदेशक, आयुर्वेद विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधीन चल रहे मामलों की सूची

(1) प्र. सं. संख्या 146/82

वर्ष 1980-81 में आयुर्वेद विभाग, राजस्थान द्वारा लगभग तीन लाख रुपये के हीरा-हींग की खरीद के संबंध में श्री गोकुलेन्द्र शर्मा द्वारा घोटाला किया गया। उस समय हीरा हींग की कीमत 90/- रुपये प्रति किलो

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

थी, किन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा 290/- रुपये प्रति किलो के भाव का टेण्डर (फर्म रामगोपाल राधेश्याम, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर), जो सबसे ऊंचा था, स्वीकृत किया गया।

(2) प्रा. जा. संख्या 50/82

1. श्री दामोदरलाल त्रिवेदी, सेवा निवृत्त, जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा एक मामले की जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के अन्तर्गत श्री त्रिवेदी के विरुद्ध समय पर विभागीय जांच की जानी थी किन्तु श्री गोकुलेन्द्र शर्मा ने त्रिवेदी से ऊंची रकम लेकर संबंधित पत्रावली को दबवा दिया।

2. वैद्य श्री दुर्गादत्त शर्मा, प्रथम ग्रेड, आयुर्वेद औषधालय, पलासरा, सीकर की जन्मतिथि 1 जुलाई, 1925 थी, जिसके अनुसार सेवानिवृति 1 जुलाई, 1980 में किया जाना था फिर भी उनसे 3,000/- रुपये लेकर राज्य सेवा में बनाये रखा व एक वर्ष बाद उनकी सेवा निवृत्ति की।

3. श्री गोकुलेन्द्र शर्मा ने मोहनलाल दाधीच, उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग के एक मामले को दबाए रखा, और समय पर राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया जिससे दाधिच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

4. श्री प्यारेलाल जैन, व्यवस्थापक, राजस्थान आयुर्वेद विभागीय रसायनशाला, अजमेर के विरुद्ध कालाजीरा क्रय कांड वर्ष 1978-79 में मैसर्स सन्तोष ग्वालियर से 50 हजार रुपये का आर्थिक भ्रष्टाचार कर मामले को दबाए रखा और श्री जैन के सेवानिवृत्त होने के समय मामला राज्य सरकार के समक्ष लाया गया, जिससे श्री जैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

5. श्री गोकुलेन्द्र शर्मा ने अपने पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा को ड्रग्स व कास्मेटिक रूल्स, 1945 के नियम के अन्तर्गत योग्यता न रखते हुए भी नियुक्त करवाया।

6. श्री लक्ष्मीनारायण माली को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने की जानकारी होते हुए भी नॉन-प्लान हैड के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनियमित ढंग से पद स्थापित किया।

7. उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग श्री महावीर भारद्वाज से मिलकर झालावाड़ जिले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां की।

8. वर्ष 1979-80 में प्लास्टिक के डिब्बों की अनियमित खरीद की व गोखरू की खरीद अपने मिलने वाली फर्म के मंहगे भाव से खरीदकर राज्य सरकार को घाटा दिया।

9. उप-वैद्य श्री रामगोपाल शर्मा को निर्धारित योग्यता न होने के उपरान्त भी औषधालय, रोछवा, जिला झालावाड़ में नियुक्ति दी।

10. श्री महेन्द्रपाल सिंह, क. लि. को 4-2-76 को इन्होंने आरोप-पत्र दिया जो अमान्य घोषित कर दिया गया। इस पर गोकुलेन्द्र शर्मा ने अधिकृत नहीं होने पर भी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर महेन्द्रपाल सिंह ट्रिब्यूनल में गया, जिस पर महेन्द्रपाल सिंह की जीत हुई व राज्य

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)
सरकार को 50,000 - रुपये का नुकसान हुआ ।

(3) प्रा. जा. संख्या 90/82

1. वर्ष, 1980 81 में आयुर्वेद विभाग की औषधियों के जनरल टेण्डर्स के संबंध में फर्म भगवान सहाय रामगोपाल व नन्द किशोर एंड सन्स कम्पनी से सांठगांठ कर फर्जी कार्यवाही करके उक्त फर्म के नाम 5 लाख रुपये के टेन्डर स्वीकृत किए ।

2. श्री गोकुलेन्द्र शर्मा द्वारा अपनी पुत्री की शादी में भगवान सहाय एवं अन्य व्यापारियों से 2 लाख रुपये का दहेज व नकदी प्राप्त की गई।

3. श्री गोकुलेन्द्र शर्मा द्वारा सिविल सेवा अपील अधिकरण में उपस्थित होने के नाम से अधिकतर फर्जी यात्राएं की गई ।

जिला अलवर, थाना रामगढ़ के अन्तर्गत डाका

161. श्री चांद खां (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर, थाना रामगढ़ के सुका का बसन (रसगन) में आज से करीब दो माह पूर्व एक मेव के यहां डकैती डाली गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि आज तक डकैती का माल बरामद नहीं हुआ है और न ही किसी डकैत को पकड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि एस. एच. ओ., थाना रामगढ़ द्वारा डकैत तथा बदमाश को न पकड़कर, इस क्षेत्र के शरीफ तथा बाइज्जत लोगों को बुलाकर उन्हें एक-एक, दो-दो सप्ताह हिरासत में रखकर बेइज्जती की गई और उन्हीं से काफी पैसा लेकर, उन्हें छोड़ा गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(4) क्या सरकार इस एस. एच. ओ. थाना रामगढ़ की उक्त ज्यादती की जांच कराने को तैयार है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच से पूर्व थानेदार का रामगढ़ थाने से स्थानान्तरण करेगी ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) डकत फज्जर, पुत्र नवाव, कौम कसाई, साकिन कोट व आलम, पुत्र मुन्नी मेव, साकिन पावसर को पकड़ा जा चुका है । फज्जर की कार्यवाई शनाख्तगी करवा ली गई है । पुलिस को रिमाण्ड न मिलने के कारण, अभी तक कोई बरामदगी नहीं हुई है।

(3) जी नहीं ।

(4) जब कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई तो जांच का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

आयुर्वेदिक एलोपैथिक चिकित्सकों के वेतनमानों में अन्तर

162. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक तथा एलोपैथिक एवं पशु

(श्री बाऊदयाल जोशी)
चिकित्सकों के वेतनमानों में भारी विसंगतियां हैं? यदि हां, तो वे वेतनमान क्या-क्या हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विसंगतियों को दूर करने हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने समय-समय पर मांग की है तथा सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिया है?

(3) यदि हां, तो उक्त विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किये जाने का क्या कारण है तथा क्या सरकार उक्त विसंगतियों को शीघ्र समाप्त करने के आदेश प्रदान करे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने एलोपैथिक चिकित्सकों के समकक्ष वेतनमान देने की मांग की है। राज्य सरकार ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया है। किन्तु इनके वेतनमान सम्बन्धी मांग का मामला विचाराधीन है।

(3) खण्ड 1 तथा 2 के उत्तर अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विषाक्त भोजन व पानी से मृत्यु

163. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) एवं श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इस वर्ष (1982-83) राज्य में कहां कहां और कितने व्यक्तियों की विषाक्त भोजन अथवा पानी पीने के कारण कब-कब मृत्यु हुई? कृपया, तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा यह बताये कि इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कौन-कौन हैं?

(2) क्या ऐसी मृत्यु के कारणों की जाँच की गई है? यदि हां, तो ऐसी जांच का क्या परिणाम निकला?

(3) क्या इन मामलों में कुछ व्यक्ति दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता दी गई है? यदि हां, तो क्या और कब?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार विषाक्त भोजन व पानी से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 6 नागौर जिले में व 4 जयपुर तथा 2 सवाई माधोपुर जिले में।

(2) इनमें चार अनुसूचित जाति के थे।

(3) जी हां। अधिकांश मौतें दूषित पानी के पीने के कारण, उल्टी व दस्त हो कर डिहाइड्रेशन के परिणामस्वरूप हुईं। कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया।

(4) जहां तक विभाग को जानकारी है, कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

नगरपालिका, कापरेन, जिला बूंदी द्वारा पाइपलाइन

164. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, कापरेन, जिला बूंदी द्वारा 1982 में गलत नक्शा प्रस्तावित कर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के वार्डों में पाइप लाइन डालने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत पाइप लाइन को सवर्ण जाति के लोगों के वार्डों में डाल दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या पेयजल से वंचित रह जाने के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों की ओर से सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, अध्यक्ष, नगरपालिका, कापरेन द्वारा उप-अभियन्ता पर दबाव डाल कर 200 मीटर पाइप लाईन डलवाई है व पाइप लाइन में अभी पानी चालू नहीं किया गया है।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति व जन-जाति मोहल्लों में पाइप लाइन जिला परिवीक्षण व समाज कल्याण अधिकारी, बूंदी से प्रस्ताव अनुमोदित करवा कर डाली जावेगी।

ग्यांग्यासर जल प्रदाय योजना

166. श्री लच्छूराम (मण्डावा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं में ग्यांग्यासर जल प्रदाय योजना विश्व बैंक की योजना में स्वीकृत है? यदि हां, तो इस योजना में कौनसे गांव हैं?

(2) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना में ग्राम भूतीयावास, भगवतपुरा, गूरों का वास, गूगे का वास, भामू का बास, लेखू का वास शामिल नहीं है, जिनकी आबादी 3,000 के करीबन है?

(4) क्या यह सही है कि बार-बार अनुरोध करने पर भी उक्त गांवों को इस योजना में नहीं जोड़ा गया?

(5) क्या सरकार इन गांवों को उक्त योजना में जोड़ने का इरादा रखती है?

(6) यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्यांग्यासर क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत ग्यांग्यासर, कोदेसर, नाथासर, बीदासर, चन्दवा, खीदरसर व दूलचास ग्राम है।

(2) योजना की अनुमानित लागत 18.00 लाख रुपये हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। ढाणियां होने के कारण योजना में नहीं जोड़ा गया है।

(5) जी नहीं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(6) ढाणियां होने के कारण योजना में शामिल नहीं की गई हैं।

गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या

167. श्री यदुनाथसिंह (नदवई) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं ? कुल जनसंख्या का यह योजनावार एवं 31 जनवरी, 1983 तक छठी योजना का वर्षवार क्या प्रतिशत रहा ? विवरण सदन की मेज रखने की कृपा करें।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत गरीबी का अनुमान लगाया गया है एवं 31 जनवरी, 1983 तक कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है ? राज्य की गरीबी उन्मूलन की क्या ठोस योजना है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीयस्तर पर योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी की रेखा के अनुसार राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण के 32 वें सत्र के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के तैयार किये गये अस्थाई अनुमानों के अनुसार वर्ष, 1977-78 में राजस्थान की 33.76 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे होना अनुमानित थी। वर्षवार यह सूचना नहीं अनुमानित की जाती।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रकार के अनुमान नहीं बनाये गये हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से जनवरी, 83 तक 3.14 लाख परिवारों को लाभांवित किया गया। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए राज्य के समस्त 236 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य-क्रम दो अक्टूबर, 1980 से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, अनुसूचित जाति कम्पोनेंट योजना अनुसूचित जन-जाति उप-योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो गरीबी कम करने में सीधे सहायक हैं।

राज्य के बाहर के मेडिकल कॉलेजों हेतु छात्र चयन

168. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले 3 वर्षों में पी. एम. टी. की परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने किस-किस छात्र को एम. बी. बी. एस. व बी. डी. एस. के लिए राज्य के बाहर किन-किन मेडिकल कॉलेजों में, कब-कब भेजा ? कृपया, पूर्ण सूची मय नाम, वल्दियत, जाति व पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इनको बाहर भेजने के नियमों के अन्तर्गत क्या मापदण्ड है ?

(3) क्या उपरोक्त छात्रों को बाहर भेजते समय उपरोक्त मापदण्डों व नियमों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) एम. बी., बी. एस. एवं बी. डी. एस. के छात्रों को बाहर के कॉलेजों में मनोनयन करते समय उम्मीदवार की पात्रता देखी जाती है।

(3) जी हां।

राजस्थान सरकार द्वारा बी.डी.एस. कोर्स के लिये मनोनीत छात्रों की सूची

नाम	पता	मेडिकल कॉलेज
वर्ष—1980		
1—श्री श्याम विहारी गोयल	श्याम बिहारी गोयल पुत्र श्री के. पी. गोयल, मेण्टल हास्पिटल रोड, आदर्श नगर, जयपुर।	(डेन्टलविंग) लखनऊ।
2—श्री मनसुखराम ढ़ालिया	मससुख ढ़ालिनपुत्र श्री मोडा राम, चुंगी नं. 6, वार्ड नं. 5, हनुमानगढ़ टाउन।	(डेन्टल विंग) कलकत्ता।
वर्ष—1981		
1—कु. अंजली दवे	अंजली दवे, पुत्री श्री यू.एस. दवे, द्वारा श्री डी.एस. दवे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, सी.22, सवाई जयसिंह हाईवे, वनीपार्क, जयपुर।	(डेन्टल विंग) लखनऊ।
2—श्री राजीव थापर	श्री राजीव थापर पुत्र श्री एस. बी. थापर, ई—2 अशोक मार्ग, सी. स्कीम, जयपुर।	(डेन्टल विंग) मद्रास।
3—श्री एम.पी. नरूला	एम.पी. नरूला पुत्र बी.एस. नरूला, ज्वाईन्ट डाइरेक्टर इकोनोमिक्स एंड स्टेटिस्टक्स (प्रतिनियुक्ति पर) रीको टेलीविजन फैक्ट्री-504, राजापार्क, जयपुर।	(डेन्टल विंग) इन्दोर।
वर्ष—1982		
1—श्री विनोद गर्ग	विनोद गर्ग पुत्र श्री एस.सी. गर्ग, सेल एक्जिक्यूटिव, सी-84, आजाद मार्ग, जयपुर।	(डेन्टल विंग) लखनऊ।
2—श्री रवि आहुजा	रवि आहुजा पुत्र श्री बी.एन. आहुजा, आहुजा बिल्डिंग, रातानाडा मेन रोड, जोधपुर।	(डेन्टल विंग) मद्रास।

(114)

राजस्थान सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में एम. बी., बी. एस. कोर्स के लिए मनोनीत किये गये छात्रों की सूची

नाम व पता	मेडिकल कालेज
वर्ष—1980	
1. कु. प्रीति अग्रवाल, पुत्री श्री एम. डी. अग्रवाल, बीं-144-ए, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर।	मेडिकल कालेज, जम्मू
2. श्री सैयद जावेद अली, पुत्र श्री आबिद अली, सवाई माधोपुर, राजस्थान।	यथा
3. श्री अकील अहमद, पुत्र श्री असदुल्लाह भट्ट टेली, विलेज सिमुह, श्रीनगर (जे. एण्ड के.)	यथा
4. श्री शमीम मीर, पुत्र श्री जी. एम. मीर-34 ई. पी. पी. कलपेटियन, जम्मू तवी।	यथा
5. श्री संजीव मलिक, पुत्र श्री आर. के. मलिक, 44-कोटला रोड़, नई दिल्ली।	यथा
6. कुमारी सरोज गुप्ता, पुत्री श्री केदार नाथ, एडवोकेट, डीग, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर।	यथा
7. श्री मलिक हुसैन, द्वारा उस्मान आरिफ, डिप्टि मिनिस्टर, वर्क्स एण्ड हाउसिंग, भारत सरकार, नई दिल्ली।	यथा
8. श्री रनबीर इन्द्र सिंह, पुत्र श्री बिन्द्रा, स्पेशिल एसिस्टेन्ट टू यूनियन होम मिनिस्टर, नई दिल्ली।	यथा

115

राजस्थान सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में एम. बी. बी. एस. कोर्स के लिए मनोनीत किये गये छात्रों की सूची

नाम व पता	मेडिकल कॉलेज
वर्ष–1981	
1. श्री जलाल बक्षी, पुत्र श्री एल. बी. बक्षी, चीफ इंजीनियर, पी. डब्ल्यू. डी., राजस्थान, जयपुर	मेडिकल कालेज, जम्मू
2. श्री केशव जोशी, पुत्र श्री के. सी. जोशी, प्रौफेसर एवं विभागाध्यक्ष (पैथोलोजी), मेडिकल कालेज, उदयपुर।	यथा
3. श्री अब्दुल अजीज कागजी, पुत्र श्री हाफिज अब्दुल रजाक, सवाई माधोपुर, राजस्थान।	यथा
4. श्री शब्बीर हुसैन, पुत्र श्री मुफ्ति मोहम्मद सईद, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री नगर	यथा
5. श्री बसन्त कुमार शर्मा, पुत्र श्री जनक राज गुप्ता, डिप्टी स्पीकर, जम्मू कश्मीर विधान सभा, श्रीनगर।	यथा
6. कु. काण्डे कौल, पुत्री श्री प्यारे लाल, करि ओलू, जं–3, जवाहर नगर, श्रीनगर।	यथा
7. कु. विजय लक्ष्मी राणा, पुत्री ले. कर्नल एस.एस. राणा, लक्ष्मी निवास, बनीपार्क, जयपुर।	यथा
8. कु. ईरफान माजिद, पुत्री श्री अब्दुल माजिद, एडवोकेट, अनन्तनाग, कश्मीर।	यथा
9. श्री सुपवित्र कुमार जैन, पुत्र श्री देवकुमार जैन, सीनियर पी.पी., सी.बी.आई., बी–133, सेठी नगर, आगरा रोड, जयपुर।	यथा

(116)

राजस्थान सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में एम. बी., बी. एस. कोर्स के लिए मनोनीत किये गए छात्रों की सूची

नाम व पता	मेडिकल कालेज
1	2
वर्ष–1982	
1. कु. अनु भण्डारी, द्वारा डॉ. बी.एम. भण्डारी, जयपुर।	मेडिकल कालेज, जम्मू
2. कु. प्रीति माथुर, द्वारा लेफ्टिनेन्ट कर्नल जी. पी. माथुर, पी. 2–5, जय दुर्गा काम्पलेक्स केन्ट, जम्मू।	
3. श्री संतोष त्रिवेदी, पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, एफ–23, रमेश मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।	
4. श्री राणा हरीजीत सिंह, पुत्र श्री सतवंत सिंह, अतिरिक्त अधीक्षक (ए.सी.डी.), जयपुर।	
5. श्री संजय शर्मा, पुत्र श्री डी. डी. शर्मा, गोपी का बेरा, मण्डोर, जोधपुर।	
6. श्री वसीम अहमद, पुत्र श्री अब्दुल मजीद, एसिस्टेन्ट रेजीडेन्ट इन्जीनियर, आर.एस.ई.सी.सी., उदयपुर।	
7. श्री सुरेन्द्र कौल, पुत्र श्री श्रीकृष्ण कौल (करिहार), हब्बा का दल, श्रीनगर।	
8. कु. दुर्गेश नन्दिनी, पुत्री श्री कौल परमार, जयपुर।	
9. कु. कल्पना थानवी, पुत्री श्री बी. के. थानवी, डी. आई. जी., जयपुर।	

Page No 117

(117)

1	2
10. श्री प्रकाश झा. पुत्र श्री जी.एन.झा. महाराजा कालेज, डिपार्टमेन्ट आफ साइंस, जयपुर।	मेडिकल कालेज, जम्मू
11. श्री मोहम्मद इस्लामुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दीकी, झुन्झूनू	„

अवैध शराब का निर्माण

169. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य में शराब बन्दी समाप्त होने के पश्चात् अवैध शराब का निर्माण बढ़ा है ?

उत्तर

जी नहीं।

सब हैल्थ सेन्टर्स में स्टाफ की कमी

170. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितने सब हैल्थ सेन्टर स्टाफ के अभाव में बन्द पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील पचपदरा के ग्राम दूधवा में सब हैल्थ सेन्टर का भवन बना हुआ है ? यदि हां, तो यह भवन कब बना ?

उत्तर

(1) कुल 45 उपकेन्द्र स्टाफ के अभाव में बन्द पड़े हैं। सूची संलग्न है।

(2) दूधवा में उपकेन्द्र भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया है।

45 उपकेन्द्र जो स्टाफ के अभाव में बन्द पड़े हैं, की सूची

क्र. सं.	प्रा. स्वा. केन्द्र	सब सेन्टर (हैल्थ)	सब सेन्टर (परिवार कल्याण
1	2	3	4
1.	समदड़ी	1. करमावास 2. मोकलसर 3. मोली 4. केम्टरी	1. शरवी 2. जेवन्तरी

1	2	3	4
2.	बायतू	5. झाब	3. कानोड
		6. परेऊ	
		7. हीरो की ढाणी	
		8. डदों की ढाणी	
		9. गोढा	
3.	चौहटन	10. सुभाला	4. बीजराड़
		11. सारला	
4.	गुगा	12. हरसानी	5. देवका
		13. बालेड़ा	6. गिराब
5.	सिन्दरी	14. मोकड़ा	7. बांड
		15. नोख	8. धाटाला
			9. डन्डाली
			10. मगने की ढाणी
6.	रामसर	16. नीलसर	11. गगाडिया
		17. बाडीन	
		18. समापडा	12. सारातरा
		19. रानीगांव	13. नांद
7.	माण्डोली	20. दूदवा	14. टापरा
		21. कालेवा	15. कोरना
		22. जसोल	46. थोब
8.	मुड़ा मलानी	23. भाखरपुरा	17. गाडवी
		24. पीफराली	18. उठाला
		25. उडासर	
		26. मिलारानीया	
		27. उमला	

थाना डेगाना के अन्तर्गत ग्राम चूही में मर्डर

171. श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या थाना डेगाना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम चूही का मर्डर का केस थाने में दिनांक 10-4-1982 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन 31/82 पर दर्ज किया गया था ?

(2) उक्त केस में कौन-कौन अभियुक्त थे तथा उनको कब-कब गिरफ्तार किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केस में श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री जसवन्तसिंह को भी मुलजिम बनाया गया था किन्तु तफतीश के पश्चात् न्यायालय में एफ. आर. दर्ज करा कर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो कौनसी तिथि को ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री सुमेरसिंह को दोष मुक्त पाये जाने की सूचना सम्बन्धित थाने में पहुंच गई थी ? यदि हां, तो कौनसी तिथि को ?

(5) क्या यह भी सही है कि दिनांक 22-1-1983 को श्री सुमेरसिंह को न्यायालय में एफ. आर. स्वीकृत होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार करने ग्राम चूही में गई थी? यदि हां, तो वह किसके मकान में घुसी और क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि पुलिस ने श्री सुरजभानसिंह के मकान में घुसकर गोली चलाई ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि ग्राम चूही के राजपूतों के खिलाफ 307 आई. पी. सी. मुकदमें दर्ज कर उनको परेशान किया जा रहा है ?

(8) क्या यह भी सही है कि अधीक्षक, आरक्षी विभाग, जिला नागौर ने श्री ओमसिंह को अपने कार्यालय में गिरफ्तार करा दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस अभियोग में अनुसंधान से मु. सोनी एवं उदाराम अभियुक्त पाये गये जिन्हें क्रमशः दि. 10-4-82 एवं 13-4-82 को गिरफ्तार किया गया।

(3) जी हां, दिनांक 18-11-82 को।

(4) जी हां, दिनांक 25-11-82 को।

(5) यह सही है कि दि. 18-11-82 को सुमेरसिंह को न्यायालय में एफ. आर. स्वीकृत हुई थी, किन-किन परिस्थितियों में उसे बाद में गिरफ्तार किया गया यह पृथक् प्रश्न है, अतः इस पर और सूचना प्राप्त की जा रही है।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। पुलिस दल पर हमला कर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में अ. सं. 12/83 धारा 147/148/149/307/332/353/336/224/325/ता.हि. के अन्तर्गत थाना डेगाना पर पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान जारी है।

(8) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 18 फरवरी, 1983)

जयपुर नगर की कच्ची बस्तियां

4. श्रीमती उमला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कुल कितनी कच्ची एवं गन्दी बस्तियां हैं ? कृपया, निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बस्तियों में से कितनी को बसाया जा चुका है और इनके बसाने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि कच्ची बस्तियों को नियमन करने की दरें 3 रु. प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर ग्राम के आधार दर 5 रु. से 50 रु. प्रति वर्ग गज कर दी गई है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में कुल 179 कच्ची व गन्दी बस्तियां हैं। निर्वाचन क्षेत्र-वार सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त बस्तियों में से 118 बस्तियों 18,676 परिवारों को बसाया जा चुका है। इनको बसाने का आधार जिलाधीश, जयपर द्वारा वर्ष 1971 एवं वर्ष 1981 में करवाया गया सर्वेक्षण है।

(3) जी हां।

बनीपार्क निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम कच्ची बस्ती
1.	अम्बेडकर कॉलोनी
2.	अशोक पुरा जमना डेयरी के सामने
3.	बरकत बस्ती, झोटवाड़ा
4.	बैकुण्ठ नगर कच्ची बस्ती
5.	22 गोदाम, पुरोहितजी का बास
6.	22 गोदाम गीजगढ़ हाउस
7.	धानका बस्ती, झोटवाड़ा
8.	दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन
9.	इन्द्रा कच्ची बस्ती, अजमेर रोड
10.	फतेहनगर हटवाड़ा कच्ची बस्ती
11.	गोपालपुरा कच्ची बस्ती
12.	हसनपुरा, हरिजन बस्ती
13.	हसनपुरा, 'ए' कच्ची बस्ती
14.	हसनपुरा, बंजारा बस्ती
15.	हसनपुरा, 'बी' खातीपुरा रोड के दक्षिण में
16.	हसनपुरा, 'सी' कच्ची बस्ती

क्र. सं.	नाम कच्ची बस्ती
17.	हटवाड़ा कच्ची बस्ती
18.	जमना डेयरी छुटक्या का बाग
19.	खातीपुरा बीड़ कच्ची बस्ती
20.	करतारपुरा कच्ची बस्ती
21.	कुमावत कच्ची बस्ती
22.	लाखाजी की ढाणी
23.	लक्ष्मीनगर आजाद बस्ती
24.	लालकोठी
25.	मुख्य सोडाला कच्ची बस्ती.
26.	मुख्य नगर मदरामपुरा
27.	रामराजपुरा रावडी
28.	राय कोलोनी
29.	रुपारामपुरा वलाई बस्ती, झोटवाडा
30.	रुपारामपुरा कच्ची बस्ती, टोंक रोड
31.	संतोषनगर नाटाणियों का बाग
32.	सुन्दरनगर कच्ची बस्ती
33.	सीमावर्ती की ढाणी
34.	सचिवालय के पीछे कच्ची बस्ती
35.	सुशीलपुरा कच्ची बस्ती
36.	विनोबा माग, सी-स्कीम कच्ची बस्ती
37.	वर्मा शैल के पीछे कच्ची बस्ती
38.	स्वेज फार्म
39.	चक सुन्दर वास
40.	दादू दवारा चक हसनपुरा
41.	हथरोई वावड़ी
42.	हथरोई पी.एम.जी. विभाग के सामने
43.	आदर्श नगर वागड़िया वस्ती [दयानन्दपुरी सहित]
44.	आनन्दपुरी कच्ची वस्ती
45.	खड्डा वस्ती
46.	मुस्लिम स्कूल के पीछे कैलाशपुरी
47.	तिवाड़ी जी का बाग
48.	जनता कॉलोनी

किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्तियों की सूची

क. सं.	नाम कच्ची बस्ती
1.	आजाद बस्ती श्रीराम कॉलोनी
2.	बड़ोदिया कच्ची बस्ती
3.	कलेक्ट्रेट के पीछे कच्ची बस्ती
4.	बक्तावरपुरा कच्ची बस्ती
5.	आजाद कालोनी, नाहरी का नाका
6.	संजय भट्ट, बस्ती, नाहरी का नाका
7.	वरिया बस्ती
8.	भौमिया बस्ती
9.	वलाई बस्ती
10.	गांधी बस्ती
11.	चन्द्रशेखर की बगीची
12.	डी. पी. कॉलोनी
13.	हरिजन बस्ती
14.	इन्द्रा कच्ची बस्ती
15.	जे. पी. नगर कच्ची बस्ती
16.	कुरेशी कॉलोनी
17.	कृष्णा कॉलोनी
18.	लन्कापुरी
19.	लोक नायक व्यास कॉलोनी
20.	माली कालोनी
21.	पटेल नगर नाहरी का नाका
22.	पेन्टर कॉलोनी ,,
23.	पर्वतीय कॉलोनी ,,
24.	पंचमुखी हनुमान नाहरी का नाका
25.	राणा कॉलोनी ,,
26.	रामनगर कच्ची बस्ती ,,
27.	शिवाजीनगर ,, ,,
28.	शांतीनगर नायक बस्ती ,,
29.	शास्त्रीनगर शोपिंग सेण्टर ,,
30.	सुदामापुरी
31.	स्वामी बस्ती नाहरी का नाका
32.	सक्टर नं. 1 क. व. ,, ,,
33.	सैक्टर नं. 2 क. व. ,, ,,
34.	टैगोर नगर कच्ची बस्ती, नाहरी का नाका

क्रम सं.	नाम कच्ची बस्ती
35.	टाटानगर नाहरी का नाका
36.	तेली कॉलोनी ,, ,,
37.	वर्मा कालोनी ,, ,,
38.	स्वामियों की बस्ती पारीक कालेज
39.	क्षीर सागर व बरकत कॉलोनी
40.	बस्ती सीतारामपुरा
41.	नया खेड़ा
42.	ग्रेन मण्डी चांदपोल बाहर
43.	शनिश्चरजी के मन्दिर के पीछे मोतीलाल नेहरु मार्ग कच्ची बस्ती
44.	सीकर हाउस कच्ची बस्ती
45.	न्यू कॉलोनी हरिजन बस्ती
46.	ढेर का बालाजी
47.	धर्म नगर
48.	मारवाड़ी बस्ती हथरोई
49.	विधायक पुरी हथरोई
50.	(i) गन्दी मोरी हरिजन बस्ती
	(ii) इन्द्रा बाजार
	(iii) रास्ता तोपखाना
51.	कायस्थों की बगीची के पास
52.	मौहल्ला कामखांनियान
53.	मौहल्ला सिरकीगरान

जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली
बस्तियों की सूची

क्रम सं.	नाम कच्ची सूची
1.	वास बद्नपुरा
2.	ईदगाह कच्ची बस्ती (लक्ष्मण डूंगरी)
3.	फकीरों की डूंगरी
4.	गंगापोल बाहर कच्ची बस्ती
5	कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा
6.	मण्डी खटीकान
7.	परसरामपुरी न्यू इन्दिरा कॉलोनी; आमेर रोड सीमा पर है ।

(124)

क्र. सं.	नाम कच्ची बस्ती
8.	सूर्य नगर कच्ची बस्ती
9.	सीतारामपुरी, बद्रीनारायण की डूंगरी
10.	मोहल्ला डाकोतान
11.	बाग बदनपुरा रेगर बस्ती
12.	परसरामपुरी
13.	लक्ष्मीनारायणपुरी कच्ची बस्ती
14.	सड़क घोड़ा निकाल, चौ. रामचन्द्रजी
15.	कच्ची बस्ती नोहरवाडा
16.	कुण्ड राधाकिशन के पास
17.	चार दरवाजा गंगापोल गेट तक
18.	ठाकुर बांसको की मोरी के पास
19.	बस्ती नायकान मोती कटला स्कूल
20.	कच्चा बन्धा हरिजन बस्ती
21.	बारियों के बाग के पास
22.	श्यामपुरी बस्ती

जौहरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्तियों की सूची

1. अमरनाथ की बगीची
2. अमृतपुरी कच्ची बस्ती
3. आमागढ़ बस्ती पत्थर मण्डी
4. आमागढ़ कली के भट्टों के पास नाग तलाई
5. नरसिंहपुरा कच्ची बस्ती
6. गोटेवालों की बगीची (ट्रक स्टैण्ड)
7. गोरधनपुरी गलती घाटी
8. घाट की गुणी (खानिया कच्ची बस्ती)
9. शबाना महल कच्ची बस्ती
10. जगतपुरा कच्ची बस्ती
11. झालाना डूंगरी (बाईजी की कोठी)
12. जवाहरनगर कच्ची बस्ती
13. खोका वास कच्ची बस्ती
14. कचरा कच्ची बस्ती
15. मोती डूंगरी कच्ची बस्ती

क्र. सं.	नाम कच्ची बस्ती
16.	मालवीया नगर, ओ. टी. एस. के सामने
17.	मिनर्वा टाकीज के पीछे, कमेले की गली
18.	नाग तलाई, सूरज पोल दरवाजे के बाहर
19.	पुराना घाट, कच्ची बस्ती
20.	राजा पार्क, गली नं. 5
21.	सिपाहियों की बस्ती
22.	शिवनगर, घाट दरवाजे बाहर
23.	सुतरखाना, जनता कालोनी विस्तार
24.	टीबा नायकान
25.	वेधपुरी, ग्राम नागतोली
26.	फतेह टीबा
27.	गैटोर घाटी
28.	बजाज नगर पार्क व केन्द्रीय विद्यालय के पीछे पार्क में
29.	कामर्स कालेज के सामने, गांधीनगर
30.	रामजीपुरा
31.	धन्ना दास की बगीची
32.	फतेह टीबा, श्मशान कच्ची बस्ती
33.	कोठी रेगरान, घाटगेट
34.	कोली बस्ती, मोरी दरवाजे के बाग के पास
35.	कोली कच्ची बस्ती सांगानेरीगेट से घाटगेट तक
36.	कोली बस्ती, परकोट तो. खाना
37.	(1) पहाड़गंज ऐरिया तो. खा. (2) मीणा बस्ती, पहाड़गंज
38.	बनजारा बस्ती, तो. खा.
39.	हरिजन बस्ती, तोपखाना हजूरी
40.	कोली बस्ती, गुलजार मस्जिद के पास (यह क्षेत्र कच्ची बस्ती में नहीं आता)
41.	कोली बस्ती, गूंगीमाता के मन्दिर के पास
42.	हरिजन बस्ती खेरकोट मीणी बस्ती से घाटगेट तक
43.	हरिजन बस्ती, राजामल का तालाब हरिजन क्वाटरों के पास

हवामहल निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्तियों की सूची

1. मोहन नगर से बालानन्दजी के मन्दिर तक

   (1) कारखाने की कोठी के पास मीणा बस्ती

   (2) कारखाने की कोठी के पास खटीकों की बस्ती

क्र. सं.	नाम कच्ची बस्ती
(3)	खेरकोट हरिजन बस्ती (सरस्वती कुण्ड)
(4)	हरिजन बस्ती यज्ञशाला की बावड़ी के पास
(5)	वैरवा बस्ती
(6)	नीलगरों की बस्ती
(7)	नाहरगढ़ हरिजन बस्ती
(8)	जयलाल मुंशी के रास्ते से नौ गृह के मन्दिर तक
2.	रास्ता बालानन्द की हरिजन बस्ती
3.	रास्ता बालानन्द की बलाई बस्ती
4.	गुलाब वाड़ी
5.	कोली बस्ती, फकीरों का टीबा
6.	लंगर की मोरी, गणगौरी बाजार
7.	बारामोरी ब्रह्मपुरी
8.	नादरों की मस्जिद के पास
9.	मोहल्ला चेलान
10.	राजामल का तालाब, गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास
11.	ब्रह्मपुरी हरिजन बस्ती
12.	प्रेमप्रकाश टॉकीज के पीछे, तेलीपाड़ा विश्वेश्वरजी
13.	ठाकुर को राज की हवेली के पास

एशियाई नौकायन प्रतियोगिता की व्यवस्था

श्री बालचन्द आर्य (डग),
श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) व
श्री अनंगकुमार जैन (झालरा पाटन) : क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर जिले की रामगढ़ झील पर एशियाई नौकायान प्रतियोगिता में कितने देशों की टीमों ने भाग लिया ? उक्त प्रतियोगिता के लिए कहाँ-कहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई और उसमें राज्य सरकार द्वारा कितनी धन राशि किस-किस मद में कितनी-कितनी खर्च की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगढ़ झील पर हुई एशियाई नौकायन प्रतियोगिता में 7 देशों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के आयोजन के के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाओं एवं अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

नौकायन प्रतियोगिता के संबंध में व्यय का अब तक प्राप्त विवरण

विभाग का नाम	शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित राशि	सूचित व्यय
सिंचाई विभाग	15,00,000	22,53,000
सार्वजनिक निर्माण विभाग	4,00,000	5,57,312
चिकित्सा विभाग	20,000	20,000
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (यातायत उप-समिति)	1,25,000	1,98,082
अतिथि सत्कार उप-समिति व पर्यटन विभाग	1,50,000	+4,40,660
जन सम्पर्क विभाग	50,000	42,132
सामान्य प्रशासन विभाग	1,88,466	2,85,515
राज. राज्य विद्युत मण्डल	—	15,507
दूर संचार व्यवस्था	5,95,076	++4,86,990
एन. सी. सी. विभाग (समारोह के सम्बन्ध में)	30,000	30,000
जिलाधीश, जयपुर	10,000	सूचना प्राप्त नहीं हुई ।
कार्यालय व्यय	50,000	2,381

+ इस व्यय में से रू० 4.00 लाख विशिष्ट आयोजन समिति नई दिल्ली से प्राप्त होने हैं ।

++ इसमें से प्रतियोगियों के आवास व भोजन के व्यय की राशि विशिष्ट आयोजन समिति, नई दिल्ली से प्राप्त होगी जो तय होनी है ।

नौकायन प्रतियोगिता के संबंध में की गई व्यवस्थाएं

नवम एशियाई खेल के अवसर पर रामगढ़ में आयोजित की गई नौकायन प्रतियोगिता की व्यवस्था एवं संचालन के सम्बन्ध में विभिन्न उप-समितियों का निर्माण किया गया और उन्हें पृथक्-पृथक् व्यवस्था सौंपी गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

उप-समिति	कार्य
1	2
(1) निर्माण उप-समिति :	झील पर दर्शकों के बैठने, प्रतियोगियों के उपयोग तथा नावों के रखने तथा अन्य व्यवस्था के संबंध में सिचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का समय पर एवं आवश्यकतानुसार कार्य करवाना ।

Page No 128

(128)

1	2
(2) अतिथि सत्कार उप-समिति :	प्रतियोगियों तथा उनके साथ आने वाले अधिकारियों, विशिष्ट अतिथियों आदि के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना।
(3) सुरक्षा उप-समिति :	प्रतियोगिता के सम्बन्ध में रामगढ़ झील, प्रतियोगियों के ठहरने के स्थल पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करना।
(4) प्रचार उप-समिति :	आयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार कार्य करना तथा प्रेस, रेडियो, टेलीविजन से समन्वय रखना।
(5) चिकित्सा उप-समिति :	रामगढ़ झील पर तथा प्रतियोगियों एवं विशिष्ट अतिथियों के ठहरने के स्थान पर तथा जयपुर में आवश्यक उपचार व्यवस्था के लिए प्रबन्ध करना।
(6) स्वागत एवं प्रोटोकोल उप-समिति:	प्रतियोगियों, विशिष्ट अतिथियों एवं टीमों के साथ आये अधिकारियों आदि के यथा स्थान पर स्वागत हेतु स्वागत कक्ष स्थापित करना तथा उस कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों को मार्गदर्शन देना आदि-आदि।
(7) यातायात उप-समिति :	जयपुर से रामगढ़ तथा रामगढ़ से जयपुर ले जाने लाने आदि के सम्बन्ध में आवश्यक वाहनों की एवं उनके संचालन की व्यवस्था करना।
(8) समारोह उप-समिति :	प्रतियोगिता के उद्घाटन तथा समापन समारोह के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करना।

इनके उपरान्त एक समन्वय एवं पुनर्विलोकन समिति का भी गठन किया गया, जिसका कार्य स्वागत, आवास, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, बैठने की व्यवस्था, प्रेस तथा शहर की सुन्दरता के सम्बन्ध में विभिन्न व्यवस्थाओं को देखना एवं समन्वय करना था।

इस आयोजन के सम्बन्ध में विशेष आयोजन समिति, नई दिल्ली ने राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय समिति बनाई थी, जिसका गठन निम्न प्रकार से था :—

(1) मुख्य मन्त्री, राजस्थान — मुख्य संरक्षक

(2) श्री आर. एन. मिर्धा, संसद सदस्य — संरक्षक

(3) शिक्षा मन्त्री, राजस्थान — संरक्षक

(4) श्री के. पी. सिंह देव, उप-सुरक्षा मन्त्री, भारत सरकार — अध्यक्ष

(5) श्री एन. एस. भाटी, पर्यटन मन्त्री, राजस्थान — कार्यवाहक अध्यक्ष

(6) श्री गोपाल घोष, रोईंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया, कलकत्ता — सदस्य

(7) मुख्य सचिव, राजस्थान — सदस्य सचिव।

इस समिति को यह अधिकार था कि वह आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तियों को विशिष्ट आमन्त्रितों के रूप में सम्मिलित कर लें।

पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

9. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी श्री बालस्वरूप के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो किन किन प्रमुख मुद्दों पर तथा किस-किस पंचायत समिति के कार्यालय की ?

(1) क्या यह सही है कि उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध नादौती पंचायत समिति के कार्य काल में स्वयं के रिकार्ड में हेरा-फेरी तथा काटछांट का मामला सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका क्या निस्तारण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में पदस्थापन के वक्त जिलाधीश, बांसवाड़ा द्वारा इनके विरुद्ध जांच कर, यह निर्णय दिया गया था कि इनको भविष्य में विकास अधिकारी का स्वतन्त्र चार्ज नहीं दिया जाय ? यदि हां, तो फिर किन-किन कारणों से इन्हें सिकराय में पदस्थापित किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री बालस्वरूप मीणा के विरुद्ध पंचायत समिति, टोडाभीम, रेणी, नादौती, बागीडोरा एवं सिकराय के कार्यकाल की अनियमित व गैर कानूनी कार्य करने, नियमानुसार कार्य न करने, दुराचरण तथा अनुशासनहीनता इत्यादि के मुद्दों पर जांच व शिकायतें विचाराधीन हैं।

(2) नादौती, पंचायत समिति के विकास, अधिकारी कार्यकाल में स्वयं के रिकार्ड में हेरा-फेरी तथा काट-छांट का कोई मामला ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

जयपुर नगर में क्रियाशील क्लब

28. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जय क्लब, अशोक क्लब, जयपुर क्लब, राजस्थान रिक्रियेशन क्लब, मनीराम की कोठी, कानोता हाउस, जयपुर, व रॉयल क्लब लि., त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, वैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से क्लब, पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण या स्वयं ही बन्द हैं ?

(2) क्या यह सही है कि रायल क्लब लि०, दिनांक 23 अप्रेल, 1977 से पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप व क्लब के सदस्यों को नाजायज रूप से तंग करने के कारण बन्द पड़ा है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी क्लबों में ताश का खेल 'रमी' पैसों के आदान-प्रदान से होता है ? यदि हां, तो क्या यह वैधानिक है ? यदि नहीं, तो सरकार ने इसकी जांच किस ऐजेन्सी के द्वारा कराई एवं क्या सरकार उस जांच से संतुष्ट है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी चालू क्लबों के अध्यक्ष बड़े प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते, पुलिस वहां हस्तक्षेप करने से डरती हैं जबकि दूसरे क्लबों पर जान-बूझ कर अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, और यही कारण है कि क्लब बन्द हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जय क्लब, अशोक क्लब, जयपुर क्लब, राजस्थान रिक्रिएशन क्लब वैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। रायल क्लब वर्ष 1977 से छापा पड़ने के बाद से बन्द है।

(2) जी नहीं।

(3) इन क्लबों में ताश का खेल 'रमी' पैसों के आदान-प्रदान से होता हो की कोई रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। पैसों के आदान-प्रदान से खेले जाने वाले खेल 'रमी' अवैधानिक है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न सं. 146 की सूची

बीकानेर डेयरी में वर्ष 1979-80 से भरे गए पदों का विवरण

1979-80 :

0

1980-81 (1-4-80 से 31-3-81):-

1. उप-प्रवन्धक (यांत्रिक)	1150-1650	1	—
2. लेखाधिकारी	750-1350	1	—
3. शिफ्ट ऑफिसर	1150-1650	1	1
4. रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर	470-830	1	—

1981-82 :

1. प्रबन्धक (संयंत्र)	1550-1900	1	—
2. डेयरी टैक्नीशियन	470-830	1	—
3. वृतिकाग्राही स्नातक	800/- प्र. मा. एक मुस्त	2	—

1982-83 :

1. रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर	470-830	2	—
2. वृतिकाग्राही स्नातक	800/- प्र. मा. एक मुस्त	2	1

Page No 132

(132)

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक हुए

टेलीफोन व्यय का विवरण

क्रमांक	नाम व पद	टेलीफोन व्यय
1.	श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री	185373.85
2.	श्री परसराम मदेरणा, सिंचाई मंत्री	65980.70
3.	श्री चन्दनमल बेद, राजस्थान नहर मंत्री	29646.05
4.	श्री बृजसुन्दर शर्मा, वित्त मन्त्री	69908.85
5.	श्री हीरालाल देवपुरा, राजस्व मन्त्री	4951.90
6.	श्री खेतसिंह राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री	2545.00
7.	श्रीमती कमला, शिक्षा मन्त्री	103651.80
8.	श्री हनुमान प्रभाकर, सहायता मंत्री	3243.00
9.	श्री दुलाराम, समाज कल्याण मन्त्री	—
10.	श्री अहमद बख्श सिन्धी, विधि एवं न्याय मन्त्री	1002,20
11.	श्री छोगालाल कंवरिया, भूतपूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री	30920.10
12.	श्री जयकृष्ण शर्मा, यातायात राज्य मन्त्री	101764.20
13.	श्री प्रद्युम्न सिंह, स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री	71273.60
14.	श्री श्रीराम गोटेवाला, पशु पालन राज्य मन्त्री	78595.05
15.	श्री दिनेश राय डांगी, आयुर्वेद राज्य मन्त्री	82663.55
16.	श्री घासीराम यादव, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री	102472.70
17.	श्री चेतराम मीणा, सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री	30038.70
18.	श्री गोविन्दसिंह, वन राज्य मन्त्री	78353.25
19.	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, पुनर्वास राज्य मन्त्री	162782.65
20.	श्री शीशराम ओला, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मन्त्री	73634.85
21.	श्री रामकिशन वर्मा, भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री	11873.25
22.	श्री देवेन्द्र सिंह, कृषि राज्य मन्त्री	102.00
23.	श्री सुरेन्द्र व्यास, महाविद्यालीय एवं विश्वविद्यालीय शिक्षा राज्य मन्त्री	9288.00
24.	श्री बी. डी. कल्ला, पर्यटन राज्य मन्त्री	64591.60
25.	श्री रामपाल उपाध्याय, भूतपूर्व सहकारिता राज्य मन्त्री	71631,80
26.	श्री गोविन्द आमलिया, आयोजना उप-मन्त्री	91812.10
27.	श्रीमती कमला भील, बाढ़ एवं अकाल सहायता उप-मन्त्री	177219.80
28.	श्री जगतार सिंह, सिंचाई उप-मन्त्री	8279.50
29.	श्री छोगाराम बकोलिया, ऊर्जा उप-मन्त्री	6400.4

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूचना

दिनांक 1-1-83 से 15-2-83 तक "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन चयनित निर्धनतम परिवारों का पंचायत समिति/पंचायत वार विवरण

नाम पंचायत समिति 1	नाम पंचायत 2	नवीन चयनित परिवार की संख्या 3
1 कुशलगढ़	रामगढ़	37
	मूण्दडी	5
	कलिंजरा	22
	उकाला	2
	कुशलापाड़ा	8
	बड़वास	42
	योग ..	116
2. आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	29
	मूंदरी	20
	फलवा	45
	बरेठ	31
	आमलिया आम्बादरा	60
	डोकर	48
	टामडिया	31
	मडकोला मोगजी	16
	बरजडिया	13
	चान्दरवाड़ा	41
	नाहरपुरा	10
	नोरड़ी	24
	उदयपुरा बड़ा	23
	बडलिया	8
	छाजा	—
	योग ..	386

(134)

1	2	3
3. सज्जनगढ़	इटाला	3
	कसारवाड़ी	8
	रोहणियान लक्ष्मणसिंह	24
	हीम्मतगढ़	11
	ताम्बसरन	16
	भगदरा	25
	पालन बड़ी	7
	योग ..	94
4. पीपलखूंट	कूपड़ा	12
	केलामेला	12
	पृथ्वीपुरा	11
	सेमलिया	21
	सोडलपुर	15
	घटाली	38
	झूमखावाली	32
	बोरी	12
	पीपलखूंट	13
	योग..	166
5. तलवाड़ा	"निल"	"निल"
6. गढ़ी	"	"
7. बागीदोरा	"	"
8. घाटोल	————————	नवीन चयनित परिवारों के कुल संख्या 227

पंचायतवार सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण, प्राप्त होने पर पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी ।

कुल .. 989 चयनित परिवारों की संख्या (बांसवाड़ा जिला)

Page No 135

135

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

परिशिष्ट (क)

मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, तहसील सांगानेर के उद्योगकर्ताओं की सूची—

क्र. सं. 1	प्लाट नं. 2	पार्टी का नाम 3
1.	ई 2	मै. डी. सी. नाहटा
2.	ई 3	मै. जावा फार्मास्युटिकल
3.	ई 4	मै. भूटान दास टी एसोसियेशन
4.	ई 5(ए)	मै. रविमगन बिहारी लाल
5.	ई 5	मै. न्यू एज प्रिन्टर्स
6.	ई 6	मै. वेंटीकेटर्स
7.	बी 8(ए बी सी)	मै. उदेल बेरी एण्ड कम्पनी
8.	बी 8(ड)	मै. कपूर ब्रदर्स कारपेंट
9.	बी 9(ए)	मै. मेटल मैन
10.	बी 9(सी)	मै. आल इण्डिया हैण्डीक्राफ्ट्स
11.	बी 9(सी)	मै. जैन उद्योग
12.	बी 10(ए)	मै. महावीर केमिकल्स
13.	बी 10(बी सी)	मै. शक्ति इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
14.	बी 11	मै. केवल्स इण्डिया
15.	बी 12(ए बी)	मै. विजय इन्ड.
16.	बी 12(सी	मै. जैम टैक्निसियन
17.	ए] 13	मै. करनावत केवल्स
18.	एफ 14	मै. भारती एन्टरप्राइजेज
19.	एफ 15,16(ए)	मै. वी. के. इन्डस्ट्रीज
20.	एफ 16(बी)	मै. अग्रवाल पेपर मिल्स
21.	एफ 17(ए)	मै. वेनी केमिकल्स लेबोरेटरी
22.	एफ 17(बी)	मै. रमेश खत्री
23.	एफ 18,19	मै. अजन्ता इन्डस्ट्रीज
24.	एफ 20(ए)	मै. भवानी इन्जीनियरिंग (आई. पी.)
25.	एफ 20(बी)	मै. पाटनी उद्योग
26.	एफ 21(ए)	मै. रंगरिया फेब्रीकेटर्स
27.	एफ 21(बी)	मै. एस. एन. श्रीवास्तव
28.	एफ 21(सी)	मै. अरूण कुमार

Page No 136

1	2	3
29.	एफ 21(बी)	मै. आर. एम. टिक्कू
30.	एफ 21(ई)	,, राजस्थान गम कारपोरेशन
31.	एफ 22(ए)	,, पिंक केनिंग कं.
32.	एफ 23(एबी)	,, नेमीचन्द जैन
33.	एफ 23(सी)	,, कुमार एन्टरप्राईजज
34.	एफ 23(सी-1)	,, अनन्त ऐन्टरप्राईजेज
35.	एफ 23(सी-2,3)	,, श्री प्रिन्टर्स
36.	एफ 23(डी. ई)	,, इन्डो जर्मन इलेक्ट्रीकल्स
37.	एफ 23(एफ)	,, कोठारी ब्रादर्स
38.	सी–24(ए)	,, एस. एस. इण्डस्ट्रीज
39.	सी–24(बी)	,, वेनीकेम लेबोरेटरी
40.	सी–25(ए)	,, राज केमिकल्स इन्ड.
41.	सी–25(बी)	,, जोन इलेक्ट्रिक कं.
42.	सी–25(सी)	,, रिप्शन फार्मास्युटिकल्स
43.	सी–26(ए)	,, केमी टेक लेबोरेटरीज
44.	सी–26(बी)	,, एनोम फार्मास्यूटिकल्स
45.	सी–26(सी)	,, रामसाईन ब्रिक्स
46.	28 (एबी)	,, माइको इन्डस्ट्रीज
47.	28 सी	,, सुप्रिम केमिकल्स
48.	28 डी	,, अग्रवाल मैटल्स
49.	28 ई, एफ़	,, ग्रोमेजा इलेक्ट्रीकल्स
50.	एफ 45	,, थेईम इण्डिया
51.	एफ 46	,, क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स
52.	एफ 48	,, कृष्णा इन्ड.
53.	एफ 50	,, प्रीमियर पेन्ट्स
54.	एफ 53	,, राजस्थान मिकेन्ट्स प्रोडेक्ट्स
55.	एफ 54	,, एल. फैरा लेबोरेटरीज
56.	एफ 58	,, खुराणा पावर इक्यूपमेंट्स
57.	एफ 124	,, उमा ऐन्टरप्राईजेज
58.	एफ 124(ए)	,, राजेश प्लास्टिक
59.	एफ 125	,, कुल कम्पोटर्स
60.	एफ 126,127	,, टोनी कंडेक्टर्स
61.	एफ 128(एबी)	,, मोडर्न गारमेन्ट्स मैन्यू. कं.
62.	एफ 129	,, राजस्थान कोल्ड स्टोरेज

137

1	2	3
63.	एफ 130	मै. आकाश उद्योग
64.	एफ–ई 1, 2	,, टी. बी. प्रोजेक्ट
65.	एफ–ई 3	,, एल. के. इलेक्ट्रोनिक्स
66.	एफ–ई 4	,, राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स
67.	एफ–ई 5	,, अग्रवाल उद्योग
68.	एफ–ई 6	,, कोर्ती
69.	एफ–ई 7	,, सुरेन्द्र गिरिश मै. कं.
70.	एफ–ई 8	,, मेय्यून लेबोरेटोरीज
71.	एफ–ई 9, 14	,, रोबट मधिया
72.	एफ–ई 10, से 13	,, एवरलास्ट टाईल्स
73.	एफ–ई 15	,, ग्लोब ईलेक्ट्रिकल्स
74.	एफ–ई 16, 17	,, महावीर पोलीमर्स
75.	एफ–ई 18	,, जैन इलेक्ट्रोनिक्स इण्ड-
76.	एफ–ई 19	,, कपूर ब्रास कारपेर
77.	एफ–ई 20	,, मेक्स कार्पोरेशन
78.	एफ–ई 21	,, विनय इण्ड.
79.	एफ–ई 21(ए)	,, अरोरा ट्राफिक मार्केटिंग
80.	एफ–ई 21(बी)	,, सुरेन्द्र इण्ड.
81.	एफ–ई 21(सी)	,, सिन्धी कारमिका
82.	वर्क शेड नं. 1, 2	,, जैन केबिल्स इन्ड.
83.	,, ,, ,, 3	,, जयपुर ईलेक्ट्रिक मोटर एण्ड पम्प
84.	,, ,, ,, 4	,, सुन्नी इण्ड.
85.	,, ,, ,, 5, 6	,, राज इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन
86.	,, ,, ,, 7, 8	,, ,, ,, प्रा. लि.
87.	,, ,, ,, 9 से 12	,, ,, ,, वर्क्स
88.	,, ,, ,, 13	,, फैलोसियेटेड इन्जी.
89.	,, ,, ,, 14 से 20	,, राज. स्टेट टैक्स बुक बोर्ड
90.	,, ,, ,, 6–ए	,, मार्डन मैकेनिकल
91.	,, ,, ,, 6–बी	,, दाल तोन्त लेबो.
92.	,, ,, ,, 6–सी	,, गुप्ता मैटल्स
93.	,, ,, ,, 6–डी	,, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स
94.	,, ,, ,, 6–ई	,, के. सी. सन्स
95.	,, ,, ,, 6–एच	,, तोसमीबाल केबिल्स

(138)

1	2	3
96.	6 (जी) एबी	(1) मे. टी. वी. प्रोजेक्ट
97.	6 जे (ए)	,, अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज
98.	6-जे (बी)	,, एम. के उद्योग
99.	जी 1-100 व 101	,, अल्का पेट्रो केमिकल्स
100.	ई–121	,, भारत स्टोउ क्रेशर
101	ई–122	,, राजस्थान स्टोन क्रेशर
102.	ई–123	,, राम स्टोन क्रेशर
103.	जी–1, 102	,, धिमल इन्ड.
104.	जी–2, 103	,, अंकुर लेब
105.	जी–1, 104	,, अंकुर लेब
106.	जी–1,105	,, कोन्टीनेन्टल ईन्जी.
107.	जी–1,106	,, सोलमेक इन्टर प्राईजेज
108.	जी–1,107	,, नीरुपम हैण्डलूम
109.	सी–1, 133	,, ऐवको फोईन इलेक्ट्रीकल
110.	जी–1,134	,, अलांक स्टील प्रा. लि.
111.	जी–1, 135	,, वी. के. नागपाल
112.	जी–1, 138	,, भंवरलाल चौधरी
113.	एफ–139 (ए)	,, अर्जुनदास महेन्द्र कुमार
114.	एफ–139 (बी)	,, जोली एण्ड सन्जीव अरोड़ा
115	एफ–140	,, भंवरलाल
116.	एच–109से112	,, दामोदर इलेक्ट्रीकल्स
117.	एच–114	,, कुमार एन्टर प्राईजेज
118.	एच–115	,, लाल एन्टरप्राईजेज
119	एच–177 व 178	,, ए रो सिन्थेटिक
120.	एच–116	,, ओनल कारपेट
121.	एच–113	,, मधु प्रिन्टर्स
122.	एच वी–1	मै मद्दा इन्द्रमूर्तिकला केन्द्र

बगरू औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर तहसील सांगानेर के उद्योगकर्ताओं की सूची

1	2	3
1.	एच–1	मै. खण्डेलवाल हैण्डलूम एण्ड गलीचा उद्योग
2.	एच–2	,, बगरू प्रिंटर्स
3.	एच–3 व 4	,, सीमानी केमिकल्स
4.	एच–5	,, विश्वकर्मा एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स
5.	एच–6	,, जैन इण्ड.
6.	एच–7	,, प्यारसीलाल राधेश्याम
7.	एच–8,9,10,11	,, मेहता मेटल्स
8.	एच–12 से 14 व 20 से 22	,, हरिहर स्टाम्पिग
9.	जी–1–15	,, ज्वाला मैटल्स रिफाईनरी
10.	जी–1–216	,, फ्रेण्ड्स इण्ड.
11.	जी–1–18	,, बरवाल इण्ड.
12.	जी–1एच–1-19	,, गिरिराज प्रसाद राजेशकुमार
13.	एच–23	,, एशियन ग्वार गम इन्ड.
14.	एच–24	,, किशोर कैलीको प्रिन्टर्स
15.	एच–26	,, परवाईना हैण्ड प्रिन्टर्स
16.	एच–27 व 28	,, वन्दना कैमिकल्स
17.	एच–29	,, नागर केलीको प्रिन्टर्स
18.	एच–30	,, जयशंकर वेजीटेविल प्रिन्टर्स
19.	एच–31	,, विट्ठल वेजीटेबिल प्रिन्टर्स
20.	एच–32	,, अनिल टैक्सटाईल्स
21.	एच–33	,, स्वाती इण्ड.
22.	एच–34	,, भगतराम दास हैण्ड प्रिन्टर्स
23.	एच–37	,, मेटलीकेप
24.	एफ–39 से 41	,, अलवर उद्योग
25.	एफ–42	,, गोयल इण्ड.
26.	एफ–48	,, लक्ष्मी टैक्सटाईल प्रोडेक्ट्स
27.	एच–1–44,45,58	,, ऋषि आईस फैक्ट्री
28.	एच–1–47	,, मोर्डन प्रिंट्स प्रिन्टिग वर्क्स
29.	एच–49-50-53-54	,, श्रीराम पेट्रो केमिकल्स
30.	एच–55	,, बगरू आईरन एण्ड स्टील वर्क्स
31.	एच–56	,, त्रिपाठी कण्डकटर्स
32.	एच–57	,, इस्लामी कपड़ा छपाई उद्योग
33.	एच–59	,, किशन आईल एण्ड दाल मिल
34.	एच–60	,, सिद्धा केमीकल्स

(140)

परिशिष्ट (ख)

सूची जिन इकाइयों को सहायता व सुविधा उपलब्ध कराई गई

तहसील चाकसू

जिला उद्योग ऋण

1 श्री गोविन्दराम पुत्र गंगाराम बुनकर, ग्रा. थली, चाकसू	1000	30-3-81
2. ,, मोटाराम पुत्र श्री गंगाराम, थली	1000	31-3-81
3. ,, कल्याण बैरवा पुत्र भूराराम, दिनारपुर, चाकसू	1000	31-3-81
4. ,, तुलसीराम पुत्र रामदेव, कोट खावदा, चाकसू	1000	31-3-81
5. ,, नाथुराम रेगर पुत्र सालगराम, कोट खावदा	1000	30-3-81
6. ,, रामजासी लुहार पुत्र सुलेमान, ग्रा. थली	1000	30-3-81
7. ,, लाडुराम पुत्र गंगाराम, ग्रा. थली	1000	30-3-81
8. ,, जहुरअहमद पुत्र अल्लाबक्स, चाकसू	1000	30-3-81
9. ,, जीवनराम पुत्र रामदेव रेगर, कोट खावदा	1000	30-2-81
10 ,, नाथूराम पुत्र भान बुनकर, थली	1000	30-3-81
11. ,, प्रभुदयाल पुत्र श्री गणेश रेगर, चाकसू	1000	30-3-81
12. ,, कालूराम पुत्र नारायण बुनकर, थली	1000	30-3-82
13. ,, फकीर मो., चन्दलाई	1000	30-3-82
14 ,, प्रभुदयाल पुत्र रूपाराम रेगर, चाकसू	1000	30-3-82

तहसील सांगानेर — विद्युत अनुदान

1. मै. गेलेक्सी इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स, बीलवा	9943	9-12-81
2. मै. रंगोली केमीकल्स, महापुरा	2865	1-10-82
	5437	9-2-83
	1166	9-2-83

जांच उपकरण अनुदान

1. मै. गेलेक्सी इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स, बीलवा	8388	20-3-82

जिला उद्योग ऋण

1. श्री छोटुलाल पुत्र श्री नारायण कुम्हार, बीलवा	2500	6-12-82
2. ,, सुवालाल पुत्र श्री नारायण कुम्हार, बीलवा	2500	6-12-82
3. ,, बोदूराम पुत्र श्री नारायण कुम्हार, बीलवा	2500	6-12-82
4. ,, हनुमान सहाय पुत्र श्री गुल्लाराम, बीलवा	2500	6-12-83
5. ,, रामदेव, श्री नारायण, बीलवा	2500	1-1-83
6. ,, विनोद कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल, नेवता	1500	1-12-82

विनियोजन अनुदान

1.	मै. रामकरण हरदेवलाल, वीलवा	7020

मार्जिन मनी लोन

1.	,, भवानी ब्लाक प्रिंटिंग वर्क्स, सांगानेर	53280	3-5-82
2.	,, जयपुर पोल्स उद्योग, महापुरा	7900	1-9-80
		18100	31-3-81
		30000	26-3-81
3.	,, खंडेलवाल मेटल इन्ड., दुर्गापुरा	24000	9-2-82

चुंगी मुक्ति लाभ की सुविधा

1.	मै. जैन आयल मिल, सांगानेर	21-2-78 से 20-2-85
2.	,, पाटनी कैमिकल्स इन्ड., बगरू	26-2-80 से 31-12-85
3.	,, सूईवाल टैक्सटाईल प्रिन्टर्स, सांगानेर	1-1-81 से 31-12-85
4.	,, राजस्थान इलेक्ट्रीकल्स इक्युपमेन्ट्स प्रा. लि., मालवीया इन्ड. एरिया, जयपुर	20-4-79 से 19-4-84
5.	,, आकाश उद्योग, सी-6, मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	30-10-80 से 29-10-85
6.	,, इन्डो- जर्मन इलेक्ट्रीकल्स, एफ. 23-सी, मा. औ. क्षेत्र, जयपुर	20-4-80 से 19-4-85
7,	,, अग्रवाल उद्योग, एफ-ई-5, मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	1-6-80 से 31-5-85
8.	,, एस. एस. इन्ड., सी-24 (ए), मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	17-7-80 से 16-7-85
9.	,, महावीर पोलीमर्स, एफ-ई 16-17, मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	14-6-79 से 13-6-84

मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों को दी गई सुविधा व सहायता

	मार्जिन मनी लोन		राशि
1.	मै. खण्डेलवाल मेटल इन्ड., दुर्गापुरा	8-2-81	24000
2.	,, सुरेन्द्र इन्ड., मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	5-7-82	4500
3.	,, कृष्णा इन्ड., ,,	4-8-79	6930
		21-8-79	6000
		29-11-79	[illegible]00

ब्याज मुक्त ऋण

1. मै. कृष्णा इन्ड. मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	79–80	10000
2. ,, एवरलास्ट टाईल्स, मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	80–81	7400
3. ,, तोसनीवाल केवल्स, मालवीया औ. क्षेत्र, जयपुर	81–82	21000
4. ,, ऐलीकेप इलेक्ट्रोनिक्स एन्टर प्राईजेज	81–82	8900

जांच उपकरण अनुदान

1. मैं. ओमेजा इलेक्ट्रिकल्स	4-5-77	563
2. मैं. राजस्थान इलेक्ट्रीकल्स इक्विपमेन्ट प्रा. लि.	2-2-81	943
	25-3-81	10,000
3. मैं. इन्डो जर्मन इलेक्ट्रिकल्स	10-9-81	10000
4. मैं. गेलेक्सी इन्डिया फार्मेस्युटिकल्स, बीलवा	11-3-82	8382
5. मै. डालसन लेबोरेट्रीज	29-3-82	6021
6. मैं, अरावली फामास्युटीकल्स, टोंक रोड़, सांगानेर	15-3-82	9413
7. मै. अग्रवाल उद्योग	29-3-82	6371
8. मैं. कृष्णा इन्ड.	16-8-82	1146

विद्युत अनुदान

1. मै. कृष्णा इण्ड. मालवीया औ. क्षे.	6-1-81	173
	15-2-81	405
	14-3-81	320
	12-3-82	200
	28-5-82	270
	19-10-82	244
2. मैं. राजस्थान इले. इक्विप प्रा. लि., औ. क्षे., माल.	2-2-81	1012
	10-7-81	328
	31-8-81	492
	11-3-82	222
	5-11-82	376
3. मैं. ऐलीकेप इण्ड., मालवीया औ., क्षे.,	2-2-81	1103
	8-8-81	150
	8-11-82	550

4.	मै. इन्डो जर्मन इलेक्ट्रिकल्स, औ. क्षे.	14-3-81	803
		28-3-81	1461
		19-10-82	1446
		31-7-81	1315
		11-3-81	1368
		31-3-82	1661
5.	मै. महाबीर पोलीमर्स, ,, ,,	14-3-81	1561
		31-8-81	2402
		31-3-82	3759
		5-11-82	684
6	मै. एवरलास्ट टाईल्स, ,, ,,	17-3-81	1050
		27-9-82	901
7.	मै. अजन्ता इण्ड, ,, ,,	14-3-81	155
8.	मै. अग्रवाल वर्क्स इण्ड, ,, ,,	14-3-81	197
		4-8-81	300
		21-5-82	804
		21-5-82	472
9.	मै. अग्रवाल उद्योग ,, ,,	5-10-81	3562
10.	मै. आकाश उद्योग, मालवीया औ. क्षेत्र,	10-6-81	168
		31-3-82	137
11.	मै. जैम टैंक, ,, ,,	3-82	986
		28-12-82	913
12.	मै. अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, ,, ,,	3-82	8645
13.	मै. सनसाईन ब्रिक्स, ,, ,,	31-3-82	727
14.	मै. राजस्थान कोल्ड स्टोरेज, ,, ,	21-5.81	4617
16.	मै. ज्यूपिटर लेयूनेशन,दुर्गापुरा , ,,	11-6-82	120
16.	मै. रविमगन बिहारीलाल, माल. औ. क्षेत्र	19-10-82	266
17.	मै. ल्यूमन इन्जीनियर्स, ,, ,,	10.12-82	285

ब्याज अनुदान

1.	मै. एवरलास्ट टाईल्स, मालवीय औ.क्षेत्र	21-3-81	15157
2.	मै. ऐलीकेप इलेक्ट्रोनिक्स, ,, ,,	31-3-81	5686
3.	मै. महावीर पोलीमार ,, ,,	31-3-81	6733

Page No 144

144

औद्योगिक क्षेत्र, बगरू की सूची

		स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1.	मैं. हरि स्टेम्पिंग	12,78,000	10,75,000
2.	मैं. स्वाति इन्ड.	2,34,000	1,61,000
3.	मैं. श्री राम पेट्रो केमिकल्स	7,67,000	7,42,000
4.	मैं. वन्दना केमिकल्स प्रा. लि., ए. आई. सी. FII	7,50,000	7,48,300
		1,75,000	1,75,000
5.	मैं. गोयल इन्ड.	2,00,000	67,000
6.	मैं. विट्ठल वेजीटेबल प्रिन्टर्स	1,13,000	62,400
7.	मैं. लक्ष्मी टेक्सटाईल्स प्रोसेसिंग हाउस	2,50,000	1,35,000
8.	मैं. किशोर केलिको.	1,37,000	56,500
9.	मैं. पाटनी उद्योग	3,72,000	1,19,000
10.	मैं. सिद्धा केमिकल्स, ए. आई. सी. FII	10,15,000	10,15,000
		4,47,000	3,96,000

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 की सूची

निगम की वाहनों की दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को प्रदत्त चिकित्सा राशि की सूची

क. सं.	नाम	राशि
1.	श्री जगदीश पुत्र श्री पन्नालाल माली, देवगांव, पोस्ट केकड़ी, जिला अजमेर।	100.00
2.	श्री महावीर पुत्र श्री हरजी माली, देवगांव, पोस्ट केकड़ी, जिला अजमेर।	100.00
3.	श्री बजरंगलाल पुत्र श्री धूपचन्द, कानपुरा, थाना श्रीनगर, जिला अजमेर।	100.00
4.	श्री घीसूसिंह पुत्र श्री अपसिंह, रामपुरा अतिराम, पोस्ट श्रीनगर, जिला अजमेर।	100.00
5.	श्री बाला बक्श पुत्र श्री खेराती, गाम मुवाखेड़ा, तहसील किशनगढ़, जिला अलवर।	250.00
6.	श्री मोहनलाल अग्रवाल पुत्र श्री अमनंदलाल महाय न, निवासी कलकत्ता।	
7.	कुमारी सविता पुत्री श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी कलकत्ता।	
8.	कुमारी अनिता पुत्री श्री मोहनलाल अग्रवाल, निवासी कलकत्ता।	
9.	कुमारी सुनीता पुत्री श्री मोहनलाल अग्रवाल, निवासी कलकत्ता।	277.00
10.	कुमारी मधु पुत्री श्री मोहनलाल अग्रवाल, निवासी कलकत्ता।	
11.	श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री केसुराम नायक, गउशाला के पास, पिड़ावा।	
12.	श्री————एक आदमी, नाम उपलब्ध नहीं।	500.00
13.	श्री————दो आदमी, नाम उपलब्ध नहीं।	500.00
	कुल योग :	1927.00

मृत यात्रियों के परिवार वालों को स्वीकृत की गयी अनुग्रह राशि का विवरण

क्रमांक	यात्री का नाम	स्वीकृत की गयी राशि
1.	श्री तैयन अली, निवासी बांसवाड़ा,	15000 – रुपये
2.	श्रीमती पुष्पा देवी, निवासी, बांसवाड़ा	15000,– रुपये
3.	श्री वरदा बलाई, निवासी चित्तौड़गढ़	15000/– रुपय

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 126 का विवरण

(i) गांवों का विवरण जिनमें पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है ।
(ii) गांवों का विवरण जहां योजनाओं का कार्य प्रगति पर है ।

क्र.सं.	गावों का नाम	कोड नं.	योजना का प्रकार
1	2	3	4
	लाभान्वित गांवों की सूची:-		
	पंचायत समिति. मारवाड़ जंक्शन के गांव :-		
1.	तालका	1	हैण्ड पम्प योजना
2.	जाडन खालसा	2	,,
3.	सिनला	4	,,
4.	खारड़ी	5	,,
5.	जोर दूदोर	9	,,
6.	हिमालिया बास कलां	11	क्षेत्रिय योजना
7.	लीलावास	12	हैण्ड पम्प
8.	बाजार खारची	13	क्षेत्रीय योजना
9.	खारची	14	क्षेत्रीय योजना
10.	चावड़ियां	15	हैण्ड पम्प (आई.डी.ए.)
11.	नरसिंहपुरा	23	क्षेत्रीय योजना
12.	हिमालियावास खुर्द	24	क्षेत्रीय योजना
13.	खनियां	25	क्षेत्रीय योजना
14.	करोलियां	26	क्षेत्रीय योजना
15.	चीरपटियां	27	पारम्परिक स्रोत योजना
16.	गोपावास	28	हैण्ड पम्प योजना
17.	फलिया	30	हैण्ड पम्प योजना (आई.डी.ए.)
18.	बाली	32	,,
19.	रिसानिया	33	पारम्परिक स्रोत योजना
20.	सवराड	34	,,
21.	मुसालियां	35	,,
22.	मिलावास	36	,,
23.	ढाढीयां	28	हैण्ड पम्प योजना

1	2	3	4
24.	सीवाण	39.	पारम्परिक स्रोत योजना
25.	गूडागरी	40.	हैन्ड पम्प योजना
26.	बोरनाडी	41.	पारम्परिक स्रोत योजना
27.	मीनवाली	42	हैण्ड पम्प योजना
28	राजीला खुर्द	43.	पारम्परिक स्रोत योजना
29.	हामीखास	44.	हैन्ड पम्प योजना
30.	शेखावाल	45.	पारम्परिक स्रोत योजना
31.	यिलाप	46	हैन्ड पम्प योजना
32.	घन्टालिया	47.	पाइप 3
33.	सिनचिया बास	48.	पारम्परिक स्रोत योजना
34.	बोरीमाडा	49,	,,
35.	राउजालरा	50.	हैण्ड पम्प योजना
36.	उगली निमली	51.	,,
37.	सगन	52.	पारम्परिक योजना
38.	बोपरी	53.	,,
39.	भोजावास	54.	हैन्ड पम्प योजना
40.	ठाकुरवास	56	पारम्परिक स्रोत योजना
41.	बारी	57.	,,
42.	रानावास	58.	क्षेत्रीय योजना
43.	गाधाना	59.	,,
44.	चीलावाल	60.	,,
45.	काराडी	63.	पारम्परिक स्रोत योजना
46.	घामली	65.	पम्प एवं टैंक योजना
47.	पंचीतीया	68.	,,
48.	बारीया	71.	पारम्परिक स्रोत योजना
49.	देवली	72.	हैण्ड पम्प योजना
50.	जेतपुरा	73.	पारम्परिक स्रोत योजना
51.	जानूडा	74.	,,
52.	गुडा रामसिंह	77.	पाईप 3
53.	राडावास	79.	पारम्परिक स्रोत योजना
54.	गुड़ा मेहराम	80,	हैन्ड पम्प योजना
55.	खीचान	82.	,,
56.	सीरोमारी	83.	पाईप्ड

1	2	3	4
57.	गुडा सूरसिंह	84.	हैण्ड पम्प योजना
58.	घाल	89.	,,
59.	ग्रासत डाकनिया	02.	,,
60.	ग्रासन जोतेवानर	93.	,,
61.	वासनी जोजावर	97.	क्षेत्रीय योजना
62.	घनला	97.	पाईप्ड
63.	गुडा हेमला	98.	हैण्ड पम्प योजना
64	जोजावर	99.	पाईप्ड
65.	करमाल	103.	हैण्ड पम्प योजना
66.	गुडा गंगा	104.	,,
67.	भागोरा	105.	पारम्परिक स्रोत योजना
68.	गुडा भोपत	107.	हैण्ड पम्प योजना
69.	हलावत	109.	,,
70.	चौकड़िया	91.	,,
71.	बनसोर	111.	,,
72.	करवाड़ा	106.	,,

पंचायत समिति रानी एवं देसूरी के गांव :—

1	2	3	4
73.	इड्डारामारडियान	1.	पारम्परिक स्रोत योजना
74.	ग्रोडवारिया	2.	हैण्ड पम्प
75.	इटारिया	3.	पारम्परिक स्रोत
76.	सेपटावा	4.	हैण्ड पम्प
77.	भादरवास	5.	पारम्परिक स्रोत
78.	इन्दरवाड़ा	6.	हैण्ड पम्प
79.	गुडा जेठसिंह	7.	पारम्परिक स्रोत
80.	रायपुरिया	8.	पारम्परिक स्रोत
81.	वान्डर	9.	पारम्परिक स्रोत
82.	पिवाड़ा	11.	पम्प एण्ड टैंक
83.	गजनीपुरा	12.	पारम्परिक स्रोत
84.	मातली का गुडा	13.	पारम्परिक स्रोत
85.	मैत्री कलां	14.	पारम्परिक स्रोत
86.	पानोता	15.	पारम्परिक स्रोत
87	ग्रासापुरा	16.	हैण्ड पम्प

1	2	3	4
88.	सांसरी	17.	पारंपरिक स्रोत
89.	गुड़ा दूर्जन	18.	हैण्ड पम्प
90.	गुडा गोपीनाथ	19.	हैण्ड पम्प
91.	गुडा पीटीया	21.	हैण्ड पम्प
92.	गुडा देवड़ा सोलंकिया	22.	हैण्ड पम्प
93.	वागोल	23.	पारंपरिक स्रोत
94.	कोलर	25.	पारम्परिक स्रोत
95.	वाराई	26.	हैण्ड पम्प
96.	गुडा ठाकुरजी	27.	हैण्ड पम्प
97.	सिवास	28.	हैण्ड पम्प
98.	पीलोवानी	29.	पारम्परिक स्रोत
99.	रूगड़ी	30.	हैण्ड पम्प
100.	ईलानी	31.	हैण्ड पम्प
101.	सोललता	33.	पारम्परिक स्रोत
102.	देवली	34.	हैण्ड पम्प
103.	खरारा	35.	हैण्ड पम्प
104.	धारिया	36.	हैण्ड पम्प
105.	रावडिया वास	37.	हैण्ड पम्प
106.	सानारिया	38.	हैण्ड पम्प
107.	जवाली	39.	पाईप्ड
108.	गुडा गंगा	40.	हैण्ड पम्प
109.	गुडा मेहराम	42.	,,
110.	आकड़ावास	43.	,,
111.	किशनपुरा	44.	,,
112.	जीवंद केला	45	,,
113.	वोरी	46.	पारम्परिक स्रोत
114	वोला कूरा	47.	हैण्ड पम्प
115.	धेनरी	49.	पारम्परिक स्रोत
116.	रामजी का गुडा	50.	पारम्परिक स्रोत
117.	गथाडा	51.	हैण्ड पम्प
118.	केरली	52.	,,
119.	टोकरला	53.	पारम्परिक स्रोत
120	गुरा देवरडितिया	57.	,,

1 2	3	4
121. भागड़तालाव	58	पारम्परिक स्रोत
122. चक वाडिया	59	,,
123. गुडा आसकरण	61	हैण्ड पम्प
124. तीखी	62	,,
125. केसुली	64	,,
126. नीपाल	67	पारम्परिक स्रोत
127. गुड़ा अखेराज	68	हैण्ड पम्प
128. जीनदा खुर्द	69	,,
129. गुडा केसरसिंह	70	,,
130. गुडा रूपसिंह	71	,,
131. नाडोल	72	क्षेत्रीय
132. बिगरड़ा	73	हैण्ड पम्प
133. बिजोवा	74	पाईप्ड
134. भगवानपुरा	75	पारम्परिक स्रोत
135. इट्ड्डा चारना	76	,,
136. रानी कँला	79	पम्प एवं टैंक
137. दूदवार	80	हैण्ड पम्प
138. रानी खुर्द	81	पाईप्ड
139. वरकाना	82	पारम्परिक स्रोत
140. वारका	83	,,
141. दादाई	84	,,
142. वीरमपरा माताजी	86	,,
143. पदमपुरा	87	,,
144. धाणोल	88	हैण्ड पम्प
145 कोटड़ी	89	पारम्परिक स्रोत
146. करनावा	90	,,
147. पृथ्वीराज गुडा	91	,,
148. सारंग वास	92	,,
149. नारजाई	93	क्षेत्रीय
150. सुमेर	97	हैण्ड पम्प
151. लाम्पी	98	,,
152. देसूरी	99	पाईप्ड
153. सोनाना	101	पारम्परिक स्रोत

1	2	3	4
154.	अन्ना	104	पारंपरिक स्रोत
155.	गिराली	106	"
156.	उदरतल	109	हैण्ड पम्प
157.	सरथूर	108	पारम्परिक स्रोत
158.	बारोड़	109	"
159.	सिंदरली	110	"
160.	गुडा मेगलिया	111	"
161.	छोंरा	112	हैण्ड पम्प
162.	दुदापुरा	113	"
163.	दानेराव	114	क्षेत्रीय
164.	गुडा भोपसिंह	115	हैण्ड पम्प
165.	मंडीगढ़	117	"
166.	गुडा जतन	118	पारम्परिक स्रोत
167.	माडा	122	"
168.	मोरखा	123	"
169.	जूना	124	हैण्ड पम्प
170.	राजपुर	125	हैण्ड पम्प

गांव जिनमें योजनाओं पर काय शुरू हो चुका है :—

प. सं. मारवाड़ जंक्शन के गांव :—

171.	दूदोर	10	पारम्परिक स्रोत
172.	राजकिया वास कलां	16	हैण्ड पम्प
173.	गोदावास	17	क्षेत्रीय
174.	रामगोसा कलां	18	"
175.	सुगालियां	19	"
176.	वारसा	20	"
177.	बिदूराकलां	21	"
178.	बिठूरा खुर्द	22	"
179.	भांडा	31	पम्प एवं टंक
180.	नीनली माडा	55	"
181.	आंगदोश	61	क्षेत्रीय योजना
182.	हिंगोड़ा खुर्द	66	"

(152)

1	2	3	4
183.	भीनमालियां	67	क्षेत्रीय योजना
184.	गुडा हिन्दू	69	हैण्ड पम्प योजना
185.	ईसाली	75	पारम्परिक स्रोत
186.	गुडा केसरसिंह	76	,,
187.	गुडा नावा	94	क्षेत्रीय योजना
188.	खेडा कल्याणपुरा	110	हैण्ड पम्प योजना
पंचायत-सीमित रानी देसूरी के गांवः—			
189.	दोलजी का गुडा	10	हैण्ड पम्प
190.	कोट सोलकियान	20	क्षेत्रीय
191.	गुडा कालोन	24	हैण्ड पम्प
192.	गुडा भीमसिंह	32	,,
193.	गुडा मेवसिंह	48	,,
194.	गुडा जेतवतान	55	,,
195.	गांथी	60	,,
196.	भांडपुरा	63	,,
197.	नावां गुडा	85	,,
198.	खोबा का गुडा	96	,,
199.	सादड़ी (रानकपुरा)	124 (अ)	,,

———

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 128 का विवरण
भाग (3) की सूची

अवधि	जल उपयोग (लीटर में)	निश्चित जल शुल्क	विशेष छूट के पश्चात् शुल्क	भुगतान का विवरण दिनांक	रकम
अप्रेल-मई, 77	705000	687.38	549.90	20-6-77	549.40
जून, 77	391000	381.23	304.98	23-7-77	304.98
जुलाई, 77	391000	381.23	304.98	23-8-77	305.38
अगस्त, 77	391000	381.23	304.98	24-9-77	304.98
सितम्बर, 77	391.23	381.23	304.98	26-10.77	304.98
अक्टूबर, 77	391000	381.23	304.98	26-11-77	304.98
नवम्बर, 77	391000	381.23	304.98	26-12-77	304.98
दिसम्बर, 77	391000	881.23	304.98	21-1-78	304.98
जनवरी, 78	391000	381.23	304.98	27-2-78	304.98
फरवरी, 78	391009	381.23	304.98	27-3-78	304.98
मार्च, 78	391000	381.23	304.98	26-4-78	304.98
अप्रेल, 78	391000	381.23	30498	26-5-78	304.98
मई, 78	391000	381.23	304.98	26-6-78	304.98
जून, 78	391000	381.23	304.98	24-7-78	304.98
जुलाई, 78	391000	381.23	304.98	23-8-78	304.13
अगस्त, 78	391000	381.23 +.15	304.98 +.15	25-9-78	304.98
सितम्बर 78	391000	381.23	304.98	23-9-78	305.13
अक्टूबर, 78	39 000	381.23	304.98	24-11-78	304.98
नवम्बर, 78	391000	381.23	304.98	26-12-78	304.98
दिसम्बर, 78	391000	381.23	304.98	27-1-79	304.98
जनवरी, 79	391000	381.23	304.98	26-2-79	304.98
फरवरी, 79	85000	82.88	67.88	26-3-79	67.80
मार्च, 79	12000	117.10	93.60	26-4-79	93.60
अप्रेल, 79	245000	490.00	932.00	26-5-79	392.00
मई, 79	60000	98.00	72.00	22-6-79	72.00
जून, 79	5090	7500	60.00	23-7-79	60.00
जुलाई, 79	36000	54.00	43.20	28-8-79	43.20
अगस्त, 79	120000	2240.00	192.00	24-9-79	192.00
सितम्बर, 79	जल सम्बन्ध विच्छेद हो गया।				

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 130 की सूची

जिलेवार अतिरिक्त सिंचाई उपलब्धियां

(हैक्टेयरों में)

क्रम सं. जिले का नाम	अतिरिक्त सिंचाई उपलब्धियां	
	1981-82	1982-83 (दिसम्बर 82 तक)
1. अजमेर	520	250
2. अलवर	—	—
3. बांसवाड़ा	95	—
4. बाड़मेर	—	—
5. भरतपुर	11510	—
6. भीलवाड़ा	219	777
7. बीकानेर	—	—
8. बूंदी	652	858
9. चित्तौड़गढ़	249	962
10. चूरू	—	—
11. डूंगरपुर	104	—
12. गंगानगर	—	—
13. जयपुर	—	60
14. जैसलमेर	1411	55
15. जालौर	2425	—
16. झालावाड़	6425	670
17. झुंझुनू	—	107
18. जोधपुर	754	37
19. कोटा	2675	1994
20. नागौर	152	274
21. पाली	337	669
22. सवाई माधोपुर	—	—
23. सीकर	199	—
24. सिरोही	—	502
25. टौंक	280	580
26. उदयपुर	499	250
27. धौलपुर	—	180
योग:—	28,506	8,225

Page No 155

(155)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची

अलवर जिले में शराबबन्दी की अवधि के दौरान (1-4-79 से 31-5-81 तक) महावार अवैध मदिरा बरामदगी

क्र. स.	नाम माह	अवैध मदिरा बरामदगी का विवरण	
		शराब बोतलो में	वाश लीटर में
1	2	3	4
1.	4/79	6500 बोतल	1200
3.	5/79	170 ,,	20600
3.	6/79	28 ,,	300
4.	7/79	110 ,,	1760
5.	8/79	950 ,,	16200
6.	9/79	160 ,,	340
7.	10/79	85 ,,	400
8.	11/79	110 ,,	50
9.	12/79	130 ,,	606
10,	1/80	970 ,,	200
11.	2/30	1700 ,,	600
12.	3/80	25 ,,	200
13.	4/80	160 ,,	1560
14.	5/80	56 ,,	40
15.	6/80	300 ,,	660
16.	7/80	105 ,,	225
17.	8/80	180 ,,	40
18.	9/80	140 ,,	680
19.	10/80	155 ,,	25
20.	11/60	45 ,,	40
21.	12/80	45 ,,	205
22.	1/81	500 ,,	9750
23.	2/81	240 ,,	255
24.	3/81	250 ,,	110
25.	4/81	3080 ,,	2650
26,	5/81	315 ,,	5750
27.	681	70 ,,	—
28.	7/81	155 ,,	400
29.	8/81	40 ,,	1200

(158)

सूची (ब)

शराबबन्दी हटने के पश्चात् (1-9-81 से 31-1-83 तक) अलवर जिले में
अवैध शराब बरामदगी का मानचित्र

पैरा नं. –2

क्र. सं.	नाम माह	अवैध मदिरा शराब बोतल	बरामदगी का विवरण वाश लीटर
1	2	3	4
1.	9/81	450 बोतल	200 लीटर
2.	10/81	185 ,,	300
3.	11/81	425 ,,	3000
4.	12/81	40 ,,	—
5.	1/82	208 ,,	2420
6.	2/82	75 ,,	220
7.	3/82	80 ,,	40
8.	4/82	345 ,,	—
9.	5/82	5 ,,	—
10.	6/82	65 ,,	—
11.	7/82	250 ,,	6660
12.	8/82	500 ,,	1400
13.	9/82	545 ,,	100
14.	10/82	250 ,,	3625
15.	11/82	2200 ,,	10250
16.	12/82	200 ,,	175
17.	1/83	435 ,,	650

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 137 की सूची

राजस्थान सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए मनोनीत किये गये छात्रों की सूची

वर्ष 1981

नाम व पता	मेडिकल कालेज
1. श्री जलाल बक्षी पुत्र श्री एल. बी. बक्षी, चीफ इंजीनियर, पी. डब्ल्यू. डी, राजस्थान, जयपुर	मेडिकल कालेज जम्मू
2. श्री केशव जोशी, पुत्र श्री के.सी. जोशी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष–पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।	यथा
3. श्री अब्दुल अजीज कागजी पुत्र श्री हाफिज अब्दुल रजाक, सवाई माधोपुर, राजस्थान।	यथा
4. श्री शब्बीर हुसैन पुत्र मुफ्ति मोहम्मद सईद, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीनगर।	यथा
5. श्री बसन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री जनकराज गुप्ता, डिप्टी स्पीकर, जम्मू कश्मीर विधान सभा, श्रीनगर।	यथा
6. कु. काण्डे कौल पुत्री श्री प्यारेलाल कार, ओलू, जे–3, जवाहर नगर, श्रीनगर।	यथा
7. कु. विजय लक्ष्मी राणा पुत्री श्री ले. कर्नल एस.एस. राणा, लक्ष्मी निवास, वनीपार्क, जयपुर।	यथा
8. कु. ईरफान माजीद, पुत्री श्री अब्दुल माजीद, एडवोकेट अनन्तनाग कश्मीर।	यथा
9. श्री सुपवित्र कुमार जैन, पुत्र श्री देवकुमार जैन, सीनीयर पी.पी., सी.बी.आई, बी–133, सेठी नगर, आगरा रोड, जयपुर।	यथा

(158)

राजस्थान सरकार द्वारा जम्मू एम कश्मीर मे एवं. बी. बी. एस. कोर्स के लिए मनोनीत किये गये की छात्रों सूची

वर्ष-1982

नाम व पता	मेडिकल कॉलेज
1. कु. अनु. भण्डारी, द्वारा डा. बी. एस. भण्डारी. जयपुर ।	मेडिकल कॉलेज, जम्मू
2. कु. प्रीति माथुर, द्वारा ले. कर्नल जे. पी. माथुर पी–2, 5, जय दुर्गा कम्प्लेक्स, केण्ट, जम्मू ।	यथा
3. श्री सन्तोष त्रिवेदी, पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, एफ–23, रमेश मार्ग, सी स्कीम, जयपुर	यथा
4. राणा हरीजीतसिंह पुत्र श्री सतवन्तसिंह, अतिरिक्त अधीक्षक, (ए. सी. डी.), जयपुर ।	यथा
5. श्री संजय शर्मा, पुत्र श्री डी. डी. शर्मा, गोपी का बेरा, मण्डोर जोधपुर ।	यथा
6. श्री वसीम अहमद, पुत्र श्री अब्दुल मजीद, एसीस्टेन्ट इन्जिनियर, आर. एस. ई. सी. सी., उदयपुर ।	
7. श्री सुरेन्द्र कौल, पुत्र श्री श्रीकृष्ण कौल (परिहार), हब्बा का दल, श्रीनगर ।	यथा
8. कु. दुर्गेश नन्दनी, पुत्री श्री कोल परमार, जयपुर ।	यथा
9. कु. कल्पना थानवी, पुत्री श्री वी. के. थानवी, डी. आई. जी., जयपुर ।	
10. श्री प्रकाश झा, पुत्र श्री जी. एन. झा, महाराजा कालेज, डिपार्टमेन्ट आफ साइन्स, जयपुर ।	यथा
11. श्री मोहम्मद इस्लामुद्दीन, पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दी, झूंझुनू ।	यथा

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 138 की सूची

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन

चिकित्सा साइड के उपकेन्द्र

(1) धुन्धला
(2) जोजावर
(3) सिरीयारी

परिवार कल्याण के उपकेन्द्र

(1) कन्टालिया
(2) मान्डा
(3) गादाना
(4) थामली

मिनिमम नीड प्रोग्राम के उपकेन्द्र

(1) गुडा रामसिह
(2) फलाद
(3) चिरपटीया
(4) देवली अउवा

पचायत समिति, रानी

चिकित्सा साइड के उपकेन्द्र

(1) खोड
(2) खिमाडा
(8) खारडा

परिवार कल्याण के उपकेन्द्र

(1) बीजोवा
(2) निपल
(3) चाचोडी
(4) पिलोवनी

मिनियम नीड प्रोग्राम

(1) किशनपुरा

पंचायत समिति, देसूरी

चिकित्सा साइड के उपकेन्द्र

(1) डायलाना
(2) मगरतला
(3) नारलाई

परिवार कल्याण के उपकेन्द्र

(1) पन्नोता
(2) ढालोप
(3) सिन्दरी
(4) मान्दा

(160)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची

GOVERMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT (Gr. II)

No. 1(1)MPH/80/Gr. II Jaipur, dated 12-7-1982.

ORDER

On the recommendations of the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer, the Governor has been pleased to appoint the doctors as per list enclosed as Civil Assistant Surgeons, from the date they take over charge on temporary basis till further orders.

The name arranged in the list are not in order of preference/merit seniority list of these Civil Assistant Surgeon, doctors which will be published separately.

All the candidates who are newly selected may kindly be got medically examined as per rules and special enquiry regarding their antecedents may also be got done.

They will have to report for duty within a month from the date of issue of posting orders from the office of the Director of Medical and Health Services, Rajasthan, Jaipur failing which their appointment shall be treated as cancelled.

By Order of the Governor,

(G.P. Nagar)

Deputy Secretary to the Government.

Copy forwarded to the following for information and necessary action to the:—

(1) Director, Medical and Health Services, Rajasthan, Jaipur. Action regarding termination of services of C.A.S. doctors working on the *adhoc* basis may be initiated keeping in view of the vacancies after joining the R.P.S.C. selected doctors.

(2) Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer with reference to their letter No. F. 7(104) Rectt/A/80-81Conf./35, dated 11-6-1982.

(3) Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

(4) All doctors concerned through the Director of Medical and Health Services, Rajasthan, Jaipur.

(5) P. S. to Health Minister/P. S. to Health Dy. Minister/P. S. Health Secretary/P. A. to Special Secretary (Medical) P. A. Dy. Secretary (N)

(6) Personal file of doctors.

(7) Group-I.

(8) Guard file,

Sd/-

(K.L. Zha)

Assistant Secretary to Government.

S. No. 1	Merit No. 2	Name 3	Date of birth 4
1.	1	Dr. Devendra Sareen	15-12-54
2.	2	Dr. Mukesh Raghav	28-8-56
3.	4	Dr. Rajendra Singh Gogia	11-2-54
4.	6	Dr. Ram Chandra Khetawat	2-9-54
5.	7	Dr. Shiv Dayal Sharma	12-3-55
6.	9	Dr. Tikam Chand Acharya	1-3-57
7.	10	Dr. Mahaveer Singh Meel	5.7.55
8.	12	Dr. Atul Thakore	25-4-56
9.	13	Dr. Ravindra Kumar Aneja	8-9-56
10.	14	Dr. (Miss) Hilda Victoria Singh	1-7-52
11.	15	Dr. Kedar Nath Garg	1-2-53
12.	16	Dr. Chhotu Lal Lodha	26-6-54
13.	18	Dr. Kamal Kumar Goyal	10-10-54
14.	20	Dr. (Mrs.) Sushila Khuteta	30-7-55
15.	22	Dr. Vallabh Chandra Bhandari	12-9-55
16.	24	Dr. Gopal Lal Joshi	31-7-57
17.	25.	Dr. Gulab Chand Kapoor	1-5-52
18.	28	Dr. Rakesh Pratap Khuteta	22.12-53
19.	29	Dr. Shabba Husain Ashif	1-1-54
20.	30	Dr. (Mrs.) Vijai Laxmi Agarwal	7-4-54
21.	31	Dr. Shailendra Kumar	28-6-54
22.	32	Dr. Pohoo Mal Girach	5-8-54
23.	33	Dr. Brij Behari Mathur	10-9-5
24.	34	Dr. Kamlesh Kumar Agarwal	14-9-54
25.	35	Dr. (Mrs.) Madhu Singhal	24-12-54
26.	36	Dr. Subhash Nepalia	26-1-55
27.	38	Dr. Yogesh Bafna	22-7-55
28.	39	Dr. Rajendra Kumar Khanna	14-8-55
29.	40	Dr. (Mrs.) Ketki Sarda	27-9-55
30.	41	Dr. Anil Bhansali	26-10-55
31.	42	Dr. Jitendra Sodhi	9-2-56
32.	43	Dr. Mohan Singh Charan	28-6-57
33.	44	Dr. Prakash Narain Gupta	1-2-53
34.	46	Dr. Roshan Lal Jain	6-11-53
35.	47	Dr. Krishna Murari Bansal	10-2-55
36.	49	Dr. Dilip Kumar Sethi	15-6-55
37.	50	Dr. Chandra Shekhar Kalla	17-9-55
38.	51	Dr. Jagdish Yaswani	1-10-55

1	2		4
39.	53	Dr. Radhey Shyam Sharma	9-11-55
40.	54	Dr. Chandra Prakash Gupta	6-12-55
41.	55	Dr. Ashok Kumar Bhargava	6-12-55
42.	56	Dr. Sudhir Chandra Gupta	22-5-56
43.	57	Dr. Prashant Bhatnagar	27-1-49
44.	58	Dr. Laxmi Kant Purohit	10-9-49
45.	60	Dr. Mali Ram Aswal (S.C.)	13-1-52
46.	61	Dr. (Mrs.) Sadhana Kaul	8-4-52
47.	62	Dr. Brijendra Kumar Mathur	20-6-52
48.	63	Dr. Satish Kumar Chhabra	5-10-52
49.	64	Dr. Satya Narain Maheshwari	19-2-53
50.	66	Dr. (Mrs.) Kuntal Jain	24-6-53
51.	67	Dr. Paras Nuwal	1-7-53
52.	68	Dr. Brij Nandan Sharma	10-7-53
53.	69	Dr. (Mrs.) Snehlata Mehta	16-7-53
54.	70	Dr. (Mrs.) Rita Vyas Nee Arora	13-9-53
55.	71	Dr. Shankar Lal Guleria	19-953
56.	72	Dr. Nirendra Shekhawat	11-1-53
57.	73	Dr. Chandra Kant Trivedi	15-1-54
58.	74	Dr. (Miss) Sheela Sharma	5-2-54
59.	75	Dr. Ganesh Lal Kumawat	14-2-54
60.	76	Dr. Ramesh Narain Lodha	28-2-54
61.	77	Dr. Arun Ranjan Gupta	4-3-54
62.	78	Dr. Narendra Kumar Goyal	5-5-54
63.	79	Dr. Ramesh Chandra Joshi	5-5-54
64.	80	Dr. Nand Lal Gupta	1-6-54
65.	81	Dr. Dwarka Prasad Rathi	4-6-54
66.	82	Dr. Vallabh Dass Jetha	5-5-54
67.	83	Dr. Aditya Pareekh	2-7-54
68.	84	Dr Ram Prakash Garg	14-7-54
69.	85	Dr. Mukesh Saxena	20-7-54
70.	86	Dr. Sohan Singh Sankhala	30-7-54
71.	87	Dr. Chandra Mohan Sharma	18-8-54
72.	88	Dr. Madan Mohan	27-8-54
73.	89	Dr. Naresh Kumar Pariwal	12-9-64
74.	91	Dr. Vishnu Dutt Gupta	23-12-54
75.	93	Dr. Salil Kumar Gupta	16-2-55
76.	94.	Dr. Narendra Prakash Chhangani	28-2-55

Page No 163

(163)

1	2	3	4
77.	95	Dr. Satish K. Bansal	1-3-55
78.	96	Dr. Anoopendra Bhardwaj	5-3-56
79.	97	Dr. Ravi Kumar Sharma	-7-55
80.	98	Dr. (Mrs.) Kalpana Mittal	17-8-55
81.	99	Dr. Vimal Rai Sardana	8-9-59
82.	100	Dr. Subey Singh Yadav	1-10-55
83.	103	Dr. Naresh Kumar Goyal	18-1-56
84.	104	Dr. Anil Kumar Chawala	15-2-56
85.	105	Dr. Radhey Shyam Garg	2-5-56
86.	106	Dr. Shyam Murari Garg	17-6-56
87.	107	Dr. Ajay Kumar Gupta	22-7-56
88.	108	Dr. Manohar Singh Rajpurohit	9-8-56
89.	109	Dr. Rand Sandeep Singh	1-9-56
90.	110	Dr. Neeraj Pandit	1-9-56
91.	111	Dr. Prakash Abichandani	7-9-56
92.	112	Dr. Rakesh Mudgal	15-9-56
93.	113	Dr. Ajeet Singh Kothari	22-9-56
94.	114	Dr. Subrata Banerjee	26-9-56
95.	115	Dr. (Mrs.) Annu Agrawal	30-4-57
96.	116	Dr. (Mrs.) Kamal Kant Verma	8-8-57
97.	117	Dr. (Mrs.) Kusum Sanghi	20-8-57
98.	118	Dr. Krishna Kumar Agarwal	1-7-50
99.	121	Dr. Harbans Singh	7-8-52
100.	122	Dr. Vipin Kumar Pareek	15-8-52
101.	123	Dr. Shiv Shankar Yadav	28-10-52
102.	124	Dr. Navratan Bhansali	11-2-53
103.	125	Dr. Rakesh Saxena	25-6-53
104.	126	Dr. Nand Kishore Dave	4-7-53
105.	127	Dr. Umesh Kumar Chittora	15 8-53
106.	128	Dr. Purushotam Lal Gupta	2-1-54
107.	130	Dr. Nagendra Sharma	11-3-54
108.	132	Dr. Ganesh Kumar Gupta	9-5-54
109.	134	Dr. Shanti Lal Mathur	1-7-54
110.	135	Dr. Man Mohan Gupta	15-7-54
111.	137	Dr. Gopi Chand Khilnani	26-7-54
112.	138	Dr. Mahendra Narain Srivastava	15 9-54
113.	140	Dr. Suresh Chandra Gupta	28-9-54
114.	141	Dr. Manak Chand Kaval	2212-54

Page No 164

(164)

1	2	3	4
115.	142	Dr, (Mrs.) Lavina Kodnani	11-1-55
116.	143	Dr. Mahesh Chandra Gupta	14-1-55
117.	144	Dr. Mohan Singh Rathore	—
118.	145	Dr. (Mrs.) Uma Gupta	14-2-55
119.	146	Dr. Surendra Kumar Sharma	18-3-55
120.	148	Dr. Kshama Sheel Gupta	7-5-55
121.	149	Dr. Chandra Prakash Mathur	6-6-55
122.	150	Dr. Suresh Chandra Sancheti	21-6-55
123.	151	Dr. Anand Praaash Chhabra	21-8-55
124.	152	Dr. Ramawatar Agarwal	18-9 55
125.	153	Dr. (Miss) Rekha Anand	2-11-55
126.	154	Dr. Jamna Lal Kumarvat	19-1-56
127.	155	Dr. Bakhshish Singh Sandhu	10-2-56
128.	157	Dr. Sunil Chugh	13-5-56
129.	158	Dr. Jabar Chand Maloo	13-6-56
130.	159	Dr. Bhag Singh Karnawat	1-7-56
131.	160	Dr. Rakesh Kumar Gulati	6-8-56
132.	161	Dr. Neeraj Shrivastava	9-8-56
133.	162	Dr. Vinay Joshi	15-8-56
134.	164	Dr. Hari Kishan Goyal	25-9:56
135.	165	Dr. Nirmal Kumar Sharma	5-7-57
136.	166	Dr. Surendra Kumar Sardana	8-9-57
137.	169	Dr. Ishwar Lal Lashkari	6-5-48
138.	170	Dr. Shyam Sunder Soni	2-6-48
139.	173	Dr. Vijai Narayan Sharma	3-4-50
140.	174	Dr. Rameshwar Mundra	5-7-50
141.	175	Dr. Rajendra Singh Verma	25-8-50
142.	176	Dr. Pukh Raj Jain	6-11-50
143.	178	Dr. Vidya Dhar Verma	18-12-50
144.	179	Dr. Shiv Narain Saran	6-2-51
145.	181	Dr. Kalyan Prasad Verma (S. T.)	1-5-51
146.	182	Dr. Radhey Shyam Shiv Raj Khatod	1-10-51
147.	183	Dr. Hanuman Singh Udawat	7-11.51
148.	185	Dr. Shyam Behari Sharma	2-4-52
149.	187	Dr. Om Prakash Srivastava	6-7-52
150.	189	Dr. Suraj Prakash Sharma	20-95-2
151.	190	Dr. Surendra Kumar Bhatnagar	23-10-52
152.	191	Dr. (Mrs.) Pratibha Bhan	24-11-52

1	2	3	4
153.	192	Dr. Arun Mehra	20-1-53
154.	193	Dr. (Mrs) Rekha Sharma	11-3-53
155.	194	Dr. Vinod Kumar Sharma	30-3-53
156.	195	Dr. Surendra Kumar Samar	10-4-53
157.	197	Dr. Arun Kumar Mathur	1-7-53
198.	198	Dr. Purakh Chand Soni	15-8-53
159.	200	Dr. Surendra Prakash Nirwan	2-9-53
160.	201	Dr. (Mrs.) Uma Gupta	9-9-53
161.	202	Dr. Vimal Kumar Jain	10-9-53
166.	203	Dr. Banwari Lal Meel	21-9-53
163.	204	Dr. (Miss) Pushpa Daga	21-9-53
164.	205	Dr. Mahesh Kant Bhatnagar	24953
165.	206	Dr. Rama Kant Sharma	31-10-53
166.	207	Dr. (Mrs.) Pushpa Porwal Nee Gupta	12-1-54
167.	208	Dr. Udai Bhan Yadav	2-7-54
158.	209	Dr. Kailash Narain Sharma	25-7-54
166.	212	Dr. (Miss) Sadhna Gupta	8-8-94
170.	215	Dr. Purushottam Dass Agrawal	1-9-54
171.	216	Dr. Rajesh Kumar Goyal	6-1-54
172.	217	Dr. Sampat Singh Gehlot	8-9-94
173.	219	Dr. Shri Krishan Garg	4-10-54
174.	220	Dr. (Miss) Dropadi Beharnani	28-10-54
175.	224	Dr. Vijay Bhushan Kumar	26-6-55
176.	225	Dr. Prashan Chand Kothari	28-1-5
170.	226	Dr. Chetan Prakash Ranka	30-1-55
178.	227	Dr. Surendra Kumar Garg	18-2-55
179.	228	Dr. (Mrs.) Gita Arora (kalra)	20-2-55
180.	229	Dr. Gopal Thanvi	5-4-55
181.	230	Dr. Gopal Lal Toshniwal	7-4-55
182.	231	Dr. Anil Kumar Bhansali	11-4-55
183.	233	Dr. (Miss) Rekha Johri	30-5-55
184.	234	Dr. Rajesh Rastogi	27-6-55
125.	236	Dr. (Miss) Usha Devi Vyas	22-7-55
186.	237	Dr. Ramesh Chandra K. Jindal	3-8-55
187.	238	Dr. Ramesh Chandra Agarwal	10-9-55
188.	240	Dr. Govind Gupta	21-10-55
189.	242	Dr. Tarun Kumar Bohara	4-2-56

	2		3	4
190.	243	Dr	Jethanand Jethavani	2-4-56
191.	244	,,	(Miss) Manjula Muchhal	28-4-56
192.	245	,,	Chandra Lal Dungarwal	1-5-56
193.	247	,,	(Miss) Vimlesh Sharma	5-7-56
194.	248	,,	Sunil Umpmanya	9-7-56
195.	249	,,	Yogendra Kumar Khanna	18-7-56
196.	250	,,	Suresh Bohra	27-7-56
197.	251	,,	Gurbachan Singh Jodha	25-9-56
198.	253	,,	(Miss) Kusum N. Johri	29-10-56
199.	252	,,	Jagdish Chandra Maheshwari	12-12-56
200.	255	,,	Surendra Singh Choudhary	25-12-56
201.	257	,,	Arun Kumar Gupta	12-6-57
202.	259	,,	(Miss) Rita Kulshrestha	18-8-57
203.	260	,,	Hitendra Kumar Bhavsar	21-9-57
204.	264	,,	Mahavir Singh Krishnia	6-6-49
205.	265	,,	Shree Chand Bohra	8-3-60
206.	266	,,	Ratan Singh Olla	26-5-50
207.	267	,,	Naresh Kumar Bhalla	21-8-50
208	268	,,	Jag Mohan Mittal	8-10-50
209	269	,,	Vijay Bhatia	21-4-51
210	270	,,	Ved Prakash Sharma	6-5-51
211	271	,,	Sujit Kumar Kothari	3-6-51
212	272	,,	Ranveer Singh Nanawati	10-8-51
213	273	,,	Surendra Pal Singh	20-8-51
214	274	,,	Shiv Charan Gupta	18-12-51
215.	275	,,	Subhash Chandra Gupta	1-1-52
216.	276	,,	Vanjeet Singh Shekhawat	1-6-52
217.	277	,,	Virendra Singh Lodha	26-6-52
218.	278	,,	Dharm Pal Singh Gurawa (S/C)	6-7-52
219.	279	,,	Shri Nath Gupta	15-10-52
220.	280	,,	Raj Kishore Saxena	15-11-52
221.	281	,,	Rameshwar Lal Vishnoi	28-12-52
222.	283	,,	Preetam Singh Parihar	22-4-53
223.	284	,,	Prem Chand Khandelwal	1-6-53
224.	285	,,	(Miss) Vimla Gupta	8-6-53
225.	286	,,	Ram Prasad Bissa	28-6-53
226.	288	,,	Hari Om Gupta	1-7-53

1	2	3	4
227.	289	Dr. Satya Narain Khandelwal	10-7-53
228.	290	,, Ram Lal Solanki	15-8-53
229.	292	,, Surendra Bhandari	6-10-53
230.	293	,, Manu Kumar Jain	18-11-53
231.	294	,, Naveen Ajmera	29-12-53
232.	295	,, Dayal Singh Srann (HC)	8-1-54
233.	296	,, Basant Kishore Vyas	1-3-54
234.	297	,, Radhey Shayam Gupta	15-6-54
235.	298	,, (Mrs.) Savita Tambi (Gupta)	1-5-54
236.	300	,, Surendra Rajpal	10-7-54
237.	301	,, Babu Lal Bhutra	5-854
238.	302	,, Babu Lal Kumhar	8-8-54
239.	303	,, Chetan Sharma	9-9-54
240.	304	,, Sudheer Kumar Jain	27-9-54
241.	305	,, Rajendra Prasad Sharma	11-10-54
242.	306	,, Bhupendra Kumar Chawla	18-10-54
243.	307	,, Dinesh Kumar Bedi	15-11-54
244.	309	,, Ravindra Kumar Bajaj	15-12-54
245.	310	,, Ladu Ram Lohiya	15-12-54
246.	311	,, Ramesh Chandra N. J. Nindal	29-12-54
247.	312	,, Lal Chand Dhoka	4-1-55
248.	313	,, Ram Mohan Mangal	20-2-55
249.	314	,, Ram Babu Goyal	12-3-55
250.	315	,, Surendra Kumar Kala	17-3-55
251.	316	,, Devendra Kumar Batra	16-4-55
252.	317	,, (Miss) Vandana Mathur	22-4-55
253.	319	,, Ravi Kumar Mathur	25-5-55
254.	320	,, Harjindar Singh Bhuie	15-5-55
255-	321	,, Ramesh Badlani	26-6-55
256.	323	,, Yogendra Kumar Thakar	3-7-55
257.	324	,, Yadava Narain Verma (SC)	3-7-55
258-	325	,, Mukesh Kumar Vyas	4-7-55
259.	326	,, Sohan Lal Gupta	5-7-55
260	327	,, Pradeep Kumar Agarwal	7-7-55
261.	329	,, Harendra Singh	29-7-55
262.	331	,, Naresh Kumar Gupta	15-9-55
263.	332	,, Hifzur Rehaman	16-9-55

Page No 168

(168)

1	2	3	4
264.	333	Dr. Vijai Swaroop Bhargav	19-9-55
265.	334	Dr. Vijai Kumar Agarwal	8-12-55
266.	336	Dr. Raj Kumar Mehta	15-12-55
267.	339	Dr Naveen Chandra Jain	18 1-56
268.	340	Dr. Rajendra Kumar Gokhroo	1 6-56
269.	341	Dr. Mahesh Chand Bansal	19 6-55
270.	342	Dr. Vinod Kumar Gupta	30 6.56
271.	343	Dr. Deepak Kapoor	1 7.56
272.	345	Dr. Mohanjeet Singh Kochar	25-7-56
273.	346	Dr. Devandra Kumar Sharma	6-9-56
274.	347	Dr. (Miss) Farzana Khatoon Baig	21-9-56
275.	348	Dr. (Miss) Sushma Singh Rathore	27-9-56
276.	350	Dr. (Miss) Meena Motwani	22-12-56
277.	351	Dr. Chandra Shekhar Joshi	25-12-56
278.	352	Dr. (Miss) Kusum Mathur	17-1-57
279.	355	Dr. (Mrs.) Chandra Singhvi	4-10-51
280.	356	Dr. Hukum Chand Garg	7-11-43
381.	357	Dr. Girish Chandra Gupta	15-5-41
282.	359	Dr. (Mrs.) Shamshad Parvez	22-12-47
383.	360	Dr. Ganga Shankar Garg	20-5-48
284.	361	Dr. Har Govind Singh	14-10-48
285.	362	Dr. Karan Singh.	6-5-49
286.	363	Dr. Tulsi Dass Harsh	5-11-49
287.	364	Dr. Shailendra Vyas	28-12-49
288.	365	Dr. Kishan Narain Purohit	1-4-50
289.	366	Dr. Mahesh Chandra Joshi	2-4-50
290.	370	Dr Shiv Prasad Sharma	1-11-50
291.	371	Dr. Ram Lakhan Sharma	5 1.51
292.	372	Dr Mohan Lal Meghnani	6-5-51
393.	374	Dr. Tikam Chand Barjatiya	1-6-51
294.	375	Dr. Virendra Nigam	6-8-51
295.	376	Dr. Sidharath Raj Kothari	2-11-51
296.	377	Dr. Subhash Chandra Vaid	9-11-51
297.	378	Dr. Shrichand Sharma	16-6-52
298.	379	Dr. Kapoor Chand Gupta	15 8.52
299.	380	Dr. Dinesh Dutt Mathur	19-8-52
300.	381	Dr. Suraj Mal Gupta	30-11-52
301.	382	Dr. Pradeep Kumar Saxena	7-1-53

Page No 169

(169)

1	2	3	4
302.	383	Dr. Rajendra Prasad Sharma	3-2-53
303.	384	Dr. Vimal Kumar Kabra	15-2-53
304.	385	Dr. Suresh Chandra Jain	8-3-53
305.	386	Dr. Ashok Kumar Verma	15-3-53
306.	388	Dr. Syed Hissamuddin Sanijari	20-6-53
307.	389	Dr. Padam Chand Jain (Ajmera)	10-9-53
308.	390	Dr. (Mrs.) Santosh Pareek	16-9-53
309.	391	Dr. Satyendra Kumar Patni	5-10-53
310	392	Dr Mahesh Chandra Mangal	5-11-53
311.	393	Dr. Chandra Prakash Bhati	1-1-54
312.	394	Dr. (Mrs.) Surendra Kaur Gambhir	6.1-54
313.	395	Dr. Mahendra Kumar Joshi	11-1-54
314.	398	Dr. Rajendra Kumar Lodha	24-3-54
315.	399	Dr. Daulat Ram Gurbani	4-5-54
316.	400	Dr. Bhawani Singh Gehlot	15.6-54
317.	401	Dr. Anand Kumar Sharma	17-6-54
318.	402	Dr. Chandra Prakash Singhal	25-6.54
319.	408	Dr. Kailash Chandra Ojha	5-5-54
320.	409	Dr. Mahesh Kumar Sharma	16-12-54
321.	410	Dr. Virendra Kumar Tiwari	15-9-54
322.	411	Dr. Arun Kumar Falor	17-9-54
323.	412	Dr. Sanwal Mal Dabaria (SC)	19-9-54
324.	413	Dr. Jag Mohan Lal Gupta	25-9-54
325.	414	Dr. (Mrs.) Pritam Pal Kaur	26-9-54
326.	416	Dr. Vikash Chandra Naniwal (SC)	7-11-54
327.	417	Dr. Purshottam Prasad Sharma	16-11-54
328.	418	Dr. Arjun Singh Shekhawat	19-11-54
329.	419	Dr. Chetan Prakash Kachhawaha	16-1-55
330.	420	Dr. Surendra Mertia	5-3-55
331.	421	Dr. Dinesh Chandra Bansal	4-4-55
332.	422	Dr. Girish Kumar Mathur	5-5-55
333.	423	Dr. Prahlad Kumar (S. T.)	25-5-55
334.	424	Dr. Mahavir Prasad Chawla (SC)	2.7.55
335.	425	Dr. Gopal Dutt Sharma	15-7.55
336.	426	Dr. Purshottam Rathi	9.8.55
337.	427	Dr. Ganpat Jain	12.8.55
338	429	Dr. Radhey Shyam Mittal	2-9-55
339.	431	Dr. Hemant Kumar Singhal	10-9-55

Page No 170

(170)

1	2	3	4
340.	432	Dr. Narottam Nuwal	9-55
341.	433	Dr. Shyam Sunder Sharma	30-9-55
342.	434	Dr Rajendra Kumar Samar	26-10-55
343.	435	Dr. Sharad Singh	21-11-55
344.	436	Dr. Shri Krishan Rathi	20-9-55
345.	437	Dr. Amar Singh Swarnkar	1-1-56
346.	438	Dr. (Miss) Rekha Gupta	28-3-56
347.	439	Dr. (Mrs) Gayatri Nagori	30-5-56
348.	442	Dr. Ved Prakash Aseeja	17-8-56
349.	443	Dr. Pradeep Kumar Gupta	28-8-56
350.	444	Dr. Suresh Kumar Bhatnagar	24-9-56
351.	447	Dr. (Miss) Smita Kulshreshtha	18-8-57
352.	448	Dr. Rakesh Rawat	3-9-57
353	450	Dr. Durga Shanker Sharma	4-2-58
354	452	Dr. Pramod Kumar	7-6-56
355.	453	Dr. Brij Kishore Jindal	10-7-58
356.	454	Dr. Kishore Singh	10-7-58
357.	456	Dr. Devendra Kampani	15-9-58
358.	457	Dr. Dinesh Kumar Mittal	20-9-58
359	458	Dr. Om Prakash Purohit	5-7.44
360.	459	Dr. Om Prakash Budhawar	5-7.45
361.	461	Dr. Daya Shankar Pareek	9-3-46
362.	462	Dr. Surendrapal Batra	2-7-47
363.	464	Dr. Kamlesh Jain	5-1-48
364.	465	Dr. Bharat Lal Pargi (ST)	6-3-48
365.	467	Dr. Shivratan Singh Rathore	20-8-48
366.	468	Dr. Ramesh Chandra Sharma	10-12-48
367.	469	Dr. Vijayendra Kumar Tikkiwal	12-12-48
368.	471	Dr. Jagdish Prashad Sharma	6-4-49
369.	472	Dr. Ravindra Nath Saxena	1-7-49
370.	473	Dr. Sala uddin Khilji	1-7-49
371.	474	Dr. Kedar Nath Sharma	15-7-49
372.	477	Dr. Subhash Chandra	10-11-49
373.	479	r. Mahindra Kumar Jain	21-3-50
374.	480	Dr. Kailash Prasad Khandal	15-6-50
375.	481	Dr. Kishan Guranani	28-6-50
376.	482	Dr. Surendra Kumar Audichya	30-6-50
377.	483	Dr. Jag Mohan Goyal	1-7-50

1	2	3	4
378.	484	Dr, Pratap Singh Rawat	15-8-50
379.	486	Dr. Vinod Kumar Jain	23-9-50
380.	487	Dr. Arun Pakash Roy	27-9.60
381.	488	Dr. (Mrs.) Chanchal Goyal	1.10-50
382.	491	Dr. (Miss.) Usha Rani Gupta	3-12.50
383.	492	Dr. Sri Bhagwan Agarwal	10-1-51
384.	493	Dr. Vidhya Dhar	1-2-51
385.	494	Dr. Om Prakash Mathur	23-2-51
386.	495	Dr. Bachu Singh Verma (SC)	6-5-51
387.	496	Dr. Manu Mathur	4-6-51
388.	497	Dr. Satya Narayan Dargar	10-7-51
389.	498	Dr. Vinod Raj Vineet	14-7-51
390.	500	Dr. Uttam Chand Soni	2-8-51
391.	501	Dr. Mangi Lal Jain	12-8-51
392.	502	Dr, Surendra Kumar Jain	30 8-51
393.	503	Dr. Mahendra Singh Bundal (SC)	28-9-51
394.	504	Dr. Maheep Kumar Sinha	28-9-51
395.	505	Dr. Harlal Singh Repswal	3-12-51
396.	506	Dr. Shanti Chand Jain	1-1-52
397.	507	Dr. Shyam Sunder Sippy	1-1.52
398.	509	Dr. Rameshwar Prasad Gupta	3-2-52
399.	510	Dr. Jugal Kishore Arora	5-2-52
400.	511	Dr. Pooran Singh Rao	9-4-52
401.	512	Dr. (Mrs.) Pratibha Mehta	6-6-52
402.	513	Dr. Dinesh Chandra Bansal	2-7-52
403.	515	Dr. (Mrs.) Manju Agarwal	14-9-52
404.	517	Dr. (Mrs.) Prakash Mohini Bhargava	2-4-53
405.	518	Dr. Kapoor Chand Meena (ST)	1-7-53
406.	519	Dr. (Mrs.) Nirupma Bhargava	4-9-53
4 7.	520	Dr. Laxmi Nath Meena (ST)	10-2 54
408.	524	Dr. (Miss) Laxmi Verma	6-9-55
409.	528	Dr. (Miss) Prabha Shriya	5-4-56
410.	529	Dr. Babu Lal Meena (ST)	19-4-56
411.	530	Dr. (Miss Chandra Kiran	5-5-56
412.	531	Dr. (Miss) Rekha Mathur	23-5-56
413.	532	Dr. Shyoji Ram Meena (ST)	19-7-56
414.	534	Dr. (Mrs.) Madhu Sathia	8-10-56
415.	535	(Mrs.) Pramila Kumari Sharma	27-6-58

1	2	3	4
416.	538	Dr. (Mrs) Prem Yadav	5-6-50
417.	539	Dr. (Mrs) Madhu Bansal	16-3-52
418.	540	Dr. Ravindra Kumar Vyas (H/C)	8-5-52
419.	541	Dr. (Miss) Madhu Bala	4-6-53
420.	542	Dr. Ram Phool Meena (ST)	5-8-53
421.	543	Dr. (Mrs.) Veena Bhandari	10-3-54
422.	544	Dr. (Miss) Shashi Bala Charan	10-7-54
423.	545	Dr. (Mrs.) Indu Gupta	6-9-54
424.	546	Dr. (Miss) Venkataramania Veena	31-3-55
425.	548	Dr. (Miss) Kusum Rathi	30-8-55
426.	549	Dr. (Mrs.) Anita Bala Saxena	7-5-56
427.	550	Dr. (Miss) Anita Bhargava	31-3-57
428.	551	Dr. (Miss) Santosh Agarwal	[illegible]-7-58
429.	553	Dr. Ramesh Chandra Ahari (ST)	9-1-50
430	554	Dr. Jhamman Lal Verma (ST)	13-4-52
431.	555	Dr. Jagdish Prasad Garg (H/C)	15-5-52
432.	556	Dr. Satyendra Singh (H/C)	7-8-52
433	559	Dr. Mohan Lal Meena (SC)	1-1-55
434.	561	Dr. Roop Narain Karadia (SC)	10-6-55
435.	562	Dr. (Mrs.) Tushpa Tiwari	21-6-55
436.	563	Dr. (Mrs.) Lata Gupta	11-[illegible]2-55
437.	564	Dr. (Miss) Nimita Verma	5-5-56
438.	565	Dr. Harkesh Meena (ST)	12-8-56
439.	566	Dr. (Mrs.) Rama Saboo	10-8-57
440.	567	Dr. (Miss) Alka Jain	18-2-58
441.	568	Dr. Basant Prakash Joshi (H/C)	7-7-48
442.	569	Dr. (Miss) Mohini Changulani (H/C)	8-1-49
443.	570	Dr. Mox Roop (SC)	13-8-51
444.	571	Dr. Bhanwar Lal Ujjainia (SC)	7-8-53
445.	572	Dr. Mohan Lal Meena (ST)	20-7-54
446.	573	Dr. Satish Kumar Dabaria (SC)	9-3-55
447.	574	Dr. Narendra Kumar Deepal (SC)	1-[illegible]0-55
448.	575	Dr. Batti Lal Meena (ST)	1-1-56
449.	576	Dr. Ram Lal Meena (ST)	10-7-50
450.	578	Dr. Om Prakash Meena (ST)	30-5-54
451.	579	Dr. Prem Chand Dhandoria (SC)	18-6-54
452.	580	Dr. Shankar Lal Pratihar (ST)	1-5-55
453.	581	Dr. Mana Ram Mandar (SC)	13-2-50

1	2	3	4
454.	582	Dr. Bajrang Lal Meena (ST)	1-6-50
455.	583	Dr. Vishvanath Ganeriwal (H/C)	2-1-51
456.	584	Dr. Mohan Lal Sanel (SC)	1-4-51
457.	585	Dr. Ram Niwas Meena (ST)	1-6-51
458.	586	Dr. Radhey Shyam Boyat (SC)	21-8-51
459.	587	Dr. Prahlad Rai Jef (ST)	16-5-52
460.	589	Dr. Ashok Kumar Sonthwal (SC)	19-3-53
461.	590	Dr. Bhagirath Prsad Gangwal (SC)	20-4-53
462.	592	Dr. Lala Ram Parmar (SC)	8-9-53
463.	593	Dr. Girdhari Lal Meena (SC)	2-5-54
464.	594	Dr. Mohan Lal Khardia (SC)	15-5-54
465.	595	Dr. Ram Dayal Verma (ST)	1-7-54
466.	596	Dr. Hanuman Singh (SC)	5-7-54
467.	598	Dr. Shri Ram Meena (ST)	1-6-55
468.	599	Dr. Bhagwat Prasad Verma (SC)	1-12-55
469.	600	Dr./ Munna Lal Jaipal (SC)	28-1-56

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग
(ग्रुप—2)

क्रमांक: प. 1 (1) चि. स्वा./ग्रुप—2/80 जयपुर, दिनांक 18-8-1982

आदेश (क)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर वेतनमान रुपये 750–30–1020–40–1300–1350 की श्रृंखला में प्रदान करते हैं। उनको पदस्थापन आदेश प्राप्त किये जाने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर से सम्पर्क किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम और पता	जन्म तारीख	मेरिट नं.
1	2	3	4
1.	डॉ. जगदीश सिंह, नल गोदाम, गंज, अजमेर	10-5-1955	19
2.	डा. (श्रीमती) कुमकुम कुलश्रेष्ठ, एवं 3/15; टाउन शिव, आर.ए. पी. पी. वाया कोटा—323306 (राज.)	22-11-1951	184
3.	डा. (कु.) रेनू नारायण माथुर द्वारा श्री सूरज नारायण माथुर; लोहागल रोड़ अजमेर।	28-5-1955	232
4.	डा. (कु.) सुशीला नागिया; पुत्री श्री आर.एम. नागिया, डी—5, भगतसिंह मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-4	28-6-47	263
5.	डा. इन्द्र नारायण भारद्वाज, 112, शास्त्री नगर, सेवपुरा, उदयपुर।	11-4-50	367
6.	डा. हनुमान शरण माथुर, द्वारा श्री एस.एन. माथुर, जिला उद्योग अधिकारी, महावीर भवन के पास, अलवर।	30-8-50	369
7.	डा. अर्जुनराम काला, द्वारा लाडली क्लिनिक, राजनारायण रोड, नसीराबाद, जिला अजमेर।	20-5-1951	373

Page No 175

175

1	2	3	4
8.	डा. (कु.) मीरा सेठी, 90/ई/ई/ ओल्ड रेल्वे कालोनी, कोटा।	16-8-58	455
9.	डा. अशोक मनवानी, सी. 115, प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)	15-8-49	475
10.	डा. (श्रीमती) शोभा तोमर पत्नी डा. वी., एस. तोमर, एस. बी. 112, लालकोठी बाजार, टोंक रोड, जयपुर।	25-8-49	476
11.	डा. वैष्णव श्याम लाल, ग्राम-पोस्ट, बीजापुर वाया सेवाड़ी स्टेशन फालना, जिला पाली (राज.)	1-8-1951	499
12.	डा. जयप्रकाश सिमलोट, भगवती निवास, पुरानी मण्डी, अजमेर।	8-1-1952	508
13.	डा. (कु.) बीना मेहरोत्रा, किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।	18-9-1953	557
14.	डा. ओम प्रकाश राठी, द्वारा श्री आर.सी. राठी, 6/391 महावत मार्ग, राठी जी की हवेली, उदयपुर (राज.)	17-12-1955	29
15.	डा. राजवीर आर्य, बी-257, जनता कालोनी, जयपुर।	4-11-1955	52
16.	डा. श्यामसुन्दर, खटेटा, म.नं. 3706, नीमडी की पुलिस, जयपुर।	9-11-1950	177
17.	डा. रविन्द्र कुमार वर्मा, द्वारा भगतसिंह बिल्डिंग, टाटा कम्पनी के सामने, जी.एस. रोड, बीकानेर।	12-6-1953	197
18.	डा. नृसिंह राजपुरोहित, गांव लगेरा, जिला बाड़मेर।	30-12-1955	338
19.	डा. निर्मला पुरोहित, ए. 40, लक्ष्मी नारायण पुरी, सूरजपोल, जयपुर-3	19-3-1954	397

Page No 176

(176)

1	2	3	4
20.	डॉ. अखलेश कुमार श्रीवास्तव, द्वारा श्री राधा रमन गुप्ता, विनोद निशि, हास्पीटल रोड, भरतपुर।	6-9-1955	430
21.	डॉ. श्यामलाल मूंदड़ा, द्वारा श्री जगदीश चन्द्र मूंदड़ा, मु.व पोस्ट रायपुर, जिला भीलवाड़ा।	12-11-1956	440
22.	डॉ. राजमल दुगड़, द्वारा श्री सदासुख लक्ष्मीचन्द दुगड़, पो. श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू (राज.)	4-8-1946	460
23.	डॉ. विजयलक्ष्मी शर्मा, म.नं. 85, जी सेक्टर, शास्त्री नगर, जोधपुर (राज.)	4-11-1954	221
24.	डॉ. विजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, द्वारा अशोक जनरल स्टोर, सुभाष बाजार, टोंक (राज.)	5-9-1955	11
25.	डॉ. रवीन्द्रपाल सिंह सतारपुर भवन, मुन्सी बाजार, अलवर।	15-5-1953	27
26.	डॉ माणकचन्द जैन, मनोहर कला भवन, ब्रह्मपुरी, अजमेर।	1-8-1954	210
27.	डॉ नन्द किशोर कुलवाल, म.नं. 4460, गलता रोड, जयपुर।	18-8-1954	214
28.	डॉ. द्वारका प्रसाद गुप्ता, द्वारा नित्य उपयोगी वस्तु भण्डार, लक्ष्मीनारायणपुरी, गलता रोड, जयपुर।	4-2-1956	241
29.	डॉ. विजय बड़ेदरा, द्वारा डॉ. श्रीमती उषा खन्ना, बी–2/34, जनकपुरी, नई दिल्ली–58।	3-5-1957	256
30.	डॉ. ईश्वरसिंह नेहरा, द्वारा श्री रामकिशन नेहरा, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, ठीकोली बाया फतहपुर, सीकर (राज.)।	2-5-1955	318
31.	डॉ. ओम प्रकाश अग्रवाल, द्वारा श्री धनपतराय, पठानों का मोहल्ला, बीकानेर।	21-12-1955	337

1	2	3	4
32.	डॉ. किरण दोषी, द्वारा डॉ. माणक जैन, मनोहर कला भवन, ब्रह्मपुरी, अजमेर (राज.)।	5-11-1956	349
33.	डॉ. ईश्वर चन्द मित्तल, 37—के ब्लॉक, श्री गंगा नगर (राज.)।	1-7-1954	404
34.	डॉ. महेश चन्द्र जैन, द्वारा श्री बाबूलाल ज्ञान चन्द जैन पो. तिजारा, जिला अलवर (राज.)।	3-9-1954	407
35.	डॉ. पशुपति प्रसाद जोशी, द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, 1-के, श्री गंगानगर (राज.)।	4-9-1950	485
36.	डॉ. भगवानदास सोनगरा, सोनगरा सदन, स्टेशन रोड, जोधपुर।	17-11-1955	525
37.	डॉ. राजेन्द्र कुमार सेरेका, 47, संजय मार्ग, हथरोई स्कीम, जयपुर।	6-12-1953	3
38.	डॉ. शशिकला महेश्वरी, द्वारा श्री जे एल. महेश्वरी, राजभवन, शिव रोड, रातानाडा, जोधपुर।	31-3-1955	48
39.	डॉ. (श्रीमती) राधा चौधरी, द्वारा श्री गोरधन सिंह जी चौधरी, प्लाट नं. 14, मसूरिया सैक्शन-7, न्यू पॉवर हाउस रोड, जोधपुर (राज.)।	18-9-1953	291
40.	डॉ. राजेश गुप्ता, 59 एस. बी., बापू नगर, जयपुर।	13-4-1953	387
41.	डॉ. (सुश्री) स्नेहलता माथुर, भगवती भवन, लूंकड़ों की घाटी, सिंह पोल, जोधपुर।	21-4-1955	547
42.	डॉ. (श्रीमती) नन्दनी देवी, 4, मंगलान्सर लाईन, अलवर (राज.)।	30-6-1955	37
43.	डॉ. शान्ति लाल गुप्ता, कनोडिया सेवा केन्द्र, मुकुन्दगढ़, जिला झुन्झनू।	6-4-1954	131
44.	डॉ. लता जैन, किरण कुटीर, नागिया बाग, अजमेर (राज.)	12-6-1954	133
45.	डॉ. (श्रीमती) सुचित्रा जैन, सी-157, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।	18-8-1956	163

Page No 178

(178)

1	2	3	4
46.	डा. कान्तीमल भण्डारी, 11/279, बजाज नगर, जयपुर।	8-12-1954	222
47.	डा. रविन्द्र कुमार मेहता, 1-घ-10, जवाहर नगर, जयपुर-4।	2-12-1956	254
48.	डा. विष्णु कुमार, राजकीय चिकित्सालय के पास, 3/94—जवाहर नगर, जयपुर-4।	9-1-1953	282
49.	डा (श्रीमती) करुणा चतुर्वेदी, द्वारा डॉ. वी. पी. चतुर्वेदी, सिविल लाइन्स, टोंक (राज.)।	1-7-1953	287
50.	डा. (श्रीमती) मंजू टन्डन, द्वारा प्रोफेसर के. एन. मेहरा, एच-39, टेगौर पथ, बनीपार्क, जयपुर।	15-10-1947	463
51.	डा. रामस्वरूप सैनी, नाखाली बावड़ी, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू	1-8-1950	368
52.	डॉ मोहम्मद इस्माइल, द्वारा मोहम्मद शरीफ एडवोकेट, पो देवगढ़-मण्डारिया, जिला उदयपुर।	8-7-1955	523
53	डा. प्रेमलता जैन, 489, राजापार्क, आदर्श नगर, गली नम्बर 5, जयपुर।	8-1-1944	536
54.	डा. महेन्द्र कुमार श्रोया, राम नगर, पुष्कर रोड, अजमेर।	1-9-1951	59
55.	डा. मन्जू गर्ग, 13/429, नया बाजार, अजमेर (राज.)	5-12-1955	102
56.	डा. गोप रामचन्दानी, 97, सिन्धी कोलोनी, बनीपार्क, जयपुर।	1-6-1946	168
57.	डा. रिछपाल शर्मा, ग्राम व पो. कनोड, वाया खाचरियावास, जिला सीकर।	4-7-1948	171
58.	डा. चन्द्र प्रकाश माथुर, द्वारा श्री के. एम. लाल नाग, नवसूतरखाना, माणक चौक, जोधपुर।	21-9-1955	239
59.	डा. (श्रीमती) मन्जू मेहरा, म. नं. 142/11, हाथी भाटा, अजमेर।	8-12-1954	308

1	2	3	4
60.	डा. (कु.) सुषमा व्यास, पुत्री श्री वल्लभ दास, सुनारों की बगीची, जसवन्त कॉलेज के पास, रातानाडा, जोधपुर।	10-7-1956	440
61.	डा. संजय मोहन पाण्डे, द्वारा डॉ. बी. एम. पाण्डे, 452-ब्यावर रोड, अजमेर।	10-11-1957	44
62.	डा. वीना (चौपड़ा), बेंजामीन, 5 एफ ब्लाक, श्री गंगानगर (राज.)।	12-6-1947	55

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-1982 से अथवा जब से कार्यग्रहण करें, जो भी बाद में हो मानी जावेगी। उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई हैं।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्याधीन है, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हैं।

इन्हें पदस्थापन आदेश के जारी होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्यग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न सम्भालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती हैं।

आदेश से,
ह.
(जी. पी. नागर)
उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ 7 (104) भर्ती ख/80-81/8895, 18312, 9358, 9395, 9389 व 9446 दिनांक 13-7-82 14-7-82 15-7-82, 21-7-82 व 28-7-82 के क्रम में।
3. निजी सचिव, स्वास्थ्य मन्त्री / उप मन्त्री
4. सम्बन्धित चिकित्सक निजी पत्रावली।
5. रक्षित पत्रावली।

(के.एल.झा.)
सहायक शासन सचिव।

(180.)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 1(1) चि. स्वा./90 ग्रुप-2 जयपुर, दिनांक 14 सितम्बर 1982

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर वेतनमान श्रृंखला 750-30-1020-40-1300-1350 में प्रदान करते है :-

क्र. सं.	नाम व पता	जन्म तारीख	मेरिट नं.
1	2	3	4
(1)	डॉ. (श्रीमती) उमा बिस्सा, द्वारा डा. केशवलाल बिस्सा, गुन्दी का मोहल्ला, जोशियों का बेरा, जोधपुर ।	15-8-55	2[illegible]
(2)	डॉ. तेजकुमार सोगानी, म.नं. 4488, कुन्दीगर भैरूंजी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-3 ।	10-1-55	92
(3)	डॉ. सूरज प्रकाश माथुर, 849/1 सोहन भवन, क्रिश्चियन गंज, अजमेर।	12-7-52	120
(4)	डॉ. बालकृष्ण कश्यप, पुत्र श्री लालचन्द कश्यप, म्युनिसिपल बोर्ड के पीछे, बीकानेर।	3-12-48	172
(5)	डॉ. शिवभगवान, पुत्र श्री रामनिवास जी, गंगाजी का मन्दिर, नांवा सिटी (नागौर)	31-12-54	523
(6)	डॉ. (श्रीमती) अचला सांघी, म. नं. 4488, कुन्दीगर भैरूंजी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।	14-8-57	258

Page No 181

(181)

1	2	3	4
(7)	डॉ. कृष्ण चन्द शर्मा द्वारा श्री जे.पी. शर्मा, नवज्योति प्रेस के पीछे, गुमानपुरा, कोटा ।	1-7-55	322
(8)	डा. नरेशचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री शान्ति स्वरूप गुप्ता, 1-बी –8, ललिता शास्त्रीनगर, नाहरी का नाका, जयपुर ।	13-7-54	405
(9)	डा. रविकुमार गुप्ता, गांधी चौक, बयाना ।	30-9-54	415
(10)	डा. बंशीलाल बाघेला, बाईजी का तालाब, लड़कियों की स्कूल नहर के पास, जोधपुर ।	2-5-54	521
(11)	डा. (कु.) पूनम हांडा, लेडी डाक्टरर्स होस्टल, अजमेर ।	29-11-55	526
(12)	डा. मुरलीधर सेठी, पुत्र श्री कजोड़मल सेठी, पो–सामोद (जयपुर)	1-7-53	577

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-82 से अथवा जब से कार्यग्रहण करें, जो भी बाद में हो मानी जावेंगी। उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई हैं।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्याधीन हैं, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों।

इन्हें पदस्थापन आदेश के जारी होने के तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्यग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्य भार न सम्भालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

182

उपरोक्त चिकित्सकों की अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती हैं ।

आदेश से,

ह.

(जी.पी. नागर)

उप शासन सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित । वे कृपया उपरोक्त सी. ए. एस. डाक्टरों के पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करावें ।

2. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 7 (104 भर्ती/ख, / 80-81/9877, दिनांक 13-8-82 व पत्र क्रमांक 7(63) भर्ती/ख/ 79-80]9866, दिनांक 13-8-82 के क्रम में. ।

3. निजी सचिव, स्वास्थ्य, मंत्री/उप-मन्त्री ।

4. सम्बन्धित चिकित्सक । वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज., जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें ।

5. निजी पत्रावली

6. रक्षित पत्रावली ।

ह.

(आर. पी. जसोरिया)

सहायक शासन सचिव ।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 1 (1) चि. स्वा/80/ग्रुप-2 जयपुर, दिनांक 16-10-1982

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर वेतनमान श्रृंखला 750-30-1020-40-1300-1350 में प्रदान करते हैं :–

क्र. सं.	नाम व पता	जन्म तारीख	मेरिट नं.
1	2	3	4
(1)	डा. अर्जुनलाल बावेल, द्वारा-बावेल इलेक्ट्रिकल्स, 203-ए, अश्विनी मार्केट, उदयपुर पिन- 313001	1-9-1952	26
(2)	डा. वीरेन्द्र गोयल, गोयल भवन, तिलक मार्केट, अलवर (राज.)।	25-4-1955	147
(3)	डा. मंजू पाटनी, जीन माता का खुर्रा, गलता रोड, जयपुर।	17-8-1954	213
(4)	डा. प्रवीण चन्द्र अग्रवाल, डिग्गी बाजार, अर्जुन सोप फैक्टरी के सामने, अजमेर	7-7-1954	299
(5)	डा. रमण शारदा, 39-होस्पिटल रोड, जयपुर-202001	14-3-1955	8
(6)	डा. महेशचन्द्र अग्रवाल, 213, आर्यनगर, अलवर।	27-6-1952	119
(7)	डा. (कु.) कुमुद माथुर, द्वारा- श्री मोहन माथुर, डी-194, बापू नगर, जयपुर।	10-5-1958	451

(184)

1	2	3	4
(8)	डा. (कु.) विद्या कुमारी बोरड़िया, प्लाट नं. एस-3, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302004	8-11-1950	490
(9)	डा. सुभाष क्षेत्रपाल, जे-82, आदर्श नगर, जयपुर—302004	10-5-1954	5
(10)	डा. चिन्तामणि अग्रवाल, द्वारा-गुप्ता ट्रेडर्स, एम. आई. रोड, जयपुर।	11-7-1953	45
(11)	डा. गुलजारी लाल गुप्ता, द्वारा-डा. वी. डी. गुप्ता, भण्डारी भवन, I I-डी, सरदारपुरा, जोधपुर।	2-5-1953	65
(12)	डा. कृष्ण मोहरा श्रीवास्तव, 1626, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर-302001	19-9-1954	139
(13)	डा. (कु.) किरण चौपड़ा, 7-म-46, जवाहर नगर, जयपुर-302004	27-9-1957	167
(14)	डा. रमेश चन्द्र यादव, द्वारा-श्री हरी सिंह म. नं.-5-ख-29 नाहरी का नाका, हाउसिंग बोर्ड, जयपुर।	14-6-1952	186
(15)	डा. राजकिशोर मिवाड़ी म. नं.-118, सेक्टर नं.-3, हिरण मगरी, उदयपुर।	4-8-1954	211
(16)	डा. प्रदीप कुमार गौड़, पुत्र श्री बाल किशन गौड़, II- सिविल लाइन्स, सिरोही पिन-307001	1-7-1958	266
(17)	डा. (श्रीमती) सरोज शर्मा, 1-क.8, हाउसिंग बोर्ड, भगत की कोठी, जोधपुर।	22-5-1946	262

1	2	3	4
(18)	डा. चन्द्र शेखर पारीक, 19-डी, शास्त्री नगर, जोधपुर ।	4-9-1955	330
(19)	डा. मोहनी लोकानी, 7-ख-14, जवाहर नगर, जयपुर-302004।	15-12-1955	335
(20)	डा० मणि कान्त कोठारी ए० रोड़, पावटा, जोधपुर ।	4-4-1957	353
(21)	डा. रमेश चन्द्र शर्मा, 47-काष्ट कला मार्ग, उदयपुर ।	8-5-1957	354
(22)	डा. मनसुखराम चौधरी, मेडिकल आफिसर इन्चार्ज, राजकीय चिकित्सालय, कोछोर, (सीकर) ।	1-7-1947	358
(23)	डा. श्याम सुन्दर टांटिया, अग्रवाल टेक्सटाइल्स, 48-49, प्रताप मार्केट, श्री गंगानगर ।	20-8-1955	428
(24)	डा. ओम प्रकाश वर्मा, म. नं. 3 घ. 19, पवनपुरी कालोनी, हाउसिंग बोर्ड, नगनीचा रोड, बीकानेर ।	21-2-1949	470
(25)	डा. (श्रीमती) वीणा भारद्वाज, के-3 केशव पथ, अशोक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर ।	27-10-1950	489
(26)	डा. (श्रीमती) शशि चावला, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, जोधपुर ।	30-9-1952	516
(27)	डा. रोहिताश्व, 144 मैन ब्वायज होस्टल, र. ना. टे. मेडिकल कालेज, उदयपुर ।	15-1-1956	527
(28)	डा. रवि प्रभा यतीन्द्र, बी. 119, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर ।	30-8-1954	558

(186)

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-1982 से अथवा जब से कार्य-ग्रहण करें, जो भी बाद में हो जानी जावेंगी । उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हायर-सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई हैं ।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने के अध्याधीन है, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों ।

इन्हें पदस्थापन्न अंकित के जारी होने के तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्यग्रहण पदस्थापन्न स्थान पर करना होगा । उक्त अवधि में कार्यभार न सम्भालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त समझे जावेंगे ।

उपरोक्त चिकित्सकों की अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती है ।

आदेश से,—
(जी. पी. नागर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

(1) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ । वे कृपया उपरोक्त सी. ए. एस. डाक्टरों के पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें ।

(2) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ 7/(104)/भर्ती ख 80-81/9877, दिनांक 13-8-82 व पत्र क्रमांक 7/(63) भर्ती ख 79-80/9866, दिनांक 13-8-1982 के क्रम में ।

(3) निजी सचिव, स्वास्थ्य मन्त्री उप-मन्त्री ।

(4) सम्बन्धित चिकित्सक/वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें ।

(5) निजी पत्रावली ।

(6) रक्षित पत्रावली ।

ह.
(आर. पी. जसोरिया)
सहायक शासन सचिव ।

(187)

राजस्थान सरकार रजिस्टर्ड

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : पं. 1 (26) चि. स्वा./81/ग्रुप-2 जयपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 1982

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर वेतनमान श्रृंखला 750-30-1020-40-1300-1350 में प्रदान करते हैं:—

क्रम सं.	नाम व पता	जन्म तारीख	रिजर्व सूची का मेरिट नं.
1	2	3	4
(1)	डा. राधेश्याम गोयल, पो.—नारौलिडांग, जिला—सवाई माधोपुर (राज.)	28-8-1952	2
(2)	डा. शिवरतन सोमानी, द्वारा—किसनलाल प्रभूलाल जी सोमानी, सोमानी भवन, कपासन, पो. कपासन (चितौड़गढ़)।	25-12-1952	6
(3)	डा. रतनसिंह चाहर, ग्राम पोस्ट—लुटू—वाया—बिसाऊ, (झुंझुनूं)	10-3-1953	8
(4)	डा. ओम प्रकाश मोदी, मोहल्ला मोदीयान, लक्ष्मीनाथ जी की घाटी, बीकानेर।	29-3-1953	9
(5)	डा. भगवानदास गुप्ता पुत्र श्री रामरिछपाल गुप्ता, दिल्ली दरवाजा, गणेश फ्लोर मिल, कोटपूतली (जयपुर)।	1-7-1953	11
(6)	डा. सीताराम शर्मा, महेश टाकीज, झुंझुनूं।	10-7-1953	13
(7)	डा. मुलकराज चावला, ग्राम बाई, डाक—मोठूका, वाया—किशनगढ़ वास (अलवर)।	26-7-1953	14
(8)	डा. रवीन्द्र तामरा, डी—261, देवी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर—6	28-7-1953	15
(9)	डा. सत्यदेवसिंह मेहता, पो. आ.—अराई (अजमेर)।	17-9-1953	16

Page No 188

(188)

1	2	3	4
(10)	डा. सतीश कुमार शर्मा द्वारा श्री विजय-कुमार पारीक, एडवोकेट, माल गोदाम रोड, चौबिना कुआं, बीकानेर।	26-9-1953	17
(11)	डा. शिखरचन्द जैन, मु. पो. मंढा—सुरेरा वाया—रेनवाल (सीकर)।	15-10-1953	19
(12)	डा श्रीकान्त वी बुलाख, 13-गोपाल बाड़ी, अजमेर रोड, जयपुर।	25-11-1953	20
(13)	डा. शरत माथुर, बल्यू केसल, प्लाजा सिनेमा के पास, अजमेर।	15-12-1953	21
(14)	डा. सुरेशचन्द्र बसेर द्वारा श्री हरक-लाल बसेर, पो. भदेसर (चित्तौड़गढ़)।	1-1-1954	23
(15)	डा. उमेशकुमार शर्मा, कायस्थ खिड़कियां, करौली (सवाईमाधोपुर)।	26-2-1954	24
(16)	डा. चन्द्रभान शारदा पुत्र श्री माली-राम शारदा, पो-चौमू (जयपुर)।	6-6-1954	26
(17)	डा. शिवकुमार मोहता, द्वारा- बाल-मुकन्द शिवकुमार, पो. आ. रायसिंह नगर, (श्रीगंगानगर)।	17-6-1954	27
(19)	डा. ओमप्रकाश शर्मा, एफ-62, कालीदास मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।	1-7-1954	28
(20)	डा. विक्रमपालसिंह ग्राम-इनायती-वाया-सपोटरा, (सवाईमाधोपुर)।	4-7-1954	29
(21)	डा अनिल प्रकाश माथुर, द्वारा-श्री एम. बी. एल माथुर, 321/1, रेम्बल रोड, किशनगंज, अजमेर।	10-7-1954	30
(22)	डा. अजय कुमार शर्मा, राजभवन, बड़े डाकखाने के पीछे, बीकानेर।	21-9-1954	31
(23)	डा. राजेन्द्र चन्डक, मं. न.-294/16, ईमली मोहल्ला, भण्डारा गली, अजमेर।	28-12-1954	32

(184)

1	2	3	4
(24)	डा, सुभाष चन्द्र शर्मा, सेठिया क्वार्टर नं.-9, डी. एस. ग्राफिस के पास, बीकानेर ।	20-11-1954	33
(25)	डा. राकेश वर्मा, मो-28 एल ब्लाक, श्री गंगानगर ।	7-1-1955	34
(26)	डा. अशोक कुमार गुप्ता, द्वारा-एम आर गुप्ता, देबर टाकीज, हनुमानगढ़ टाउन, (श्रीगंगानगर)	20-5-1955	36
(27)	डा. गिरिराज किशोर माथुर, म. नं. 11/129, माथुर सदन, बृजराजपुरा, कोटा ।	30-5-1955	37
(28)	डा. नरेन्द्र कुमार जैन, रामेश्वरजी का नोहरा, रामपुरा बाजार, कोटा ।	1-7-1555	39
(29)	डा. सत्येन्द्र गुप्ता, 215 दादावाड़ी (शास्त्रीनगर), कोटा ।	7-7-1955	40
(30)	डा. देश दीपक चौधरी, 73—न्यू राजापार्क, जयपुर ।	28-7-1955	41
(31)	डा. राजेन्द्रप्रसाद जैन, द्वारा-श्री माधोलाल घासीलाल एण्ड कम्पनी, अकलेरा (झालावाड़)।	23-8-1955	43
(32)	डा. राजेन्द्रदत्त माथुर, 133/15 उदावतों की पोल, कायस्थ मोहल्ला, पुरानी मण्डी, अजमेर।	8-9-1955	48
(33)	डा. सुरेशकुमार गोयल, 104 एन-ब्लाक, श्री गंगानगर ।	21-9-1955	46
(34)	डा. विनोदकुमार गुप्ता, ए-16 यू. आई. टी. कालोनी, नाका मदार, अजमेर।	27-6-1955	38

1	2	3	4
(35)	डा. राहुल गुप्ता, 4 बाभाई जी की बाड़ी, अशोकनगर, उदयपुर।	25-9-1955	47
(36)	डा अनुराग दुबे, 74, नन्दपुरी कालोनी, जयपुर-6 ।	1-3-1956	48
(37)	डा. हरजसराय एस. मुरजानी, 27/709, ब्यावर रोड अजमेर।	8-3-1956	49
(38)	डा. जसविन्द्रसिंह, 895, राजनारायण रोड, अजमेर।	2-6-1956	50
(39)	डा. अरविन्द कुमार शर्मा, सी-25, बल्लभ बाड़ी, गुमानपुरा, कोटा (राज.)।	3-6-1956	51
(40)	डा. हेमन्त कुमार भारतीय, एल-सी-वन, यूनिवर्सिटी कैम्पस, जयपुर-4।	23-6-1956	52
(41)	डा. सत्यनारायण शर्मा, सी-140, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर, जयपुर ।	20-6-1956	53
(42)	डा. धनेश कुमार शर्मा, मकान नं. 1554, जाट के कुएे का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर ।	4-9-1956	56
(43)	डा. कैलाश नारायण, सी.ई.-59, हाईकोर्ट कोलोनी, जोधपुर।	10-9-1956	57
(44)	डा. सत्येन्द्र प्रकाश कन्नोलिया, द्वारा डा. के.सी. गुप्ता, गवर्नमेन्ट गर्ल्स हायर सेकण्डरी स्कूल के पीछे, बालमन्दिर रोड, भीमगण्डी, कोटा ।	21-9-1956	58
(45)	डा. रवीन्द्र कुमार शर्मा, ए-29, अनिता कालोनी, जयपुर।	19-10-1956	59
(46)	डा. आदर्श जीत सिंह, 236, अनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर।	20-12-1956	61

1	2	3	4
(47)	डा. दाऊदयाल गोयल, पुत्र देवीप्रसाद गोयल, नये लक्ष्मण मन्दिर के पास, भरतपुर (राज.)।	24-6-1957	64
(48)	डा.बृजमोहन सहारन, द्वारा चौ. शिवप्रकाश सहारन, 87, धानमण्डी, श्री गंगानगर (राज.)।	16-7-1957	65
(49)	डा. प्रेमसिंह माथुर, भईयाजी की पिरोल, मूंधड़ों का चौक, बीकानेर।	11-8-1957	67
(50)	डा. गिरधर गोपाल कौशिक पुत्र श्री डी. पी. कौशिक, मकान नं 69/29, गुलाब बाड़ी, अजमेर।	15-9-1957	69
(51)	डा. रघुराज किशोर व्यास, ई-6, पी. डब्लू. डी., पी एण्ड टी. कालोनी, अजमेर।	18-12-1957	70
(52)	डा. रामचन्द्र भटनागर, नीम का-थाना, जिला सीकर।	5-3-1944	72
(53)	डा. चतरसिंह पोखरना, बी-37, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।	31-1-1946	73
(54)	डा. मेजर रोहित शिवहरे, द्वारा– डा. जी. सी. शिवहरे, 48–धुलेश्वर बाग, सरदार पटेल रोड, जयपुर।	24-3-1947	74
(55)	डा. रणसिंह खाती, गांव पो–वेवड, त. राजगढ़ (सादुलपुर) जिला–चूरू।	15-7-1949	75
(56)	डा. गोपालकृष्ण शर्मा, पोस्ट–रामसेन वाया सिरोही (सिरोही)।	9-9-1949	76

1	2	3	4
(57)	डा. आनन्द प्रकाश परिहार द्वारा-श्री राजाराम जी, कोटगेट के अन्दर, बीकानेर ।	17-9-1949	77
(58)	डा. इन्द्रदत्त वर्मा पुत्र श्री प्रभुलाल वर्मा, ग्राम दीगोद, त. सांगोद, (कोटा) ।	14-12-1949	78
(59)	डा. लीलाधर वर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ वर्मा, पो. सीसवाली (कोटा) ।	4-5-1950	79
(60)	डा. गुलशन मलिक, 9/402 हाथी भाटा, जी. डी. मार्ग, अजमेर ।	10-4-1951	80
(61)	डा. शिवलाल सोलंकी, हाथी बाबू का बाग, प्लाट नं. 4, कान्ती नगर, जयपुर ।	15-8-1951	82
(62)	डा. किशनसिंह. द्वारा-मोहनसिंह महावतान की मस्जिद के पास में, फतेह सागर, जोधपुर ।	22-10-1951	83
(63)	डा. मुकेशचन्द्र शर्मा, बी-18 प्रभू मार्ग, तिलक नगर, जयपुर ।	1-12-1951	84
(64)	डा. शैलेन्द्र नाथ मांडरा, 37-ब्यावर रोड, अजमेर ।	20-12-1951	85
(65)	डा. केशवशरण अग्रवाल, ग्रामीण पो. आ. मिरजापुर वाया-टोडाभीम (सवाई माधोपुर) ।	23-6-1952	86
(66)	डा. ज्ञानप्रकाश सिंघल द्वारा-श्री दुर्गाप्रसाद रामचन्द्र, नई आबादी, पो. संगरिया (श्री गंगानगर) ।	30-6-1952	87
(67)	डा. शंकरनारायण बोहरा, बोहरों की पोल, जोधपुर ।	1-8-1952	88
(68)	डा. बालमुकन्द शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, लालसोट (जयपुर)	5-12-1952	89

1	2	3	4
(69)	डा. राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता पुत्र हरभजनलाल गुप्ता, पुराने लक्ष्मण मन्दिर के पींछे, (भरतपुर)।	15-6-1953	91
(70)	डा. लक्ष्मणलाल गुप्ता द्वारा-अग्रवाल ब्रदर्स, पो. केशवरायपाटन (बून्दी)।	5-7-1953	94
(71)	डा. विजयसिंह बेंद द्वारा श्री बी. आर. कोठारी एडवोकेट, 58-गोल कटरा, स्टेशन रोड, बीकानेर।	8-8-1953	95
(72)	डा. कमलकिशोर बादिल द्वारा श्री एच. पी. अग्रवाल, आई. ए. एस., सेक्टर नं. 6-ग 11, जवाहर नगर, जयपुर।	12-9-1953	96
(73)	डा. भगवती प्रसाद शर्मा द्वारा एम. जी. एम. नरसिंग होम, मेड़ता सिटी (नागौर)।	1-10-1953	97
(74)	डा. देवकृष्ण स्वर्णकार द्वारा—शंकरलाल स्वर्णकार, मेड़तिया सिलावटों का बास, जोधपुर।	2-1-1954	99
(75)	डा. राममनोहर अग्रवाल, 3714, बाबू का टीबा- मंगल अतार की गली, गलता रोड, जयपुर।	7-1-1954	100
(76)	डा. ओमप्रकाश रामदेव पुत्र डा. के. डी. रामदेव, के-15, रविन्द्र नगर, उदयपुर।	15-6-1954	101
(77)	डा. अशोक कुमार, 2-फ्रैण्डस कालोनी, अलवर।	9-7-1954	102
(78)	डा. गोपाल चौधरी, ई-74-ए, शास्त्री नगर, जयपुर।	10-8-1954	103
(79)	डा. विजय प्रकाश गोयल, पो. मोमासर (बीकानेर)।	22-8-1954	104

1	2	3	4
(80)	डा. सुखराम शर्मा द्वारा श्री सी. आर. शर्मा, एफ-85, बजाज नगर, जयपुर ।	10-9-1654	105
(81)	डा. अविनाशकुमार सरदाना, पुत्र श्री जयदयाल सरदाना, डी. आई. जी. आफिस, बीकानेर ।	8-1-1955	108
(82)	डा. देवीसिंह, 7-इ-24, जवाहर नगर, जयपुर ।	4-3-1955	109
(83)	डा. फूलसिंह पुत्र श्री मखनलाल, राजाजी का बास, पुलिस लाइन के पास, अलवर ।	11-5-1955	110
(84)	डा. रवीन्द्रकुमार मनोहर, सवाई सदन, जोबनेर बाग, पारीक कालेज रोड, जयपुर ।	19-9-1955	113
(85)	डा. संजीव भार्गव, वल्यू कौंसिल, अजमेर ।	20-9-1955	114
(86)	डा. सुबोधकुमार जोशी द्वारा-श्री पी. सी. जोशी, जे-43, कृष्णा मार्ग; सी-स्कीम, जयपुर ।	1-10-1955	115
(87)	डा. अशोक कुमार जैन, सीता बाड़ी, करौली (सवाई माधोपुर) ।	19-10-1955	116
(88)	डा. अब्बास हुसैन, कथामाला भवन (बिल्डिंग), कोटा-324002 ।	6-11-1955	117
(89)	डा. जुगल किशोर छाबड़ा पुत्र श्री देशराज छाबड़ा, ग्राम व पो.-जेतसर (श्रीगंगानगर) ।	25-1-1956	118
(90)	डा. तुलसीराम गहलोत, अग्रवालों की बगीची, जसवंत कालेज के पास, जोधपुर ।	23-3-1956	120
(91)	डा. अमीर हुसैन द्वारा-दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह, झुंझुनूं ।	25-5-1956	121

1	2	3	4
(92)	डा. हेमराज सोनी द्वारा-श्री मूलचन्द सोनी, सरदारपुरा, पुराने पावर हाउस के पास, बाड़मेर ।	12-12-1956	122
(93)	डा. धनेश्वर त्रिपाठी, पो. ताल-वाया-देवगढ़ (मदारिया), जिला-उदयपुर।	1-1-1957	123
(94)	डा. महेन्द्र कुमार जैन द्वारा श्री बिरदीचन्द पोखरणा; धानमण्डी, चिण्डालियों का मोहल्ला, किशनगढ़ (अजमेर) ।	9-5-1957	124
(95)	डा. संजीव जैन, सी-67, नीति बाग, नई दिल्ली-49 ।	15-5-1957	125
(96)	डा लोकेश प्रकाश बंसल, प्रकाश भवन, फईबाग, भरतपुर ।	24-5-1957	126
(97)	डा. राजेन्द्रमोहन माथुर, 2255-भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर ।	25-9-1957	127
(98)	डा. राजीवप्रसाद सक्सैना, 48/6, पी. डब्ल्यु. डी. कालोनी, जोधपुर ।	26-8-1958	129
(99)	डा. सूरजमल मिश्रा, द्वारा श्री सुवालाल सर्वेश-प्रभू मिश्रा, मुकाम व पो. हणुतिया वाया-अमरसर (जयपुर)।	13-2-1942	130
(100)	डा. सनत कुमार जैन पुत्र श्री किस्तुर चन्द जैन, रावजी पोल का चौक, पो. भीण्डर (उदयपुर) ।	24-2-1948	131
(101)	डा. अमोलक चन्द गुप्ता, ग्राम व पो. बपातर (कोटा) ।	22-9-1948	133
(102)	डा. योगेश्वरदयाल, 17/40 बासन गेट, भरतपुर ।	28-9-1948	134
(103)	डा. विजयनारायण भटनागर द्वारा-श्रीमती इन्द्रा भटनागर, पो. हनुमानगढ़ टाउन (श्रीगंगानगर) ।	25-1-1949	135

Page No 196

(196)

1	2	3	4
(104)	डा. उमेश भटनागर द्वारा-डा. चन्द्रसेन भटनागर, 23/18, सराय कायस्थान, कोटा ।	20-2-1950	133
(105)	डॉ. त्रिलोकी नाथ मिश्रा द्वारा-डा. ए.-पी. शुक्ला, शुक्ला भवन, जोबनेर बाग, स्टेशन रोड, जयपुर ।	1-7-1950	139
(106)	डॉ. घनश्याम दत्त शर्मा, म. नं.-472/28, भजनगंज, अजमेर ।	27-2-1951	141
(107)	डॉ. छीतरमल अग्रवाल, ग्रा. व पो. झाग, त. दूदू, जयपुर ।	5-5-1951	142
(108)	डॉ. महेश कुमार जैन, म. नं.-1118, महावीर पार्क रोड, किशनपोल बाजार, जयपुर ।	11-12-1951	146
(109)	डॉ. किशनलाल चन्देलिया, ग्रा. व पो.-रासल-वाया कुचामनसिटी (नागौर)।	1-1-1952	147
(110)	डॉ. रवीन्द्रनाथ पुरोहित, 5-महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।	24-5-1952	148
(111)	डॉ. रामस्वरूप गुप्ता द्वारा-श्री जे. सी. गुप्ता, 241, शोपिंग सेन्टर, कोटा ।	5-2-1953	150
(112)	डॉ. हरिसिंह झाझरिया, चांदगोठी, त. राजगढ (चूरू)	1-5-1953	152
(113)	डा. दिलीप कुमार पुरी, 34-बी, सादुलगंज, बीकानेर ।	9-5-1953	153
(114)	डा. प्रेमकुमार गक्खड, कर्मचारी बीमा औषधालय, प्रतापनगर, भीलवाड़ा ।	16-8-1953	154
(115)	डा. आशीष भारतीय एल-1-सी, युनिवर्सिटी कैम्पस, जयपुर ।	4-9-1953	155

1	2	3	4
(116)	डा. रामगोपाल शर्मा, द्वारा-वैद्य रामेश्वर प्रसाद शर्मा, ग्रा. पो.-गागियासर-वाया-बिसाऊ (झुन्झुनूं)।	19-9-1953	156
(117)	डा. प्रमोद कुमार सारस्वत, 710-ए/ 28, बिहारी गंज, अजमेर।	1-1-1956	157
(118)	डा. राजेन्द्र कुमार शर्मा, 514, चौवन की गली, हनुमान का रास्ता, जयपुर।	5-9-1954	159
(119)	डा. प्रकाश चन्द्र काछवाल द्वारा-श्री धनराज काछवाल, एफ/2, आदर्श कालोनी. पो.-सुजानगढ़-331507।	7-9-1954	160

ये नियुक्तियां दिनाक 1–7–1982 से अथवा जब से कार्य ग्रहण करे, जो भी बाद में हो मानी जावेंगी। उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकेण्डरी/हायर सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई हैं।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने के अध्याधीन है, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों।

इन्हे पदस्थापन आदेश के जारी होने के तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्य ग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न सम्भालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त समझे जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती हैं।

आदेश से,

(जी. पी. नागर)

उप-शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

(1) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ। वे कृपया उपरोक्त सी. ए. एस. डाक्टरों के पद-स्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

(2) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमाक एफ. 7 (104) भर्ती/ख/80-81/140, दिनाक 18-1-1982 के क्रम में।

Page No 198

(3) निजी सचिव, स्वास्थ्य मंत्री/उप-मंत्री ।

(4) सम्बन्धित चिकित्सक वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें ।

(5) निजी पत्रावली ।

(6) रक्षित पत्रावली ।

ह.
(आर. पी. जसोरिया)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 1 (1) चि. स्वा./80/ग्रुप-2 जयपुर, दिनांक 1-1-83

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्न-लिखित अभ्यर्थीयों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर वेतनमान श्रृंखला 750-30-1020-40-1300-1350 में प्रदान करते है :—

क्र. सं.	नाम व पता	जन्म तारीख	मेरीट नं.
(1)	डॉ. राकेश कौशिक, पुत्र श्री वृजभूषण कौशिक, सेवानिवृत अध्यापक, ई-40, शास्त्री नगर, जयपुर।	26-9-53	राज. लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ. (63) भर्ती-ख गोपनीय/79-80 294, दिनांक 29-12-80 के द्वारा भेजी गई अभिस्तावना की सूची में मेरिट नं. 172 पर अंकित है।
(2)	डॉ. पारसमल सुरिया. द्वारा श्री वर्धमान टी सेन्टर, बाजार न.3, भोपाल गंज, भीलवाड़ा (राज.)	15-7-1955	328 राज. लोक सेवा आयोग की अभिस्तावना सं.एफ.7(104) भर्ती। ख 80-81 123274, दि. 9-11-82 द्वारा।
(3)	डॉ. चन्द्र प्रकाश बधवा, बधवा सदन, विकास पथ, अलवर (राज.)।	1-1-1950	478 भेजी गई का मेरिट क्रमांक

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-82 से अथवा जब से कार्यग्रहण करें, जो भी पहले हो, मानी जावेगी। उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/हाई-स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई हैं।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्याधीन है, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों।

Page No 200

(200.)

इन्हें पदस्थापन आदेश के जारी होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्य-ग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न सम्भालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती है।

आदेश से,

(जी. पी. नागर)
उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर। वे कृपया, उपरोक्त सी.ए.एस. डाक्टरों के पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

(2) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.-7 (63)/ भर्ती ख 79-80/9866/ 16808, दिनांक 13-8-82 एवं दिनांक 13-10-82 व पत्र क्रमांक एफ. 7 (104) भर्ती ख 80-81/23274, दिनांक 9-11-82 के संदर्भ में।

(3) निजी सचिव, स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री/उप-मंत्री।

(4) सम्बन्धित चिकित्सक वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें।

(5) निजी पत्रावली।

(6) रक्षित पत्रावली।

ह.
(आर.पी. जसोरिया)
सहायक शासन सचिव।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 1 (1) चि. स्वा./ 80/ग्रुप-2 जयपुर, दिनांक 3-12-82

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य, चिकित्सक के पद पर वेतनमान रु. 750-30-1020-40-1300-1350 की श्रृंखला में प्रदान करते हैं :—

क्र. सं.	नाम पता	जन्म तारीख	मेरिट न.
1.	डॉ: अशोक भटनागर, ए/9/नाका मदार, यू. आई. टी. कालोनी, अजमेर ।	3-5-1956	156
2.	डॉ: सुरेन्दपाल सिंह खनूजा, 343 दटाबाड़ी, कोटा ।	28-3-1956	180
3.	डॉ गोपाल कृष्ण बूलचंदानी, द्वारा श्री जी.डी. बूलचंदानी, 22/252 खारीकुई, अजमेर ।	6-7-1956	344
4	डॉ. बृजलाल मीणा, मोया, ग्राम वाया महुवा, जि. सवाईमाधोपुर ।	2-6-1966	522
5.	डॉ राजीव कुमार सक्सेना, पुत्र श्री सुक्खन लाल सक्सेना, कानूगो का नोहरा, बाटा की दुकान के सामने, सूरजपोल, उदयपुर ।	26-7-1954	17
6.	डॉ. अनिलकुमार, 77, श्रीनगर रोड, अजमेर ।	11-12-1954	
7.	डॉ. नरेश जोशी, जोशी निवास, डेयरी फार्म के पास, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर ।	15-9-1954	218
8.	डॉ. (श्रीमती) शांती बंशीवाल, पत्नी डॉ. रतन लाल बंशीलाल, मोतीबाग, बड़ा-बेड़ा (टोंक), राज ।	3-7-1952	514

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-1982 से अथवा जब से कार्यग्रहण करे, जो भी बाद में हो मानी जावेगी । उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई हैं ।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन हैं, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों ।

इन्हें पदस्थापन आदेश के जारी होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर, कार्यग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा । उक्त अवधि में कार्यभार न सम्भालने की दशा में, नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त समझे जायेंगे ।

उपरोक्त चिकित्सकों की अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती है ।

आदेश से,
ह/-
(जी. पी. नागर)
उप-शासन सचिव ।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 1(1) चि. स्वा./ग्रुप-2/80 जयपुर, दिनांक 15-1-83

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर वेतनमान श्रृंखला 750-30-1020-40-1300-1350 में प्रदान करते हैं:–

क्र.स.	नाम व पता	जन्म तारीख	मेरिट नं.
1.	डा. अवनेशकुमार भारद्वाज, 14-बरकतनगर, जोशी कालोनी, टोंक फाटक–15, जयपुर-15।	18-7-1954	406
2.	डा. चतुर्भुज थानावत, ग्राम पोस्ट–साली, जिला–सवाई माधोपुर।	1-6-1952	588

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-82 से अथवा जब से कार्य ग्रहण करें, जो भी बाद में हो, मानी जायेंगी। उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई है।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्यतता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन हैं, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों।

इन्हें पदस्थापन आदेश जारी होने की तारीख से, चार सप्ताह के भीतर कार्यग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों की अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती हैं।

आदेश से,

ह.

(जी. पी. नागर)

उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर । वे कृपया उपरोक्त सी. ए. एस. डॉक्टरों के पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्र. प. 7 (104) भर्ती/80-81/23811, दिनांक 14-12-82 के सन्दर्भ में ।

3. निजी सचिव, स्वास्थ्य मंत्री/ राज्य मंत्री/ उप-मंत्री ।

4. सम्बन्धित चिकित्सक, वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें ।

5. निजी पत्रावली ।

6. रक्षित पत्रावली ।

ह.
(आर. पी. जसोरिया)
सहायक शासन सचिव ।

(204)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 1 (26) चि. स्वा./81/ग्रुप-2 जयपुर, दिनांक 20-12-1982

आदेश

राजस्थान लोक सवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर, वेतनमान 750-30-1020-40-1300-1350 में प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम व पता	जन्म तारीख	रिजर्व सूची का मेरिट नं.
1	2	3	4
1.	डॉ. ओमप्रकाश खण्डेवाल, द्वारा राजेश्वर गुप्ता, 841-दादावाड़ी, कोटा (राज.)।	13-11-1952	5
2.	डॉ. आशोक प्रकाश सिंह राजावत, 1596, राणावत हाउस, ठठेरों की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर।	21-12-1953	22
3.	डॉ. सगीर अहमद, सी. ए. एस., पंचौरी, जिला नागौर।	23-3-1954	25
4.	डॉ. नवीन सक्सेना, 451, नयापुरा, कोटा।	25-7-1951	81
5.	डॉ. योगेन्द्र स्वरूप खन्ना, 3513, शंकर सदन, पहाड़गंज, गलता रोड, जयपुर (राज.)।	1-6-1953	90
6.	डॉ कैलाश भण्डारी, द्वारा श्री आर. एस. भण्डारी, एडवोकेट, 181, राजेन्द्र नगर, भीलवाड़ा (राज.)।	22-6-1953	92
	डॉ. जीवनलाल सिसोदिया, पो. डायला, वाया कोठरिया, तह. नाथद्वारा, जिला उदयपुर।	25-6-1953	93
8.	डॉ. ओमप्रकाश सोमानी, द्वारा श्री आडसर का बास, पोस्ट श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू।	7-7-1949	136
9.	डॉ. मुरारी लाल सैनी, पुत्र श्री नारायण लाल सैनी, पो. उदयपुर, जिला झुन्झुनूं।	12-10-1953	98

1	2	3	4
10	डॉ. राजेन्द्र सिंह कौशिक, द्वारा श्री अमरसिंह कौशिक, एडवोकेट, पो. हिन्डौन-सिटी, जिला सवाई माधोपुर।	9-7-1950	140
11.	डॉ. यदुनन्दन विजय, पुत्र गिरधरलाल विजय, सेवा निवृत्त लेखाकार, 238 सिविल लाइन, कोटा-1।	16-12-1952	149
12.	डॉ. भूपेन्द्र सिंह सैनी, द्वारा 107, दुर्गा कोलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला श्रीगंगानगर।	14-2-1953	151

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-1982 से अथवा जब से कार्यग्रहण करें, जो भी पहिले हो, मानी जावेगी। उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके संकेन्डरी/हायर संकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर, उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई है।

ये नियुक्तियां पूर्व वृत्त के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्यतता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन हैं, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों।

इन्हें पदस्थापन आदेश के जारी होने की तारीख से, चार सप्ताह के भीतर कार्यग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न सम्भालने की दशा में, नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों की अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती है।

आदेश से

ह.

(जी. पी. नागर)

उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

(1) निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ। वे कृपया उपरोक्त सी. ए. एस. डाक्टरों के आदेश पदस्थापन तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

(2) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ./7(104) भर्ती क/ख/80-81/25132, दिनांक 4-12-82 के क्रम में।

(3) निजी सचिव, स्वास्थ्य मंत्री/ उप-मंत्री।

(4) सम्बन्धित चिकित्सक वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें।

(5) निजी पत्रावली।

(6) रक्षित पत्रावली।

ह.

(आर. पी. जसोरिया)

सहायक शासन सचिव।

206

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 1(28) चि. स्वा. 8/ग्रुप-2/ जयपुर, दिनांक 5-12-1983

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर, वेतनमान श्रृंखला 750–30–1020–40–1300–1350 में प्रदान करते हैं:—

क्र. सं.	नाम व पता	जन्म व तारीख	मेरिट नं.
1.	डॉ. अशोक कुमार जैन, द्वारा श्री मगनलाल जैन, 17/ 18 सब्जी मंडी, कोटा (राज.) ।	30-4-1955	35
2.	डॉ. राजेन्द्र कुमार पाटनी, द्वारा सुरेन्द्र जनरल स्टोर, जोबनेर, जिला–जयपुर ।	2-7-1956	54
3.	डॉ. इकरामुद्दीन चूड़ीगर, पुत्र श्री मोइनुद्दीनजी, बालमन्दिर के पास, राजसमन्द, जिला उदयपुर ।	7-3-1957	63
4.	डॉ. ब्रह्मनारायण तापड़िया, पुत्र एम. सी. तापड़िया, पूंगलपाड़ा, रांकास्ट्रीट, जोधपुर ।	2-9-1957	68
5.	डॉ. (श्रीमती) शशी व्यास, द्वारा श्रीमती ओमदत्त व्यास, नथावास, की बारी, नवचौकिया, जोधपुर–342001 ।	25-9-1953	199

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-82 से अथवा जब से कार्यग्रहण करें, जो भी बाद में हो, मानी जावेंगी । उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सेकेण्डरी/हायर सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर, उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई है ।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्यतता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन हैं, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों ।

207

इन्हें पदस्थापना आदेश के जारी होने को तारीख से, चार सप्ताह के भीतर कार्यग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में, नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों की अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती हैं।

आदेश से
ह.
(जी.पी. नागर)
उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर। वे कृपया उपरोक्त सी.ए.एस डाक्टरों के पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

(2) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक: प. 7/104/भर्ती क/ख/80–81/28085, दिनांक 21–1–83 के संदर्भ में प्रेषित है।

(3) निजी सचिव, स्वास्थ्य मंत्री/राज्य मन्त्री/उप-मंत्री।

(4) सम्बन्धित चिकित्सक, वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें।

(5) निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

ह.
(आर. पी. जसोरिया)
सहायक शासन सचिव।

———

(208)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 1(26) चि. स्वा./ग्रुप-2/81 जयपुर, दिनांक 25-1-1983

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर, वेतनमान श्रृंखला 750-30-1020-40-1300-1350 में प्रदान करते हैं:—

क्र. सं.	नाम व पता	जन्म तारीख	मेरिट सूची रिजर्व सूची का नम्बर
1	2	3	4
1	डॉ भगवानदास हेड़ा, अजय इण्डस्ट्रीज (सरवाड़), अजमेर (राज.)।	4-1-1958	128 (रिजर्व सूची)
2.	डॉ. जितेन्द्र सिंह सोढ़ी, 33-सी, रातानाडा, जोधपुर।	6-5-1951	143 ,, ,,
3.	डॉ. कानसिंह कच्छवाहा, किल्ली खाना, जोधपुर।	1-7-1954	158 ,, ,,
4.	डॉ. विमलकुमार जैन, पुत्र श्री लक्ष्मीलाल डाक, सुधर्म प्रचार मण्डल, सिटी पुलिस, जोधपुर।	1-7-1955	235 (मेरिट सूची)
5.	डॉ. शशिकान्त अग्रवाल, 16-धम्माणी क्वार्टर्स, रानी बाजार, बीकानेर।	4-9-1952	3 (रिजर्व सूची)
6.	डा. राजकुमार माथुर, जे-29, सुभाष मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (राज.)।	28-8-1955	44 ,, ,,
7.	डॉ. प्रियशरण लाम्बा, पुराने लक्ष्मण मन्दिर के पीछे, भरतपुर।	8-8-1957	66 ,, ,,

1	2	3	4
8.	डॉ. देवप्रिय अशोक कुमार पन्डा, द्वारा—डा. एस. एन. पन्डा, रीजनल का. आफ एजुकेशन, भुवनेश्वर, (उड़ीसा)—751007	20—9—1954	106 (रिजर्वसूची)
9	डॉ. करनसिंह पूनिया, द्वारा—मैसर्स सालगराम रावतराम, सूरजगढ़ मण्डी, त.—सूरजगढ़ (जिला—झूंझुनू) ।	1—1—1955	107 ,,
10	डॉ. राजेश बाटर, द्वारा-श्री रेखसिंह, उस्तादजी का बाग, मोती डूंगरी रोड, जयपुर—4	26-4-1950	139 ,,
11	डॉ. विष्णुकुमार गुप्ता, 19/200, बड़ा चौधर मोहल्ला, नला बाजार, अजमेर ।	4-6-1951	144 ,,
12	डॉ. सुशील चन्द्र तापड़िया, मकान नं. 8, अमर-आलोक, नागिया बाग, अजमेर ।	5-8-1950	71 ,,
13	डॉ. राजीव कौशिक, 79, एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर	15-7-1953	198 ,,

ये नियुक्तियां दिनांक 1-7-82 से अथवा जब से कार्यग्रहण करे, जो भी बाद में हो मानी जावेगी, उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डी/हायर सैकण्डरी/हाई-स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई हैं ।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्याधीन है, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों।

इन्हें पदस्थापन आदेश के जारी होने की तारीख के चार सप्ताह के भीतर कार्य-ग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा । उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे ।

उपरोक्त चिकित्सकों को अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती है ।

भवदीय

ह.

(जी. पी. नागर)

उप-शासन सचिव ।

Page No 210

(210)

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:—

(1) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं, जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित/ वे कृपया, उपरोक्त सी.ए.एस. डाक्टरों के पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें।

(2) सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर में को उनके पत्र क. प. 7(104) भर्ती/ख–80/81/27506, 27761, 27843, 28040, दिनांक 20-12-82, 6-1-83, 10-1-83 एवं 14-1-83 के सन्दर्भ में।

(3) निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्य मंत्री/उप-मंत्री।

(4) सम्बन्धित चिकित्सक/वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें।

(5) निजी पत्रावली।

(6) रक्षित पत्रावली।

ह.

(आर. पी. जसोरिया)

सहायक शासन सचिव।

राजस्थान सरकार रजिस्टर्ड

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 1 (26) चि.स्वा. ग्रुप-2/ 81 जयपुर, दिनांक 1 जनवरी, 1983

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्न-लिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर वेतनमान श्रृंखला 750-30-1020-40-1350 में प्रदान करते हैं:—

क्र. सं.	नाम व पता	जन्म तारीख	रिजर्व सूची का मेरिट नं.
1	2	3	4
1.	डॉ. राधेश्याम गुप्ता द्वारा श्री मुन्नीलाल गुप्ता, चौधरी पाड़ा, करौली (सवाई माधोपुर)	10-12-1954	161
2.	डॉ. रामशरण हक्कर, 76-पटेल रोड, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर ।	1-1-1955	162
3.	डॉ. लक्ष्मीचन्द गर्ग, द्वारा राजेश भवन, शिवपुरा मोहल्ला, अलवर	15-5-1955	163
4.	डॉ. महेश कुमार रोहेला, 112/10, गोविन्द भवन, सिविल लाइन्स, अजमेर ।	2-7-1955	164
5.	डॉ. शरद कुमार सिंहल, बी-76, रमण मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-4	13-9-1955	165
6.	डॉ. माधव प्रसाद जोशी, "देव निकेतन" बी-11, शास्त्री नगर, जोधपुर ।	22-9-1955	166
7.	डॉ. प्रभुदयाल सैनी, पुत्र श्री मन्शाराम सैनी, 33, अलकापुरी, अलवर	1-10-1955	167

Page No 212

(212)

1	2	3	4
8.	डा. आदर्श कुमार जोशी, कामा हाउस, पानों का दरीबा, जयपुर।	20-3-1956	168
9.	डा. मुराद खां कायमखानी, घाटी कुवा, कुचामन शहर, नागौर-341508	15-7-1956	170
10.	डा. अवधेश गुप्ता, डी-32, बापू नगर, जयपुर।	15-7-1956	171
11.	डॉ. नरेश एन. राय, जी-197, शास्त्री नगर, जोधपुर-342001	4-11-1956	172
12.	डा. अरविन्द कुमार बागोरा, 34/458, पाल बिचला, अजमेर।	1-12-1956	173
13.	डा. उमेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा, मु. पो. बिच्छीदौना (सवाई माधोपुर)।	14-2-1957	174
14.	डा. हरदेवसिंह फगेड़िया, द्वारा श्री गोर्वधनसिंह, ग्राम फगेड़ियान की ढाणी, शिवसिंहपुरा, पो. कुड़ली (सीकर)।	6-8-1957	175
15.	डा. राकेश कुमार व्यास, 2 बी-20, पवनपुरी, हाऊसिंग बोर्ड, बीकानेर-334001	16-6-1958	176
16.	डा. सत्यनारायण शर्मा, द्वारा-श्री मदनलाल दाधीच, मु. पो. थिरोद वाया मुण्डवा (नागौर)।	26-5-1945	177
17.	डा. सुमन कुमार पुरकायस्थ, डी-117, बापू नगर, जयपुर-4	16-5-1949	179
18.	डा. मुकेश कुमार वार्ष्णेय, ई-137, केशवपथ, अम्बाबाड़ी, जयपुर।	3-1-1950	180

1	2	3	4
19.	डा. नवल किशोर शर्मा, म. नं. 1854, पुलन्दर की गली, तेलीपाड़ा, चौड़ा रास्ता, जयपुर-3	11-3-1950	181
20.	डा. महावीरमल जैन, पुत्र श्री सरदार मल जैन, शान्तिपुरा, जोधपुर।	10-10-1950	182
21.	डा. महावीरसिंह दवे, द्वारा श्री अन्तराम शर्मा, कायस्थ पाड़ा, धौलपुर	1-1-1951	183
22.	डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल, श्री मदन मोहन बिल्डिंग, धौलपुर।	2-1-1951	184
23.	डा. सुभाष चन्द्र शर्मा, द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा, टी. टी. ई. 8/58, शिवपुरी, अलीगढ़ (यू. पी.)	10-1-1953	185
24.	डा. दिलीप कुमार गजवानी, बंगलो नं. 1, तिलोक नगर, अजमेर।	16-5-1951	185
25.	डा. घनश्याम सोनी, 3/42, जवाहर नगर, जयपुर-302004	31-5-1951	186
26.	डा. जगदीशचन्द्र गु ता, बद्रीप्रसादजी वकील का मकान, पो. कोटपूतली, जयपुर।	2-7-1951	187
27.	डा. खेमराज मेहता, बी. एससी., एम. वी. वी. एस., अन्ता (कोटा)-325202	12-9-1951	188
28.	डा. गोविन्दराम ऐरन, द्वारा श्री राम लघु उद्योग, 42-काटजू मार्केट, नीमच केन्ट, मन्दसौर (मध्यप्रदेश)	20-11-1951	189

1	2	3	4
29.	डा. प्रणव कृष्ण चौधरी, द्वारा–डा. के. डी. चौधरी, गोविन्द मित्रा रोड/सारदा प्रसाद लेन, पटना–800004	15–12–1951	194
30.	डा. अनिलकुमार जैन, बीकानेर ड्रग हाउस, कोटगेट, बीकानेर।	5–3–1952	192
31.	डा. सुरेश भम्भानी, ई–103, शास्त्रीनगर, अजमेर।	7–9–1952	193
32.	डा. कैलाशचन्द्र गुप्ता, ग्रा. पो.–पूसाखेड़ा (अलवर)।	28–1–1953	196
33.	डा. गजेन्द्रसिंह वर्मा, पुत्र श्री जुगलकिशोर वर्मा, भरतपुर।	1–2–1953	197
34.	डा. (कुमारी) शील सपरा, म. नं. 219, स्कीम नं. 1, आर्यनगर, अलवर।	19–9–1953	200
35.	डा. श्री भगवान अग्रवाल, द्वारा–के. एल. मोर, कुचामनसिटी (नागौर)।	10–10–1951	145

ये नियुक्तियां दिनांक 1–7–82 से अथवा जब से कार्य ग्रहण करें, जो भी पहले हो मानी जावेंगी, उपरोक्त चिकित्सकों का जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/हाईस्कूल के प्रमाण पत्रों से सत्यापित कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कर दी गई है।

ये नियुक्तियां पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन है, यदि ये पहले नहीं प्रस्तुत किये गये हों।

इन्हें पदस्थापन आदेश के जारी होने की तारीख के चार सप्ताह के भीतर कार्य-ग्रहण पदस्थापन स्थान पर करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

(215)

उपरोक्त चिकित्सकों की अस्थाई पदों के विरुद्ध आगामी आदेशों तक नियुक्तियां दी जाती हैं।

भवदीय,
ह.
(जी. पी. नागर)
उप-शासन सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित/वे कृपया उपरोक्त सी. ए. एस. डाक्टरों के पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रसारित करने की व्यवस्था करें।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 7(104) भर्ती/ख-80-81/1409 दिनाक 18-11-82 के सन्दर्भ में।
3. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री।
4. सम्बन्धित चिकित्सक/वे अपने पदस्थापन आदेश प्राप्त करने हेतु निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर से सम्पर्क स्थापित करें।
5. निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।

ह.
(आर. पी. जसोरिया)
सहायक शासन सचिव ।

216

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की शिकायत की सूची

परिशिष्ट-प्रथम

जोधपुर, जयपुर और उदयपुर से एक साथ प्रकाशित राजस्थान पत्रिका

वर्ष 27 अंक 43 जोधपुर मंगलवार दिनांक 20-4-1982 फोन: 20830 मूल्य 50 पै.

"कुष्ठ रोगियों को 13 दिन से भोजन नहीं, एक मरा"

(कार्यालय संवाददाता)

जोधपुर, 19 अप्रैल। निम्बानिम्बडी स्थित कुष्ठ रोग निवारण चिकित्सा में गत 7 अप्रैल को रोगियों को खाना नहीं दिये जाने से एक कुष्ट रोगी की भूख से तड़पते हुए मृत्यु हो गई। यह रहस्योद्घाटन नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष एवं विधायक मानसिंह देवड़ा ने किया है।

उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में कुष्ट रोगियों के साथ बर्बर व्यवहार किया जा रहा है। अस्पताल के भंडार में पर्याप्त सामग्री होने के बावजूद रोगियों को पिछले 13 दिनों से खाना नहीं दिये जाने से अनेक रोगी अस्पताल छोड़ कर चले गये हैं तथा बाकी रोगियों की हालत चिन्ताजनक बताई जा रही है।

देवड़ा ने आज इस अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया तो वहां के रोगियों ने बताया कि पिछले दिनों बिना डॉक्टर की अनुमति के 35 रोगियों को अस्पताल से जबरन छुट्टी दे दी गई तथा अब केवल सात रोगी ही बचे हैं।

कुछ रोगियों ने विधायक को बताया कि यहां के चिकित्सक व कम्पाउन्डर रोगियों का राशन हड़प जाते हैं। इसके अलावा जनता द्वारा रोगियों के लिये दिया गया चन्दा भी यहां के कर्मचारी ही हजम कर लेते हैं।

यहां तक की सामाजिक संस्थाओं द्वारा भेजी गई दवाईयां भी डाक्टर व कम्पाउन्डर बाजार में बेच देते हैं।

कुष्ठ रोगियों ने देवड़ा को बताया कि रोगियों को दवाएँ न देना यहां आम बात है। जब कभी ये कर्मचारी किसी बात से रोगियों से नाराज हो जाते हैं तब रोगियों को खाना देना बन्द कर दिया जाता है।

रोगियों ने बताया कि पहले अस्पताल की ओर से कुर्त्ता व पायजामा पहनने के लिये दिया जाता था, किन्तु अब केवल चड्डी बनियान दिये जाते हैं।

एक रोगी ने अस्पताल की व्यवस्था व वातावरण पर अत्यन्त कातर शब्दों में कहा कि "शायद नरक की यातनाएं भी इस अस्पताल से ज्यादा नहीं होंगी।"

निरीक्षण के दौरान विधायक देवड़ा को अस्पताल में सिर्फ एक कम्पाउन्डर अशोक प्रकाश ही उपस्थित मिला। विधायक ने जब उससे वस्तुस्थिति की जानकारी चाही तो कम्पाउन्डर ने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया।

देवड़ा ने अस्पताल के भण्डार का निरीक्षण किया तो वहां 15 बोरी आटा, स्टाक में बताया गया। इसके बावजूद रोगियों को खाना न देने का कोई कारण कम्पाउन्डर नहीं बता सके।

(217)

Copy of the D. O. No. Mo/ J U—82/81/-85, dated the 21st April, 82 addressed to Dr. B.M. Sharma, Director, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur from the Superintendent, Associated Group of Hospitals, Jodhpur.

My Dear,

My attention has been diverted to a communication published in the Rajasthan Patrika on 20-4-1982 regarding the condition of the Leprosy Hospital attached to this institution. I have the following comments to make:—

No patient has died as a result of starving. In fact the undesirabe activities of certain so called charitable people who are providing left overs and stals and unhealthy food has repeatedly, caused episodes of gestrointritis in this hospital. We have been unable to stop them inspite of repeated warnigs. There is already a circular which prohibits people from providing the food to these patients in the hospitals, since these people are already getting their food from the hospital are not need for any other food being provided to them. The left overs from feasts are usually dumped into this hospital as charity. This causes serious gestrointestinal disorders.

A patient named Surja Ram has died due to gestrointritis on 10-4-1982. He was being treated from 7-4-1982, for this, and was given all the necessary treatment.

While there was strike of Govt. servants from 28-3-1982 all routine cases were discharged from the hospital and only emergency cases were retained in the entire group of the Associated hospitals. Under this condition all patients of leprosy that were burnt-out and cured cases, were discharged. A few cases needing the treatment and attention were retained. These discharged patients who have been living in this hospital, inspite of the cure of the disease, have refused to leave the hospital and are reaching various politicians and given them wrong information regarding the working of the hospital.

It is to be clearly pointed out that this is not a Leper, Asylum of rehabilitation centre. It is a part of the associated hospitals where the basis purpose is the treatment of active disease. To avoid any confusion regarding the treatment and discharge of the cases a circular has been issued under which admissions and discharge have been authorised to a committee consisting of the Professor and Head of the Department of Dermatology and also the Medical Officer I/C, Leprosy Hospital, Jodhpur (copy enclosed).

Unfortunately this place has become sanctuary for persons of undesirable activities some of them are living for several years. A list of the persons staying in the hospital shows the duration for which they are living here. Not only that they do not need any treatment at this stage. They gang-up to chase out those who do not join them even though they need treatment for their own active lesions.

A fulfill of such a situation has developed and I have on record large number of complaints against, the staff the doctors and every body else which have been fabricated by these people, whenever their activites are restrained by the hospitals employees. On the other hand there are charges of the destruction to the adjacent forest department property and various ther crimes reported by the citizens living in the vicinity. It is desirable that these people who are needing the treatment should be given an active help where as such undesirable activities should be totally stoped.

It has been reported that these people have got ration cards made in their names while they are getting their food from the hospital and this is a serious crime for which responsible person should be punished. I have already written a letter to the Collector of Jodhpur requesting him to take active steps for this (Copy enclosed).

I have still not received any specific instances of either the doctors or the compounders taking subscription from any body or the medicines or rations from outside being embazzled. Any of the social organisation which has reached the proper authority has been given the right guidance, but to say that social organisation have given medicines which has been sold in the market is not likely. No social organisition knows that medicines should be given to these patients. It is not understood how they donate them. However, I shall punish any body who is guilty.

Most of the cases do not need any treatment, therefore. there is no medicine to be given to them. It is wrong to infer that this is being done as a vengence by the staff of the hospital. Most of the cases are already cures of Leprosy and are burn out cases. They do not need any active treatment A more administration of any medicine is not the method of the treatment of leprosy..

One of the compounders is living in the campus of the Leprosy hospital and another compounder takes over from him during the next shift. This strength is more than enough to manage the cases that are living there. With the appointment of a person of the status of professor in the speciality of skin. I think it is high time now that this institution should be used as a leprosy hospital for active treament of a very large number of cases who are awaiting admission and can not be treatment because of these persons using the hospital as an asylum. I may point out that this and Jaipur are the only two institutions in the whole province. The responsibility for treating the leprosy cases from Western Rajasthan is on this institution alone. There fore beds must always be available for the patients needing the active treatment. Once they are treated beds should be vacated for treatment of new cases. With this we can increase the cure rate of a large number of the patients needing active treatm nt and serve the purpose of a leprosy hospital for the entire western Rajasthan. I am repeatedly receiving requests from different authorities for the treatment of Leprosy cases. I am unable to treat them because the beds are not vacated for those patients which actually need the treatment of Leprosy. I am enclosing letter from the Magistrate from Pokaran who has written that large number of people living in Pokran near the Ramdeora Temple need the treatment of leprosy. I have given him the reply (copy enclosed) since these beds could

be made available I have written to him that we shall take as may cases as wolud need the treatment. This would not have been possible if these case were not discharged from the hospitals. Cases who are curable today will be converted into incurable cases. As long as the attitude of using hospital for the treatment of active laprosy cases and discharging them once they are treated, is not adopted. We will not only deny the right of admission to deserving cases, we would also be unnecessary increasing a colony of these, whose only pupose of existence is begging and criminal activities.

I would not like to answer the news-paper publication, because I am not authorised to do so as a Govt. servant. However I have already talked over to Shri Man Singh Ji Deora, the MLA of Jodhpur, he has tried to appreciate any point of views. I am writing this letter to you to inform you of the factual position and point out that any complaint will be checked up and I shall be personally responsible for my working activity in this institution, but I have also requested Mr. Deora to co-operate with me in the suitable running of this institution.

With regards.

विवरण-पत्र तृतीय

वित्तीय वर्ष 1982—83 में दिनांक 1-4-82 से 31-1-83 तक सामाजिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित सामग्री कुष्ठ रोगियों के उपयोग के लिये प्राप्त हुई :—

क. सं.	प्राप्ति दिनांक	सामग्री का प्रकार	तादाद	उपयोग का विवरण
1.	अक्टूबर, 1982	कुर्ते (पुरुष) पाजामा (पुरुष)	33 33	सभी सामग्री पुरुष बीमारों में वितरित कर दी गई।
2.	नवम्बर, 1982	धोती (पुरुष) घाघरा (स्त्री) ओढ़नी (स्त्री)	66 9 9	सभी सामग्री पुरुष बीमारों में वितरित कर दी गई। सभी सामग्री स्त्री बीमारों में वितरित कर दी गई।
3.	दिसम्बर, 1982	रजाई (सूती)	9	वार्ड (ए) के प्रथम 9 बिमारों में वितरित कर दी गई।
4.	जनवरी, 1983	कम्बल (ऊनी)	25	10 कम्बल पहले के दान—दाता द्वारा आए हुए स्टोर में थे, अतः कुल 45 कम्बल जनवरी, 83, में ही बीमारों को बांट दिये गये।
5.	जनवरी, 1983	जूतियां (पुरुष/महिला)	40 जोड़े	सेन्ट्रल स्टोर, महात्मा गांधी चिकित्सालय के माध्यम से प्राप्त हुई, जो बीमारों के पैरों के नाप के अनुसार मोची की सहायता से वितरित कर दी गई।

Page No 221

(221)

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न सं. 144 की सूची

वर्ष 81-82 'में हुडको द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण सूची 'अ'

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल मकान	परियोजना राशि	ऋण की राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	मालवीया नगर, फेज-7 सी, जयपुर	328	82.41	60.48
2.	,, ,, ,, 8 सी ,,	192	59.2	41.93
3.	चौपासनी रोड एक्सटेन्सन, जोधपुर	159	55.63	38.70
4.	मुक्ता प्रसाद फेज-2 जीआर 2, बीकानेर	100	22.88	17.04
5.	महावीर नगर फेज-2, कोटा	68	24.86	17.19
6.	पेरिफेरियल महावीर नगर फेज-1, कोटा	68	39.33	25.76
7.	,, ,, ,, फेज-2 ,,	66	41.80	27.22
8.	हीरन मगरी, सेक्टर-5, फेज-5, उदयपुर	15	11.79	7.39
9.	अनासागर रोड, फेज-4, अजमेर	116	18.45	14.06
10.	,, ,, फेज-5, अजमेर	31	25.51	15.78
11.	,, ,, फेज-2, अजमेर	29	10.26	7.13
12.	नागणीचीजी स्कीम, बीकानेर	30	20.28	15.05
13.	महावीर नगर फेज-7, कोटा	179	30.85	23.66
14.	अजय नगर स्कीम, अजमेर	299	26.56	22.13
15.	विज्ञान नगर एक्सटेन्शन फेज-2, कोटा	786	81.41	66.29
16.	चौपासनी रोड एक्स., फेज 2, जोधपुर	22	16.21	10.30
17.	जवाहर नगर फेज-8, जयपुर	132	37.06	19.02
18.	जवाहर नगर फेज-9, जयपुर	30	16.17	7.87
19.	मालवीया नगर फेज 5, जयपुर	139	116.46	72.13
20.	मालवीया नगर फेज-2, जयपुर	1629	216.57	166.71
21.	मालवीया नगर फेज-10, जयपुर	612	131.43	99.04
22.	मालवीया नगर फेज-12, जयपुर	744	109.78	84.53
23.	कम्पोजिट स्कीम फेज-1, हनुमानगढ़	585	98.88	75.78
24.	शास्त्रीनगर फेज-1, भीलवाड़ा	96	18.34	13.93
25.	विज्ञान नगर एक्स, कोटा	452	42.77	35.33
		योग :	1354.89	982.45

सूची "ब"

चालू वर्ष 1982-83 में हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल मकान	परियोजना राशि	ऋण राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	हिरन मगरी, सेक्टर–5, फेज–6, उदयपुर	178	53.53	38.07
2.	महावीर नगर, फेज–5, एम आई.जी. स्कीम, कोटा।	34	12.78	8.81
3	महावीर नगर, फेज–6, एम आई.जी. स्कीम, कोटा।	48	11.06	8.27
4.	मालविया नगर, एम.आई.जी–2, फेज–9, जयपुर।	148	61.28	41.27
5.	विज्ञान नगर, एम.आई.जी. स्कीम, कोटा	42	40.07	24.23
6.	चौपासनी रोड, फेज–5 स्कीम, जोधपुर	15	13.96	8.48
7.	पवनपुरी, एम.आई.जी.–2, बीकानेर	92	37.31	25.46
8.	चौपासनी रोड, एक्स, फेज–3 या 2, जोधपुर	138	50.68	35.00
9.	एस. डब्ल्यू.बी. फेज–3, अलवर	567	157.03	110.46
10.	पुलिस रेन्टल स्कीम, जयपुर	216	55.57	38.50
11.	पुलिस रेन्टल स्कीम, कोटा	144	43.93	30.75
12.	एन.ई.बी.एक्स. स्कीम, अलवर	402	42.72	35.08
13.	चौपासनी रोड, साउथ एक्स. काम्प., जोधपुर	398	40.73	32.63
14.	महावीर नगर एक्स. कम्पोजिट स्कीम, कोटा	426	44.02	36.03
15.	महावीर नगर एक्स. फेज–1, जी. आर. 2, कोटा	294	72.49	53.30
16.	महावीर नगर एक्स. फेज–2, जी. आर. 2, कोटा	348	89.67	65.28
17.	महावीर नगर एक्स. फेज–3, जी. आर. 2, कोटा	190	78.73	53.24
18.	मुक्ता प्रसाद, फेज–3, जी.आर.–1, बीकानेर	579	72.98	57.42
19.	मुक्ता प्रसाद, फेज–3, जी.आर.–2, बीकानेर	53	31.00	20.63
20	कम्पोजिट स्कीम, फेज–1, सूरतगढ़	156	27.83	20.93
21.	शास्त्री नगर, फेज–2, भीलवाड़ा	90	26.84	29.08
22.	माही कालोनी, कम्पोजिट फेज–2, बांसवाड़ा	518	102.59	75.58
23.	चौपासनी रोड, एक्स. फेज–4, ई.डब्ल्यू.एस., जोधपुर	346	27.38	23.03
24	घोलाभाटा कम्पोजिट स्कीम, अजमेर	66	17.23	12.36
25.	कम्पोजिट एच एल. फेज–6, भीलवाड़ा	403	65.04	48.62

Page No 223

223

1	2	3	4	5
26.	बापू नगर, फेज–4, ई डब्ल्यू एल. एल. आई. जी., भीलवाड़ा	183	28.35	21.94
27.	चौपासनी रोड, एक्स फेज-5, कम्पोजिट, जोधपुर	274	129.43	96.85
28.	कम्पोजिट एच.एल. 5, बालोतरा	306	44.25	34.76
29.	स्कीम नं. 10-बी, कम्पोजिट, अलवर	290	55.25	41.47
30.	विकास नगर फेज-9, बूंदी	99	18.43	13.42
31.	कम्पोजिट एच.एल. फेज-1, डूंगरपुर	425	88.95	66.39
32.	कम्पोजिट ए.च.एस., सीकर	331	79.35	58.06
33.	कम्पोजिट एच.एस., भीवाड़ी	416	85.52	62.85
34.	नकामदार फेज-1, अजमेर	304	66.03	48.85
35.	नकामदार फेज-2, अजमेर	368	64.28	48.75
36.	नकामदार फेज-3, अजमेर	352	63.77	48.12
37.	एस.डब्ल्यू.बी. फेज–4, अलवर	431	64:32	49.25
38.	एस.डब्ल्यू.बी. फेज–5, अलवर	352	61.89	46.91
39.	कम्पोजिट एच.एस. रामगंज मण्डी, फेज-1	373	67.15	49.97
40.	कम्पोजिट एच.एस. बारा, फेज-1	335	61.49	45.67
41.	कम्पोजिट एच.एस. किशनगढ़, फेज-1	274	52.15	38.78
42.	कम्पोजिट एच.ए स. किशनगढ़, फेज–2	162	34.56	24.99
43.	महावीर नगर एक्स-फेज–4, कोटा	363	69.31	71
44.	महावीरनगर एक्स-फेज-5, कोटा	320	63 87	48.25
45.	महावीरनगर फेज-3 पेरिफेरियल एच.एस., कोटा	70	61.81	36.64
46.	हनुमान गढ़ फेज –2	182	111.31	71.30
47.	एन ईबी. फेज –2 अलवर	212	43.00	31.23
48.	एन.ईबी फेज–3 अलवर	189	54.33	36.46
49.	कम्पोजिट एच एस, [illegible]	266	67.91	49.83
50.	कम्पोजिट एच.एस., गणेश तालाब, कोटा	1311	193.73	150.33
	योग ..		3011.77	2196.37

सूची "स"

नगर विकास न्यासों के लिए वर्ष 1981-82 व 82-83 में हुडको द्वारा ऋण स्वीकृत की गई योजनाओं का विवरण

क्र.सं. न्यास नगर परिषद् व विभाग का नाम	योजना का नाम	ऋण की स्वीकृति 81-82	लाखों में 82-83
1. बीकानेर, नगर विकास न्यास	जयनारायण व्यास नगर योजना	–	21.50
,,	बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनः निर्माण हेतु।	–	6.60
2. कोटा, नगर विकास न्यास	केशवपुरा फेज-6	3.92	5.91
	केशवपुरा फेज-7	15.99	11.26
3. अलवर, नगर विकास न्यास	योजना नं. 10-ए	–	42.41
	योजना नं. 10-बी	–	48.71
4. श्री गंगानगर, नगर विकास न्यास	जवाहर नगर आवासीय योजना	–	116.76
5. अजमेर, नगर विकास न्यास	नाका मदार	–	30.84
6. जयपुर विकास प्राधिकरण	ई.डब्लू.एस.स्केटल	–	20.01
,, ,,	व आवासीय योजना		
,, ,,	झालाना डूंगरी, जयपुर		
,, ,,	ई.डब्लू.एस. आवासीय योजना, लालकोठी,	–	21.43
	कच्ची बस्ती मार्केट	–	31.77
,, ,,	सर्विस. पुनर्वास योजना, मालवीय नगर योजना,		
,, ,,	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना	–	17.08
7. नगर परिषद, टोंक	नगर परिषद, टोंक की योजना		86.11
8. जयपुर पुनर्वास विभाग, जयपुर	गुरलांपुरा एवं विद्याधर नगर योजना		277.00

सूची "द"

राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यास हेतु
चालू वर्ष 82-83 में हुडको से प्राप्त करने हेतु विचाराधीन योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	कुल मकान	परियोजना राशि	ऋण की राशी (लाखों में)
I.	आवासन मण्डल:			
1.	गवर्नमेंट रेन्टल हाउसिंग स्कीम, गांधी नगर, जयपुर।	60	56.74	36.09
2.	हाउसिंग स्कीम, फेज–2, सीकर	88	59.13	37.48
3.	हाउसिंग स्कीम, फेज–2, सूरतगढ़	670	181.33	127.15
	योग		297.20	200.63
II.	नगर विकास न्यास:			
1.	श्याम नगर आवासीय योजना, न.वि. न्यास, श्री गंगानगर		..	42.51
2.	मकानों के लिए, जोधपुर		..	71.30

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची

क. सं.	नाम अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों का	विवाद किससे हैं, नाम व जाति	कब से है	क्या कार्यवाही की गई
1	2	3	4	5
1.	श्री रूपनारायण, पुत्र श्री बाबूराम बलाई, वार्ड नं. 10	श्री चतुरभुज माली, पुत्र श्री नारायण माली, वार्ड नं. 10	23 3-79	विवाद सिविल न्यायालय में है।
2.	श्री आशाराम, पुत्र श्री देवीराम खटीक, वार्ड नं. 5	श्री भैरूराम, पुत्र श्री जीवाराम खटीक, वार्ड नं. 5	14-3-78	कब्जा सबूत मांगे गये।
3.	श्री ग्यारसी लाल, पुत्र श्री माधोलाल बलाई, वार्ड नं. 6	श्री रामप्रसाद, पुत्र श्री टीकाराम ठाकुर, वार्ड नं. 4	16-11-77	कब्जा सबूत मांगे गये।

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 149 की सूची

जिला पाली की पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन (खारची),
रानी व देसूरी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं की सूची

पशु चिकित्सालय:-

1. पशु चिकित्सालय, खारची
2. पशु चिकित्सालय, रानी
3. पशु चिकित्सालय, देसूरी
4. पशु चिकित्सालय, सादड़ी

पशु स्वास्थ्य केन्द्र:-

1. पशु स्वास्थ्य केन्द्र, वूसी (पंचायत समिति, रानी)
2. पशु स्वास्थ्य केन्द्र नारलाई (पंचायत समिति, देसूरी)

पशु औषधालय:-

1. पशु औषधालय, धनला (पंचायत समिति, खारची)

228

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न सं., 152 की सूची

पूर्ण कार्य वर्ष 1982 83

नाम पंचायत समिति	एनी कट	शाला भवन	पेयजल कूप	औष- भवन	पंचायत घर	गावांई सड़कें	योग
1. चित्तौड़गढ़	1	10	14	3	1	1	30
2 कपासन	—	—	5	—	1	—	6
3. राशमी	2	11	10	1	2	—	26
4. भूपालसागर	—	—	—	—	—	—	—
5. बेगूं	—	—	—	—	—	—	—
6. भैंसरोड़गढ़	—	—	—	—	—	—	—
7. प्रतापगढ़	—	3	2	1	—	—	6
8. अरनोद	1	2	9	—	2	—	14
9. निम्बाहेड़ा	—	3	2	—	1	—	6
10. छोटी सादड़ी	—	1	2	—	—	—	3
11. बड़ी सादड़ी	1	1	—	1	—	—	3
12. भदेसर	—	—	—	—	—	—	—
13. डूंगला	—	2	25	—	—	—	27
योग ..	—	33	69	6	7	1	121

229

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 156 का विवरण)

Statement showing the details of samples received from the Insecticides Inspectors, samples, analysed and found sub-standard during the years 1978-79 to 1982-83.

Year	No. of samples received	No. of samples analysed	No. of samples found standard	Sub-Standard
1. 1978-79	—	—	—	—
2. 1979-80	163	151	107	47
3. 1980-81	565	543	353	190
4. 1981-82	648	622	483	139
5. 1982-83 (Up to Feb., 1983)	526	497	429	68
TOTAL ..	1907	1816	1372	444

(230)

Statement showing the names of the officers from whom samples were received and no. of samples analysed.

Year 1979 80

S. No.	Name of the District	Name of officer from whom sample received	No. of samples analysed,
1	2	3	4
1.	Jodhpur	Distt. Agr. Officer	7
		Jt. Dir. of Agr.	19
		Dy. Dir. of Agr.	6
			32
2.	Jhalawar	Asstt. Plant Protection Officer	4
3.	Jalore	Distt. Agr. Officer	13
4.	Pali	Dy. Dir. of Agr.	1
		S. M. S., Pali	10
		S. M. S., Bali	5
			16
5.	Sawai Madhopur.	S. M. S., Hindaun	10
6.	Jaipur	Asstt. Plant pro. Officer	1
		Dy. D. Ag. (PP)	3
		Commissioner (Municipality)	2
		Executive Engineer (PHED)	2
		Special Officer, Marketing Federation	1
			9
7.	Sri Ganganagar	Asstt. Plant Prot. Officer	4
8.	Sikar	,, ,,	2
9.	Hanumangarh	,, ,,	11
		Dy. Dir. of Agr.	10
			21
10.	Tonk	Dy. Dir. of Agri.	19
11.	Dausa	Asstt. Plant Prot. Officer	8
12.	Bundi	Distt. Agr. Officer	2
13.	Ajmer	Asstt. Plant Prot. Officer	5
		Distt. Agr. Officer	2
		Dy. Dir. of Agr.	6
			13
14.	Nagaur	Block Development Officer, P. S. Parbatsar	1
		Grand total ..	154

Statement showing the name of the officer from whom Samples were received and No. of samples analysed.

Year — 1980-81

Sl. No. 1	name of the District 2	Name of officer from whom samples received 3	No. of samples analysed 4
1.	Nagour	Distt. Agr. Officer	21
2.	Hanumangarh	,,	50
3.	Sikar	,,	8
4.	Barmer	,,	1
5.	Jhunjhunu	,,	16
6.	Baran	,,	14
7.	Ajmer	Asstt. Plant Protection Officer	47
8.	Bundi	Distt. Agr. Officer	4
9.	Dholpur	S.M.S.	4
10.	Dausa	Distt. Agr. Officer	3
		Asstt. Plant Prot. Officer	12
		S. M. S.	6
			21
11.	Banswara	Distt. Agr. Officer	1
		Asstt. Plant Pro. Officer	1
			2
12.	Jhalawar	Distt. Agr. Officer	2
		Dy. Dir. of Agri.	11
			13
13.	Sri Ganganagar	Asstt. Plant Prot. Officer	17
		Astt. Dir. (Q. C.)	4
		Distt. Agr. Officer	14
			35
14.	Alwar	Distt. Agr. Officer	14
		Dy. Dir. Of. Agr.	23
			37
15.	Tonk	Asstt. Plant Prot. Officer	19
		Dy. Dir. of Agr.	12
			31
16.	Pali	Dy. Dir. of Agr.	6
		S. M. S. Pali	13
		Asstt. Plant Prot. Officer	2
		Distt. Agr. Officer	6
		Block Dev. Officer, Sumerpur	3
			30
17.	Chittorgarh	S. M. S.	2
		Distt. Agr. Officer, Kapasan	11
			13

Page No 232

(232)

1	2	3	4
18.	Jalore	Distt. Agr. Officer	21
19.	Kota		3
		Jt. Dir. of Agr.	19
		Asstt. Director (Q. C.)	7
			29
20.	Jodhpur	Assitt. Plant Prot. Officer	9
		Distt. Agr. Officer	20
		Assitt. Director (Q. C.)	19
			48
21.	Bharatpur	Asstt. Plant Prot. Officer	3
		Dy. Dir. of Agri.	9
		S.M.S., Deeg	10
			22
22.	Sawai Madhopur	S.M.S., Gangapur	12
		S.M.S., Hindaun	15
		Asstt. Plant Prot. Officer	5
		Dy. Dir. of Agri.	2
		Distt. Agr. Officer	3
			37
23.	Jaipur	Sec. Officer (Marketing)	16
		Dy. Supdt. of Police	2
		Asstt Plant Prot. Officer	2
		S. M.S., Jhotwara	3
		Dy. irector, Chemical (ISI)	1
		Asstt. Director, Medical	1
		Jt. Director of Agr.	2
		Dy. Director of Agr. (PP)	3
		Asstt. Dir. of Agr. (c)	3
			33
24.	Bhilwara	Dy. Director of Agr.	6
		Grand total ..	43

STATEMENT SHOWING THE NAME OF OFFICERS WHO SENT THE SAMPLES AND NUMBER OF SAMPLES ANALYSED DURING 1981-82.

S. No.	District	Name of Officers from whom samples received	Number of samples analysed
1	2	3	4
1.	Bharatpur	APPO	6
		SMS., Deeg	3
		SMS., Bharatpur	4
			13
2.	Bundi	APPO	27
		DAO	1
			28
3.	Jalore	DAO	16
4.	Barmer	DAO	17
5.	Sikar	DAO	13
6.	Dholpur	SMS.	8
7.	Chittorgarh	SMS.	6
8.	Dausa	APPO.	25
		SMS.	20
		SMS., Sanganer	4
			49
9.	Jodhpur	AD(QC)	15
		DAO	1
			16
10.	Hanumangarh	DAO	22
11.	Nagaur	DAO	20
12.	Pali	APPO	34
		DAO	11
		Seed Prod. Inspecter Sheoganj	1
			46
13.	Churu	DAO	2
14.	Kankroli	DAO	13
15.	Ajmer	APPO	21
16.	Udaipur	APPO	6
		Pesticide India	1
			7

1	2	3	4
17.	Jhalawar	DAO	8
		APPO	2
			10
18.	Sirohi	SMS	4
19.	Baran	DAO	4
20.	Kota	AC(QC)	6
21.	Banswara	DAO	4
		APPO	1
			5
22.	Sawai Madhopur	SMS., Hindaun	39
		DAO.	20
		APPO., Gangapur	6
		SMS., Sawai Madhopur	3
			68
23.	Ganganagar	APPO.	24
		AD(QC)	34
		DAO.	36
		SMS., Raisinghnagar	24
			118
24.	Jaipur	AD(QC)	37
		AAC(PEST)	2
		DY. DAG(QC).	1
		DAO.	3
		APPO.	1
		DY. DAG(PP)	3
		SMS., Jhotwara	5
		MANAGER, MARKETING	1
		Agro. Ind. Comptroller	1
		SMS., Sahpura	1
			55

1	2	3	4
25.	Tonk	DAO	2
		SMS., Tonk	7
		APPO.	15
			24.
26	Alwar	APPO	10
		SMS., Rajgarh	4
		DAO	6
		SMS., Kishangarhbas	6
		SMS., Barodamey	5
			31
		GRAND TOTAL (81—82) ..	622

Statement Showing the Name of Officers, Who sent the Samples and Number of Samples Analysed during 1982-83

(Up to 17th Febr., 1983)

S. No. 1	District 2	Name of Officers from whom samples received 3	Number of samples analysed 4
1.	Jaipur	Dy. DAG. (PP)	60
		(For DMHS)	3
		Secy. Seed Crop	7
		DAO.	3
		SMS., Jhotwara	1
		SMS., Shahpura	5
		APPO.	3
		APPO (HQRS.)	1
		DY.DAG (PP).	1
		AD(QC)	
			84
2.	Ajmer	APPO	18
		SMS., Beawar	18
		SMS., Ajmer	8
			44
3.	Pali	APPO.	16
		SMS., Sojat	15
		SMS., Bali	5
		SMS., Pali	2
			38
4.	Sirohi	APPO.	10
5.	Sawai Madhopur	DAO.	3
		SMS., Hindaun	1
		SMS., Gangapur	16
		SMS., S. Madhopur	6
			26
6.	Chittorgarh	SMS., Chittorgarh	17
		SMS., Paratapgarh	1
			18

Page No 237

237

1	2	3	4
7.	Banswara	APPO.	4
8.	Churu	DAO.	3
9.	Sikar	DAO.	1
10.	Kankroli	DAO.	21
11.	Baran	DAO.	15
12.	Kota	AD(QC)	7
		DAO.	6
		SMS., Ramganjmandi	
			28
13.	Udaipur	APPO	3
		DAO	1
		AD(QC)	8
			12
14.	Jodhpur	DAO.	16
		APPO.	3
		AD(QC)	4
			23
15.	Bundi	DAO.	5
16.	Bharatpur	APPO.	4
		SMS., Bharatpur	6
		SMS., Deeg	4
			14
17.	Dholpur	SMS.	1
18.	Ganganagar	PPO, CSF., Jetsar	8
		AO, CSF, Suratgarh	1
		DAO.	7
		SMS., Raisinghnagar	7
			23
19.	Tonk	APPO	4
		DAO	3
			7

1	2	3	4
20.	Jalore	DAO	3
21.	Hanumangarh	DAO	2
		APPO	39
		DAO (RCP) (CAP)	1
			42
22.	Dausa	APPO	14
		SMSs, Dausa	8
		SMS., Sanganer	2
			24
23.	Bhilwara	SMS., Kotri	8
		APPO	5
		SMS., Gulabpura	1
			14
24.	Jhalawar	APPO	3
25.	Barmer	DAO	5
26.	Nagaur	DAO	19
		GRAND TOTAL: (82—83)	497

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची

वर्ष 1982-83 में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	मंडी समिति का नाम	सड़कों का नाम	लम्बाई कि.मी. या धनराशि	स्वीकृत वर्ष	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	खैरथल	(1) पूनाशंकर से भंभेड़ी	2 लाख	प. 10 (6) कृषि/गुप–2बी/81, दि. 26-7-82	कार्य चालू नहीं ।	
			(2) बावरिया पंजदास स्थान	3 लाख	,,	,,	
			(3) खानपुरा से कराड़ा टिगरी	1.25 कि.मी.	,,	टेण्डर कार्य	
			(4) सड़क से नीमूताड़ा	4.0 ,,	,,	,,	
			(5) केकड़ी से जिसड़ी सड़क	4.0 ,,	,,	,,	
			(6) हाजीपुर से मूला	4.0 ,,	,,	,,	
			(7) मौतुका से शाहसपुर	4.0 ,,	,,	,,	
			(8) लोंकनी से नागल	6.0 ,,	,,	,,	
			(9) कोटकासिम से जोड़िया	6.0 ,,	एफ 10(19)कृषि गु. 2 बी/82, दिनांक 3-1-83	,,	
		खेड़ली	(1) लक्ष्मणगढ़ से खेड़ली वाया भानोखर खोरा गोपालपुर	15.0 ,,	26-7-82	टेण्डर कार्य	

Page No 240

	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	खेडली	(2) बाईपास रोड़ से खेडली कस्बा	1.0 ,,	3-1-83		
		अलवर	(1) हल्दीना से निखारी-कैरवा वाल	3.0 ,,	,,		
2.	भरतपुर	भरतपुर	(1) कुम्हेर-नदबई सड़क से बरताईवाया सिकरोई	1.85 लाख	11·10·82		
		नगर	(1) नगर से मुडिया		26-7-83		
			(2) नगर से मुडोली		,,		
			(3) कस्बा बाड़ी से ग्राम धूरी	2.0 किमी.	3-1-83		
3.	अजमेर	मदनगंज	(1) रलावता से सलमाबाद	2.50 ,,	26-7-82	कार्य प्रगति पर	जून, 83
			(2) थल से सुरसरा	3.50 ,,	,,	,,	
1.	पाली	सुमेरपुर	(1) उन्दरी (पुरानी बस्ती) सुमेरपुर से जवाई बांध रेलवे स्टेशन	8.5 किमी.	26-7-82	निविदा कार्य प्रगति पर	दिसम्बर, 83
			(2) लांपोद से पिछवा सड़क, कार बसंत तक	2.0 ,,	3-1-83		
			(3) सिदरु सम्पर्क सड़क	2.50 ,,	,,		
			(4) एग्रार बलना से राजपुरा	2.0 ,,	,,		
			(5) लाटारा लुनाव बांखा, बोया सड़क	2.0 ,,	,,		
			(6) बेड़ा से पदन जवाई बाध स्टेशन तक	2.0 ,,	,,		
		रानी	(1) खिवाड़ा से सिवास होकर, पिलावणी देवणी तक	3.0 ,,	,,		
			(2) जवाली से नादाण (भाटाण) तक डामर की सड़क	2.0 ,,	,,		

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	पाली	पाली	(1) सड़क कार्य गुन्दोज से करण वाया कानेलाव	3.0 ''	कि. मी.	टेण्डर कार्य 3-1-83	
			(2) सड़क कार्य रूपावास से डेण्डा वाया दयालपुरा भादड़ी	3.0 ''	''		
5.	बीकानेर	नोखा	(1) थावरिया से मैनपर	15.0 ''			
			(2) शाहदसर से मन्सूरी	8.0 ''	26-7-82	कार्यपूर्ण नहीं	
6.	सवाईमाधोपुर	स.माधोपुर	(1) पावडेडा से चोथ का बरवाड़ा	11.0 ''	''	पुलिया निर्माण के कारण निर्णय हेतु विचाराधीन म.स.में ।	
			(2) वहेले से फलपावड़ा				
7.	जयपुर	जयपुर (ग्र.) पंचायत समिति, बस्सी	(1) जटवाड़ा से वडवा फार्म वाया टहटणा वाया पड़ासोली डामर का कार्य	3.0 ''	26-7-82	निविदा कार्य चालू	
			(2) तुगा से देवागांव वाया धनोड डामर कार्य	2.0 ''	''	''	
			(3) बस्सी से सांवरिया	2.0 ''	''	''	
	जयपुर	जयपुर (ग्र) पंचायत समिति, विराटनगर	(4) जटवाड़ा से पाटन	2.0 कि. मी.	26-7-82	निविदा कार्य चालू	
			(5) वासको से लवान	2.0 ,,	,,	''	
			(6) साठयाणा से देवली	2.0 ,,	,,	''	
			(7) वाड़ी जोड़ी से सावीपुल वाया रामचन्दपुरा, छापड़ाकलां	4.0 ,,	,,	टेण्डर कार्य चालू	
			(8) अलवर रोड से जवानपुरा डामर का कार्य	1.5 ,,	,,	''	
			(9) रामपुरा से शाहपुरा	2.0 ,,	,,	''	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जयपुर	प. स., वि. नगर	(10) अलवर रोड से बांधाबास चौरासी, डामर कार्य	1.5 कि.मी.	26-7-82	टेन्डर कार्य चालू	
			(11) बड़ोदिया से मनोहरपुरा	2.0 ,,	,,	,,	
			(12) नेकीढ़ाणी से बयावास	1.0 ,,	,,	,,	
		पं. समिति, शाहपुरा	(13) नवलपुरा से श्योसिंहपुरा वाया परमानन्दजी	2.0 ,,	,,	,,	
			(14) शाहीवाड़ा से किशनगढ़ डामर का कार्य	3.0 ,,	,,	,,	
			(15) नीम का थाना रोड से चिमनपुरा, यह सड़क कालेज तक पूर्व में बनी हुई, सिर्फ डामर कार्य होना है और कालेज के आगे 1 कि. मी. नया कार्य होना है।	2.0 ,,		,,	
			(16) करीरी से बिलान्दपुरा डामर का कार्य	4.0 ,,	,,	,,	
			(17) शाहीवाल मोड़ से पीपलोद डामर कार्य	3.0 ,,	,,	,,	
			(18) बिलान्दपुर से धानोता	3.0 ,,	,,	,,	
			(19) मनोहरपुर से किशनगढ़	2.0 ,,	,,	,,	
			(20) खोरा लाडखानी सड़क से चोरसा	2.0 ,,	,,	,,	
		पं. समिति, जमवारामगढ़	(21) ताला से सामरेडकलां वाया धोला मायासुला	4.0 ,,	,,	,,	
			(22) आंधी विरासना रोड़	3.0 ,,	,,	,,	
			(23) भानपुरकला से सायवाड़	3.0 ,,	,,	,,	
			(24) टोडामीणा से भानपुरकलां	2.0 ,,	,,	निविदा कार्य शुरू	
			(25) मुख्य रोड़ धोलाई (पं. मुख्यालय)	1.0 ,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
जयपुर		प. सं.	(26) मुख्य रोड़ से निवला	3.0 कि.मी.	26-7-82	निविदा कार्य शुरू	
		जमवारामगढ़	(27) बुर्ज से चावड़िया	1.0 ,,	,,	,,	
			(28) मुख्य रोड़ से माथासला	2.0 ,,	26-7-82	निविदा कार्य शुरू	
			(29) मुख्यरोड़ से सांडकोटड़ा	2.0 ,,	,,	,,	
			(30) महंगी से बावनी वाया दांतली	3.0 ,,	,,	,,	
			(31) धूला से नकटीघाटी	2.0 ,,	,,	,,	
			(32) चिताडू से चन्दवाजी	3.0 ,,	,,	,,	
			(33) लालवास से नकटीघाटी	10.0 ,,	3-1-83	,,	
		पंचायत समिति,	(34) चुंगी चौकी आगरा रोड, जयपुर से प. सुमेल	3.0 ,,	26-7-82	निविदा कार्य शुरू	
		झोटवाड़ा	(35) कालवाड़ा से दर्जनियावास	2.0 ,,	,,	,,	
			(36) मुकन्दपुर से बिन्दायका	2.0 ,,	,,	,,	
			(37) सरना डूंगर से बावड़ी	1.0 ,,	,,	,,	
			(38) चम्पापुरा से नारीकावास	2.0 ,,	,,	,,	
			(39) माजीकावास से सरना चौड़	2.0 ,,	,,	,,	
		पंचायत	(40) सांगानेर से शिकारपुरा	3.0 ,,	,,	निविदा कार्य शुरू	
		समिति,	(41) सोडावाला रोड से मांग्यावास	3.0 ,,	,,	,,	
		सांगानेर	(42) मुहाना से कपूरावाला	3.0 ,,	,,	,,	
		पंचायत	(43) कुन्डा ग्रिड स्टेशन से नांगलसूसावतान	2.0 ,,	,,	,,	
		समिति,	(44) नेशनल हाईवे दिल्ली रोड से लखेर	1.0 ,,	,,	,,	
		आमेर	(45) नेशनल हाईवे दिल्ली रोड से चिताणु वाया जुगलपुरा	3.0 ,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जयपुर (अ)	प. स., आमेर	(46) चौप से जैतपुरा वाया त्रिलोची (राणों की ढाणी)	3.0 कि.मी.	26-7-82	निविदा कार्य शुरू	
			(47) दौलतपुरा से बगवाड़ा	2.0 ,,	,,	,,	
			(48) मोडी से राधाकिशनपुरा वाया देवगुड़ा, खनीपुरा	3.0 ,,	,,	,,	
			(49) ताखरो की ढाणी तनविहारीपुरा से सिरसली तक	4.0 ,,	21-9-82	कार्य प्रगति पर	
		प. स., चौमूं	(1) मन्दोभिण्डा स्टेण्ड से हस्तेड़ा सड़क राहत कार्यों की अपूर्ण सड़क	(प्रथम स्वीकृति 2 लाख रु.	5-8-81) 3-1-83		
			(2) हस्तेड़ा से बधाल (इटावा) वाया आपति	2 लाख रु.	,,		
			(3) चौमूं से अमरपुरा वाया नांगल, भरेड़ा (वीर हनुमानजी)	2 लाख रु.	,,		
		पं. सं. बान्दीकुई	(1) बडयाल, रलायता, कुनलरपूरा, लोटवाड़ा व बीजूपुरा	10.0 कि.मी.	,,		
		पं. सं. दौसा	(2) नांगल रजावतान से हिरडा तक सड़क निर्माण (अधूरी सड़क)	8.0 कि.मी.	,,		
8.	जालौर	जालौर	(1) जालोर-मोकलसर रोड से अप्रोच रोड बिशनगढ़ तक	1.0 कि.मी.	,,		
			(2) सायला बिगोडा रोड़ से चोराउ गांव अप्रोच रोड	1.0 कि.मी.	,,		

2415

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	झुंझुनूं	सूरजगढ़	(1) बुहाना से बलोदा वाया कलवा सड़क, पक्का कराने के लिये	5 लाख रु.	3-1-83		
10.	श्रीगंगानगर	रावतसर	(1) रावतसर से लोलखी वाया बावरियों की ढ़ाणी, चक माल भिजारिया 7 डी.डब्लू, डी. रामपूरा की करांडिया	5.0 कि.मी.	,,		
		नोहर	(1) दईदास से अहलनाबाद (हरियाणा बोर्डर तक) वाया लालेखा ढाणी छेनानिया, श्योदानपुरा	3.0 कि.मी.	,,		
		श्री गंगानगर	(1) चक 3 एम. एल. गंगानगर हनुमानगढ़ मुख्य सड़क से जोड़ा जाना	1.25 कि.मी.	,,		
11.	झालावाड़	भवानीमंडी	(1) गुराडियामाना से मध्य प्रदेश तक	2.0 कि.मी.	,,		
12.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	(1) आसन से राहडिया वाया नोखा	2 लाख रु.	,,		
			(2) मोटा गांव से जगपुरा	2 लाख रु.	,,		
			(3) आनन्दपुरी से मानगढ़	2 लाख रु.	,,		
13.	कोटा	बारां	(1) हथवारी सड़क से खिरिया से केलवाड़	3.0 कि.मी.	,,		
14.	सीकर	सीकर	(1) सीकर नेशनल हाईवे, खटीकों की प्याऊ से जखमालपुरा मय डामर	2.0 कि.मी.	,,		
			(2) सिहोर छोटी बस स्टैण्ड से सीकर मालासर रोड, सिहोर छोटी ग्राम तक मय डामर के	1.0 कि.मी.	,,		

Page No 246

(246)

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	सीकर	पं. सं. फतेहपुर	(1) लक्ष्मणगढ़ से सालासर जोड़ने वाली रोड़ पर झूमा स्टेण्ड से छोटा भूमा तक सड़क पक्की करना	1.0 कि.मी.	3-1-83		
		नीमकाथाना	(1) बाडी जोड़ी से ठठेरा वाया अजमेरी रायपुर जागी	7 कि.मी.	,,		
15.	धौलपुर	बाडी	(1) बसेड़ी सेपउ सड़क से जोरगा से खैंयारपुरा	3.0 कि.मी.	,,		
			(2) बाड़ी कासोटी खेड़ा	3.0 कि.मी.	,,		
		धौलपुर	(1) जी. टी. रोड़ से (धौलपुर) सूवा का बाग से ग्रा. विपरपुर तक	3.0 लाख रु.	,,		
			(2) इन्द्रवली से फराशपुरा तक	3.0 लाख रु.	,,		
16.	चूरू	सुजानगढ़	(1) सोभासर से भागसरा	4.0 कि.मी.	,,		
			(2) मंडी प्रागंण सुजानगढ़ से पुलिया प्याऊ तक	3.0 कि.मी.	,,		
			(3) नाथी तालाब से खरड़ा	3.0 कि.मी.	,,		
			(4) तालछा पर रेल्वे स्टेशन से हावसर (कम्पलीट पत्थर व कोलतार लगाना)				
		सादुलपुर	(1) रडवा से कानराड़ा	5.0 कि.मी.	,,		
			(2) सासू रोड़ लम्बूर बड़ी के मंदिर तक	2.5 कि.मी.	,,		

Page No 247

1	2	3	4	5	6	7	8
			(3) चौधरियों की ढाणी से नूहन्द मिडिल स्कूल तक	5.0 कि.मी.	3-1-83		
			(4) हरमालू से कालरी	400 मीटर	"		
17.	उदयपुर	उदयपुर	(1) पालियाखेड़ा वाया वागपुरा सादड़ी रोड़	4 लाख रु.	"		
			(2) बस्सी से कानोता रोड़ तह. सलूम्बर	4 लाख रु.	"		
			(3) प्रतापनगर से आमेरी वाया डेकली और सुखोर	4 लाख रु.	"		
			(4) पेरी खरवर वायरी निमोदासपुर वाया हैडक्वाटर सराड़ा तक	4 लाख रु.	"		
18.	नागौर	डीडवाना	(1) टांकी निम्बी से गांव टांकी तक	3 लाख रु.	"		
			(2) चन्दराई टांकी से गांव नन्दखाई तक	3 लाख रु.	"		
			(3) खरेशखुनखुना से खरेश	3 लाख रु.	3-1-83		
			(4) खोजास फारेश से खोजास तक	3 लाख रु.	"		
			(5) गौण मंडी यार्ड से छोटी खाटू से चने के भट्टे के पास के चौराहे से लेकर गांव के अन्दर की सड़क	1.5 कि.मी.	"		
			(6) गौण मंडी यार्ड लाडनू में गांव के अन्दर से सुनारी की ओर जाने वाली सडक	1.5 कि.मी.	"		
			(7) छोटी खाटू से बड़ा बड़ा एक डामर	3 लाख रु.	"		
		डेगाना	(1) कितलसर से डेगाना स्टेशन तक	6.0 कि.मी.	"		
		कुचामनसिटी	(1) चौसला से गुडासाल्ट सम्पर्क सड़क	10.0 कि.मी.	"		

(248)

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची

क्र. सं.	नाम मय पता	राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4
1.	श्री राम पाल, पुत्र भूरा नायक ग्राम कलवाड़ा, ग्राम. प. दलवाड़ा	750/-	20-1-83
2.	श्री नाथू, पुत्र तनसवा रैगर, ग्राम सांरगपुरा, ग्राम. प. टोकरीया	750/-	21-1-83
3.	श्री छीतर, पुत्र पाचू राम, ग्राम प. पवालियां	750/-	21-1-83
4.	श्री जीवन राम, पुत्र भागू राम, बैंरवा, ग्राम विसवा, ग्राम प. बिलवा	750/-	28-1-83
5.	श्री मोहन, पुत्र श्रवण बैंरवा, ग्राम प. नेवटा, ग्रा. पं. नेवटा	750/-	13-2-83

249

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूचना

1-1-82 से 31-1-83 तक पंचायत समिति, बड़गांव की जीप, डीजल एवं मरम्मत पर व्यय

क्रमांक माह	डीजल पर व्यय	मरम्मत एवं अन्य	विशेष विवरण
1. जनवरी, 82	1123-36	—	माह सितम्बर, 82 से दिसम्बर, 82 तक डीजल व्यय में 2651.33 पैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त, राजस्व अभियान एवं पिछड़े को पहले में प्राप्त जो शामिल है।
2. फरवरी, 82	675-88	767-21	
3. मार्च, 82	633-22	—	
4. अप्रेल, 82	539-97	—	
5. मई, 82	263-12	1649-68	
6. जून, 82	821-50	1565·19	
7. जुलाई, 82	1019-67	283-65	
8. अगस्त, 82	1335-33	342-50	
9. सितम्बर, 82	785-03	—	
10. अक्टूबर, 82	812-54	—	
11. नवम्बर, 82	1168-56	—	
12. दिसम्बर, 82	1267-56	803-93	
13. जनवरी, 83	1205-84	1565-20	टायर ट्यूब
	11640-94	6977-11	

2. पंचायत समिति, बड़गांव द्वारा दिनांक 1-1-82 से 31-1-83 तक टेलीफोन पर किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	माह	टेलीफोन किराया	ट्रंक कॉल	लोकल कॉल
1.	जनवरी-फरवरी, 82	—	264-00	—
2.	मार्च-अप्रेल, 82	125-00	1-00	173-60
3.	मई-जून, 82	—	32-00	142-00
4.	जुलाई-अगस्त, 82	—	—	190.00
5.	सितम्बर, 82	228-00	240-00	325-50
6.	अक्टूबर—नवम्बर, 82	169-00	155-00	152-00
7.	दिसम्बर, 82 एवं जनवरी, 83	125-00	41-00	576-00
		647-00	733-00	1586-00

(250)

प्रधान, पंचायत समिति, बड़गांव द्वारा उठाये गये यात्रा भत्ते का विवरण

माह	राशि	
जनवरी, 82	30-00	
फरवरी, 82	52-50	
मार्च, 82	7-50	
अप्रेल, 82	15-00	
मई, 82	15-00	
जून, 82	30-00	
जुलाई, 82	7-50	
अगस्त, 82	22-50	
सितम्बर, 82	22-50	
अक्टूबर, 82	7-50	
दिसम्बर, 82	37-50	
जनवरी, 83	—	यात्रा व्यय बिल प्राप्त नहीं
	247.50	

———